लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 3.2.94
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 40, सोमवार, 20 अप्रेल, 1970/30 चैत्र, 1892 (शक)
No. 40, Monday April 20, 1970/Chaitra 30, 1892 (Saka)

अमरीकी अन्तरिक्ष यात्रियों की वापसी — Return of U. S. ASTRONAUTS.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

S.Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1081	पश्चिमी जर्मनी के साथ ऋण संबन्धी करार	Loan agreement with West Germany	2-5
1082	निर्यात के बारे में कम और अधिक मूल्य के बीजक बनाना	Over invoicing and under invoicing of Exports	5-8
1083	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सतर्कता निकाय	Vigilance body to prevent corruption in Affairs of Nationalised Banks	8-13
1084	इरविन अस्पताल के अधिकारयों द्वारा रोगियों के परीक्षण में लापरवाही	Negligence in examining patients by Irwin Hospital authorities	13-14
1085	श्री हरिदास मूंदड़ा पर बकाया करों की राशि को बट्टे खाते डालना	Writing off of Tax arrears against Shri Haridas Mundhra	14-17
1086	15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले कर्मचारियों को बारी से पहले क्वार्टर देना	Out of turn allotment of quarters to Employees who have put in more than 15 years of Service	17-18

अल्प सूचना प्रश्न

21	औषधियों के बढ़े हुए मूल्य	High Prices of Drugs	18-25

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ता० प्र० संख्या

1087	बिहार पर केन्द्रीय ऋण की बकाया राशि	Outstanding Amount of Central Loan against Bihar	25
1088	नगरीय आवास योजनाओं के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए ऋण	House Building loans under Urban Housing Schemes	26

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1089	कोयला खानों के कार्य संचालन के बारे में चारी समिति की सिफारिशें Chari Committees' Recommendations on Operation of coal mines	26
1090	कर ढांचे की जांच Probe into tax structure	26-27
1091	भारतीय जीवन बीमा निगम का लाभप्रद कार्यकरण Economic working of Life Insurance Corporation of India	27
1092	औषधियों के अधिक मूल्य High Prices of Drugs	27
1093	मकान बनाने सम्बन्धी सामग्री के निर्माण हेतु आवास परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता World Bank aid for Housing Projects to produce Housing Material	28
1094	सहकारी क्षेत्र में पोलिएस्टर तन्तु धागे बनाने के कारखाने की स्थापना Setting up of Polyester Filament Yarn plant in Co-operative Sector	28-29
1095	राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रयोग Use of Hindi in Nationalised Banks	29
1096	ऐमोनिया, गंधक और फासफोरिक एसिड खरीदने के लिये ईरान के साथ करार Contract with Iran for Purchase of Ammonia, Sulpur and Phosphoric Acid	29-30
1097	कोलार की सोने की खानें Kolar Gold Mines	30-31
1098	बेलाडिला लोह अयस्क निक्षेपों के लिए सतह खनन योजना हेतु ठेका देना Contract for Surface Mining Scheme for Bailadilla Iron ore Deposits	31-32
1099	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण Working of Nationalised Banks	32-33
1100	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा राशियों पर ब्याज की दरों में वृद्धि Increase in Interest Rates on Deposits by R. B. I.	33-34
1101	ओखला वाटर वर्क्स, दिल्ली का बन्द हो जाना Closure of Okhla Water Works, Delhi	35
1102	अकाल मृत्यु को रोकने के लिये संगणकों की स्थापना Installation of Computors to Prevent avoidable Mortality.	35
1103	उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी के निवास स्थान पर छापा Raid on Residence of an officer of U. P.	36
1104	लागोस को वहां की जनता की सहायता के लिये औषधियों का प्रेषण Consignments of Medicines to Lagos for relief of people.	36
1105	ब्रिटेन से ऋण Loans from U. K.	37
1106	बर्मा में बीमा पालिसीधारियों के रिकार्ड Records of Insurance Policy Holders in Burma.	37-38

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1107 सोना तथा कलाई की घड़ियां पकड़ा जाना	Seizure of Gold and Wrist Watches	38
1108 विक्रेताओं द्वारा पर्यटकों से डीजल मिश्रित पेट्रोल का अधिक मूल्य लेना	Excess Price charged by Dealers for Petrol mixed with Diesel from Tourists	38-39
1109 वित्त प्रदान करने वाली गैर सरकारी एजेन्सियों पर रिजर्व बैंक द्वारा रोक लगाया जाना	R. B. I. Curb on Private Financing Agencies.	39-40
1110 मेसर्स जे० बी० मंघाराम एंड संस द्वारा ग्वालियर में एक बैंक की स्थापना	Bank set up by Messrs J. B. Mangharam and Co. in Gwalior.	40
अता० प्र० संख्या		
6651 मोतिया बिन्द रोगों के मामले	Cases of Cataract Diseases	40-41
6652 न्यू अशोक हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली	New Ashoka Housing Co-operative Society, Delhi	41-42
6653 चौथी योजना के दौरान भिलाई क्षेत्र में अधिक रासायनिक तत्वों की उपलब्धि	Increased Availability of Chemical Elements in Bhilai Area during Fourth Plan	42
6654 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा रंगून में हीरों की नीलामी	Auction of Diamonds in Rangoon by National Mineral Development Cor Loration	42-43
6655 राज्यों में गर्भपात के मामले	Cases of Abortions in States	43
6656 भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी करारों में संशोधन	Revision of Refinery Agreements with Foreign oil Companies in India.	43-44
6657 भारत में स्वयं तेल शोधक कारखाने की स्थापना के बारे में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का वक्तव्य	Statement by Minister of Petroleum and Chemicals regarding setting up of Oil refinery All on Our Own in India.	45-46
6658 भारत में तट के पास तेल निकालने के कार्य में धीमी प्रगति	Slow progress in off shore Drilling for oil in India.	46
6659 देश में श्लीपद (एलीफेंटियासीस) रोग का फैलना	Spread of Elephantiasts in the Country	47
6660 नासिक, जल गांव और अहमद नगर (महाराष्ट्र) जिलों में बाढ़ के लिये सहायता	Central Assistance for Floods in Nasik, Jalgaon and Ahemdnagar Districts (Maharashtra)	47-48

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6661	पूर्व निगमाड़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास स्थान अलाट करना	Allotment of Government Accommodation to Central Government Employees in East Nimar. 48
6662	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh 48-49
6663	दिल्ली नगर निगम द्वारा श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क कालोनी को अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Shyama Prasad Mukerjee Park Colony by Delhi Municipal Corporation. 49
6664	वायर लैस सेटों का व्यापार करने वाली एक फर्म द्वारा उत्पादन शुल्क की चोरी	Evasion of Excise Duty by a Firm dealing in wireless Receiving Sets 50
6665	दिल्ली में उत्पादन शुल्क निर्धारण के मामलों की संख्या	Number of Assessments of Excise Duty in Delhi 50
6666	ज्यामितीय औजार बक्सों तथा रंग बक्सों के धातु के बक्सों पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Metal Containers of Geometrical and colour Boxes 50-51
6667	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India 51
6668	मैथाडिस्ट इन्टरमीजियेट गर्लस कालेज, मुरादाबाद के कुछ व्यक्तियों को अमरीका से धन प्राप्ति	Receipt of Funds from USA by Individuals in Methodist Intermediate Girls College, Moradabad 51
6669	औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for Workers in Kanpur under Industrial Housing Scheme 51-52
6670	बिना तराशे हुए हीरे के आयात के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जर्मनी के साथ करार	N. M. D. C. Agreement with GDR for Import of Rough Diamonds 52-53
6671	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद	Dispute between workers and Management of Hindustan Housing Factory 52
6672	विभिन्न मन्त्रालयों में प्रवेश के लिये भारतीय तेल निगम के अधिकारियों को प्रवेश पत्र देना	Issue of passes to officers of Indian Oil Corporation for entry into various Ministries 52

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECU	पृष्ठ/Pages
6673	श्रेणी एक के आय कर अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Class I Income Tax officers	53-54
6674	मेरठ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints Against central Excise officials Meerut	54-55
6675	प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के विदेशी बैंकों में खाता	Foreign Bank Account of Prime Minister and other Ministers	55-56
6676	डेरियस अशोधित तेल की कीमत के बारे में नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के साथ हुए हमारे करार में परिवर्तन	Modification of Agreement with National Iranian Oil Company Re. Price of Darius Crude	56
6677	भारत में टेंट्रासाइक्लीन का अमरीकी फर्मों द्वारा विभिन्न शाखा नामों के अन्तर्गत बेचा जाना	Marketing of Tetracycline in India under Different Brand names by American Firms	57-58
6678	दिल्ली के फिल्म वितरकों पर बकाया आयकर	Arrears of Income Tax due from Film distribution of Delhi	58
6679	फिल्म उद्योग में आय कर का अपवंचन करने वाले व्यक्ति	Income Tax Evaders in Film Industry	58-59
6680	बम्बई में तस्करी के मामले में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप	Allegation against VIP's in a Smuggling Case in Bombay	59
6681	टेलीविजन सेटों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on T. V. Sets	59-60
6682	सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को हुआ लाभ अथवा हानि	Profits or losses incurred by public Sector Undertakings	60-61
6683	मद्रास स्थित शल्यक्रिया उपकरण कारखाने में उपकरणों का निर्माण	Production of instruments by Surgical Instruments plant, Madras	61-62
6684	औद्योगिक कारखानों पर करों का प्रभाव	Effect of Taxation on Industrial Units	62-63
6685	भारत अल्मोनियम कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष	Managing Director Chairman of Bharat Aluminium Company Ltd.	63
6686	जापान जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के सामान की तलाशी	Search of Baggage of official Delegation visiting Japan	63-64
6687	जस्ता प्रदावक कर्मचारी संघ, उदयपुर द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Zinc Smelter Employees Union, Udaipur	64-65
6688	हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन का विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme of Hindustan Aluminium Corporation	65

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6689	एल्यूमिनियम की कमी	Shortage of Aluminium	65-66
6690	छोटे उद्योग पतियों को ऋण देना	Grant of Loans to Small Scale Industries	67
6691	बिट्रेन में अयोग्य पाये गये पटना मेडिकल कालेज, पटना के स्नातक	Graduates of Patna Medical College, Patna found unfit in U. K.	67-68
6692	चौथी पंचवर्षीय योजनाओं नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाशियम सम्बन्धी आवश्यकता	Requirement of Nitrogen, Phosphate and Potassium during Fourth Plan	68
6693	खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सेंट्रल बैंक द्वारा किसानों को सहायता	Help to Farmers by the Central Bank to Boost Food Production	68-69
6694	दिल्ली में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों को आबंटित की गई भूमि	Land Allotted to various Co-operative House Building Societies in Delhi	69
6695	ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था	Provision of Accommodation for Government Staff in rural areas	69-70
6696	औषधियां बनाने के लिये आयातित कच्चे माल का मूल्य	Cost of import of raw material for manufacturing drugs	70
6697	मैसूर में लौह अयस्क के निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of Iron ore Deposits in Mysore	70
6698	सरकारी खजानों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendations of ARC on Government treasuries	71
6699	मलकागंज दिल्ली में झुग्गियों के गिराये जाने के परिणाम स्वरूप एक बच्चे की मृत्यु	Death of a Baby due to demolishing of Jhuggies in Malka Ganj, Delhi	71
6700	ट्रैक्टरों के आयात के लिये पंजाब को विश्व बैंक से ऋण	World Bank's loan to Punjab for Import of Tractors	71-72
6701	मद्रास तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल के सम्भरण के लिये ईरान के साथ करार	Agreement with Iran for supply of Crude oil to Madras Refinery	72
6702	मानव जीवन पर डी० डी० टी० का प्रभाव	Effect of DDT on Human Life	73
6704	निम्न श्रेणी तथा उच्च श्रेणी की कोयला खानों में अधिक उत्पादन	Excess production done by Lower Grade and Higher Grade Collieries	73-74

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6705	निम्न श्रेणी वाली कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिये लाइसेंस	Licences for opening and reopening of lower Grade Collieries	74
6706	कोयला बोर्ड के कार्यालय को समाप्त किये जाने की आवश्यकता	Need for discontinuance of office of coal Board	74-75
6707	सरकार द्वारा जनता को मकानों की बिक्री	Sale of Houses to Public by Government	75
6708	नार्थ तथा साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के सर्वेंट क्वार्टरों में छतों के पंखों की व्यवस्था	Provision of ceiling fans in servants quarters of M. Ps flats in North and South Avenue, New Delhi	75-76
6709	पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन में अस्थायी सफाई कर्मचारी तथा बेलदार	Temporary Sweepers beldars in Parliament Works Division	76
6710	संसद् सदस्यों के सर्वेंट क्वार्टरों के लिये फर्नीचर	Furniture for Servants quarters of M. Ps.	76-77
6711	मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में सोने के निक्षेप पाये जाना	Gold Deposits found in Raipur District of Madhya Pradesh	77
6712	नारायण, दिल्ली में श्मशान भूमि का स्थानान्तरण	Shifting of Cremation Ground in Naraina, Delhi	77
6713	रामाकृष्णपुरम दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water Supply in R. K. Puram New Delhi	77-78
6714	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हीरों तथा माणिक्यों की नीलामी	Auction of Diamonds Rubies etc. in Bombay by N. M. D. C.	78-79
6715	बम्बई के निकट फसल संरक्षण रसायनिक उत्पादन कारखाना स्थापित करना	Setting up of Crop Protection Chemicals production plant near Bombay	79
6716	नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं द्वारा आय कर का भुगतान न किया जाना	Non payment of income tax by private Educational institutions in New Delhi	79-80
6717	भारतीय तेल निगम के आसाम स्थित तेल के कुओं से कच्चे तेल की अतिरिक्त सप्लाई	Additional supply of Crude from Assam Oil wells Belonging to Oil India Ltd.	80
6718	केन्द्रीय आवास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Central Housing Corporation	80

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUEJECT	पृष्ठ/Pages
6719	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम्पनियों के भूतपूर्व प्रबन्धक एजेन्टों की गारन्टियां स्वीकार करना।	Accepting of Gurantees of former Managing Agents of Companies by Nationalised Banks	81
6720	दिल्ली में जल सम्भरण के लिये बजीराबाद जल परिष्करण संयंत्र का बन्द हो जाना	Break Downs of Wazirabad Treatment Plant for Water Supply, Delhi	81
6721	उन कर्मचारियों को जिनके पास अपने मकान हैं, सरकारी मकानों का आबंटन	Allotment of Government Accommodation to Employees who own Houses	82
6723	उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कमी	Scarcity of Kerosene oil in North Uttar Pradesh	82
6724	आयकर की बकाया राशियों के सम्बन्ध में अनिर्णीत मामले	Pending cases of Income Tax Arrears	82-83
6725	जीवन बीमा निगम, दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Inquiry against Zonal Manager of LIC Delhi	83
6726	ब्रिटेन के साथ ऋण के सम्बन्ध में करार	Agreement for loan with Britain	83-84
6727	आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा बर्मा आयल कम्पनी को देय लाभांश	Dividends payable to Burmah oil Company by Oil India Ltd.	84
6728	नई पेनिसिलीन का आविष्कार और भारत में इसका प्रयोग	Invention of new penicillin and its use in India	84
6729	संसद् सदस्यों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots to MPs.	85
6730	चिकित्सकों के पंजीयन के लिये नियम	Rules for Registration of Medical Practitioners	85-86
6731	कडना परियोजना के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan for Kadana Project	86
6732	विजाग जस्ता प्रद्रावक कारखाना परियोजना	Vizag Zinc Smelter plant Project	86-87
6733	विजयवाडा के निकट मरे कुछ व्यक्तियों के दावों का जीवन बीमा निगम द्वारा निपटाया न जाना	Non settlement of claims by LIC of certain persons who died near Vijayawada	87
6734	कोटा में आयकर कार्यालय के लिए इमारत का निर्माण	Construction of Building for Income Tax office at Kota	87-88

तारांकित प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6735	उदयपुर के निकट सिलखड़ी खान का पता लगाना / Location of Gypsum Mine near Udaipur	88
6736	अन्य नगरों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करना / Extenaion of CHS Scheme to other Cities	88
6737	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा अपने प्रतिनिधि का नाम निर्देशन / Nominttion of representative on Board of Nationalised Banks by All India Bank Association	88-89
6738	तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण बिभाग का प्रस्ताव / Proposal of CPWD for inclusion in terms of reference of Third Pay Commission	89
6739	लेखकों, पत्रकारों तथा वैज्ञानिकों पर आय तथा धन कर लगाना / Levy of inoome and wealth tax on writers Journalists and Scientist	89-90
6740	वीरानम जल परियोजना के लिये तमिलनाडु को विदेशी मुद्रा का आवंटन / Allocation of foreign exchange to Tamil Nadu for Veeranam water Scheme	90
6741	न्यायालयों में सम्पत्ति कर सम्बन्धी विचाराधीन मामले / Pending cases of Wealth tax in Courts	90
6742	जनसंख्या नियंत्रण के बारे में शिक्षा / Education on Population control	90-91
6743	अप्रत्यक्ष कराधान / Incidence of Indirect Taxation	91
6745	बेघर ग्रामीणों के लिये आवास व्यवस्था / Residential Accocmmodation to Homeless villagers	91-92
6746	विश्व बैंक के उपाध्यक्ष का दिल्ली का दौरा / Visit by Deputy Chairman of World Bank to Delhi	92
6747	कलकत्ता तथा अन्य नगरों में मकान किराये के ढांचे को युक्तियुक्त बनाना / Rationalisation of house rent structure in Calcutta and other cities	92-93
6748	किरीबुरु लौह अयस्क निक्षेपों की सतही खनन योजना के लिये ठेका देना / Contract for surface Mining Scheme for Giriburu Iron ore Deposits	93-94
6749	गोआ उर्वरक परियोजना के लिये उपकरणों की सप्लाई के लिये जापान की मेसर्स टोयो इन्जीनियरिंग कम्पनी को दिया गया ठेका / Contract given to M/s Toyo Engineering Company of Japan for supply of equipment for Goa Fertilizer project	94-95
6750	डेल्सन पाउडर नामक रसायन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध / Ban on use of Chemical delson Powder	95

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6751	हैदराबाद स्थित सिन्थैटिक ड्रग्स फैक्टरी को हुई हानि / Loss incurred by Synthetic Drug Factory	95-96
6752	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों से महिला डाक्टरों का स्थानान्तरण / Transfer of lady doctors from C.G.H.S. Dispensaries	96-97
6754	1970 की ग्रीष्म ऋतु में राजधानी में पेयजल की कमी होने की आशंका / Fear of shortage of Drinking water in Capital in Summer 1970	97
6755	बिहार को दिये गये उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण / Productive and unproductive loans given to Bihar	97-9
6756	1970-71 में बिहार को ऋण का दिया जाना / Grant of loan to Bihar during the year 1970-71	98
6757	टाइप 3 क्वार्टरों के पारी से बाहर आवंटन के मामले / Out of turn allotment cases for type III Quarters	98-99
6758	डी० आई० जेड० क्षेत्रों में डी० सी० बिजली का ए० सी० में बदला जाना / Conversion of DC into AC in DIZ Areas, New Delhi	99
6759	भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाना / Assessment of areas vulnerable to Earth Quakes	99-100
6760	चण्डीगढ़ कार्यालय में आयकर के अनिर्णीत मामले / Pending cases of Income Tax in Chanaigarh office	100
6761	प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति के क्षेत्र में अनुसंधान / Research in ancient Ayruvedic field	100-101
6762	चौथी पंचवर्षीय योजना में गन्धक के निर्माण के लिये उद्योगों के विकास का कार्यक्रम / Programme for development of industries for manufacture of sulphur under Fourth Plan	101
6763	मंत्रियों और उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विदेशी कारों के स्थान पर भारतीय कारों का प्रयोग / Replacement of foreign made cars in use with Ministers and high officials by Indian Cars	101-102
6764	दिल्ली को सुन्दर बनाना / Beautification of Delhi	102
6765	मुसलमानों में परिवार नियोजन कार्यक्रम / Family planning programme among Muslims	102-103
6766	सरकारी उपक्रमों में रूसी तकनीशियन / Russian technicians in public sector undertakings	103-104
6767	एक असिस्टेंट कलेक्टर के यात्रा भत्ते पर आने वाला खर्च / Expenditure on Account of T. A. of an Assistant Collector	104

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6768	अमरीका के डाक्टरों की रिपोर्ट कि फिल्टर सिग्रेटों से केंसर नहीं हो सकता / US Doctors report that Cancer cannotbe contracted through filter eigarettes	104
6769	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अल्युमीनियम के मूल्य तथा उसके उत्पादन का विनियमन / Regulation. of price and mauufacture of Aluminium under Industries Development and Regulation) Act	105
6770	आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची में रुई उद्योग को शामिल किया जाना / Inclusion of cotton industry in the Fourth Schedule to Income Tax Act	105
6771	दिल्ली में बंगलों के स्थान पर बहुमंजिले मकान बनाने के बारे में अध्ययन करने के लिये एक प्रभाग (सैल) का स्थापित किया जाना / Setting up of a Cell to study problems re. relpacement of Bungalows by skyscrapers in Delhi	105-106
6772	स्वास्थ्य शिक्षक सम्मेलन / Health Educators' conference	106
6773	आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुण्डाला खानों का विदोहन / Exploitation of Agnigundala mines in Andhra Pradesh	106-107
6775	इस्पात कारखानों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई / Supply of low grade coal to steel plants	107
6776	दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की लागत में कमी करना / Reduction of the cost of DDA Flats	108
6777	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना-पार कालोनियों को गिराया जाना / Demolishing of Transyamuna colonies by DDA	108
6778	चौथी पंचवर्षीय योजना में अल्यूमीनियम उद्योग का विकास / Development of Aluminium Industry during Fourth Plan	109
6779	एक दण्डाधीश द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विरुद्ध की गई टिप्पणीयां / Stric ures passed against ONGC by a Magistrate	109-110
6780	राजधानी में मक्खियों और मच्छरों के उत्पात में वृद्धि / Increase in menace caused by flies and mosquitoes in the capital	110
6781	कर एकत्रीकरण पर व्यय / Expenditure on Tax collection	110-111
6782	अवर श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन मानों में वेतनवृद्धि दरों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव / Revision of rates of increments of pay scales of LDCs and Class IV employees	111
6783	सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में निर्मित न्यायिकेतर टिकट के लिये कागज / Paper for non judicial stamp manufactured in security paper Mill, Hoshangabad	111

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6784	डेरा इस्माइल खां कोग्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली — The Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society Ltd., Delhi	111-112
6785	सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद काउंटिंग मशीन — Counting machines in security paper Mill, Hoshangabad	112
6786	सिक्योरिटी मिल्स में काम कर रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारी — Class I, II, III and IV Employees working in Security Mills	112-113
6787	जयपुर मैटल्स लिमिटेड की लेखा पुस्तकों का पकड़ा जाना — Seizure of Books of Jaipur Metals Ltd.	113
6788	करौल बाग दिल्ली में देशबन्धु गुप्ता रोड को चौड़ा करना — Widening of Desh Bandhu Gupta Road in Karol Bagh, Delhi	113-114
6789	राष्ट्रीय ऋण योजना — National Credit plan	114
6790	पन्ना हीरा खानों का विस्तार — Expansion of Panna Diamond Mines	114
6791	तस्करी वाले माल की सूचना देने वाले को पुरस्कार — Rewards to information of smuggled Goods	115
6792	सीमा शुल्क दस्ता द्वारा गुरुवायर (केरल) में गश्त लगाया जाना — Patrolling by customs Parties of Guruwayur (Kerala)	115
6793	केन्द्रीय करों की बकाया राशि की वसूली — Collection of Arrears of Central Taxes	115-116
6794	भारतीय तेल निगम द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात — Export of Petroleum products by Indian Oil Corporation	116-117
6795	तलाश फिल्म पर खर्च — Expenditure on film Talash	117
6796	मैसर्स साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली से आयकर धनकर तथा उपहार कर की वसूली — Recovery of Income Tax, Wealth Tax and Gift tax from M/s Cine Sales Corporation	118
6797	फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों द्वारा करों की बकाया राशि का भुगतान किया जाना — Clearance of Arrears of Taxes by persons in film industry	118

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6798	फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों के पास लेखा बाह्य धन के बारे में जांच / Investigation into unaccounted Money with Film people	118-119
6799	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी द्वारा भूमि तथा क्वार्टरों की बिक्री / Sale of Land and Quarters by Auction by DDA	119
6800	दिल्ली की बस्तियों में मकानों को व्यापारिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल करना / Houses used for commercial purposes in colonies of Delhi	119-120
6801	एन्ड्रूगन्ज नई दिल्ली की कल्याण संस्था की ओर से अभ्यावेदन / Representation from Welfare Association of Andrews ganj, New Delhi	120
6802	यमन में एक भारतीय बैंक की शाखा का राष्ट्रीयकरण / Nationalisation of the Branch of an Indian Bank by Yemen	121
6803	कस्टम्स हाउस, कलकत्ता में निवारक अधिकारी / Prevention officers in Calcutta Customs House	121-122
6804	लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देने पर औसत खर्च / Average cost of answering a Question in Lok Sabha	122
6805	पहाड़ी धीरज सहकारी आवास समिति दिल्ली / Paharidhiraj Cooperative Housing Society Delhi	122
6806	मध्य प्रदेश में अल्यूमिनियम का दूसरा कारखाना / Second Aluminium Factory in Madhya Pradesh	122-123
6807	उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना / Stepping up production of fertilizers	123
6808	व्यापार उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कम पूंजीवाले व्यक्तियों को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अग्रिम धन / Direct advances to small Man in Business Industry and Agriculture by State Bank of India	123-124
6810	इम्पैक्ट पब्लिकेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों से बकाया आयकर की राशि / Income tex due from the Employees and Directors of Impact Publications Ltd. New Delhi.	124-125
6811	मालाबार कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स की वित्तीय योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब / Delay in Finalising financial plan of Malabar chemicals and Fertilizers	125

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6812	मेडिकल स्टोर्स डिपो के कार्यकरण में गिरावट आना / Deterioration in the working of Central Medical Stores Depots	126-127
6813	गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन लक्ष्यों में कमी करने का निर्णय / Decision by Private Sector Units to cut down production targets of fertilizers	127
6814	कैटेलिस्टों का आयात / Import of Catalysts	127-128
6815	सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में पोलैंड फ्रांस सार्थ समूह द्वारा सहायता की पेशकश / Assistance offered by polish french consortium for fertilizer plant in public Sector	129
6816	सरकारी उपक्रमों के अभिनवीकरण की नीति / Policy of Rationalisation for public Undertakings	129
6817	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे डाक्टरों के कर्तव्य / Duties of Doctors working on the Family Planning Side	129-130
6818	भारत के उर्वरक निगम द्वारा बेरोजगार स्नातकों को कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का प्रशिक्षण देने के लिये योजना / F. C. I's scheme for training Unemployed Graduates in marketing Agricultural inputs	130
6819	पंचवर्षीय योजनाओं में मैसूर को सहायता / Assistance to Mysore during Five Year Plan	130
6820	सिक्योरिटी पेपर मिल में विश्रामकाल न होना / No rest period in Security paper Mills	130-131
6821	अन्दमान द्वीप समूह में निम्न आय वर्ग आवास योजना / Low income Group Housing Scheme in Andamans	131
6822	अन्दमान द्वीप समूह में गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल में हृदय रोगों का उपचार / Treatment of heart diseases in G. B. Pant Hospital in Andaman	131-132
6823	अन्दमान में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी / Shortage of specialist Doctors in Andaman	132-133
6824	बम्बई में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों द्वारा रोगियों को पुरानी औषधियां दी जाना / Supply of outdated medicines to patients by C. G. H. S. Dispensaries in Bombay	133

तारा० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6825	राष्ट्रीयकृत बैंकों जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट द्वारा खरीदे हुए गैर सरकारी फर्मों के अंशों का मूल्य	Value of shares of private concerns held by Nationalised Banks L. I. C. and unit trust. 133-135
6826	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में जांच आयोग की अवधि बढ़ाना	Extension to commission on Inquiry in Haldia Barauni Pipe Line Case 135-136
6827	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में कोयला खान कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों के कथित सम्बन्ध	Alleged connections between coal Mining companies and Government Servants etc. in Haldia Barauni Pipe Line case 136
6828	हल्दिया, बरौनी पाइन लाइन	Haldia Barauni Pipeline. 136-137
6829	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में जांच आयोग के रूप में श्री एन० एम० राव को नियुक्त करना	Appointment of Shri N. S. Rao as Commission of Inquiry in Haldia Barauni Pipeline case 137-138
6830	आयकर दाता	Assessees of Income Tax 138
6831	कुनैन का उत्पादन और प्रयोग	Production and use of quinine 138-139
6832	खेतड़ी तांबा खानों का व्यापारिक उपयोग	Commercial exploitation of Khetri Copper Mines 139-140
6833	रुद्रसागर तेल क्षेत्र से कच्चा तेल निकालना बन्द करना	Stoppage of production of Crude oil from Rudrasagar oil field 140-141
6834	हिन्दुस्तान टाइम्स की बहुमंजिल इमारत	Multi storeyed building of the Hindustan Times 141
6835	राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ की मांगें	Demands made by National Union of Bank Employees 141-142
6836	दिल्ली में विद्युत शवदाह गृह बन्द होना	Closure of electric crematorium in Delhi 142-143
6837	ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में निर्माण की अनुमति	Permission for constructions in old Rajendra Nagar, New Delhi 143
6838	जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को पुरस्कार	Reward to LIC Officers 143-144
6839	पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में श्रीमती अरुणा आसफअली के द्वारा खरीदे गये अंशों के बारे में जांच	Enquiry into shares held by Shrimati Aruna Asaf Ali in Journals and Newspapers 144

तारा० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6840	दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में नागरिक सुविधायें	Civic amenities in J. J. Colonies, Delhi 144-145
6841	केन्द्रीय सरकार के कर्मचरियों के मँहगाई भत्ते में 10 अंकों की वृद्धि	10 Point increase in dearness allowances of Central Government Employees 145
6842	पुराने राजेन्द्र नगर, (दिल्ली) में मकानों की चारदीवारी गिराना	Demolition of boundary walls of houses in old Rajinder Nagar, Delhi 145
6843	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा संसद सदस्यों तथा पार्षदों को भूखण्डों का आंवटन	Allotment of plots of land to M. Ps and councillors by DDA 145-146
6844	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अपने कर्मचारियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land by DDA to its Employees 146-147
6845	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा फलैटों के आवंटन के लिये पंजीयन	Registration for allotment of flatis by DDA 147-148
6846	नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण	Ceiling on Urban property 148
6847	धन कर	Wealth Tax 148-149
6848	थ्यागराज नगर, नई दिल्ली में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities in Thyagraj Nagar, New Delhi 149-150
6849	रामकृष्णपुरम मार्किट तथा नई दिल्ली क्षेत्र दुकानदारों को मकानों के आवंटन	Allotment of Houses to shop-keepers of R. K. Puram market and New Delhi areas 150
6850	कृषि जन्य वस्तुओं के लिये ऋण	Credit for Agricultural Commodities 150-151
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना—	Calling attention to matter of urgent Public importance 151-155
	चाइबासा में दंगे	Riots in Chaibasa 151-155
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table 155-156
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee
	116 वां प्रतिवेदन	Hundred and Sixteenth report 156
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under rule 377 156-159

हिन्दुस्तान टाइम्स' में श्री मधु लिमये आदि के बारे में अपमान जनक पत्र का छापा जाना	Publication of a defamatory letter in the Hindustan Times re. Shri Madhu Limaye etc.	156-159
अनुदानों की मांगें 1970-71	Demands for grants, 1970-71	159-175
इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय	Ministry of steel and Heavy Engineering	
श्री के० के० नायर	Shri K. K. Nayar	159-60
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	160-62
श्री भगवान दास	Shri Bhagban Das	162-163
श्री मंगरु उइके	Shri M. G. Uikey	163
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Shrinibas Misra	163-165
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	165
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	165-166
श्री मि० स० मूर्ति	Shri M. S. Murti	166-168
श्री कृ० चं० पन्त	Shri K. C. Pant	168-175
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय	Ministry of Education and Youth Service	175-189
श्री पी० एंथनी रेड्डी	Srhi P. Antony Reddy	185-188
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	188-189
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour discussion	189-195
परमाणु इंजिनियरी प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग	Use of nuclear Engineering Technology for peaceful purpose	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	189-192
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	190-195

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 20 अप्रैल, 1970/30 चैत्र, 1892 (शक)
Monday, April 20, 1970, Chaitra 30, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

THE LOK SABHA met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER in the Chair]

अन्तरिक्ष यात्रियों की वापसी

RETURN OF ASTRONAUTS

अध्यक्ष महोदय : अन्तरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आने के बारे में प्रधानमन्त्री एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहती हैं।

प्रधानमन्त्री, वित्तमन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अन्तरिक्ष यात्रियों की गत सप्ताह पृथ्वी पर सकुशल वापसी की चर्चा करना चाहूंगी और अमरीकी अन्तरिक्ष एजेन्सी के तकनीशनों और वैज्ञानिकों की महान् उपलब्धियों के लिए भारतीय जनता और इस सदन की ओर से सराहना और प्रसन्नता व्यक्त करती हूं।

मेरी ही तरह कई सदस्य शुक्रवार की रात को अन्तरिक्ष यान के पृथ्वी पर वापस आने का समाचार सुनने की प्रतीक्षा में बैठे होंगे और जब यह समाचार मिला कि लावेल, हेज़ और स्वीगर्ट सकुशल और ऊँचे मनोबल के साथ पृथ्वी पर वापस आ गए हैं तो मेरी ही तरह उन्हें भी भारी राहत का अनुभव हुआ होगा।

पुराने समय में हम समुद्री खतरों की बातें करते थे। अब अन्तरिक्ष यात्रा के खतरे इससे कई गुना अधिक हैं। पिछले सप्ताह जब अन्तरिक्ष यान अपोलो—13 में गड़बड़ी पैदा हो गई तो इससे सारे विश्व को चिन्ता हो गई और दिल दहला देने वाले इस अनुभव का एक अधिक सराहनीय पक्ष यह था कि इसने विश्व के लोगों को एक परिवार के रूप में संगठित कर दिया। तीनों साहसी यात्री यद्यपि अमरीकी हैं परन्तु हम उन्हें मानव समाज के तथा मानव भावना के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं।

अपोलो—13 मिशन मानव के चन्द्रमा पर तीसरी बार उतरने के लक्ष्य में भले ही असफल रहा हो परन्तु यह उन उदाहरणों में से एक उदाहरण है जब असफलता विजय से भी महान् होती है। बचाव कार्यों से एक बार फिर से आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों की सूक्ष्मता और असाधारण शक्ति प्रमाणित हुई है। इन उपकरणों से अधिक महत्वपूर्ण है—मानव का मस्तिष्क जो उनको बनाता तथा नियंत्रित करता है। हम भूमि नियंत्रण प्रणाली के वैज्ञानिकों और तकनीशनों को, जो अन्तरिक्ष यात्रियों को सकुशल पृथ्वी पर वापस ले आये हैं, बधाई देते हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि आप तथा इस सभा के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई प्रार्थनाएं तथा शुभकामनाएं सफल हुई हैं। मैं अन्तरिक्ष यात्री लोवल, हेज तथा स्वीगर्ट और उनके परिवारों एवं अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों तथा संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं भेजती हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इस सभा द्वारा व्यक्त की गई भावनाए अन्तरिक्ष यात्रियों को भेजी जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की ओर से प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त प्रशंसनीय और सुन्दर विचारों तथा उनके द्वारा व्यक्त की गई शुभकामनाओं से सहमति प्रकट करता हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम जर्मनी के साथ ऋण सम्बन्धी करार

*1081. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच ऋण सम्बन्धी कितने करार हुए हैं तथा उनकी कुलराशि कितनी है ;

(ख) ऋण सम्बन्धी ये करार किन प्रयोजनों से किये गये हैं ;

(ग) क्या भारत द्वारा पश्चिमी जर्मनी से पहले लिये गये ऋणों की राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : चालू वित्तीय वर्ष में, जो 1 अप्रैल, 1970 से ही शुरू हुआ है, पश्चिम जर्मनी के साथ कोई ऋण करार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : 1969-70 तक किये गये कुल 953 करोड़ रुपये के ऋण-करारों के अन्तर्गत 88.6 करोड़ रुपये की रकम ली जानी बाकी है । इसमें 46 करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल है, जिसके सम्बन्ध में वाणिज्यिक ठेकों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और जिसका भुगतान माल की सुपुर्दगी के अनुसार होगा । ऋणों के उन अंशों के, जिनका सम्बन्ध प्रायोजनाओं से और पूंजीगत वस्तुओं के आयात से है, उपयोग में कुछ देर हो जाना अनिवार्य होता है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा प्रश्न इन ऋणों को उपयोग न किये जाने से सम्बन्धित हैं । मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय यह कह कर मामले को बहुत ही साधारण समझ रहे हैं कि ऋणों के उन भागों का, जिनका उपयोग परियोजनाओं और मशीनरी के आयात के लिये किया जाना था, निर्धारित समय के अन्दर नहीं हो सका जो कि अपरिहार्य था ।

वास्तव में, लोक लेखा समिति ने अपने 55 वें प्रतिवेदन में एक बिल्कुल भिन्न बात कही है । समिति के निष्कर्षों में यह प्रतीत होता है कि ऐसा प्रशासन से सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा लगाई गई देरी के कारण हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये । मैं भविष्य परिचयात्मक वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं वही पूछने लगा हूं । लोक लेखा समिति के निष्कर्ष भिन्न हैं । जो कुछ उसने कहा है वह यह है कि इन ऋणों का उपयोग परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रारम्भिक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता के कारण नहीं किया गया है । इस मामले में प्रशासन सम्बन्धी कार्यवाही अनावश्यक रूप से दोहरायी गई है। समिति ने यह भी कहा है कि मामले की जांच की जानी चाहिए तथा उसमें आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि लोक लेखा समिति ने अपने 55 वें प्रतिवेदन में यह कहा है तो वे क्या बातें हैं जिनके कारण परियोजनाओं के बारे में पहले प्रारम्भिक कार्यवाही करने में बाधा आई है और इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय ने क्या ठोस कार्यवाही की है ताकि ऋणों का उपयोग किया जा सके ? हमें इन ऋणों का उपयोग न करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे ऋणों का उपयोग न किये जाने का अर्थ मालूम है और इसलिए माननीय सदस्य यह बताने का कष्ट न करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने इस बात का कब स्पष्टीकरण दिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : आपने इस बात पर जोर दिया है । इसलिए मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है और वास्तव में, यदि वह गैर परियोजना अथवा परियोजना के लिए दी गई सहायता के बारे में ऋणों को इस्तेमाल न करने सम्बन्धी आंकड़ों को देखा जाये तो पता चलेगा कि पहली अप्रैल, 1967 को ये आंकड़े 848 मिलियन डालर थे (1967 में) जो घट कर 480 मिलियन डालर हो गये थे । परियोजना के लिए दी गई सहायता के सम्बन्ध में ये आंकड़े 2083 मिलियन डालर से कम होकर 1,577 मिलियन

डालर रह गये हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऋणों का उपयोग किन्हीं विशेष कारणों से नहीं हो पाता है। कभी-कभी ऐसा योजना में परिवर्तन कर देने से अथवा बात-चीत में हुई देरी के कारण होता है और ऐसी बातें अवश्य ही घटित होती हैं। परन्तु, इस ओर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उपयोग न किये जाने सम्बन्धी आंकड़े कम होते जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : 2 मार्च से 31 मार्च, 1968 तक के बीच में पश्चिम जर्मनी द्वारा दिये गये 4,225 मिलियन डालर (डी० एम०) के ऋण में से केवल 62 प्रतिशत उपयोग किया गया है और प्रसिद्ध विद्वानों ने यह बताया है कि जिन कारणों से हम आर्थिक अधिशेषों का अधिकाधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं उनमें से एक कारण यह है कि हम ऋणों की राशि को अधिक उत्पादक कार्यों में नहीं लगाते है।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस विषय में कौन कौन से राज कोषीय, आर्थिक तथा प्रशासनिक उपाय बरते गये जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन ऋणों से प्राप्त राशि को अनुत्पादक कार्यों से हटाकर उत्पादक कार्यों में लगाया जा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक जर्मनी का सम्बन्ध है, वहां से मिले कुल ऋण की राशि 31-12-69 को 644.5 मिलियन डालर थी। इसमें से 643.9 के लिए करार किया गया था जिसमें से दिये गये आर्डरों का मूल्य 612.3 मिलियन डालर था। इसलिए, जहां तक पश्चिम जर्मनी का सम्बन्ध है, वहां से मिले ऋणों का उपयोग बिल्कुल सन्तोषजनक है।

श्री उमानाथ : रिपोर्टों से हमें यह पता चलता है कि पश्चिम जर्मनी के साथ हुए ऋण सम्बन्धी करारों की पूर्व शर्त के अनुसार सरकार ने एज्ज मिशन, जो यहां आया था, को तीन आश्वासन दिये थे। पहला आश्वासन यह था कि किसी भी विदेशी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, दूसरा यह कि पूर्वी जर्मनी को मान्यता नहीं दी जायेगी और तीसरा आश्वासन यह था कि साम्य पूंजी में आधी से अधिक पूंजी लगाने की अनुमति दी जायेगी। समाचार पत्रों में इस बात की चर्चा हुई है और इसके हक में तथा खिलाफ भी सम्पादकीय टिप्पणियां भी की गई हैं। क्या ये आश्वासन मौखिक रूप से दिये गये थे अथवा ऋण करार पर हस्ताक्षर करने से पहले जर्मन शिष्टमंडल को इस प्रकार का कोई संकेत दिया गया था।

श्री प्र० चं० सेठी : जर्मन शिष्ट मंडल को इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। जहां तक आधी से अधिक पूंजी लगाने की अनुमति देने का प्रश्न है, प्रत्येक मामले को उसके गुणावगुणों के आधार पर निपटाया जाता है। आम-तौर पर हमारी नीति यह है कि हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

जहां तक अन्य दो प्रश्नों का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार किसी प्रकार का आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : गत वर्ष मिले 953 करोड़ रुपये की राशि में से कितनी राशि पश्चिम जर्मनी को ऋण की अदायगी तथा ब्याज के रूप में दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उन्होंने 953 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है और वह उत्तर के लिए अपने कागज ढूंढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है वह कोई और चीज ढूंढ़ रहे हों। मैं यह नहीं कहता कि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु यह प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री बलराज मधोक : उत्तर से यह स्पष्ट है कि हमें मिलने वाले ऋणों का अधिक भाग उपयोग नहीं होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि सरकार को ऋण आसानी से मिल जाता है और सरकार उस ऋण का भार भावी पीढ़ी पर लाद देती है। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि वह किसी प्रकार का ऋण-करार तब तक न करेंगी जब तक उसके लिए विशेष आवश्यकता न हो और केवल ऋण आसानी से मिल जाने के कारण ही कोई ऋण-सम्बन्धी करार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रत्येक योजना अवधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का हिसाब-किताब लगाया जाता है। उसके बाद ही ऋण लिया जाता है तथा पूरा उपयोग किया जाता है। केवल करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए ही हम ऋण नहीं लेते हैं। हमारी योजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा आवश्यक है। ऋण सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें ऋणों का यथाशीघ्र उपयोग नहीं किया गया है। इन मामलों की जांच की जा रही है।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या विदेशों से ऋण लेने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजने से पहले परियोजनाएं बनाई जाती हैं ताकि ऋण के अनुपयोग को रोका जा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, हम विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार की विचार विमर्श करते हैं। जहां तक कंसर्शियम के सदस्य के देशों का सम्बन्ध है, यह उन देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में निश्चित किया जाता है। इसके लिए अगले महीने एक बैठक होने जा रही है। योजना के एक वर्ष की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की जांच पड़ताल की जाती है और उसके आधार पर योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष की आवश्यकताओं का हिसाब-किताब लगाया जाता है। ऋण-सम्बन्धी करारों को तय करने से पहले, विश्व बैंक अथवा कंसर्शियम के सदस्य देशों अथवा यूरोप के सम्बन्धित देशों की बैठकें हो जाती हैं।

निर्यात के बारे में कम और अधिक मूल्य के बीजक बनाना

*1082. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात गृहों के विरुद्ध ये शिकायतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं कि वे बड़े पैमाने पर अधिक मूल्य के और कम मूल्य के बीजक बना रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विभिन्न निर्यात-कर्ताओं और निर्यात-गृहों के विरुद्ध अधिबीजकांकन तथा निम्न बीजकांकन की शिकायतें सरकार को मिली हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जिन मामलों में दाण्डिक कार्यवाही की गई है, उनके ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

Shri Sita Ram Kesri : Mr. Speaker, Sir, underhand dealing is going on on a large scale in respect of foreign exchange due to over-invoicing and under-invoicing. M/s Chaman Lal, Overseas Company Ltd., have shown export worth Rs. 50 lakhs in the years 1963, 1964 and 1965 and they indulged in over-invoicing for this. The C. B. I. had conducted an enquiry into it and found out the facts. May I know whether Government have filed a suit against them ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक चमन लाल एण्ड ब्रादर्स का सम्बन्ध है, यह प्रश्न 1966 में सभा में उठाया गया था और मेरी जानकारी के अनुसार यह मामला 75 लाख रुपये का था जिसमें से रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार 40 लाख रुपये प्राप्त हो गये हैं और शेष 35 लाख रुपये के लिए उन्हें 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया था। (व्यवधान)

श्री प्र० चं० सेठी : सुनवाई पूरी हो गई है, परन्तु इस दौरान पार्टी मामले को उच्च न्यायालय में ले गई है।

Shri Sita Ram Kesri : Mr. Speaker, Sir, the Mathur Study Team have recommended to the Government to appoint a committee in order to check over-invoicing. and undar-invoicing May I know whether Government would appoint any such committee in order to check under-invoicing and over-invoicing by the Import and Export firms ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने अभी बताया है कि लोक लेखा समिति की सलाह के अनुसार इस सम्बन्ध में एक समिति पहले से ही गठित की गई है जिसके सदस्य हैं—वित्त मन्त्रालय के अपर सचिव, श्री एन० जी० कौल तथा आर्थिक विभाग, वैदेशिक व्यापार, राजस्व, बीमा, रिजर्व बैंक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिनिधि। समिति को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेशी शासन काल में हमारे बारे में यह प्रसिद्ध था कि हम अपना माल दूसरे देशों को कम मूल्य पर बेचते हैं और उनसे अधिक मूल्य पर उनका माल खरीदते हैं। किन्तु 1947 से कम मूल्य के तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाने की नई बुराई आरम्भ हो गई। माथुर अध्ययन दल ने इस प्रकार की राशि 100 करोड़ वार्षिक बताई है, परन्तु जिन लोगों के विचार इस दल के विचारों से भिन्न हैं वे लोग इस राशि को 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ वार्षिक बताते हैं। दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार में यह एक स्थायी बुराई है। अपना पदभार त्यागने के कुछ माह पूर्व श्री मोरारजी देसाई ने यह कहा था कि इस प्रकार के कम मूल्य तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाने को रोकने की कुछ व्यवस्था की जा रही है। इस सन्दर्भ में क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कम मूल्य पर विक्रय तथा अधिक मूल्य पर क्रय और कम मूल्य और अधिक मूल्य के बीजक की बुराई को रोकने के हेतु विदेशों में व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक मात्रा का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुमान हो सकता है। परन्तु आयात तथा निर्यात के पूर्ण आंकड़ों को देखते हुये मैं यह कहूंगा कि निर्यात में अधिक मूल्य के बीजक, कुछ एक मामलों को छोड़कर जहां वे लाभ कमाना चाहते हैं, बहुत कम बनाये जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निर्यात करने वाली प्रत्येक फर्म अधिक मूल्य के बीजक बनाती है। मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है, परन्तु इस प्रकार की बातें उन्हें नहीं करनी चाहियें। पिछले तीन वर्षों से मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं, परन्तु मुझे दुःख है कि सरकार ने इस बुराई को रोकने के लिये बिल्कुल कुछ नहीं किया है।

श्री प्र० चं० सेठी : यदि माननीय सदस्य ने धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनी होती तो वह वास्तविक स्थिति समझ पाते। मैं निर्यात में अधिक मूल्य के बीजकों की बात कर रहा था। मैंने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि आयात में अधिक मूल्य के बीजक काफी बनाये जाते हैं।

इसलिये हमारी नीति के अनुसार पूंजीगत माल छोड़कर कच्चे माल का अधिकांश आयात सरकारी क्षेत्र के माध्यम से होता है। अधिक तथा कम मूल्य के बीजकों के सम्बन्ध में सही राशि बताना मेरे लिए कठिन होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुल व्यापार का केवल 4 प्रतिशत व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है।

श्री प्र० चं० सेठी : यह समिति इस बात की जांच करेगी। इसके अलावा, माननीय सदस्य ने इस बुराई को रोकने के लिये विदेशों में कुछ कर्मचारी नियुक्त करने को कहा था। हम इस विशेष कार्य के लिये सम्बन्धित दूतावासों में उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister may be aware that in this regard the case of Bird and Company was raised, in which a penalty of nearly Rs. 1.5 Crores was imposed on the company which was later on reduced by Rs. 40 lakhs. After that I wrote letters to the Prime Minister and the Deputy-Prime Minister in that connection. They informed me that that case was in the Supreme Court. According to my information Supreme Court has dismissed the case on some technical grounds. I want to know from the Minister whether there is any need of improvement in the Customs Law. He may also state that as the Foreign Banks are utilized for over invoicing and under-invoicing whether Government would reconsider question of nationalization of Foreign Banks.

Shri P. C. Sethi : The Supreme Court has said in its judgement that action can be initiated in such cases under the Customs Act, but action can be taken under the Foreign Exchange Regulation Act. As a result of this judgement no action can be taken on the pending cases, on which we were taking, under Customs Act. But in all such cases action can be taken under Foreign Exchange Regulations Act after giving show cause notices. The hon. member is aware that the Foreign Exchange Regulations Act was amended in November, 1969.

Shri Madhu Limaye : I had asked the question that as Foreign Banks are being utilized for over-invoicing and under-invoicing may I know whether the Government would be bold enough to reconsider the question of the nationalization of the Foreign Bank.

श्री प्र० चं० सेठी: जहां तक विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, यह सभा इस प्रश्न पर पहले कई बार विचार कर चुकी है।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में उच्चतम न्यायालय यह निर्णय दे सकती है कि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही सम्भव नहीं है, लेकिन इसमें कराधान की दृष्टि का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। क्या विभाग ने उक्त फर्म के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की है, क्योंकि उसे आयकर के जुर्माने के रूप में जो जो राशि देनी पड़ेगी वह कुल

मिलाकर 150 प्रतिशत हो जायेगी। क्या उसने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बर्ड एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कुछ माल कुर्की सम्बन्धी उपाय किये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक आयकर के जुर्माने का सम्बन्ध है, मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर के सभा पटल पर रखूंगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सतकता निकाय

*1083. **श्री दे० अमात** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सतर्कता निकाय अथवा निकायों का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका वास्तविक गठन और कार्यप्रणाली क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सरकारी क्षत्र के बैंकों में सतर्कता-कार्य के लिये एक उपयुक्त तंत्र का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री दे० अमात : बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह है कि छोटे किसानों और छाटे उद्योगों के मालिकों को ऋण दिया जाये जो कि उन्हें अन्य साधनों से नहीं मिल सकता है। अनपढ़ और छोटे किसानों का अनुभव यह है कि समुदायिक विकास योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सरकारी एजन्सियों द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता का पर्याप्त भाग अधिकारियों द्वारा ले लिया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के सम्बन्ध में इस प्रकार का भ्रष्टाचार न होने देने के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं अथवा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कह चुका हूँ और विधि मन्त्री महोदय ने भी इस सभा में बताया है कि बैंकों की समन्वय समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही इस मामले पर निर्णय कर लेंगी।

श्री दे० अमात : विगत में स्वतंत्रता के 22 वर्षों के दौरान ऐसा देखा गया है कि बैंकों में जमा धनराशि पाँच गुना बढ़ी है और तब भी उस समृद्धि के फल का लाभ कुछ ही व्यक्तियों को हुआ है जिस के परिणामस्वरूप धनी और अधिक धनवान तथा निर्धन और अधिक निर्धन हो गया है। इसलिये, क्या मैं जान सकता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण और एकाधिकारता न बढ़े, इसको सुनिश्चित करने के लिये सरकार सतर्कता रखने के लिये क्या कदम उठा रही है।

श्री प्र० चं० सेठी : बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का एक कारण यह भी था कि अब तक समाज के कुछ वर्गों की उपेक्षा की जाती रही है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सहायता प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या जुलाई, 1969 में 1,71,880 से बढ़कर जनवरी, 1970 में 4,21,007 हो गई थी।

श्री क० लकप्पा : क्या मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि इस देश के लोगों का एक वर्ग, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लगातार विरोध करता आ रहा है और बैंकों

के राष्ट्रीयकरण के बाद भी वह इस लिये विरोध को जारी रखे हुये हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य निष्फल हो जाये और उसके परिणामस्वरूप, जो अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभी कार्य कर रहे हैं, वे भ्रष्टाचार के कार्यों में लगे रहते हैं; उदाहरणार्थ, किसानों के ऋण के लिये आवेदन पत्रों को निपटाने में भी वे ऐसा करते हैं। मेरे अपने मैसूर राज्य में भी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात मुझे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ग के लोग अधिकारियों से मिले हुये हैं...

अध्यक्ष महोदय : अपने विचार व्यक्त मत कीजिये और कोई भी प्रस्तावना मत दीजिये। सीधे अपना प्रश्न पूछिए।

श्री क० लकप्पा : श्रीमान जी, मैं कोई भूमिका नहीं बांध रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि लोगों के कुछ वर्ग तथा जो इन बैंकों में कार्य कर रहे अधिकारी सांठगांठ करते हैं ? लोगों का यह वर्ग, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं, प्रच्छन्न रूप से अधिकारियों से मिले हुये हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के कार्य करने आरम्भ कर दिये हैं और भोलेभाले किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अतः मैं यहां तक भी कह सकता हूं कि हम ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिये श्री जोशी की अध्यक्षता में एक गैर-सरकारी सतर्कता समिति बना ली है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं केवल आपको सीधा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये कह रहा हूं।

श्री क० लकप्पा : इन बातों को देखते हुये, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर किया जाये ? क्या यह सच नहीं है कि यह भ्रष्टाचार उन अधिकारियों के कारण है, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात भी बने हुये हैं ? अतः, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कठोर कार्यवाही करेगी कि बैंकों का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये, इन बैंकों में एक स्थायी सतर्कता निकाय की स्थापना से पहले ऐसे अधिकारियों को बैंकों से हटा दिया जाये ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्रीमानजी, मैं माननीय सदस्य द्वारा उन अधिकारियों के नाम को पर कलंकित किया जाना उचित नहीं समझता हूं, जो राष्ट्रीयकरण से पहले या बाद में वहां पर हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पूर्णतः इस आरोप का खण्डन करता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कभी कभी भ्रष्टाचार या लापरवाई या दुर्व्यवहार की शिकायतें या मामले आते रहे हैं। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है कि हम प्रत्येक बैंक में एक सतर्कता कक्ष स्थापित कर रहे हैं। जहां तक दूसरी शिकायतों का भी सम्बन्ध हैं, हम इस प्रक्रिया को दोष रहित सुव्यवस्थित बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी शिकायतें न आयें; उचित रूप से उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : शिकायतें कुल मामलों का कितनी प्रतिशत है ?

श्री लोबो प्रभु : इस सभा के दो माननीय सदस्य श्री मधु लिमये और श्री पाणिग्रही ने, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं, एक वक्तव्य दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से 60.0

रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिये 500 रुपया अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। भ्रष्टाचार ऋण की स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण होता है। इसे अधिकारी के विवेक पर छोड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि नियम बनाये जा रहे हैं। जब वे नियम बनायें तो क्या वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे नियम पर्याप्त रूप से लोचदार हों क्योंकि अन्यथा अधिकारी को स्वविवेक शक्ति नहीं प्राप्त होगी। दूसरे क्या वे निदेशक बोर्ड को ऋणों की स्वीकृतियों और अस्वीकृतियों का कभी कभी सर्वेक्षण करने की शक्ति प्रदान करेंगे? तीसरे—यह पूरी तरह से नियमों की परिधि से बाहर है—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सतर्कता आयोग क्यों न हो, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए, क्योंकि अभी गैर सरकारी क्षेत्र या राष्ट्रीय बैंक सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, निश्चय ही निदेशक बोर्ड को इन सभी मामलों की जांच करने का अधिकार तथा शक्ति है और सर्वेक्षण करने का भी पूरा अधिकार है। तीसरे, सतर्कता आयोग के लिए भी हमें निदेशक मण्डल की सहमति लेनी होगी। सतर्कता आयोग उन अधिकारियों के भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच कर सकता है, जिनका वेतन 1000 रुपये या इससे अधिक है। इस तरह ऋण देने आदि के बारे में जो शिकायतें होगीं उन पर बैंकों में स्थापित सतर्कता विभाग कार्यवाही कर सकेगा।

Shri Rabi Roy : Will the Minister be pleased to state whether it is a fact that the practice of charging commissions on the loans advanced by the banks which was prevelent before the nationalisation of banks is still continuing even after the nationalisation of banks and due to which people are experiencing a great difficulty? May I also know whether the attention of the Minister has been drawn towards the fact that the managing agents of Centuary charge one percent guarantee commission openly which is illegal, and if so, what steps are proposed to be taken in this regard?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक प्रश्न के अन्तिम अंश का सम्बन्ध है, हम योजना को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जैसे ही यह पूरी हो जाएगी, हम इसे अवश्य ही सभा के सामने रखेंगे। हम इसे शीघ्र ही पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु निश्चित समय सीमा बताना कठिन है। जहां तक सेन्चुरी का सम्बन्ध है.....

Shri Rabi Roy : What about the guarantee commission which is being charged by the managing agents .. ...

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे इस मामले विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसका माननीय सदस्य महोदय उल्लेख कर रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण के पहले भ्रष्टाचार के कुछ मामले थे, और उससे भी पहले भी कुछ कमीशन लिया जाता था जो अभी भी जारी है। अब कोई विशेष शिकायत हमें मिलती है तो हम उसकी अवश्य ही जांच करेंगे। जहां तक समस्त प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने का सम्बन्ध है, इस ओर बैंक और रिजर्व बैंक ध्यान दे रहे हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : I would like to know whether Government have received such complaints as that when farmers ask for the advancement of loans of Rs. 8 thousand to 10 thousand from the banks they are required to give surety or to mortgage their lands which are sometime worth Rs. 40 thousand. May I know

whether the hon. Minister would give such directions to the banks not to ask any land from the farmers so as to enable them to take loan in future if they so desire.

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक कम राशि के ऋणों का सम्बन्ध है, उनके लिए किसी प्रकार की स्योरिटी या किसी भूमि को बन्धक रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम इन मामलों पर विचार कर रहे हैं और बैंकों की प्रक्रिया को धीरे धीरे इस तरह बनाया जा रहा है कि इस तरह की जमानतों की आवश्यकता न पड़े। परन्तु जहां तक कानूनी समस्यायों का प्रश्न है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह प्रत्येक मामले पर ही निर्भर करेगा। हो सकता है कि एक किसान जो बैंक में ऋण लेने आया हो उसने अपनी भूमि पहले ही किसी और के पास बन्धक रखी हो या उस जमीन पर पहले किसी और व्यक्ति का अधिकार हो जिससे किसान ने पहले ऋण लिया हो। इसलिए प्रत्येक मामले की जांच करनी होगी। यदि माननीय सदस्य महोदय के पास किसी मामले विशेष के बारे में कोई जानकारी हो जिसमें अन्याय किया गया हो तो हम अवश्य ही उसकी जांच करेंगे।

श्री एस० कण्डप्पन : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की निधि में से कुछ प्रतिशत निधि खेतिहरों को देने के लिए निर्धारित की गई है? यदि किसानों के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है तो सरकार का आगे क्या विचार है? तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंकों की शाखाएं नहीं हैं वहां के किसानों को यह धन वितरित कैसे किया जायेगा?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बैंकों की ऋण नीति का सम्बन्ध है ; हमें इस नीति को काफी लोचदार बनाना होगा क्योंकि ऐसी कोई नीति बनाने के पूर्व देश की अर्थ व्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा। जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 3000 करोड़ रुपये की राशि में से बैंक किसानों को 400 करोड़ रुपया दे सकेंगे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरी समझ में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार नहीं था। अभी भी मैं यह बात मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि बैंकों के सभी अधिकारी या अधिकांश अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। बैंकों के अधिकारियों के लिए ऐसा कहना अनुचित है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। मैं यह चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह बताए कि क्या उन्हें बैंकों के कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें मिली हैं। यदि उन्हें ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं तो फिर सतर्कता विभागों की नियुक्ति करने का आधार क्या है? सम्पूर्ण निक्षेपों को देखते हुए शिकायतों में अन्तर्ग्रस्त राशि का प्रतिशत क्या है?

श्री प्र० चं० सेठी : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली हैं। प्रश्न करने के पूर्व माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैंने यह कभी भी नहीं कहा कि बैंकों में भ्रष्टाचार है। हो सकता है कि कुछ लोग शिकायत करने के लिए तैयार न हों, परन्तु सच यही है कि कर्मचारियों से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। जनता से हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रधान मन्त्री को भी कुछ शिकायतें मिली हैं।

Shri Arjun Singh Bhadoria : The farmers who take loans from the banks are asked for pledging their land in which they have to spend a large amount of money. But as regards the loans which are given by the Land Development Bank or Cooperative Develpment Bank, no registration is required for the same. I would like to know whether

these nationalized banks would also advance loans to the farmers, in the same method, for the development of their lands as is given by the Land Development Banks ? May I know whether Government would make similar arrangements as in the Land Development Banks ? May I also know whether Government are prepared to follow the rules of Land Development Banks ? I would like to give a suggestion that a committee consisting of farmers and those Members of Parliament who belong to peasant families, should be appointed so that the difficulties of farmers in this regard could be removed and adequate facilities could be provided to them. As far as the question of corruption is concerned corruption does exist and farmers are suffering due to this.

Shri P. C. Sethi : As far as the question of loans to be given to the small farmers is concerned, prior to the nationalization of banks, this was a general practice in banks that they were not prepared to give loans to the small farmers, and if at all they did they insisted on surity or pledging of their lands. But as I said that a meeting of the custodians of the banks is called and they will be asked to change their policy. Farmers should be given loans on the basis of their production potentiality and they should not be asked for pledging any lands. But as far as bigger loans are concerned some sort of surity is necessary for them.

श्री मनुभाई पटेल : भ्रष्टाचार का मूल कारण आमतौर पर मामलों को निपटाने में देर करना है। इस काम को सुगम बनाने के लिए क्या सरकार ने मामलों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की है कि उस समय सीमा के अन्दर ही मामले निपटाए जाएं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने कहा है बैंकों के संरक्षक और रिज़र्व बैंक इस मामले पर विचार कर रहे हैं। निश्चय ही इसे सुगम बनाना होगा। मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी कुछ ढील रखनी पड़ेगी क्योंकि यह मामले विशेष के स्वरूप और ऋण की राशि पर निर्भर करेगा। इस मामले पर बैंक अधिकारी विचार कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि वे उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित कर सकेंगे और प्रक्रिया को सुगम बना सकेंगे।

Shri Ram Charan : Mr. Speaker, Sir, In my district 5 percent commission is charged by the nationalised bank on the loan given to the people. Will the hon. Minister be pleased to state whether Government propose to set up Statewise or districtwise vigilance bodies to eradicate corruption ?

Shri P. C. Sethi : I have already informed the House that we propose to set up Statewise and districtwise vigilance committees. . . .

Shri Ram Charan : May I know whether these vigilance committees would be set up in all the branches of the banks or only at the head quarters ?

Shri P. C. Sethi : Once this committee is set up, then only this question could be decided.

Shri Hukam Chand Kachwai : So far as the question of loans given by banks is concerned, every bank has commission agents and loan is given to the small industries and farmers through those agents. The commission charged on the loans varies from 5 percent to 20 percent. Will the Minister be pleased to state whether an enquiry is being made in this regard and whether Government would also see that the loan taken by small industries or farmers is properly utilised for the purpose for which it is obtained from the banks.

Shri P. C. Sethi : It is the duty of the inspection staff, which is provided in banks, to see whether loans given to these people are properly utilized or not. Loan should be utilized for the purpose for which it is given. Such machinery is already there and if there be any need to strengthen this machinery, necessary action will be taken in this regard.

श्री बेदब्रत बरुआ : बहुत छोटे उद्योगों को ऋण देने में वास्तविक कठिनाई सहायता और जानकारी से सम्बन्धित है। क्या छोटे उद्योगों को ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र देने के लिए आवश्यक जानकारी और सहायता देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रत्येक बैंक तकनीकी कर्मचारी नियुक्त कर रहा है जो छोटे उद्योगों को तकनीकी सलाह दे सकेंगे।

इर्विन अस्पताल के अधिकारियों द्वारा रोगियों के परीक्षण में लापरवाही

\+

*1084. **श्री जय सिंह** : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री सुन्दर लाल नाम के व्यक्ति के कथित मामले की ओर दिलाया गया है जिसे इर्विन अस्पताल के अधिकारियों ने मृत घोषित करके शव गृह में रखवा दिया था किन्तु जिसे बाद में जीवित पाया गया और इलाज के लिये फिर दाखिल किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है तथा उक्त रोगी की उचित चिकित्सा न करने के लिए उत्तरदायी डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : श्री सुन्दर लाल नामक एक रोगी को 20 मार्च 1970 को इर्विन अस्पताल में भरती किया गया। उसे पायोजेनिक नीमोनिया का रोगी पाया गया। रोगी का अस्पताल में उपचार किया गया और 27 मार्च को उसे छोड़ दिया गया। किसी स्तर पर उसे ना तो मृत घोषित किया गया था और ना ही उसे शव गृह में रखा गया था।

श्री जय सिंह : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि सम्बन्धित रोगी को 27 मार्च 1970 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार या इसका खण्डन करेंगे कि 26 मार्च 1970 को उक्त रोगी चुपचाप अस्पताल से खिसक गया था ?

श्री ब० सू० मूर्ति : निश्चित तारीख तथा अन्य जानकारी का पता लगाने के लिए सभी प्रयत्न किये जा चुके हैं, और मैंने जो कुछ कहा है ठीक है कि रोगी 20 तारीख को भरती किया गया था और 27 मार्च 1970 को उसे छुट्टी दे दी गई थी।

श्री जय सिंह : श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री

महोदय या तो इस बात को स्वीकार करें या इसका खण्डन करें कि 26 मार्च 1970 को रोगी अस्पताल से खिसक गया था या नहीं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : नहीं, श्रीमन् ।

श्री कंवर लाल गुप्त : रोगी को उसकी मृत्यु के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई या पहले ?

श्री ब० सू० मूर्ति : रोगी की मृत्यु नहीं हुई ।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that this question was also raised in the Metropoliton Council of Delhi, and an enquiry committee was appointed by the Delhi Administration and if so what are the details of the report of the committee ? Is it also a fact that the enquiry committee had reported that this case was purposely given publicity by certain people and was published by them in the newspapers, and if so, what are the names of the persons involved in it ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : जहां तक दिल्ली नगर पालिका का सम्बन्ध है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है···

श्री बलराज मधोक : दिल्ली में नगरपालिका है ही नहीं यहां पर नगर निगम है ।

श्री के० के० शाह : हां मेरा अभिप्राय नगर निगम से ही है । परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने बड़ी बारीकी से जांच की हैं । इतना ही नहीं । हमने रोगी के पते पर भी जांच करवाई क्योंकि प्रश्न यह पूछा गया था कि उसे मृत घोषित करके शवगृह में रखवा दिया गया था । अब मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि रोगी अस्पताल से चुपचाप खिसक गया; इसलिये वे जानते हैं कि रोगी मरा नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आगे कोई और अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है । वह व्यक्ति अभी ठीक ठाक जीवित है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : न केवल जीवित ही अपितु उसका जीवित होना भी साबित हो चुका है ।

श्री हरिदास मूंदड़ा पर बकाया करों की राशि को बट्टे खाते डालना

+

*1085. **श्री नि० एं० लास्कर** :
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्री हरिदास मूंदड़ा पर बकाया लगभग 1.97 करोड़ रुपये की करों की राशि में से कुछ राशि बट्टे खाते में डाल दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : श्री लास्कर जी, अब आप और क्या प्रश्न पूछेंगे, जबकि मुख्य प्रश्न का उत्तर ही "जी नहीं" और "प्रश्न नहीं उठता" में दिया गया है।

श्री नि० रं० लास्कर : मन्त्री महोदय द्वारा प्रश्न के भाग "क" का उत्तर "जी नहीं" दिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि श्री हरिदास मूंदड़ा ने सरकार को आय कर की बकाया राशि नहीं देनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे इस बकाया राशि को कैसे वसूल करेंगे।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कर की बकाया राशि के कुछ भाग को बट्टे खाते में डालने के प्रश्न का "नहीं" में उत्तर दिया है। जहां तक कर की बकाया राशि का सम्बन्ध है श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर कुल 2.29 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जिसमें से 32 लाख रुपये 31-3-70 को देय नहीं थे, इसलिये इस समय उनकी ओर करों की बकाया राशि 1.97 करोड़ रुपये है।

श्री नि० रं० लास्कर : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति तथा कम्पनियां है कि जिनकी आय कर की बकाया राशि एक करोड़ रुपये से अधिक है और यदि हां, तो उनके नाम बताये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे तथा बाद में यह जानकारी बाद में दे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री नि० रं० लास्कर : सभा के लिये यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मन्त्री महोदय यह जानकारी तुरन्त नहीं दे सकते हैं, तो वे यह सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है, जो श्री हरिदास मूंदड़ा से सम्बन्धित है, यदि आप अन्य व्यक्तियों के बारे में पूछना चाहें, तो नोटिस दीजिए।

श्री नि० रं० लास्कर : बहुत से ऐसे व्यक्ति तथा कम्पनियां है जिन्हें सरकार को आयकर के रूप में एक करोड़ से अधिक राशि देनी है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति से सम्बन्धित है। यदि आप और व्यक्तियों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नोटिस दीजिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Mundhra owe nearly Rs. 2 Crores or Rs. 1.75 crores as income tax arrears to Government. I want to know his total assets and the reasons why this amount has not been realised so far ? Is it not a fact that there are hundreds of capitalists who owe huge amounts as tax arrears to Government and who are diverting their assets in the name of others ? I want to know whether Government contemplates to enact any legislation in order to check this practice so that the assets are not transferred in the names of other and Government are not put to loss ?

Shri P. C. Sethi : So far as the question of Shri Haridas Mundhra is concerned his shares etc. are attached with the department. The total valuation thereof is of nearly Rs. 4 crores. In addition to this some of his property is also attached. But this property which has been attached is disrupted one and cases in regard thereto are pending in courts of law and unless these cases are decided we can not say how much money will be received by us therefrom and on how much money others will have first claim.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि गत कई वर्षों के दौरान श्री हरिदास मूँदडा ने अपनी अस्तियां विदेशों में हस्तांतरित कर दी हैं यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार के पास क्या जानकारी है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मेरे पास विदेशों में आस्तियों का हस्तांतरण करने सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समाचार पत्रों में यह बात कई बार प्रकाशित हुई है। अतः सरकार यह कैसे कह सकती है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है ? मैं मन्त्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाऊंगा। उन्हें इस बारे में पूर्ण जानकारी है। वह जान बूझ कर तथ्यों को छिपा रहे हैं, क्यों कि उन्हें बंगला कांग्रेस के लिये 11 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

श्री न० कु० सांघी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्री मूंदड़ा की ओर वस्तुतः कितनी राशि बकाया है तथा उसमें से कितने राशि के बारे में विवाद अर्थात किसी न्यायिक प्राधिकार अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष मामला चल रहा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हाल में कुछ कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लिया है तथा क्या उन्होंने राशि को वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक कर की बकाया राशि का सम्बन्ध है मैंने कहा है कि श्री मूंदड़ा की ओर कई वर्षों की कई राशियां बकाया हैं। उन मामलों को भी विचार किया गया है, जिनमें कर का निर्धारण वर्ष 1941-42 से 1948-49 तक किया गया है तथा अन्तिम रूप से कर निर्धारण 30-11-60 को किया गया। तब से अब तक उनकी ओर कुल बकाया राशि 1.97 करोड़ रुपये हैं। 1.97 करोड़ रुपये की राशि में से जहां तक विवादग्रस्त राशि का सम्बन्ध है, 1.57 करोड़ रुपये विवाद ग्रस्त हैं तथा 40 लाख रुपये विवाद ग्रस्त नहीं हैं।

श्री न० कु० सांघी : क्या उन्होंने किन्हीं नई कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लिया है।

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri Bhogendra Jha : In reply to a question asked by me on 31st March, a statement was furnished by the hon. Minister containing the names of all those persons in the country who owe more than five lakh rupees as income tax. The name of Shri Mundhra was also there in the said list. The said list also contained the name of Birlas and the amount shown against them was to the tune of Rs. 2.5 crores. I want to know the steps taken to recover the outstanding amount from all of them including Shri Mundhra, who owe to Government more than Rs. 5 lakhs.

Shri P. C. Sethi : So far as the question of recovery is concerned, no recovery is possible in those cases which are disputed ones and which are pending before courts or tribunals unless decisions are given therein by the judicial authority. So far as Shri Mundhra is concerned the total outstanding against him is Rs. 1.97 crores. Out of this 1.97 crores, the disputed demand is Rs. 1.57 crores in regard to which cases are pending in various courts or before appellate authorities. Therefore, Rs. 40 lakhs are the undisputed demand and steps are being taken to recover the amount. The Income tax Department has also attached his property of various types and steps are being taken to recover the outstanding amount through property.

I would like to mention one thing more. As the hon. Members are aware that the list of persons against whom the outstanding amount is more than Rs. 5 lakhs has been presented before the House. So far there is no rule except 73 (i) of the Civil Imprisonment under which action can be taken for recovering the outstanding amount of tax. So Government will consider the question of amending the Act or tightening up the provisions thereof. So that not only property is attached but other punishment can also be given.

Shri Arjun Singh Bhadoria : The Government is prejudicial to Shri Haridas Mundhra and Daimia and that is why strict action is being taken against them. There are other persons also against whom more amount is outstanding than Shri Mundhra and Dalmia and Government has not taken any strong action against them.

I want to know whether Government contemplate to enact new legislation so that all the hurdels in the way of recovering the outstanding amount are overcome.

Shri P. C. Sethi : The property of those persons against whom amount of tax is outstanding can be attached and that can be done only when the matter is not in a court of law. The amount which is received by selling the property can be realised. So far as the question of punishment is concerned, the only rule under which the Income tax department can secure the punishment of civil impisonment under some special circumstances is Rule 73 (i). The Government itself is not satisfied with the present situation. The Government are examining as to how the provisions can be tightend up and what else can be done in this regard.

15 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले कर्मचारियों को बारी से पहले क्वार्टर देना

* 1086. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री रामगोपाल शालवाले** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को बारी से पहले क्वार्टर देने के लिये निकट भविष्य में कोई कोटा निर्धारित करेगी जिनका सेवा काल 15 वर्ष से अधिक हो चुका है और जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री श्री ब० स० मूर्ति : (क) और (ख)

सामान्य पूल से वास का आवंटन, पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को टाइप विशेष के लिए उनकी प्राथमिकता की तारीख के आधार पर किया जाता है।

ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है और जिन्हें सरकारी वास आवंटित नहीं किया गया है, को बिना बारी आवंटन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तथा वर्तमान आवास स्थिति को देखते हुए उनके मामलों में बिना बारी का आवंटन करना वस्तुतः असम्भव है।

Shri Yashpal Singh : What is the basis of priority ? Those employees who have put more than 20 years of service, have not yet been allotted any Government accomodation. Whereas new employees have obtained Government accomodation. Government should take some steps to eradicate these irregularites.

श्री ब० सू० मूर्ति : टाइप एक से टाइप चार तक के मामलों में प्राथमिकता की तारीख उस तारीख से मानी जाती है जिस तारीख से अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, वैदेशिक सेवा आदि के अन्तर्गत हो जबकि टाइप पांच और उससे ऊपर वाले टाइपों में प्राथमिकता तारीख उस दिन से मानी जाती है जिस दिन से वे उस टाइप विशेष के अनुरूप वेतन पाने लगें।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government are contemplating to fix any criteria for the allottment of Houses ? I wish to stress that accomodation be given to those whose sons, grandsons and relations sacrificed themselves for the country and are still in the active service. Accomodation should also be given to the homeless labourers and those who have no houses.

श्री ब० सू० मूर्ति : आवंटन कुछ कसौटियों के आधार पर ही होता है ; और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

ओषधियों के बढ़े हुए मूल्य

अ० सू० प्र० 21. श्री समर गुह : **श्री यशपाल सिंह :**

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : **श्री कंवर लाल गुप्ता :**

श्री श्रीचन्द्र गोयल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधियों के मूल्य किस प्रकार नियत किये जायें इस प्रश्न पर विचार करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री से बातचीत की थी ;

(ख) क्या औषधियों के वर्तमान बढ़े हुए मूल्य साधारण जनता के हित में नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो औषधियों के मूल्यों के सम्बन्ध में चल रहे घोटाले को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे देश के जन साधारण को औषधियां उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) औषधियों के उचित मूल्यो पर टैरिफ आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, आन्तरिक मन्त्रालयों की कई बैठकें हुई थी। इन में से कुछ बैठकों में पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री उपस्थित थे। सरकार को देश में औषधियों के वर्तमान मूल्यों तथा उन मूल्यों को कम करने की आवश्यकता के बारे में जनता की भावनाओं की, जिन्हें संसद तथा समाचार पत्रों में व्यक्त किया गया है, जानकारी है। इस बारे में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

श्री समर गुह : पेट्रोलियम मंत्री ने अशोधित तेल और पेट्रोलियम रसायनों की कीमतों में कमी करने के लिए जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। और देश बड़ी उत्सुकता से औषधि निर्माताओं को चेतावनी देने की नीति की प्रतीक्षा कर रहा है। अब सरकार अपनी नीति घोषित करने जा रही है।

मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। केवल 230 औषधि निरीक्षकों को 2,300 औषधि निर्माताओं और 73000 औषधि विक्रेताओं का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है जिससे भ्रष्टाचार रोका जा सके। क्या यह सच नहीं है ? क्या यह भी सच नहीं है कि सरकार विभिन्न औषधि निर्माताओं को विभिन्न औषधियां भिन्न-भिन्न पेटेण्ट-नामों में बेचने देती है यद्यपि इन सभी औषधियों का बनाने का तरीका एक ही होता है ? क्या औषधियां एक ही कीमत पर बेची जाती हैं ? यदि नहीं तो सरकार कैप्सूल टेबलेटों आदि की कीमतें एक जैसी करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री द० रा० चह्वाण : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। यह मामला टैरिफ आयोग को सौंप दिया गया है। टैरिफ आयोग और कीमत निर्धारिकों की सिफारिशें मंत्रिमंडल को पेश कर दी गई हैं। और शीघ्र ही औषधियों की कीमतें निर्धारत कर दी जाएं और, जल्दी ही निर्णय की घोषणा कर दी जाएगी—हो सकता है महीने के अन्त के पहले ही।

श्री समर गुह : श्रीमन् केवल 230 औषधि निरीक्षक है वे इन सभी विक्रेताओं का निरीक्षण कैसे कर सकेंगे ?

श्री द० रा० चाह्वण : यह कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस बारे में जानकारी एकत्र करूं तो मैं जानकारी एकत्र करके दे दूंगा।

श्री समर गुह : श्रीमन् मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि ऋषिकेश का एण्टीबॉइटिक्स कारखाना और मद्रास का सर्जिकल इन्सट्रूमेण्ट कारखाना क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 4 करोड़ रुपये घाटे पर चल रहे हैं ? क्या यह भी सच है कि मेसर्स फाइजर और साइनामाइड एण्ड कम्पनी जैसे अमरीकी औषधि उत्पादकों को, जो अमरीका में काली सूची में दर्ज हैं, हमारे देश में मूल औषधि निर्माण की अनुमति दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों के बारे में नियम हैं। माननीय सदस्यों के न तो जानकारी देनी चाहिए, और न ही सुझाव देने चाहिए, केवल मात्र जानकारी हासिल करनी चाहिए।

श्री समर गुह : मैंने एक अमरीकी कम्पनी के बारे में प्रश्न पूछा जिसने 8 करोड़ रुपये की औषधि खरीद कर उसे यहां पर 80 करोड़ रुपये में बेचा.....

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि वे एक और भाषण दें।

श्री समर गुह : मेरी समझ में यह बात नहीं आती। जब भी मैं कोई प्रश्न पूछने के लिए उठता हूं आप लगातार हर मिनट में व्यवधान उपस्थित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सीधा और सरल होना चाहिए। मैं दूसरी प्रक्रिया की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि साइनामाइड कम्पनी ने अन्तरराष्ट्रीय बाजार से 8 करोड़ रुपये के टेट्रासाइक्लीन ख़रीदी। क्या यह सच है कि उन्होंने इसे भारत में 80 करोड़ रुपये में बेचा था ? क्या यह भी सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसिटिकल लिमिटेड को टेरासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, फानसिन, विटामिन बी 1 और बी 2, फेनो-बारबिटल और कुछ अन्य औषधियों को उनकी उत्पादन लागत से 200 से 400 प्रतिशत अधिक कीमत पर बेचने की अनुमति दी गई है ?

श्री द० रा० चह्वाण : मूल औषधियां जो एक ही नाम पर उत्पादित होनी हैं और बेची जाती हैं, उन पर कोई कीमत नियंत्रण नहीं है। निर्माताओं और डीलरों को यह स्वतंत्रता है कि वे उन्हें जैसे बेचना चाहें बेचें। यही इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेसिटिकल लिमिटेड और अन्य कारखानों पर भी लागू होता है।

जहां तक इंडियन ड्रग्ज एण्ड फर्मेसिटकल लिमिटेड का प्रश्न है, यह अच्छा होता यदि वे उस समय यहां उपस्थित होते जब इस विषय पर वादविवाद का मैंने विस्तार से उत्तर दिया था।

श्री स० कुन्दू : क्या वे उस समय यहां उपस्थित थे ?

श्री द० रा० चह्वाण : मैंने प्रश्नों का उत्तर दिया था। इंडियन ड्रग्ज एण्ड फर्मेसिटिकल लिमिटेड को घाटा हुआ है और अभी भी वह घाटे में चल रहा है। सर्जिकल इंस्ट्रूमैण्ट्स फैक्टरी को 4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और सिन्थैटिक ड्रग्स को लगभग 6 करोड़ रुपये का। जब मैंने वादविवाद का उत्तर दिया था तो मैंने सारा ब्यौरा दे दिया था। तथ्य तो यह है कि इंडियन ड्रग्ज एण्ड फर्मेसिटिकल लिमिटेड के बारे में अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी मैंने जानकारी दे दी है।

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या अमेरिकी फर्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कीमतें बढ़ा दी है। मैंने एक अमरीकी फर्म के बारे में रिपोर्ट देखी जिससे उसकी ऊंची कीमतों का पता चला। उन पर अमरीकी 'एण्टी ट्रस्ट' कानून के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया। माननीय सदस्य का कहना है कि लगभग 80 करोड़ रुपये की औषधियां आयात की गई और उन्हें यहां बड़ी ऊंची कीमतों में बेचा गया।

श्री समर गुह : 8 करोड़ रुपये की औषधियां 80 करोड़ में बेची गईं।

श्री द० रा० चह्वाण : कुछ औषधियों का आयात करके बेची गईं परन्तु उन्हें दुगनी कीमतों पर नहीं बेचा गया।

एक माननीय सदस्य : 20 गुना दामों पर।

श्री द० रा० चह्वाण : यह 20 गुना नहीं है। यह उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 6677 के उत्तर में दिया जा चुका है। यदि वह इसे देख सकें तो अच्छा रहेगा।

Shri Prakashvir Shastri : What is the basis of the scheme which the Government are contemplating to bring down the prices of drugs. By basis I mean will the Government find out the cost of production of each drug and fix its price proportionately or will there be some other basis. I would also like to know whether one of the reasons for price rise of drugs is that in the Government run factories such as Rishikesh or Hyedrabad factory politics has entered, corruption is rampant, crores of Rupees have been embezzled, rights of the workers are trodden and they are given political patronage, and therefore the cost of production has gone up. The third thing I would like to know is, whether the Government will also pay attention to stopping the production of spurious drugs which are hazardous for health.

श्री द० रा० चव्हाण : आई० डी० पी० एल० में उत्पादन लागत बहुत अधिक है इस बात को स्वीकार किया जा चुका है।

श्री स० कुन्दू : आप श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि करने के लिए तैयार नहीं है और आपके मन्त्री यहां पर आकर कहते हैं कि वे इस मामले में निश्चय करने में असमर्थ हैं। सभापति मन्त्री महोदय की बात सुनने के लिये तैयार नहीं है। वे कैसे मन्त्री हैं? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री द० रा० चव्हाण : मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा था और उसके बीच में ही माननीय सदस्य ने आवेश में आकर व्यवधान डाला।

मैंने कहा कि आई० डी० पी० एल० में उत्पादन लागत बहुत ऊंची है क्योंकि अभी हाल में ही उन्होंने उत्पादन शुरू किया है। शुरू में ऐसी कठिनाइयां सामने आती ही हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इसलिये जब उत्पादन निर्धारित क्षमता तक पहुंच जाएगा तो उत्पादन लागत की कम होने की सम्भावना होगी।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, एक सुझाव यह दिया गया है कि उत्पादन लागत, पैकिंग लागत और अन्य बातों को ध्यान में रखकर कीमत निर्धारित की जानी चाहिये। टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय इन सब बातों पर विचार किया जाएगा और मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि कीमतें निश्चय ही कम हो जाएगीं। इसका आधार सभा पटल पर रखा जाएगा।

Shri Prakshvir Shastri : Mr. Speaker, Sir, my question was very clear and it was that in the factories situated at Rishikesh and Hyderabad irregularities of crores of rupees involved because these factories are related with a particular country which has been patronised because of politicnl reasons, and because of this politlcal protection the drugs are becoming costly. What is the Ministry going to do about it?

श्री द० रा० चव्हाण : किसी के द्वारा भी कोई गड़बड़ी या राजनीतिक दबाव या और कुछ नहीं किया जा रहा है। इन सभी कारखानों का हमारे अपने ही कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध और देखभाल हो रही है। इसमें सन्देह नहीं कि सिन्थैटिक्स प्रोडक्ट्स और आई० डी० पी० एल० में कुछ विदेशी लोग हैं परन्तु वे हमारे सहयोगी हैं जिन्हें तकनीकी जानकारी है, जो कठिनाई वाले क्षेत्रों का पता लगाने में हमारी सहायता कर रहे हैं और उस पर सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

Shri Shri Chand Goyal : May I know whether it is true that the prices of drugs in India are much higher than the market prices in other parts of the world. And tbe common man can not afford them. You have been during last few days trying to bring down prices by having negotiations with the producers. News about this have been appearing during last two or three months. I would like to know how much reduction you have suggested and what percentage they are prepard to accept. I would also like to know if we are going to accept the recommendation of Tariff Commision that the 60 percent profit that is taken away in the from of tax and 10 to 12 percent in the form of Sales tax and excise duty may be reduced so that the drug prices may come down. The third thing I would like to know about your statement that you would introduce a legislation in the Parliament soon, by which you would fix the prices. And recently in the Audit report of 1970 which has been published two three days back it was mentioned that sub-standard drugs are being used in the hospitals what has been done about them and what will be done in future.

श्री द० रा० चव्हाण : तैयार औषधियों और आधारभूत औषधियों की कीमतों के सम्बन्ध में मैंने पहले ही बताया है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। और सम्भवत: इस महीने के अन्त तक सरकार का निर्णय घोषित कर दिया जायगा और संकल्प सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कुछ समय प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूंगा।

अपमिश्रित और घटिया किस्म की औषधियों की जांच करने के लिए एक किस्म नियंत्रक व्यवस्था है जो स्वास्थ्य मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

Shri Yashpal Singh : Mr. Speaker, Sir, May I request the Government to use their own brain. If the use of Dalda and Kotogem and smoking of Biris and cigarettes are prohibited, 90 percent diseases will automatically disappear and there will be no question of rise in prices of drugs. Are the Government thinking over these lines.

Mr. Speaker : You may find out later on about Biri and Cigarettes I am calling another member.

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to ask two things. The hon. Minister Shri Triguna Sen has just now said that he is considering the report of Tariff Commission but it has been published in the Press that he asked the manufacturers of medicines to reduce drug prices by 30 to 35 percent. First they did not agree but now he says that they are going to reduce it by 60 percent. Is it correct ? Secondly will the Government give assurance that there will be only reasonable profit in regard to the drugs being produced in the public sector and the price of foreign companies will not be more than the international price.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : माननीय सदस्य ने समाचार पत्रों में प्रकाशित जिस समाचार का उल्लेख किया वह ठीक नहीं है। मैंने निर्माताओं

को औषधि की कीमत 30 या 35 प्रतिशत घटाने का सुझाव नहीं दिया था; मैंने उनसे केवल यही अनुरोध किया था कि वे कोई तरीका बनाएं जिससे हम भारत में निर्मित सभी औषधियों की कीमतें नियमित कर सकें। उन्होंने अभी हाल ही में ऐसा किया। उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जिससे कीमतें 20-22 प्रतिशत तक घटाई जा सकती हैं। टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन बहुत बड़ा है और इस पर मेरे मन्त्रालय ने स्वास्थ्य मन्त्रालय के सहयोग से विचार किया है और हमारी सिफारिशें मन्त्रिमन्डल के समक्ष हैं; मन्त्रिमन्डल ने इस पर निर्णय ले लिया है। औषधि अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कुछ आदेश भी दिये जाने हैं। हम उन्हें तैयार कर रहे हैं और तैयार होने के बाद जल्दी ही हम उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सब कुछ तैयार है। यह कहना ठीक नहीं कि औषधि की कीमतें 30 या 35 प्रतिशत घटा दी गई हैं। फार्मूला के अनुसार कुछ औषधियों की कीमतें 70 प्रतिशत और कुछ की 60 प्रतिशत तक और कुछ की 50 प्रतिशत तक और कुछ की 20 प्रतिशत तक घटाई जा सकती है। हमने एक फार्मूला तैयार किया है और हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की औषधि की उत्पादन लागत पर भी विचार किया है जो बहुत ऊँची है। हम यह कीमत भी घटाएगें जिससे हम सब भारी मात्रा में विदेशों से आयात करें तो हमारे पास उनकी पूल कीमतें हों और हम सबको उन्हें एक विशेष कीमत स्तर पर दे सकें और जिससे हम औषधियों की कीमतें नियन्त्रित कर सकें। हम जल्दी ही सब कुछ सभा के समक्ष पेश करेगें।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या यह सच है कि आपके सरकारी क्षेत्र की फैकिट्रयों में भी आप विदेशों से लगभग तैयार माल का ही आयात करते हैं और यहां पर उन्हें केवल अन्तिम रूप दिया जाता है ? इसलिए आपकी सरकारी क्षेत्र की फैकिट्रयों की कीमतें बहुत ऊँची हैं तो स्वाभाविक ही है कि गैर सरकारी क्षेत्र की फैकिट्रयाँ और भी ऊँची कीमतें लेती हैं। इसलिये आप औषधियों को उनके केवल एक ही नाम के अन्तर्गत आयात करते हैं और निर्माताओं को उस औषधि पर प्रत्येक औषधि का जैनरिक नाम छापने के लिए जो दे सकते है; उदाहरण के लिए यदि आप किसी औषधि को एक्रोमाइसीन या कुछ और कहते हैं तो आप उस पर टैट्रासाइकलीन छाप सकते हैं। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, निर्माताओं ने यह कहा है कि वे अपनी कीमतों को 50 प्रतिशत तक घटा देंगे, यह बहुत छोटी बात है, क्योंकि अभी वे औषधियों को बहुत ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। इसका कारण यह है कि आपने ऐसे करारों की अनुमति दी है जिनमें ये लोग हमारे उत्पादन को दूसरों से खरीदते हैं और आपसे वे एक बिचौलिए की तरह कीमतें लेते हैं; उदाहरण के लिये टैट्रासाइकलीन जो सस्ते दामों में बिकती है। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें ब्रैण्ड नाम के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दे रहे हैं और आप फिर उत्पादन शुल्क लेते हैं, उत्पादन-लागत और अन्य सब चीज़ों को शामिल करते हैं। इसलिये कीमतें ऊंची है। इसलिए क्या आप सबसे पहले औषधियों को उनके 'जैनरिक' नाम के अन्तर्गत यह आयातित करेंगें ? सभी उत्पादों पर उनका 'जैनरिक' नाम लगाया जाना चाहिये।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह देखेगें कि सरकारी क्षेत्र के कारखानें औषधियों का सस्ती लागत में निर्माण करें ? पिछले वर्षों आपने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है। उदाहरण के लिए सल्फ़ाथियासोल 800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी और जब हाफक्किन

संस्थान इसका उत्पादन करने लगा तो इसकी कीमत घटाकर 17 रुपये प्रति किलो हो गई। आपने इस दिशा में कोई भी प्रयत्न नहीं किया। आपने केवल इस बात की जांच की कि भारत में इसकी पैकिंग हो।

डा० त्रिगुण सेन : माननीय महिला सदस्य ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। इनमें से कुछ सुझावों का हमें पहले ही से ज्ञान है। और हम फार्मूला बनाते समय उनके अन्य सुझावों पर भी विचार करेंगे। फार्मूला हम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

श्री कंवर लाल गुप्त : मन्त्री महोदय हमें बताने में हिचकिचाते क्यों हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : जब तक सभा के समकक्ष यह पूरा फार्मूला प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक मैं आगे कुछ नहीं कह सकता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय मन्त्री महोदय इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं तो क्या वे हमें यह बताएंगे कि औषधियों के निर्माताओं ने उपभोक्ताओं से जो ऊंची कीमतें ली हैं उन्हें उनसे (औषधि-निर्माताओं) वसूल किया जायगा, यदि वे कीमतों को घटाने में सहमत हो जाते हैं।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब सरकार यह फार्मूला स्वीकार करने जा रही है, तो क्या उस फार्मूला में ही 20 प्रतिशत वृद्धि की गुंजाइश होगी, यदि हां, तो क्या सरकार उसकी पूरी तरह जांच करेगी ?

तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आई० डी० पी० एल० को आधारभूत औषधियों का आयात करने का अधिकार दिया जाएगा और वे औषधियों को पूल कीमतों पर बेचेंगी जोकि सस्ती होगीं।

डा० त्रिगुण सेन : पहले सुझाव के बारे में अभी तक उन्होंने जो ऊंची कीमतें ली हैं उन्हें वसूल किया जा सकता है या नहीं, मेरे विचार में हम ऐसा नहीं कर सकते। जहां तक दूसरे सुझाव का प्रश्न है हम उससे अवगत हैं। ऐसे सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। हम अपनी सिफारिशें सभा के समक्ष रखेंगे।

श्री उमा नाथ : अमरीकी सीनेटर के नाम पर बनाई गई काफेवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि जहां तक अन्य देशों से आयातित इन औषधियों का प्रश्न है, भारत में इनकी कीमत सबसे ऊंची है। समिति के ऐसे प्रतिवेदन के बाद, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के अतिरिक्त भी इस मामले की अलग से विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। क्या सरकार उन अन्तर्राष्ट्रीय औषधियों के सम्बन्ध में जो यहां बिकती हैं, सम्पूर्ण कीमत ढांचे के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक पृथक समिति बनाने का विचार कर रही है, केवल पृथक समिति ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय औषधिओं के कीमत ढांचे के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए एक पृथक समिति बनाने जा रही है ?

डा० त्रिगुण सेन : यद्यपि मुझे यह बताने का हक नहीं हैं, परन्तु यह एक सिफारिश थी कि प्रत्येक औषधि जो बाजार में आती है, उसकी उत्पादन-लागत का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ-विभाग होना चाहिये, और जो उस औषधि की कीमत निर्धारित करे। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है।

श्री मनुभाई पटेल : मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि आई० डी० पी० एल० की कीमतें बहुत ऊंची हैं क्योंकि वह घाटे पर चल रही हैं। इसका कारण यह है कि वहां की मशीनें, व्यवस्था और प्रोद्योगिकी पुरानी हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सहयोग को बदलकर नए सहयोग के लिए तैयार है जो इस कारखाने का सुधार कर सके ? ऊंची कीमतों का एक अन्य कारण यह है कि कीमतों को घटाने की उनकी नीति कुछ एकाधिकारियों द्वारा विफल कर दी जाती हैं। उनके अपने मार्कीटिंग संगठन होते हैं जिनके द्वारा उन्हें बेचना चाहिये। छोटे लोगों को एजेन्सियां देने के बदले उन्होंने वोलटास को ऐजन्सी दी है जो एकाधिकारी है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वे वोलटास से अपनी ऐजन्सी वापिस लेकर केवल अपने मार्किटिंग संगठन के द्वारा ही बेचेंगे ? तथा क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या वे स्वास्थ्य मन्त्रालय और पैट्रोलियम मन्त्रालय के बीच और उत्पादक-ऐजन्सी और मूल्य-निर्धारक ऐजन्सी जो कि अलग हैं, उनमें जो विषमता है उसे दूर करने के लिए तैयार हैं ? क्या वे इन दोनों में अच्छा समन्वय करने का प्रयत्न करेंगे ?

डा० त्रिगुण सेन : मुझे मालूम नहीं है कि यह इस प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत आता है या नहीं ? अल्प-सूचना प्रश्न कीमतों को घटाने के बारे में है। आई० डी०पी० एल के कार्य के बारे में बजट चर्चा के दौरान मैंने पूरे 15 मिनट तक पूरा ब्यौरा दिया था। मैं उस सबको अब फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। मैंने उस समय जो कुछ कहा था केवल उसी की तरफ मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री मनुभाई पटेल : ये ब्योरे उस समय नहीं दिए गए थे।

डा० त्रिगुण सेन : यदि ये ब्योरे उस समय नहीं दिए गये थे तो मैं माननीय सदस्य को बाद में अलग से यह ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न ने आधा घण्टा ले लिया है अब ध्यानाकर्षण।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Outstanding amount of Central loan against Bihar

*1087. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Central loan which is still outstanding against Bihar Government ;

(b) the total amount of loans advanced by the Central Government to Bihar Government during the financial year 1968-69 ; and

(c) the amount of grants, which would be given to the State Government during the financial year 1970-71 for its development works ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) Rs. 567.25 crores as on 31st March, 1970. The figure is provisional.

(b) Rs. 87.63 crores, both for Plan and non-Plan purposes.

(c) The Central Budget includes a provision of Rs. 18·40 crores for grants to the Government of Bihar for financing State Plan schemes.

नगरीय आवास योजनाओं के अन्तर्गत गृह-निर्माण के लिए ऋण

*1088. **श्री अदिचन :** **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय और दिल्ली प्रशासन की नगरीय आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु ऋण की मन्जूरी के लिए प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राक्कलनों में निर्माण लागत बढ़ जाने के कारण सौ प्रतिशत तथा इससे भी अधिक वृद्धि हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नगरीय क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली में, निर्माण पर आने वाली अधिक लागत को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार ऋणों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं में परिवर्तन करने का है ताकि उन्हें बढ़ती हुई निर्माण लागत के अनुसार अधिक यथार्थवादी बनाया जा सके और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला खानों के कार्य-संचालन के बारे में चारी समिति की सिफारिश

*1089. **श्री रवि राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयला खानों के कार्य-संचालन के बारे में चारी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

कर ढांचे की जांच

*1090. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने देश में कर ढांचे विशेषकर कर ढांचे में संरचनात्मक सुधार की गुंजाइश की जांच कराने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) संस्थान के वित्तीय परामर्श-

दाता डा० एम० एच० गोपाल ने इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। परन्तु, ये उनके अपने निष्कर्ष हैं, संस्थान के नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम का लाभप्रद कार्यकरण

*1091. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यकरण अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) अधिक से अधिक मितव्ययता करने की आवश्यकता के प्रति जीवन बीमा निगम तथा सरकार दोनों ही सचेष्ट हैं। इसलिये, उस उद्देश्य की प्राप्ति के उपायों की बराबर समीक्षा होती रहती है।

औषधियों के अधिक मूल्य

*1092. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 मार्च, 1970 के "इकानामिक टाईम्स" में "औषधियों के अधिक मूल्यों के लिए सरकार दोषी है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि औषधियों के अधिक मूल्यों का एक कारण सरकार द्वारा औषधीय रसायनों के बहुत अधिक मूल्य निर्धारित किया जाना है;

(ग) क्या यह सच है कि तकनीकी विकास महानिदेशक ने दो विदेशी फर्मों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कई गुना अधिक मूल्यों पर औषधीय रसायनें बेचने की अनुमति दे दी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि एक सरकारी उपक्रम इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को टेट्रासाईसीन, हाइड्रोक्लोराइड, फेनासैटिन, विटामिन बी 1 और बी 2, फेनोबर्बीटोन, एमिडोपाइरीन, आदि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से 200 से 400 प्रतिशत अधिक मूल्यों पर बेचने की अनुमति दे दी गई है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो औषधीय रसायनों के मूल्य इतने अधिक निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक: जी नहीं। प्रजातीय नामों के अन्तर्गत बेचे जाने वाले फार्मास्यूटिकल रसायनों पर इस समय कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मकान बनाने सम्बन्धी सामग्री के निर्माण हेतु आवास परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

*1093. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री न० कु० सांधी :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने भारत की आवास सम्बन्धी समस्या के बारे में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री बर्के नैप से 21 मार्च, 1970 को बातचीत की थी;

(ख) क्या श्री नैप ने उनको यह आश्वासन दिया था कि विश्व बैंक भारत को मकान बनाने सम्बन्धी सामग्री का अधिक और सस्ता उत्पादन करने के लिए परियोजनायें स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) **और (ग)** विचार-विनिमय प्रारम्भिक प्रकार का था, तथा सहायता का आवश्यकता एवं व्याप्ति के बारे में और परामर्श किये जाने की आशा है । बैंक के आश्वासन तथा सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ कहना अतिशीघ्र होगा ।

सहकारी क्षेत्र में पोलिएस्टर तन्तु धागे बनाने के कारखाने की स्थापना

*1094. **श्री० स० मो० बनर्जी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की सहायता से सहकारी क्षेत्र में पौलिएस्टर तन्तु धागे का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के लिए तकनीकी जानकारी कहां से प्राप्त करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय पर पहुंचने से पूर्व सहकारी क्षेत्र द्वारा यह आधुनिकतम मिश्रित धागा तैयार करने तथा इसको उपयोग में लाने की व्यवहार्यता के बारे में पता लगाया है;

(घ) सरकार ने वर्तमान नाइलोन धागा कातने वालों को पोलिएस्टर तन्तु धागे का उत्पादन कर देने की अपनी नीति को, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होती है, क्यों बदला है; और

(ङ) सहकारी कारखानों में पोलिएस्टर तन्तु धागे की वर्तमान खपत कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) ।

(क) से (ग) पोलिस्टर तन्तु धागे के सहकारी उपभोक्ताओं के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में एक पोलिस्टर तन्तु धागा बनाने के संयंत्र की स्थापना के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है । ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है ।

(घ) यह पूर्णतया ठीक नहीं है। नायलोन धागे के मौजूदा निर्माताओं में से दो को व्यपवर्तन के अन्तर्गत पोलिस्टर तन्तु धागा उत्पादित करने की अनुमति है और उनका उत्पादन हो भी रहा है। तन्तु धागे की एक बड़े पैमाने पर क्षमता के लिये उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) सहकारी यूनिटों द्वारा पोलिस्टर तन्तु धागे की खपत के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो भी अनुमान है कि खपत बहुत ज्यादा नहीं है।

Use of Hindi in Nationalised Banks

*1095. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the nationalised banks have not switched over to the use of Hindi till now ;

(b) if so, the teasons therefor ;

(c) the time by which these banks are likely to do so ; and

(d) whether Government have issued or propose to issue any circular in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d) Government are alive to the need of encouraging the use of Hindi and of other regional languages in the day-to-day work of banks. Considerable progress has been made in this respect both in the Reserve Bank and in the State Bank of India. The recently nationalised banks also have been made aware of the importance of evolving a positive attitude to the language problcm, more specially because it is necessary to establiish a new kind of relationship between these banks and their customers. Government will stimulate, as far as possible, the use of Hindi and the regional language by these banks in their day-to-day transactions with the public. Merely issuing a circular will not be the best way of achieving this result. It is also not possible to set an arbitrary date line for the switch-over to Hindi.

ऐमोनिया, गंधक और फासफोरिक एसिड खरीदने के लिए ईरान के साथ करार

*1096, **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान से कितना-कितना और कितने मूल्य का तथा किस तारीख को एमोनिया, गंधक और फासफोरिक एसिड खरीदने का करार किया गया है और इस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ख) ईरान किस दर पर ऐमोनिया सप्लाई करने पर सहमत हुआ है और कुवैत से खरीदे जाने वाले ऐमोनिया की दर क्या है और कुवैत के साथ किस तारीख को करार किया गया था ;

(ग) दोनों दरों के बीच अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारत-ईरान सौदा जो आरम्भ में वस्तु विनिमय के आधार पर होता था उसके सम्बन्ध में क्या हुआ ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा ईरान से 1972-73 से लेकर 7 वर्षों की अवधि में 1

मिलियन मीटरी टन अमोनिया के आयात के लिये करार किये गये हैं। इंडियन फारमर्स फर्टिलाइर्जस काओपरेटिव लिमिटेड द्वारा ईरान से 1972-73 से लेकर 7 वर्षों की अवधि में 450,000 मीटरी टन फास्फोरिक एसिड के आयात के लिये एक करार किया गया है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। गन्धक के बारे में एस टी सी / एम एम टी सी ने सितम्बर, 1969 और फरवरी, 1970 में क्रमश: 20,000 मीटरी टन तथा 24,645 मीटरी टन के आयात के दो करार किये हैं। 30,000 मीटरी टन के लिये एक अतिरिक्त करार पर भी बातचीत हो रही है।

(ख) और (ग) : अमोनिया खरीदने के लिये कुवैत से अभी तक कोई करार नहीं किया गया है। चूंकि एक ओर भारतीय पक्षों तथा दूसरी ओर ईरानियन तथा कुवैती पक्षों के बीच करार अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं, इस समय मूल्य तथा अन्य ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

(घ) ईरान से अमोनिया के आयात का प्रस्ताव, जून, 1969 में भारत के प्रधान मंत्री तथा ईरान के शाह में हुये समझौते के अनुसार नियुक्त किये गये संयुक्त भारत-ईरानियन आयोग के संरक्षण के अन्तर्गत भारत तथा ईरान के बीच आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग के विस्तृत प्रबन्धों का एक अभिन्न अंग है।

KOLAR GOLD MINES

*1097. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that with the increase in capital outlay in Kolar Gold Mines, tho cost of production and the amount of loss have also been increasing;

(b) if so, the reasons therefor and the figures for the last three years in this respect; and

(c) the steps proposed to be taken to improve the position ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) The cost of production of gold in the Kolar Gold Mining Unde rtakings and the amount of loss during the last three years have been as under :

Year	Cost of Production per 10 gms.	Loss (In lakhs of Rupees)
	Rs.	
1967-68	199.60	306.65
1968-69	187.83	299.00
1969-70 (Revised Estimates)	202.53	352.00

At the time of take-over of the Undertakings by the Government of India on 1.12.1962 the Mines had already been exploited for well over 80 years. A few days before the take-over there was a major rock-burst which rendsred many ore-rich deposits unworkable. Since then, there have been other natural calamities like fires, flooding of the Mines and a series of rockbursts affecting production which occurred during 1962 and 1965 Tho grade of ore has also been on the decline. At the same time, the cost of production of gold has been rising due to increase in labour costs and cost of consumable materials essential for

production. The gold produced was and is still being taken over to Government stock at the International Monetary Fund price of shilling 35 an ounce fixed in 1934 and not at the market price. All these factors have contributed to the loss suffered by the Undertakings. The capital invested has, however, enabled the Undertakings to maintain the ore reserves and production, and to secure better working conditions in the Mines.

During 1968-69 there was some improvement in the cost of production as the year was comparatively free from factors hampering production and there was also a slight improvement in the grade of ore. The cost of production however, went up in 1969-70 due to the effect of the increase in dearness allowance sanctioned in September, 1968, general increase in the cost of consumable stores, recategorisation of certain workmen and short-fall in production due to prolonged periods of strikes etc.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

1. A scheme has been taken on hand to increase tbe production of Nundydroog Mine from about 20,000 tonnes to about 25,000 tonnes per month.
2. A scheme to reopen, in a phased manner, the ore-rich Northern Folds of the Champion Reef Mine which were closed in 1962 as a result of a severe rockburst and fires, has been taken in hand.
3. A similar scheme to re-open the ore-rich Southern Ore Body of the Champion Reef Mine has also been taken in hand.
4. The incentive bonus schemes of the Undertakings have been reviewed and revised so as to increase the productivity of labour.
5. Several schemes have been included in the Fourth Five Year Plan with a view to exploring and locating new reefs and improving working conditions in the Mine which would have an indirect effect on improving production, such as :—
   (1) Sinking and Development of Nos. 1,2 and 3 Shafts.
   (ii) Reorganisation of the Pumping Scheme and installation of Booster Compressors for working ends in Champion Reef Mine.
   (iii) Improvements in Ventilation in Nundydroog Mine.
   (iv) Development of the Kempinkote area and other zones in the Mysore Mine etc.
6. A Technical Committee has been appointed to examine mining techniques at present employed in the Mines and to suggest improvements with a view to achieving maximum production with minimum cost.

बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेपों के लिये सतह खनन योजना हेतु ठेका देना

*1098: **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेपों के लिये सतह खनन योजना के डिजाइन तथा इंजीनियरिंग कार्य का ठेका राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को दिया है जिस में कार्य का काफी भाग एक जापानी फर्म को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां तो क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने इस ठेके में से जापानी फर्म मैसर्ज नितेल्स को उप-ठेका दे दिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह उप-ठेका इस लिये दिया गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को अपेक्षित संख्या में ऐसे भारतीय इंजीनियर उपलब्ध नहीं हुए थे जिन्हें यह कार्य सौंपा जा सकता;

(घ) क्या ऐसे भारतीय इंजीनियर काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं जो सतह खनन तकनीक में विशेषज्ञ हो; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त सतह खनन कार्य एक जापानी फर्म को सौंपने के क्या कारण है जबकि भारतीय इंजीनियर बेरोजगारी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

एक औपचारिक समझौते के निष्पादन तक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को, वैलाडिला निक्षेप संख्या 5 के क्रशिंग, स्क्रीनिंग तथा लोडिंग संयंत्र के डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा परीक्षण चालन के लिये मुख्य भारतीय परामर्शदाता के रूप में उनकी नियुक्ति के संबंध में एक अभिप्राय पत्र जारी किया गया है । इन परामर्शदाता सेवाओं के लिये, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को जापानी कम्पनी मैसर्स नित्तेत्सु माइनिंग कन्सल्टेन्टस को अपने विदेशी परामर्शदाताओं के रूप में प्रतिधारण करने की अनुज्ञा दे दी गई है । क्योंकि इस विस्तार, जटिलता तथा कार्य पूरा किये के लिये समयावधि की दृष्टि से नाजुक स्थिति वाली प्रायोजना के लिये आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता तथा जानकारी किसी एक भारतीय पार्टी के पास उपलब्ध नहीं अत: जापान के साथ पहिले से की हुई वचनबद्धता के पालन की दृष्टि से इस प्रायोजना का समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है, अत: कार्य को केवल किसी भारतीय अधिकरण को सौंप कर कोई जोखिम उठाना संभव नहीं है । अध: स्थल खनन तकनीक में विशेषज्ञता के साथ भारतीय इंजीनियर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं परंतु राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम—नित्तेत्सु माइनिंग कन्सल्टेन्टस को सौंपा गया जो लौह अयस्क प्रसाधन तथा उसे उठाने-धरने के संयंत्र के डिजाइन, इंजीनियरिंग, स्थापित किया जाने तथा चालू किये जाने के अधीक्षण से संबंधित है । जापानी फर्म केवल उन विशेष क्षेत्रों में, आवश्यक तकनीकी सहायता देगी जिनमें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के पास इस जटिलता तथा विस्तार की प्रायोजना के लिये नवीनतम शिल्पवैज्ञानिक अपेक्षाओं के अनुसार डिजाइन तथा इंजीनियरिंग में आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है । भारत में अधिकांश कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा ही किया जायेगा । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिये 92 लाख रुपये के मूल्य के समझौते में से विदेशी मुद्रा का भाग केवल 19.4 लाख रुपये ही होगा ।

Working of Nationalised Banks

*1099. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are still some banks out of the nationalised banks which have not so far been able to run their business in conformity with and principles of nationalisation and no reconciliation has so far been made between their management and employees in respect of the bonus etc. ; and

(b) if so, the names of the said banks and the steps taken by Government to bring about improvement in the situation so that these banks work in the national interest ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) The nationalised banks have generally kept in view the objectives underlying the scheme of nationalisation. A detailed statement is laid on the Table of the House.

Statement

The immediate objectives of the nationalised banks are—(i) mobilisation of deposits on a massive scale in which a vigorous programme of branch expansion, particularly in the rural and hitherto unbanked centres would be an important instrument and (ii) provision of financial assistance to commercially viable productive endeavour of diverse kinds irrespective of the size and status of the borrower in all parts of the country and particularly in relatively undeveloped areas. The nationalised banks have kept these objectives in view. The aggregate deposits of the nationalised banks which stood at Rs. 2626.2 crores as on July 18, 1969 increased to Rs. 2786.5 crores at the end of January, 1970. In the same period, the nationalised banks opened 475 new branches of which 50 per cent are located in unbanked centres.

The nationalised banks have drawn up schemes for grant of loans to hitherto neglected sectors like small farmers, road transport operators, self-employed, small retailers, etc. During the period July 1969 and end of January 1970, the number of borrowal accounts of farmers, small scale industrial units, road-transport operators, small traders, self-employed persons and for purposes of education, went up from 2,02,730 to 3,93,431 approximately i.e., by more than 51.5 per cent. The amount outstanding in these accounts went up from about Rs. 202.11 crores to about Rs. 298.5 crores i.e., by Rs. 97.00 crores approximately during the same period.

As regards the payment of bonus which has been referred to by the Hon'ble Member, the quantum of bonus to be paid is being settled through bipartite negotiations between the management of the bank and the employees' union concerned, in accordance with the practice obtaining in the banking industry. Information available with Government shows that as on 11-4-1970 eight of the fourteen banks have settled the bonus payable for the year 1969. One bank has paid the minimum bonus of 4 per cent and will be deciding the final quantum shortly. In respect of 5 banks, bipartite negotiations between the concerned management and unions are going on and it is expected that the bonus will be settled shortly.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा राशियों पर ब्याज की दरों में वृद्धि

* 1100. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक जमा राशियों पर ब्याज की दर में ·5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक वृद्धि करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) ब्याज की दरों में इस पुनरीक्षण का विभिन्न प्रकार की जमा राशियों तथा बचत बैंक खातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या इस निर्णय के कारण अग्रिम राशियों पर ब्याज की दरों में वृद्धि करने के लिये अन्य बैंकों को अनुमति लेनी पड़ेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसका देश में अधिकांश व्यक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास 50 करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा हो उन बैंकों द्वारा तथा विदेशी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों (निर्यात के लिए दिये जाने वाले ऋणों को छोड़कर) पर देय ब्याज की वार्षिक अधिकतम दर रिजर्व बैंक द्वारा 9·5 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी और उक्त दर 21 जनवरी, 1970 तक लागू रही। चूंकि रिजर्व बैंक को ऐसा प्रतीत हुआ कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है और इस प्रयोजन के लिए बैंकों को रिजर्व बैंक से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ रहा है, इसलिए उसने बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की अधिकतम सीमा को 21 जनवरी 1970 से समाप्त कर देने को निर्णय किया ताकि ऋण लेने वालों को इन ऋणों के सम्बन्ध में पहले की अपेक्षा अधिक ब्याज देना पड़े और इस प्रकार अत्यधिक ऋण लेने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जा सके। अपेक्षाकृत बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की अधिकतम दर को समाप्त कर दिये जाने से और डाक-घरों में जमा की जाने वाली कुछ श्रेणियों की रकमों के सम्बन्ध में ब्याज की दर बढ़ा दिये जाने के कारण रिजर्व बैंक ने यह आवश्यक समझा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, उनके पास 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए सावधि जमा खातों में जमा रकमों पर देय ब्याज की दर, उस समय की प्रचलित दर से .25 प्रतिशत से लेकर ·5 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाय। रिजर्व बैंक ने, पहली अप्रैल 1970 से लागू होने वाली ब्याज की जो संशोधित दरें अधिसूचित की हैं उनका ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 32 43/70]

(ग) अनुमान है कि ब्याज की बढ़ी हुई दर के कारण, बैंकों में जमा होने वाली रकमों की वृद्धि की गति को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

(घ) चूंकि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों (निर्यातों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले ऋणों को छोड़कर जिनपर पहले से निर्धारित की गयी 6 प्रतिशत ब्याज की अधिकतम दर लागू होती रहेगी) के सम्बन्ध में इस समय ब्याज की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की दरों में वृद्धि करने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) बैंकों के पास अधिक मात्रा में रकमें जमा किये जाने की जरूरत और बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अधिक सावधानी बरतने की नीति की आवश्यकता जैसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने दीर्घावधिक जमा रकमों पर ब्याज की दर बढ़ाने का निर्णय किया है।

रिजर्व बैंक ने यह बात महसूस की कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में देय ब्याज की दर में यदि कुछ वृद्धि भी हो तो उससे वर्तमान संदर्भ में, अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि यह वृद्धि अर्थ-व्यवस्था के लिए लाभकारी ही सिद्ध होगी। फिर भी, रिजर्व बैंक स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा।

ओखला वाटर वर्क्स, दिल्ली का बन्द हो जाना

*1101. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला वाटर वर्क्स, दिल्ली को बन्द करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसा कब तक किया जायेगा ; और

(ग) क्या ओखला संयंत्र के बन्द हो जाने पर दक्षिण दिल्ली में पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में करने का प्रबन्ध कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) इस संयंत्र में पीने के लिये पानी देना बन्द करने का विचार है क्योंकि ओखला इण्टेक पर नदी में कच्चे पानी की क्विस्म सदा संतोषजनक नहीं होती और इसे शुद्ध करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। दिल्ली नगर निगम सितम्बर 1970 से ओखला से पानी लेना बन्द कर देगा ऐसी आशा है।

(ग) जी, हां।

अकाल मृत्यु को रोकने के लिए संगणकों की स्थापना

*1102 : **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हैल्थ' नामक पत्रिका में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कैलिफोर्निया पैसिफिक स्टेट हास्पिटल के पास एक संगणक है जो कि मृत्यु की पूर्व सूचना दे सकता है और कुछ मामलों में मृत्यु रोकने में डाक्टर की सहायता कर सकता हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में ऐसे संगणकों की स्थापना करने का है जिससे अकाल मृत्यु को रोका जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारत सरकार के ध्यान में यह समाचार नहीं आया है। वैसे, यह बात ज्ञात है कि अनेक विकसित देशों में रोगियों के गहन प्रबोधन के लिए संगणक, प्रबोधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) साधनों के अल्प मात्रा में उपलब्ध होने तथा हमारे यहाँ की आम बीमारियों के नियंत्रण, निवारण तथा उपचार पर अत्यावश्यक रूप से धन खर्च करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए अपने अस्पतालों में ऐसे संगणक रखने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

Raid on Residence of an Officer of U. P.

*1103. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minster of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in 'Hindustan' dated the 23rd January, 1970 to the effect that a raid was conducted at the Delhi residence of a very high official of Uttar Pradesh and a search was made for several hours and later, on making a search of the lockers of the couple kept in a local bank, costly ornaments worth lakhs of rupees, foreign currency, gold bricks weighing 1-95 Kgs. and cartridges were recovered ; and

(b) if so, the name, designation and the office address of the said official and the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No such news item has come to Governments notice. It appears, however, that the reference is to the searches conducted at Lucknow by the Central Bureau of Investigation in January, 1970 of the residence, office and lockers of an official of the Uttar Pradesh Government. No search was conducted at Delhi either by Central Bureau of investigation or by any agency under the Ministry of Finance of any officer of Uttar Pradesh Government.

(b) Since the case is still under investigation, it would not be desirable to disclose the name of the officer involved or other details of the case at this stage. The question of taking action will be considered in the light of the results of the investigations after they are completed.

लागोस को वहां की जनता को सहायता के लिए औषधियों का प्रेषण

*1104. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजोरिया संघ ने पृथक होने के युद्ध में पीड़ित पूर्वी नाइजोरिया के लोगों को आपात सहायता तथा पुनर्वास के नाइजोरिया संघ सरकार के कार्यक्रम में अंशदान के रूप में सरकार ने लागोस को औषधियों की एक खेप भेजी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भेजी गई अथवा संभवतः भेजी जाने वाली औषधियों का मूल्य लगभग कितना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : **(क) और (ख)** : नाइजोरिया में महिलाओं तथा शिशुओं को आपात सहायता के लिए भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को 3,75,000 रुपये का एक विशेष अंशदान नकद दिया है। जुलाई 1968 में भी भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने जेनेवा को अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास के माध्यम से नाइजोरिया में युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए पट्टियां, विटामिन की गोलियां, औषधियां आदि भेजी थीं। अक्तूबर 1968 में 5000 रुपये की औषधियां, पट्टियां तथा अन्य औषध सामग्री नाइजोरिया में वितरित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास, जेनेवा को भेजी गई थी। फरवरी, 1969 में नाइजोरिया में रहने वाले भारतीयों ने युद्ध के कारण शरणार्थी हुये लोगों के पुनर्वास के लिए लागोस में स्थित भारतीय उच्चायुक्त के माध्यम से 25000 रुपये का दान दिया।

ब्रिटेन से ऋण

*1105. **श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न करारों के अन्तर्गत, अब तक ब्रिटेन द्वारा भारत को, रुपयों में, कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया, ; और

(ख) उनकी शर्तें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) और (ख)** : ब्रिटेन से प्राप्त होने वाले सभी ऋण पौंड में वापस किये जाते हैं, 1958 से अर्थात् जब से ये ऋण मिलने शुरू हुए हैं, तब से लेकर अब तक ब्रिटेन से कुल 4190 लाख पौंड के ऋण प्राप्त हुए हैं । वर्तमान सरकारी विनिमय दर के अनुसार यह राशि 754.20 करोड़ रुपये के बराबर बैठती है ।

ब्रिटेन द्वारा दूसरी आयोजना के दौरान दिये गये ऋण 7 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि में चुकाये जाने हैं । इस अवधि में 5 से 7 वर्ष तक की रियायती अवधि भी शामिल है। केवल पहले ऋण को छोड़कर, जिसकी रियायती अवधि 5 वर्ष की थी, तीसरी आयोजना में तथा उसके बाद दिये गये सभी ऋणों को 25 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है ।

अक्टूबर 1965 तक दिये गये ऋणों के ब्याज की दर ब्रिटेन की सरकार द्वारा उतनी ही अवधियों के लिये लिये जाने वालें ऋणों के ब्याज की दर से जुड़ी होती थी । किन्तु इन ऋणों में से अप्रैल, 1963 के बाद दिये गये ऋणों पर प्रथम 7 वर्षों तक कोई ब्याज नहीं लगता और इस प्रकार ब्याज की प्रभावी औसत दर लगभग 6.5 प्रतिशत से घट कर 3.5 प्रतिशत हो जाती है । अब ब्रिटेन द्वारा 20 अक्टूबर, 1965 से मंजूर किये जाने वाले सभी ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता ।

बर्मा में बीमा पालिसीधारियों के रिकार्ड

*1106. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा में बीमा पालिसीधारियों के रिकार्ड अब भारत में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन रिकार्डों में उन भारतीयों के रिकार्ड भी शामिल हैं जो जनवरी, 1970 में रंगून से भारत आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों के दावों का निपटारा न करने के क्या कारण हैं जो वर्ष 1970 से भी पहले भारत आ चुके हैं ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) पालिसियों के रिकार्ड और आरक्षित निधि के अन्तरण के लिये बर्मा के विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्राधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता होती है। इन रिकार्डों और / अथवा आरक्षित निधि के अभाव में, बर्मा से प्रत्यागमित व्यक्तियों के दावों का भुगतान करना सम्भव नहीं हो सका है।

सोना तथा कलाई की घड़ियां पकड़ा जाना

*1107. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेतुवाई की सकरी खाड़ी के निकट 10 जनवरी, 1969 को एम० बी० अनवर से 40,000 तोला सोना तथा 4998 कलाई की घड़ियां पकड़ी थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि पोत का नाम, निषिद्ध वस्तुओं का विवरण, वस्तुओं की मात्रा, निषिद्ध वस्तुओं का मूल्य और टिंडल का नाम उस रिपोर्ट से भिन्न हैं जो कि इस तिथि को उक्त वस्तुएं बरामद करने से पहले डी० आर० आई० 1 फार्म में राजस्व आसूचना निदेशालय को भेजी गई थी ;

(ग) क्या 11 जनवरी, 1969 को राजस्व आसूचना निदेशालय को डी० आर० आई० 2 फार्म में किसी रिपोर्ट में सीमा शुल्क कलक्टर की ओर से मुख्य निरीक्षक ने कहा था कि ये वस्तुएं पहले भेजी गई रिपोर्ट में दी गई सूचना के परिणाम स्वरूप पकड़ी गयी थीं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस असंगति के बारे में जांच करने तथा इसके प्रयोजन का पता लगाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) जिस जलयान से माल पकड़ा गया उसका नाम, उस नाम से भिन्न था जो पकड़ने से पहले राजस्व गुप्त-सूचना निदेशालय को भेजी गयी रिपोर्ट में बताया गया था।

निषिद्ध माल की मात्रा और मूल्य तथा टिंडेल का नाम—सूचना में नहीं बताये गये थे। जहां तक ब्यौरों का सम्बन्ध है, सूचना में बताया गया था कि सोने का तस्कर आयात होगा और वास्तव में, पकड़े गये माल का अधिकांश मूल्य सोने का ही था। इसके अलावा, घड़ियां भी पकडी गयी हैं जो सूचना में नहीं बताई गई थीं।

(ग) जी हां।

(घ) मामले की जांच पहले ही की जा चुकी है। सूचना में और पकड़े गये मामले में अन्तर जलयान के नाम का है, परन्तु संदिग्ध जलयान के प्रत्याशित आगमन का समय, तारीख और स्थान के सम्बन्ध में सूचना काफी ब्यौरेवार थी।

विक्रेताओं द्वारा पर्यटकों से डीजल मिश्रित पेट्रोल का अधिक मूल्य लेना

*1108. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा देश के अन्य भागों में विक्रेताओं द्वारा विदेशी पर्यटकों को डीजल मिश्रित पेट्रोल बेचा जा रहा है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उनके द्वारा लिया जाने वाला मूल्य प्रचलित फुटकर मूल्य से बिल्कुल भिन्न होता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

वित्त प्रदान करने वाली गैर-सरकारी एजेन्सियों पर रिजर्व बैंक द्वारा रोक लगाया जाना

*1109. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अप्रैल, के 'हिन्दू' समाचार-पत्र में प्रकाशित मैसूर राज्य के वित्त मन्त्री के इस वक्तव्य के प्रसंग में, कि रिजर्व बैंक गैर-सरकारी एजेन्सियों की ब्याज की दर पर, जो 18 प्रतिशत तक है, रोक लगाने पर विचार कर रहा है, उनका मन्त्रालय गैर-सरकारी ऋणदाताओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज की वर्तमान दरें बतायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने पता लगाया है कि ब्याज की ऊंची दरों का आधार ऋणों की सुरक्षा है अथवा ऋणदाताओं के पास धन का अभाव है ;

(ग) ऋणों को सुरक्षित बनाने हेतु काश्तकारी को बन्धक रखने की व्यवस्था करने वाला विधेयक न बनाये जाने के क्या कारण हैं जिससे कि ऋण लेने वाली अधिकांश ग्रामीण जनता को लाभ पहुंच सके ; और

(घ) ऋण की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने के लिये ऋणदाताओं की ऐसी सहकारी समितियों के गठित न किये जाने के क्या कारण हैं, जिनके द्वारा लिये जाने वाली ब्याज की दरों के बारे में नियम हों ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा जमा रकमों पर जिन दरों पर ब्याज देने की पेशकश की जाती है वे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती हैं। 5 अप्रैल, 1970 के 'हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार मैसूर के वित्त मन्त्री ने 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की दरों पर ब्याज देने वाली जिन गैर-सरकारी वित्तीय अभिकरणों का उल्लेख किया है, सम्भवत: वे कुछ ऐसी भागीदारी फर्में हैं जो अपने आपको वित्तीय निगम बताती है और जो मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में लगभग पिछले एक वर्ष की अवधि में ही अस्तित्व में आई हैं। बताया जाता है कि वे 24 प्रतिशत तक की ऊंची दरों पर रुपया उधार देती हैं।

(ख) चूंकि उधार देने का मामला एक राज्य-विषय है इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) कई राज्य सरकारों ने पहले ही ऐसे कानून पारित कर रखे हैं जिनसे सरकारी रेकार्डों में दर्ज किसान संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी जमीन बन्धक रख सकते हैं। भूमि सुधार

के सम्बन्ध में आयोजित मुख्य मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन ने भी यह सिफारिश की थी कि अन्य राज्यों को भी इस प्रकार के कानून पारित करने चाहिए।

(घ) चूंकि सरकार की नीति, सहकारी ऋण अभिकरणों और अन्य संस्थागत ऋण अभिकरणों का विकास करने की है जो साहुकारों का स्थान ले सकें, इसलिए साहुकारों की सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन देने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

मैसर्स जे० बी० मंघाराम एण्ड संस द्वारा ग्वालियर में एक बैंक की स्थापना

*1110. **श्री क० ना० तिवारी :** **श्री शशि भूषण :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्वालियर में एक जे० बी० मंघाराम बिस्कुट फैक्ट्री है और उसका अपना बैंक है और बैंक के मालिक जमाकर्ताओं का धन लौटा नहीं रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वहां पर प्रति दिन आत्महत्यायें हो रही हैं क्योंकि निर्धन लोग गाढ़े पसीने से कमाये अपने धन को इस बैंक से वापस नहीं ले पा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बैंक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) ग्वालियर स्थित मेसर्स जे० बी० मंघाराम ऐण्ड कम्पनी जो कि एक भागीदारी फर्म है और मिठाइयां बनाने का काम करती है लोगों से रुपया भी लेती थी और लोगों को उनके रुपये के बदले हुंडियां अथवा मीयादी जमा रसीदें देती थी। जुलाई, 1969 में यह सूचना मिली थी कि इन जमा रकमों में से कुल मिलाकर लगभग 140 लाख रुपये की रकमें वापसी-योग्य हो गयीं थीं और 600 रुपये तक की रकमें वापसी के लिए निश्चित तारीखों को पूर्णतः नकदी के रूप में वापस की जा रहीं थी और 600 से अधिक रुपये की रकमों का 10 प्रतिशत तक भाग नकदी के रूप में चुकाया जा रहा था और बाकी रकम अगले 12 महीनों की अवधि के लिये नये तौर पर जमा रखी जा रही थीं।

(ख) यह बताया गया था कि फर्म अपने भागीदारों की पारस्परिक फूट तथा पैसे की कमी के कारण अपने जमाकर्ताओं के दावों को पूर्णतः पूरा नहीं कर रहीं थी।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) ये देनदारियां दीवानी संविदाओं के स्वरूप की हैं और कानूनी अधिकार प्राप्त न होने के कारण रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार देय रकमों की अदायगी करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

Cases of Cataract Diseases

*6651. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the causes for widespread eye diseases in the country as it is often seen

that the persons of more than 50 years of age become short sighted and the cases of cataract are on the increase ;

(b) the names of the Eye-Hospitals in the contry where treatments of all types of eye-diseases is done and the number of persons, who have benefited from the said hospitals during the last three years ; and

(c) the number of persons, who have been operated for corneal grafting and the number of such cases proved successful during the last three years and the names of the places in the country where eye banks have been set up ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Pianning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The main causes of eye diseases in the Country are Trachoma, Keratomalacia and malnutrition, Small-pox, Galucoma, Cataract, Ulcers and general diseases which affect the eye also such as diabetes, high blood pressure, etc. On the basis of the sample surveys conducted by the National Society for the Prevention of Blindness in rural and urban populations in and around Delhi, it was found that cases of Cataract were prevalent in the age groups of 31 and abovc. Surveys made on yearly basis in the same areas do not reveal that the percentage of population suffering from cataract has increased. No country-wide statistics are available.

(b) A list of various eye hopsitals in the Country where treatment of all types of eye diseases is done is laid on the Table of the Sabha (Annexure I). Information about the number of persons who have benefited from these Hospitals during the last 3 years is not available. (Placed in the Library See No. L.T. 3234-70).

(c) Information about the number of persons operated for corneal grafting and the number of successful cases during the last three years is not available. At Dr. Rajindra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, so far 280 operations of corneal transplantation have been performed since its inception in the year 1965 out of which 205 operations were successful. A list of Eye Banks in India is laid on the Table of the Sabha (Annexure II).

(Placed in the Library See No. L.T. 3234-70).

न्यू अशोक हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली

6652. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 34, कमला नगर म्युनिसिपल फ्लेट्स में स्थित न्यू अशोक हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसायटी (प्राइवेट) लिमिटेड को शाहदरा क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसको कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है और भूमि किस जगह आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त सोसायटी अपने अंशधारियों के लिए प्लाटों और अन्य सुविधाओं की कब से व्यवस्था करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) सोसाइटी को शाहदरा क्षेत्र में 14 एकड़ भूमि की पेशकश इस शर्त पर

की गई है कि अन्य सोसाइटियों को जिन्होंने पहले ही प्रीमियम अदा कर दी है, उन्हें स्थान देने के बाद ही इसको भूमि आवंटित की जाएगी। भूमि की स्थिति (लोकेशन) का निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) सामान्यता, सोसाइटियों को भूमि के विकास के लिए उनको इसके वस्तुतः दखल दिये जाने के बाद तीन वर्ष का समय दिया जाता है। क्योंकि सोसाइटी को अभी भूमि नहीं दी गई है, हिस्सेदारों को प्लाटों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

चौथी योजना के दौरान भिलाई क्षेत्र में अधिक रासायनिक तत्वों की उपलब्धि

6653. **श्री दे० वि० सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के फलस्वरूप योजना के अन्त तक भिलाई क्षेत्र में बैन्जले फिनौल, नैफथालीन तथा टोस कोलतार आदि जैसे रसायनिक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा इस समय उक्त क्षेत्र में इनमें से प्रत्येक तत्व की वार्षिक उपलब्धता कितनी है; और

(ग) इन रासायनिक तत्वों को समुचित उपयोग करने के लिये उक्त क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्यागों का ब्यौरा क्या है तथा इन पदार्थों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा रंगून में हीरों की नीलामी

6654. **श्री बाबू राव पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के उस शिष्ट मंडल के उन सदस्यों के नाम क्या हैं, जो हीरों आदि की नीलामी के लिये रंगून गया था;

(ख) इस नीलामी में बिके बहुमूल्य तथा कम मूल्य के हीरों की मात्रा तथा मूल्य कितना था; और

(ग) गत तीन वर्षों से भारतीय हीरे, कीमती पत्थर तथा कम मूल्य के पत्थरों की मात्रा तथा मूल्य कितना है और प्रत्येक से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) 1—श्री ए० एस० नायर, निदेशक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ... (नेता)

2—श्री जे० पी० पद्मनाथ अय्यर, सचिव, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ... सदस्य

3—श्री जय कृष्ण, हीरा विक्रय अधिकारी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ... सदस्य

4—श्री विमल चन्द सुराना, साझेदार, मैसर्स भूरामल राजमल सुराना, जयपुर। ... सदस्य

5—श्री राजेन्द्र कुमार ए० शाह, मैसर्स राजेन्द्र कुमार ए० शाह, बम्बई। ... सदस्य

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रतिनिधिमंडल के रंगून में ठहरने की अवधि के दौरान हुई नीलामी में बेचे गये जेड, तराशे तथा बिना तराशे माणिक्य, नीलम और अन्य मूल्यवान एवं अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों का मूल्य लगभग 14,28,000 अमरीकी डालर था।

(ग) शून्य।

राज्यों में गर्भपात के मामले

6655. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गत वर्षों में प्रति वर्ष प्राकृतिक तथा उत्प्रेरित गर्भपात के कितने मामले किये गये;

(ख) उत्प्रेरित गर्भपात के कारण राज्यवार कुल कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में डाक्टरों की लापरवाही के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो प्राप्त हुई शिकायतों तथा उनके सम्बन्धित डाक्टरों की राज्यवार संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) गर्भपात को वैध कब बनाया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) प्राकृतिक या उत्प्रेरित किए गए गर्भपातों की संख्या के बारे में देश भर के आंकड़ों का हिसाब अथवा संकलन नहीं किया जाता है। फिर भी, गर्भपात पर शान्ति लाल शाह समिति ने कुछ अनुमानों के आधार पर 50 करोड़ जनसंख्या पीछे 65 लाख गर्भपातों, 26 लाख प्राकृतिक और 39 लाख उत्प्रेरित, का अनुमान लगाया है।

(ख) उत्प्रेरित गर्भपात के कारण होने वाली मौतों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 312 के चिकित्सकीय प्रतिबन्धों के अन्तर्गत गर्भपात अभी भी वैध है। कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत गर्भपात को उदार बनाने सम्बन्धी एक चिकित्सकीय गर्भान्ति विधेयक राज्य सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और इसे अब संसद की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है।

भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी करारों में संशोधन

6656. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ब्रे० कृ० दासचौधरी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी धन राशि जमा की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि श्री शान्ति लाल शाह की अध्यक्षता में गठित तेल मूल्य जांच समिति ने इन एक तरफा लाभ देने वाले करारों में, जिनके अधीन हम अत्यधिक ठगे गये हैं, संशोधन करने की जोरदार सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो नये करार कब किये जायेंगे; और

(घ) गत तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में, कच्चे तेलों की सप्लाई की अभी हाल ही में संशोधित की गई दरों से होने वाली बचत में कितना वार्षिक अन्तर होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1967, 1968 और 1969 के दौरान तीन विदेशी तेल कम्पनियों ने निम्नलिखित धन राशियां जमा की :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

वर्ष	मैसर्स बर्मा-शैल (रिफाइनिंग)	मैसर्श बर्मा-शैल (मार्किटिंग)	मैसर्स एस्सो स्टैन्डर्ड रि-फाइनिंग कं० (रिफाइनिंग)	मैसर्स एस्सो (मार्किटिंग)	मैसर्स कालटैक्स (रिफाइनिंग)	मैसर्स कालटैक्स (मार्किटिंग)
1967	901	3400	1715	471	979	230
1968	523	2899	2297	579	1757	96
1969	466	3810	2087	486	1288	44

(ख) **और** (ग) श्री शान्ति लाल शाह की अध्यक्षता में तेल मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) कम्पनियों ने प्रविष्ट (Posted) मूल्यों पर निम्न प्रकार का बट्टा दिया :

1.1.66 से 30.4.68	38 सैन्टस
1.5.68 से 31.7.69/31.8.69	41 सैन्टस
1.8.69/1.9.69 से 31. 1. 70	44 सैन्टस
1.2.70 के आगे	51 सैन्टस

31.8.69 के बट्टे के मुकाबले फरवरी 70 में 10 सैन्टस के अतिरिक्त बट्टे के आधारों पर लगभग 5.44 करोड़ रुपये की बचत होगी।

भारत में स्वयं तेल शोधक कारखाने की स्थापना के बारे में पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री का वक्तव्य

6657. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि भारत अगले पांच वर्षों में स्वयं तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की स्थिति में हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) देश में अभी तक स्थापित प्रत्येक तेल शोधक कारखानों में, इस समय कितने प्रतिशत विदेशी साज-सामान लगा हुआ है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) शोधन कारखाने स्थापित करने में इंजिनीयर्स इन्डिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त/प्राप्त किये जा रहे अनुभव से, यह संस्थान प्रोसैस डिजाइन, विस्तृत इन्जीनियरिंग उपकरण प्राप्ति तथा निर्माण देख रेख आदि तकनीकी सेवाएं देने के योग्य हो जायेगा । पैट्रोलियम के भारतीय संस्थान, जो एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, ने प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर ली है या कर रहा है । भविष्य में विदेशों से केवल स्वाम्य जानकारी खरीदने की जरूरत पड़ेगी जिस पर अगले शोधन कारखाने के लिये कुल विदेशी मुद्रा व्यय स्थापित लागत का लगभग 3 प्रतिशत होगा । भारतीय इन्जीनिरिंग योग्यताओं के विकास तथा आयात प्रतिस्थापन में वृद्धि होने के फलस्वरूप, पैट्रोलियम शोधक कारखाने के लिए अपेक्षित कुल उपकरणों के मूल्य में 40 प्रतिशत के आयात की आजकल जरूरत है । इस समय पम्प, काम्प्रैशर्स, पाइप तथा पाइप फिटिंगज आदि आयात किये जाने वाले मदों के देश में निर्माण करने के लिए उठाये जा रहे अतिरिक्त कदमों से यह पूर्वानुमान है कि शोधन कारखाने के लिये कुछ आवश्यक उपकरणों के मूल्य में यह प्रतिशतता घट कर 20 प्रतिशत रह जायेगी ।

(ग) देश में अब तक स्थापित किये गये शोधन कारखानों में विदेशी पुर्जों की प्रतिशतता निम्नप्रकार है :—

संख्या	शोधन कारखाने का नाम	परियोजना लागत करोड़ रुपयों में	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में लगभग विदेशी मुद्रा आवश्यकता	टिप्पणि
1.	बर्मा शैल, ट्राम्बे	26	50	यथा उपलब्ध सूचना पर आधारित आंकडे
2.	एस्सो, ट्राम्बे	18.5	50	–वही–
3.	कालटैक्स, विशाखापत्तनम	14.5	60	–वही–
4.	आई० ओ० सी, गोहाटी	17.43	36.9	

5.	आई० ओ० सी० बरौनी			
	(क) 2 मिलियन मीटरी टन	47.3	37.5	
	(ख) 3 मिलियन मीटरी टन तक (विस्तार)	2.8	30.4	
6.	आई० ओ० सी०, गुजरात			
	(क) 2 मिलियन मीटरी टन	25.7	33.3	
	(ख) 3 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार	2.9	38.1	
	(ग) यूडैक्स यूनिट	2.7	46.3 "(35.3)	
7.	कोचीन रिफाइनरी	28.25	65 "(53)	
8.	मद्रास रिफाइनरी	44.8	37 "(27.4)	
9.	लूब इंडिया लि०	18.2	46 "(35)	
10.	हल्दिया रिफाइनरी	72	29 "(18.8)	ये अनुमानित आंकड़े है क्योंकि परियोजना अभी मुकम्मल होनी है।

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े अवमूल्यन से पूर्व विनिमय दर अर्थात 1 डालर = 4.75रुपये के आधार पर परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा आवश्यकता के सूचक हैं)

भारत में तट के पास तेल निकालने के कार्य में धीमी प्रगति

6658. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों की तुलना में, भारत में तट के पास तेल निकालने का कार्य बड़ी ही धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके तट के पास तेल निकालने की कार्य प्रणाली का हमारे इन्जीनियरों ने अध्ययन किया है; और

(घ) क्या यह सच है कि इंगलैण्ड में तट के पास तेल निकालने का कार्य बड़ा ही सफल रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रूस, इटली और ईरान।

(घ) इंगलैण्ड के तट से दूर, उत्तरी सागर में व्यधन से व्यापारिक मात्राओं में गैस मिली है।

Spread of 'Elephantiasis' in the country

6659. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the causes for the spread of 'elephantiasis' in the country and the number of persons who fell prey to that disease during the last 3 years ; and

(b) whether Government have made any special arrangements to check the incidence of this disease and the names of the hospitals in the country in which special arrangements for the treatment of this disease exists as also the locations of those hospitals.

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning, and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Filariasis commonly called 'Elephantiasis' is spread by vector mosquitoes (Culex fatigans/mansonioides species) from man to man by carry over of the filaria germs (microfilaria). The causes of the spread are the resultants of inter-action between the agent (filarial worm/microfilaria), host, i. e. human-being and environment-physical environment namely hot/humid climate, biological environment promoting the prevalence of the vector species of mosquitoes and the social environment namely migration of population, urbanisation, industrialisation and socio-economic conditions.

The information regarding number of persons who fell prey to the disease during the last 3 years is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(b) The Central Government has been operating the National Filaria Control Programme since 1955 for the prevention of the spread of filariasis. Under the Programme, the carrier mosquitoes are being controlled by recurrent antilarval measures using oil as a larvicide in 67 cities and towns situated in different endemic States.

The information regarding the names of the hospitals in which the special arrangements for the treatment of this disease exist as also the places where they are located is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

नासिक, जल गांव और अहमद नगर (महाराष्ट्र) जिलों में बाढ़ के लिये सहायता

6660. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 सितम्बर, 1969 को महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव और अहमदनगर जिलों में बाढ़ आने के कारण बड़े पैमाने पर सम्पत्ति नष्ट हुई थी;

(ख) क्या क्षति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उक्त क्षेत्रों में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था;

(ग) प्रतिनिधिमंडल के क्या निष्कर्ष हैं; और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को अभी फिर से बसाना है; और

(ङ) 9 सितम्बर 1969 को आई बाढ़ के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राहत कार्य के लिये कितनी सहायता दी ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : जी हां ।

(ग) केन्द्रीय दल ने, बाढ़ के कारण आवश्यक राहत, पुनर्वास और मरम्मत आदि के लिए किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन से, खर्च की निम्नलिखित उच्चत्तम सीमाओं की सिफारिश की है :

(करोड़ रुपयों में)

(i) राहत कार्य (जिनमें नि:शुल्क सहायता लोक-स्वास्थ्य और पशु-स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय और आवास-अनुदान भी शामिल है) ;	1.42
(ii) मकान बनाने, कृषि तकावी और गांवों को अन्य जगहों पर बसाने के लिए ऋण	3.58
(iii) सड़कों और सिंचाई के लिए नहर-नालों आदि की मरम्मत	0.50
	5.50

सरकार ने खर्च की इन उच्चतम सीमाओं को स्वीकार कर लिया है ।

(घ) राज्य सरकार से सूचना मिली है कि, राहत-कार्य चल रहे हैं ।

(ङ) अभी तक राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है । किये गये खर्च के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी सूचना के आधार पर सहायता दी जायगी ।

Allotment of Government Accomodation to Central Government Employees in East Nimar

*6661. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the category-wise number of those Central Government employees in East Nimar District of Madhya Pradesh who have not so far been allotted Government quarters ; and

(b) the period for which an employee has to wait for the allotment of a Government quarter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning, and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) There is no general pool accommodation in East Nimar District of Madhya Pradesh and as such no statistical data is available with the Directorate of Estates in regard to the number of those Central Government employees in East Nimar District who have not so far been allotted Government quarters. It is the policy of Government to construct general pool accommodation only at places where there are a good number of Central Government offices, subject to the availability of resources. At present there is no proposal under consideration for construction of general pool residential accommodation in East Nimar District.

Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh

6662. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are many towns and cities in Madhya Pradesh where no branches of banks exist at present ;

(b) if so, the names and number of such towns/cities ; and

(c) the steps taken by Government to provide bank facilities in the said towns/

cities and the number of those out of them where the said facility is likely to be made available during 1970-71?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) So far 123 centres have been identifed as un-banked towns or places in the Madhya Pradesh. These comprise 'towns' as defined in the 1961 Census; treasury/sub-treasury centres and places identifed in the course of survey as un-banked, but requiring banking facilities in view of their potential for development. The name of such towns are indicated in the statement attached. More centres requiring banking facilities are likely to be identified in the course of survey to be conducted by the 'Lead Banks' to whom the districts of Madhya Pradesh have been allotted under the Lead Bank' scheme.

(Placed in the Library. See LT No. 3235/70).

(c) The Reserve Bank of India has asked commercial banks to open offices at all these 123 centres ; the offices are expected to be opened by the end of 1970.

दिल्ली नगर निगम द्वारा श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क कालोनी को अपने अधिकार में लिया जाना

†6663. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर आयोजक ने 12 फरवरी, 1963 के अपने पत्र संख्या टीपी 2/63/4574 के माध्यम से बताया है कि कोलोनाइजर को निगम द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार समूचे क्षेत्र का विकास करना चाहिये। चूंकि कोलोनाइजर ने कालोनी के एक भाग में सेवाओं की व्यवस्था कर दी थी तो उस क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति दे दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम ने यह सूचना कैसे दी है कि "कोलोनाइजर ने निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सेवाओं तथा सड़कों आदि की व्यवस्था नहीं की है"; और

(ग) मुकर्जी पार्क के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) कोलोनाइजर ने निर्माण कार्य के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार कोलोनी के केवल एक ही भाग में सेवायें पूरी कर दी थी, जहां पर भवन निर्माण किये जाने की छूट थी। परन्तु कालोनी के एक बड़े भाग में कोलोनाइजर ने निर्धारित मानकों के अनुसार सेवाओं की व्यवस्था नहीं की।

(ग) दिल्ली नगर निगम की एक सूचना के अनुसार निगम के सम्बन्धित सेवा विभागों से निर्माण स्थल पर किये गये कार्य की जांच करने तथा कमियों का अनुमान लगाने को कहा गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर कोलोनाइजर को कमियों के बारे में सूचना दे दी जायगी। इन सेवाओं में हुई कमियों को या तो कोलोनाइजर को दूर करना होगा या उसे कमियों को दूर करने के लिये खर्चा देना पड़ेगा ताकि सेवाओं की व्यवस्था अपेक्षित मानकों के अनुसार की जा सके।

वायर लैस सेटों का व्यापार करने वाली एक फर्म द्वारा उत्पादन शुल्क की चोरी

6664. **श्री लतीफ अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायरलैस सेटों का व्यापार करने वाली दिल्ली की एक फर्म ने लगभग 92000 रुपये के केन्द्रीय उत्पादन कर की चोरी की है; और

(ख) यदि हां, तो उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी हां। रेडियो (वायरलैस रिसिविंग सेटों) का व्यापार करने वाली दिल्ली की इस कम्पनी ने कुल 1,20,800 रुपये के शुल्क का अपवंचन किया था।

(ख) इस कम्पनी के खिलाफ इस जुर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले का अब न्यायनिर्णय हो चुका है जिसमें क्रमश: 92,490 रुपये, 27,900 रुपये तथा 500 रुपये की तीनों मांगों की पुष्टि की गई है।

दिल्ली में उत्पादन शुल्क निर्धारण के मामलों की संख्या

6665. **श्री लतीफ अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा कलेक्ट्रेट में 1 मार्च, 1970 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अस्थायी निर्धारण के मामलों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) ये अस्थायी निर्धारण किस किस तारीख को किये गये थे; और

(ग) अस्थायी निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 2190.

(ख) मार्च 1968 से।

(ग) किसी अनन्तिम शुल्क निर्धारण को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए कोई कानूनी मियाद निर्धारित नहीं है। लेकिन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किये गये कार्यकारी आदेशों के अधीन अनन्तिम शुल्क निर्धारण के सामान्य मामलों को तीन महीने की अवधि के अन्दर और अन्य प्रकार के मामलों को छः महीने की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये। किसी खास मामले से सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

ज्यामितीय औजार बक्सों तथा रंग बक्सों के धातु के बक्सों पर उत्पादन शुल्क

6666. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : **श्री बाल्मीकी चौधरी** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्टेशनर्स एशोशियेशन से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि शिक्षा से सम्बन्धित मदों जैसे ज्यामितीय औजार बक्सों तथा रंग बक्सों को धातु के

बक्सों पर लगाये गये नये उत्पादन शुल्क से छूट दे दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

6667. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी (निदेशक के पद) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं ;

(ख) क्या सतर्कता विभाग इन आरोपों की जांच कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

मैथाडिस्ट इन्टरमीजियेट गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद के कुछ व्यक्तियों को अमरीका से धन प्राप्ति

6668. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में मैथाडिस्ट इन्टरमीजिएट कालेज की कुमारी एस० सिन्हा तथा कुमारी चंचा जोशी को अमरीका से धन तथा कुछ अन्य वस्तुयें सीधे प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अमरीका से धन आदि किस उद्देश्य के लिये मिलता है ;

(ग) क्या बैंक में उनकी जमा राशि उनको कालेज से मिलने वाले वेतन से अधिक है; और

(घ) क्या उन्होंने अपनी ज्ञात तथा अज्ञात आय पर आयकर का भुगतान किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मैथाडिस्ट इन्टरमीजियेट गर्ल्स कालिज, मुरादाबाद की कुमारी एस० सिन्हा और कुमारी चंचा जोशी को अमरीका से सीधे ही कोई धन तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त होती है।

(ख) से (घ) ये सवाल नहीं उठते।

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में कर्मचारियों के लिये मकान

6669. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर में केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के औद्योगिक तथा

गैर-आद्योगिक कर्मचारियों को 'कर्मगार' मानने के लिये इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ताकि उनको औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकानों में रहने का हकदार बनाया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3952 के 15 दिसम्बर, 1969 को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

बिना तराशे हुए हीरे के आयात के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जर्मनी के साथ करार

6670. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 5 लाख रुपये के मूल्य के बिना तराशे हीरों के आयात के लिये जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक (जी० डी० आर०) के साथ अभी हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) क्या जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के पास हीरों की कोई खान नहीं है ;

(ग) क्या कुछ अफ्रीकी देशों को विश्व भर में हीरों के अधिकतम उत्पाद करने का श्रेय प्राप्त है तथा वे अपने हीरों को लन्दन में एक केन्द्रीय विक्रय ऐजेन्सी को बेचते हैं जो कि सारे विश्व में वास्तविक उपभोक्ताओं को हीरों की बिक्री को नियंत्रित करती है ;

(घ) क्या लन्दन की उक्त केन्द्रीय विक्रय ऐजेन्सी हीरों के बारे में द्विव-पाक्षिक करारों के पक्ष में नहीं है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ उक्त करार करने से पूर्व इन तथ्यों पर विचार कर लिया है ताकि भविष्य में जब हम उपरोक्त (ग) भाग में वर्णित लन्दन की उक्त केन्द्रीय विक्रय ऐजेन्सी से हीरों का क्रय करना चाहे तो कठिनाई उत्पन्न न हो ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। 4,63,657/–रुपयों के मूल्य के बिना तराशे हुए हीरों का आयात करने के लिये समझौता है।

(ख) जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अपनी कोई हीरा खानें नही बताई जाती हैं।

(ग) बर्मा, भारत, लेटिन अमरीका, अफ्रीका सहित संसार के कई भागों में हीरे उत्पादित किये जाते हैं। ऐसा मालूम है कि उत्पादन केन्द्रीय विक्रय एजेन्सी, लण्डन सहित कई अभिकरणों को हीरे बेचते हैं।

(घ) कई अन्तर्राष्ट्रीय हीरा कम्पनियों में से केन्द्रीय विक्रय एजेन्सी, लण्डन एक है और तीसरे दलों के मध्य द्विवपक्षी मामलों पर टीका-टिप्पणी नहीं करती।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद

6671. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कर्मचारियों को अग्रेतर कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटिड के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जा रही दरों पर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं । इस मामले पर प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच एक विवाद पैदा हो गया । इस विवाद को दिल्ली प्रशासन द्वारा जनवरी, 1967 में इंडस्ट्रीयल ट्रीब्यूनल को अधिनिर्णय के लिए भेज दिया गया । ट्रीब्यूनल के अवार्ड के बाद, मामला हाई कोर्ट में ले जाया गया था जिसने हाल ही में विवाद को ट्रीब्यूनल को वापिस भेजने का निर्णय दिया है । क्योंकि मामला न्यायाधीन है, कोई दुतरफा बातचीत नहीं हुई है।

विभिन्न मंत्रालयों में प्रवेश के लिये भारतीय तेल निगम के अधिकारियों को प्रवेश पत्र देना

6672. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड के केवल कुछ ही व्यक्तियों को सरकारी काम से मंत्रालयों में दाखिल होने के लिये प्रवेश पत्र दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन में से अधिकांश अधिकारी बम्बई में हैं ; तथा इनके कनिष्ठ अधिकारियों को नियमित प्रवेश पत्र न होने के कारण मंत्रालयों में जाने तथा अधिकारियों से मिलने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) भारतीय तेल निगम द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के लिये 12 प्रवेश पत्र दिये गये हैं । उनका वितरण भारतीय तेल निगम की सलाह के अनुसार किया गया है । 12 प्रवेश पत्रों में से, 11 प्रवेश पत्र दिल्ली में नियुक्त अधिकारियों को दिये गये हैं । नियमित प्रवेश पत्र के न होने से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अल्प अवधियों के लिये प्रवेश पत्र स्वागत कक्ष से प्राप्त किये जा सकते हैं । भारतीय तेल निगम से प्रवेश पत्रों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्रेणी एक के आय कर अधिकारियों की भर्ती

6673. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी एक के आयकर अधिकारियों की सीधी भर्ती की तुलना में श्रेणी दो से श्रेणी एक के आय-कर अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) पिछली बार श्रेणी दो के आय-कर अधिकारियों की श्रेणी एक के आय-कर अधिकारियों के रूप में किस तिथि को पदोन्नत किया गया था ; और

(ग) उसके बाद उन्हें पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि श्रेणी एक में सीधी भर्ती प्रति वर्ष की जाती रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आय-कर अधिकारी, श्रेणी—I में पदोन्नतियों का प्रतिशत अनुपात 33 प्रतिशत है और सीधी भरती का 66 प्रतिशत।

(ख) श्रेणी—II के आयकर अधिकारियों की श्रेणी—I में पिछली पदोन्नतियां 1-1-66 से की गयी थीं।

(ग) 1965-66 में सीधी भरती वाले अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील और एक रिट याचिका दायर की गयी थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया गया कि श्रेणी–II के आयकर अधिकारियों की श्रेणी–I के आयकर अधिकारियों के पदों में तरक्कियां निर्धारित संख्या से अधिक हो गयी थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे का फैसला फरवरी 1967 में दिया और सरकार को आदेश दिया कि वह 1951 से 1956 तक की अवधि और उसके बाद की भरती को निर्धारित प्रतिशत संख्या नियम के अनुसार समायोजित करके एक नयी वरिष्ठता सूची तैयार करे। संशोधित वरिष्ठता सूची जुलाई 1968 में जारी की गयी थी। समायोजन के कारण, श्रेणी—I के 154 कनिष्ठतम स्थानापन्न आय-कर अधिकारी (विभागीय पदोन्नति प्राप्त अधिकारी) निर्धारित प्रतिशत संख्या से अधिक पाये गये और उन्हें भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों में खपा लेने के लिये छोड़ दिया गया था। पदोन्नत 51 अधिकारियों का 1968 तथा 1969 में की गयी सीधी भरती में अब तक समायोजन किया जा चुका है और शेष 103 अधिकारियों का अभी समायोजन होना बाकी है। सर्वोच्च न्यायालय में 1966 में निर्णय के लिये पड़ी अपील / रिट याचिका को देखते हुए, उस वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के परमादेश के कार्यान्वयन से मामले में और विलम्ब हुआ। संशोधित वरिष्ठता सूची के जारी करने के बाद निर्धारित संख्या से अधिक पदोन्नतियों का पता लग जाने से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक तब तक नहीं बुलाई जा सकती जब तक अतिरिक्त पदोन्नत अधिकारी खप नहीं जाते।

मेरठ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6674. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैरठ के तीन उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्वर्णकारों से 1500 रुपये लेने के बारे में शिकायत करने वाले व्यक्ति ने निरीक्षक की उक्त मामले में तीसरा अधिकारी होने की पहचान कर ली थी और उसने मार्च, 1968 में कानपुर में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टर को इसकी सूचना भेज दी थी और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अधिकारी की शिकायतकर्ता तथा उसके गवाहों द्वारा शिनाख्त नहीं करायी गई थी, जैसा कि पहले अन्य दो अभियुक्त अधिकारियों के मामले में किया गया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह इंसपेक्टर अब भी मेरठ में नियुक्त है हालांकि मेरठ स्वर्णकार संघ ने इसके तबादले की अनेक बार मांग की है क्योंकि वह शिकायतकर्ता तथा उसके गवाहों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मेरठ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के तीन कर्मचारियों के खिलाफ स्वर्ण-संघ मेरठ से तारीख 19-1-1968 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आरम्भिक जांच करने पर दो कर्मचारियों की शिनाख्त हो गई। उसके बाद मामले को जांच-पड़ताल के लिये विशेष पुलिस संस्थापन को सौंपा गया। मामले को विशेष पुलिस संस्थापन के सुपुर्द करने के बाद एक स्थानीय स्वर्णकार से एक शिकायत भी प्राप्त हुई, जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के तीन कर्मचारियों के नामों का उल्लेख था और इस शिकायत को आवश्यक कार्यवाही के लिये विशेष पुलिस संस्थापन को भेज दिया गया।

(ख) शिकायत जांच-पड़ताल के लिये विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दी गयी थी, इसलिये तीसरे अधिकारी की शिनाख्त के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(ग) विशेष पुलिस संस्थापन की सलाह के आधार पर सम्बन्धित निरीक्षक को अब मेरठ से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के विदेशी बैंकों में खाता

† 6675. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदा नन्द :
श्री सूरज भान :
श्री शिव चन्द्र झा

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सभा में यह स्वीकार किया था कि प्रधान मन्त्री का एक विदेशी बैंक में खाता है;

(ख) यदि हां, तो किस देश में और उन्होंने **उस** लेखे में कितना धन जमा किया हुआ है;

(ग) प्रधान मन्त्री ने विदेश में बैंक में खाता खोलने के क्या विशेष कारण बताये है;

(घ) सरकार ने उनको यह लेखा खोलने की अनुमति क्यों दी है; और

(ङ) केन्द्र के उन अन्य मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिनके विदेशों में खाते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) पंडित जवाहर लाल नेहरु ने अपनी पुस्तकों के प्रकाशन से मिले स्वामित्व में से 1000 पौंड की धनराशि श्रीमती इंदिरा गांधी को दी जिससे उन्होंने लन्दन के एक बैंक में 18 दिसम्बर, 1947 को एक खाता खोला। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक आफ इंडिया की मंजूरी से वह खाता बराबर बनाये रखा गया। यह खाता पहले ही बन्द किया जा सकता था परन्तु उनके लड़के शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गये तथा श्रीमती गांधी यूनेस्को के प्रबन्धक बोर्ड की सदस्या भी निर्वाचित कर ली गई थी।

बाद में उन्होंने अपने खाते में 50 पौंड वार्षिक रखने की रिजर्व बैंक से अनुमति ले ली ताकि यूनेस्को प्रबन्धक बोर्ड की बैठकों में उपस्थित हो तो वहां पर उस खाते से पैसा लेकर खर्च कर सके। वैसे अब यह खाता बन्द कर दिया गया है तथा बकाया रकम भारत के उनके खाते में जमा कर दी गयी है।

(ङ) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विदेशों में रखे गये खातों के बारे में प्रतिवर्ष सूचना तैयार की जाती है। ऐसे खाते धारियों द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार 31 दिसम्बर, 1968, को केन्द्र के अन्य मन्त्रियों में से केवल पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री डा० कर्ण सिंह का विदेशों में खाता था।

डेरियस अशोधित तेल की कीमत के बारे में नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के साथ हुए हमारे करार में पवितर्न

6676. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में तेल समवायों को इस बात के लिये प्रेरित किया है कि वे अधाजरी अशोधित तेल के प्रत्येक ढोल की कीमत 1.28 डालर से अधिक न दें;

(ख) क्या रुस्तम अशोधित तेल को अधाजरी अशोधित तेल से घटिया माना जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत प्रति ढोल 5-7 सैंट कम होती है।

(ग) क्या डेरियस अशोधित तेल में गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण, इसे रुस्तम अशोधित तेल से घटिया माना जाता है और इसलिये इसकी कीमत प्रति ढोल 1.18 डालर से अधिक नहीं होनी चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के साथ हुए करार में परिवर्तन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी, जिसके अन्तर्गत हमें डेरियस अशोधित तेल के प्रत्येक ढोल के लिये निर्धारित कीमत से लगभग 1.35 डालर अधिक कीमत देनी पड़ती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रोस्तम अशोधित तेल के लक्षण अभी स्थिर किये जाने हैं और इसलिये आगाजारी या डेरियस अशोधित तेल के साथ इस समय तुलना करना संभव नहीं है। किसी अशोधित तेल का मूल्य निश्चित करने के लिये सल्फर की मात्रा ही केवल मात्र कसौटी नही है। अशोधित तेल के सभी गुण, संभाव्य उत्पादन और उत्पादों के मूल्य, अशोधित तेल को साफ करने वाले शोधन कारखाने का रूपांकन आदि अन्य आवश्यक आर्थिक तथ्य हैं जो अशोधित तेल का मूल्य निर्धारित करते हैं।

(घ) डेरियस अशोधित तेल की सप्लाई के मौजूदा करार में संशोधन करने के बारे में बातचीत करने के लिये भारत सरकार का एक दल तेहरान जा चुका है।

भारत में टेट्रासाइक्लीन का अमरीकी फर्मों द्वारा विभिन्न शाखा नामों के अन्तर्गत बेचा जाना

6677. **श्री शशि भूषण :** **श्री रामवतार शर्मा :**
श्री वृज राज सिंह : **श्री आत्म दास :**
श्री राम गोपाल शाल वाले :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका के मैसर्स चास फीजर अमरीकन सीआनेसिड और मैसर्स ब्रिस्टल मेयर्स पर टट्रा-टट्रासाईक्लीन और अन्य औषधियों को बहुत अधिक मूल्यों पर बेचने के लिये फरवरी, 1969 में एक अमरीकी न्यायालय द्वारा भारी जुर्माना किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है, कि इनमें से कुछ कम्पनिया विभिन्न ब्रांड नामों के अन्तर्गत भारत में टेट्रासाइक्लीन बेच रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो भारत में ब्रांड नामों के अन्तर्गत टेट्रासाइक्लीन बेचने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ;

(घ) फरवरी, 1969 के बाद इन फर्मों ने टेट्रासाइक्लीन तथा अन्य औषधियों के मूल्यों में कितनी कमी की है ; और

(ङ) यदि उन्होंने मूल्यों में कमी नहीं की है, तो सरकार ने इन निर्माताओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) वर्ष 1953-66 की अवधि के दौरान एकरूप स्तर पर कुछ एण्टीबायोटिक्स के मूल्यों को बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं से अधिक दाम लेने पर, अमरीका में लागू एण्टी-ट्रस्ट लास का उल्लंघन करने के कारण, कुछ अमरीकी फर्मों को, जिनमें मैसर्स चासफीज़र, मैसर्स अमरीकन सीआनेसिड और मैसर्स ब्रिस्टल मेयर्स शामिल हैं, दोषी ठहराया गया था।

(ख) जी हां ।

(ग) अपने अपने अमरीकी सहयोगियों से तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से भारत में काम कर रही उन फर्मों के नाम, जो भारत में विभिन्न मार्कों से टेट्रासाइक्लीन बेचती हैं, निम्न प्रकार हैं :—

(1) मैसर्स फीज़र, लि०, चण्डीगढ़

(2) मैसर्स सीआनेमिड (इण्डिया) लि०, बम्बई

(3) मैसर्स सायनबायोटिक्स लि०, बरौदा

इनके अतिरिक्त भारत में कई और फर्में भी हैं, जो टेट्रा-साइक्लीनज की दवाइयां विभिन्न मार्कों से बेचती हैं। परन्तु ऐसी सारी दवाइयों की पूरी सूची देना कठिन है ।

(घ) फरवरी, 1969 के बाद मैसर्स फीज़रस ने टेट्रा-साइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड के मूल्यों को 1147 रुपये प्रति किलो से 850 रुपये प्रति किलो तक घटाया है । फरवरी, 1969 के बाद

टेट्रा-साइक्लीन के किसी अन्य उत्पादनकर्ता ने मूल्य को कम नहीं किया है। फरवरी, 1969 के बाद अन्य किसी आवश्यक प्रचुर औषधी के मूल्यों में कमी नहीं हुई है।

(ङ) सरकार इन फर्मों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती है क्योंकि अमरीका के एण्टी ट्रस्ट लास जैसे कानून इस देश में नहीं हैं। परन्तु सरकार औषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। टैरिफ आयोग ने मूल्य-ढ़ांचे तथा औषध एवं भेषज के उचित विक्रय मूल्यों का अध्ययन किया है और इसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट बिचाराधीन है और सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

दिल्ली के फिल्म वितरकों पर बकाया आयकर

6678. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन किन फिल्म वितरकों पर इस समय आयकर की 50,000 से अधिक राशि बकाया है ;

(ख) उसे वसूल करने के लिये अब तक सरकार क्या कार्यवाही करती रही है और पूरी बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ; और

(ग) दिल्ली के उन फिल्म वितरकों के नाम क्या हैं जो दिल्ली में सबसे अधिक आयकर देते हैं और गत तीन वर्षों में उनकी आय कितनी आंकी गई थी और प्रत्येक मामले में कितने कर का भुगतान किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोई नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली के जिन फिल्म वितरकों ने गत तीन वर्षों में अधिकतम आयकर की अदायगी की है, उनके नाम तथा अन्य विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इन विवरणों का पता लगाया जायगा तथा उन्हें यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

फिल्म उद्योग में आय कर का अपवंचन करने वाले व्यक्ति

6679. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : **श्री जुगल मंडल** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग में आयकर का अपवंचन करने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 (मार्च, 1970 तक) में आय कर विभाग द्वारा मुकदमें चलाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में सजा दी गई, कितने मामलों में समझौता किया गया और कितने मामले बिना सजा के खारिज कर दिये गये; और

(ग) इस समय चल रहे मुकदमों में आय-कर बकाया की कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1967-68 से 1969-70 तक के तीन वर्षों में आयकर विभाग द्वारा तीन फिल्म सितारों के विरुद्ध आय छिपाने के सम्बन्ध में इस्तागासे की कार्यवाहियां शुरू की गई थीं।

(ख) अभी तीनों मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) इन तीनों फिल्म सितारों की ओर 31-3-1970 को 25,86,757 रु० बकाया थे।

बम्बई में एक तस्करी के मामले में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप

6680. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान बिहार के वर्तमान राज्यपाल, महाराष्ट्र मन्त्रिमंडल के एक मन्त्री तथा केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के एक भूतपूर्व मन्त्री के विरुद्ध बम्बई के एक कुख्यात तस्कर के साथ सम्बन्धित होने के आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में प्रारम्भिक जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो तस्करी को रोकने के लिये सीमा शुल्क विभाग को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : सरकार का ध्यान इस आशय के आरोपों की ओर दिलाया गया है कि बिहार के वर्त्तमान राज्यपाल ने एक प्रमाण-पत्र दिया था जिसमें उन्होंने बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट देने की सिफारिश की थी, और महाराष्ट्र के मन्त्रिमंडल-स्तर के एक मन्त्री तथा केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के एक भूतपूर्व मन्त्री ने ऐसे प्रमाण-पत्र दिये थे जिनमें उन्होंने उक्त हाज़ी मस्तान मिर्ज़ा को, सामाजिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से टेलीफोन मंजूर करने की सिफारिश की थी। मामले की जांच की जा रही है। इस समय हाजी मस्तान मिर्जा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के अधीन एक मामले में अभियुक्त के तौर पर हिरासत में है।

(घ) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्त्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापारी होने का सन्देह है, उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो, उनकी तलाशी लेना और समुद्रतट तथा स्थल सीमाओं पर सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात तथा निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिये, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सीमा-शुल्क समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के अतिरिक्त समाहर्ता के ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्यरूप से तस्कर-आयात निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये तैनात किया गया है। इन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

टेलीविजन सेटों पर उत्पादन शुल्क

6681. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री जय सिंह** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन सेटों पर प्रस्तावित 20 प्रतिशत उत्पादन शुल्क से

देश में तैयार किये गये टेलीविजन सेटों का मूल्य 2450 रुपये से बढ़कर 2868 रुपये हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे ग्राहक देसी टेलीविजन सेट नहीं खरीदना चाहेंगे और इसके परिणामस्वरूप इन टेलीविजन सेटों के देश में निर्माण को धक्का लगेगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रस्तावित 20 प्रतिशत के शुल्क को वापस लेने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। लेकिन 20 प्रतिशत के इस प्रस्तावित शुल्क के कारण, स्वदेश में जोड़े गये टेलीविजन सेटों के मूल्य 2,450 रुपये से बढ़कर केवल 2,819 तक जा सकते हैं। स्वदेश में टेलीवीजन सेटों का निर्माण, ऐसे सेटों की पूरी मांग की पूर्ति के लिए काफी नहीं है और इसलिए उत्पादन शुल्क से सेटों के निर्माण कार्य में अवरोध पैदा होने सम्बन्धी धारणा समय-पूर्व ही कहलायगी।

(ग) और (घ) : यह शुल्क, संसद में विचाराधीन वित्त विधेयक में निहित बजट प्रस्तावों का एक अंग है और उस विधेयक पर संसद में अभी भी विचार किया जा रहा है। ऐसी हालत में प्रश्न के इन भागों के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को हुआ लाभ अथवा हानि

6682. **श्री दे० अमाता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक केन्द्रीय उपक्रम को 1969-70 में कितना लाभ या हानि हुई या कितना लाभ अथवा हानि होने का अनुमान है और पिछले वर्ष में हुई हानि लाभ की तुलना में ये आंकड़े कम हैं अथवा अधिक; रेलवे तथा डाक-तार विभाग को छोड़कर ;

(ख) रेलवे तथा डाक-तार विभाग को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों को इन वर्षों में कुल कितनी हानि या लाभ हुआ ; और

(ग) प्रत्येक मामले में हानि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें चालू सरकारी उपक्रमों को 1968-69 (लेखा परीक्षित) और 1969-70 (अनुमानित) के दौरान हुए लाभ और हानि का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3236/70]

(ख) 1968-69 के दौरान कुल मिलाकर 26.87 करोड़ रुपये की हानि हुई और अनुमान है 1969-70 में 31.70 करोड़ रुपये की हानि होगी।

(ग) 1968-69 में 61 चालू कम्पनियों में से 26 कम्पनियों को हानि हुई थी जबकि, 1969-70 में 67 चालू कम्पनियों में से 31 कम्पनियों को हानि होने का अनुमान है।

उद्यमों को हानि होने के मुख्य कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

हानि के मुख्य कारण	उपक्रम जिन्हें हानि हुई
1. प्रारम्भिक कठिनाइयों की अवधि का लम्बा हो जाना	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, माईनिंग ऐण्ड एलाईट मशीनरी कारपोरेशन लि०
2. आधारभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं पर भारी पूंजी परिव्यय	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
3. क्षमता का कम उपयोग	हिन्दुस्तान स्टील लि०, प्रागा टूल्स लि०, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०, इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, नेशनल प्राजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०, नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रकशन कारपोरेशत लि०, और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
4. उत्पादन लागत में वृद्धि	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, हिन्दुस्तान स्टील लि०, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया (नंगल और सिंदरी) लि०,
5. उत्पादन का स्थिर न होना	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, माइनिंग ऐण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, इण्डियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लि०
6. उत्पादन के प्रारम्भिक वर्ष	त्रिवेनी स्ट्रकचरल्स लि०, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, मद्रास रिफाइनरीज लि०, सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
7. निर्यात से हानि	नेशनल मिनरल्स डवेलपमेंट कारपोरेशन लि०, मिनरल्स ऐण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०
8. यातायात से आय में कमी	सेण्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लि०
9. श्रम-समस्याएं	पूर्वी भारत में कई सरकारी उपक्रम लगातार श्रम-सम्बन्धी कठिनाइयों से प्रभावित रहे जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल और/या धीरे काम करो की प्रवृत्तियों से श्रम घण्टों की हानि हुई।

मद्रास स्थित शल्यक्रिया उपकरण कारखानों में उपकरणों का निर्माण

6683. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री गु० च० नायक :
श्री घी० ना० देव :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित शल्य क्रिया उपकरण कारखाना उपकरणों का निर्माण नहीं कर सकता, परन्तु वह छोटे उद्योग-पतियों से खरीद कर इन्हें अपने उपकरणों के रूप में बेचता है ;

(ख) क्या इस कारखाने के महाप्रबन्धक के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हैं कि वह अपने पद का उपयोग अपनी सुविधा के लिये कर रहा है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में एक पत्रिका का व्यापक रूप से परिचालन किया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या उत्पादन बढाने के लिये आवश्यक कर्मचारियों के उत्साह, अनुशासन आदि की स्थिति सामान्य रूप से बिगड़ गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :(क) जी नहीं । परन्तु कभी कभी टैण्डर की हानि से बचने के विचार से, कारखाने के उत्पाद मिश्र में असम्मिलित कई मदों को शामिल करते हुए समिश्र (मिली-जुली) कोटेशनस देनी पडती हैं । ऐसे उपकरणों की मात्राओं को ध्यान में रखते हुए इनका कारखाने में विकास/उत्पादन लाभप्रद न होगा अत : उन उपकरणों की क्वालिटी (गुण), विशिष्टियों आदि के बारे में सन्तोष प्राप्त करने के बाद उन्हें प्राप्त किया जाता है और कारखाने द्वारा निर्मित प्रचुर उपकरणों के साथ उन्हें बेचा जाता है । शल्य क्रिया-उपकरणों के विक्रय में यह एक सामान्य पद्धति है क्योंकि कोई कारखाना भी सभी सर्जनों द्वारा अपेक्षित सारे उपकरणों का निर्माण नहीं कर सकता है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । सरकार को ऐसे किसी इश्तियहार की जानकारी नहीं है ।

(घ) निर्धारित क्षमता की तुलना में कारखाने का उत्पादन मुख्यता, आर्डरों की कमी के कारण कम रहा है । स्थिति में अब सुधार हो रहा है । इससे श्रमिकों के उत्साह पर स्वभाविकता कुप्रभाव पड़ा है लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि उत्साह और अनुशासन में गम्भीर रुप से गिरावट आई है ।

औद्योगिक कारखानों पर करों का प्रभाव

6684. **श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई मशीनें तथा संयंत्र लगाने वाले औद्योगिक कारखानों में 1970-71 से उनके लाभ पर अधिक कर लिया जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष से विकास छूट की दरों में कमी होने के कारण ऐसा हो रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसका औद्योगिक कारखानों के विस्तार कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसी क्या कार्य वाही करने का है जिससे उद्योगों के विस्तार पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ने पाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम के एक वर्तमान उपबन्ध के अनुसार 1-4-1970 के बाद लगायी गयी मशीनरी अथवा संयंत्र के सम्बन्ध में विकास छूट की दर, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में 35 प्रतिशत कम हो कर 25 प्रतिशत रह जायगी और अन्य उद्योगों के मामले में 20 प्रतिशत कम होकर कर 15 प्रतिशत रह जायगी।

विकास छूट की दरों में कमी कर देने से 31-3-1970 के बाद जो कारखाने 31-3-1970 के बाद नई मशीनरी और संयंत्र लगायेंगे उनके कर दायित्व में, कुछ प्रारम्भिक वर्षों के लिए, अब तक की प्रवर्तमान स्थिति के मुकाबले, वृद्धि हो जायगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत अल्मोनियम कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष

6685. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से भारत अल्मोनियम कम्पनी लिमिटेड में कोई प्रबन्ध निदेशक अथवा अध्यक्ष नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कम्पनी कितनी अवधि से इन अधिकारियों के बिना कार्य कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) भारतीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक का पद मई 1968 से तथा अध्यक्ष का पद अगस्त 1969 से रिक्त है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक एवं-अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिये सरकारी उपक्रम ब्यूरो द्वारा बनाई गई सूची में से चुने हुए नामों सहित कई नामों पर विचार किया गया है और अन्तिम चयन अभी नहीं किया गया है। इस समय तक निदेशकों में से एक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक के सभी कृत्यों का पालन करते आ रहा है।

जापान जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमन्डल के सामान की तलाशी

6686. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ की बैठक में भाग लेने जा रहे हमारे सरकारी प्रतिनिधिमन्डल के सामान की पालम हवाई अड्डे पर जांच पड़ताल के बारे में सीमाशुल्क तथा विशेष पुलिस संस्थान से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री सत्य नारायण सिंह से भी पालम हवाई अड्डे पर सामान की तलाशी लिये जाने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त हुए अभ्यावेदनों और रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च 1970 के बम्बई साप्ताहिक पत्र "करैंट" में

प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उस सामान में जिसे पत्रों के रूप में स्टाम्प किया गया था, वास्तव में काफी विदेशी वस्तुए थीं; और

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का सार क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ) संचार मन्त्री के नेतृत्व में एक सरकारी शिष्टमन्डल ने टोकियो में हुए विश्व डाक संघ के सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें 8 अधिकारी एक दुभाषिया तथा दो आशुलिपिक थे। ऐसे सम्मेलनों में प्रचलित प्रथा के अनुसार शिष्टमंडलों को उपहार लेने और देने होते हैं। तदनुसार भारतीय शिष्टमंडल को भी ऐसे उपहार प्राप्त हुये थे। जैसा कि ऐसे सम्मेलनों में होता है, बहुत सारे कागज़ और फाइलें इकट्ठी हो गई थीं। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा प्राप्त उपहारों सहित ये सभी कागज़ और फाइलें 53 डाकथैलों में पैक कर के, शिष्टमंडल के विभिन्न सदस्यों के पतों पर भेज दिये गये। ये थैले यात्रियों के साथ नहीं बल्कि बाद में प्राप्त हुए थे। इन थैलों के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, इन्हें विदेश डाक घर, नई दिल्ली को भेज दिया गया जहां सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की गई। इन थैलों में से 18 थैलों में सरकारी फाइलें और कागज़ात भरे हुये थे और बाकी थैलों में भरी हुई वस्तुएं अधिकांशतः, शिष्टमंडल के नौ सदस्यों, दो आशुलिपिकों तथा एक दुभाषिये को दिये गये उपहार और स्मारिकाएं थीं। इन डाक थैलों में भरी हुई शुल्क लगने योग्य वस्तुओं का कुल मूल्य केवल 4,286 रुपये निर्धारित किया गया था। इनमें से जो शुल्क लगने योग्य वस्तुएं, संचार मन्त्री के डाक थैले में भरी थीं उनका मूल्य 471 रुपये था और इन सभी वस्तुओं को मन्त्री की इच्छानुसार तोपखाने में जमा करा दिया गया था। शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों के थैलों में भरी हुई वस्तुओं पर 100 प्रतिशत की दर से 3815 रुपये का शुल्क अदा किया गया।

इनके अलावा, भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य कुछ और वस्तुएं भी साथ लाए थे जो उनकी वापसी यात्रा में उनके साथ लाये गये असबाब के रूप में थीं। जैसा कि सभी यात्रियों के मामले में आम तौर पर किया जाता है, ये वस्तुएं सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मौखिक घोषणा लेकर छोड़ दी गईं। केवल तीन व्यक्तियों के मामले में ही 2208 रुपये के शुल्क की वसूली की गई क्योंकि उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं का मूल्य, बिना शुल्क दिये लाये जा सकने वाले सामान के मूल्य से अधिक था। अन्य नौ व्यक्तियों के मामले में, जिनमें मन्त्री भी शामिल हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता था क्योंकि उनके द्वारा लाया गया असबाब स्वीकार्य सीमा के भीतर था।

भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों के असबाब के सम्बन्ध में, वित्त मन्त्रालय को सीमाशुल्क विभाग, दिल्ली से और गृह मन्त्रालय को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में संचार तथा सूचना एवं प्रसारण मन्त्री, श्री सत्यनारायण सिन्हा से भी पत्र प्राप्त हुये हैं। सरकार ने 14 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह से सम्बन्धित 'करेंट' नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट देख ली है। ऊपर बताए गए तथ्यों के अलावा, 'करेंट' साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित लेख में दिए गए अन्य विवरण सही नहीं है।

जस्ता प्रद्रावक कर्मचारी संघ, उदयपुर द्वारा अभ्यावेदन

6687. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को जस्ता प्रद्रावक कर्मचारी संघ, उदयपुर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या इसमें कम्पनी के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कुप्रबन्ध के आरोप थे; और

(घ) क्या अभ्यावेदन में उल्लिखित आरोपो की कोई जांच की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, की जस्ता प्रद्रावक कर्मचारी यूनियन से, जो कि एक अमान्यता प्राप्त यूनियन है, हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के संयंत्रों में उत्पादन और कम्पनी की गाड़ियों के दुरुपयोग आदि जैसे कुछ आरोपों/वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां थीं।

प्रबन्धकों तथा सरकार द्वारा संयंत्रों की कार्य निष्पन्नता पर निरन्तर पुनरावलोकन किया जा रहा है। जहां तक अन्य आरोपों का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं कि यदि कम्पनी की लेखा परीक्षा के दौरान इनमें से किसी की भी परिपुष्टि हुई तो समुचित कार्रवाई की जायेगी।

हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन का विस्तार कार्यक्रम

6688. **श्री स० बरुआ :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन का विस्तार कार्यक्रम 1 वर्ष से अधिक समय से रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या देश में एल्युमिनियम की अत्यधिक कमी को देखते हुये सरकार इस मामले पर विचार करने तथा विस्तार कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन को उनके रेणुकूट एल्युमिनियम प्रद्रावक के विस्तार के लिए (60,000 से 1,20,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष) दिये गये लाइसेन्स के अनुसार उन्हें 5 जून, 1968 तक "प्रभावी कदम" उठाने थे। इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि औद्योगिक उपक्रमों के पंजीकरण तथा अनुज्ञप्तिकरण नियम, 1952 के अधीन कम्पनी ने, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है, क्या वास्तव में "प्रभावी कदम" उठाये थे, और अन्य बातों के साथ साथ एल्युमिनियम की मांग तथा पूर्ति की स्थिति को विचार में रखते हुये प्रद्रावक के विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय जल्द ही लिया जायेगा।

एल्युमिनियम की कमी

6689. **श्री रा० बरुआ :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्युमिनियम के उत्पादन में काफी कमी हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में एल्युमिनियम की खपत और इसकी उपलब्धता संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) देश में इसके मुख्य उत्पादकों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या अल्युमिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एल्युमिनियम की वर्तमान मांग और उत्पादन का अनुमान क्रमश: 205,000 तथा 162,300 मैट्रिक टन है ।

(ग) देश में, स्थापना स्थलों सहित, एल्युमिनियम उत्पादक एककों के ब्यौरे नीचे उपदर्शित किये गये है :—

क्रम सं० प्रद्रावक का स्थापना स्थल	**वर्तमान स्थापित क्षमता** (मैट्रिक टन प्रति वर्ष)
1—इन्डियन एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।	
(1) अलबेई (केरल)	15,850
(2) हीराकुड (उड़ीसा)	20,000
(3) बेलगाम (मैसूर)	30,000
	(अक्टूबर 1969 में चालू किया गया) ।
2—मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी, कोयम्बटूर ।	
मेत्तुर (मद्रास)	14,000
3—एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता ।	
असनसोल (पश्चिम बंगाल)	9,000
4—हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, बम्बई ।	
रेणुकूट (उत्तर प्रदेश)	75,000
	163,850

(घ) जी, हां । बढ़ती हुई मांग की दीर्घावधि आधार पर पूर्ति करने की दृष्टि से 309, 500 मैट्रिक टन प्रति वर्ष तक की अतिरिक्त क्षमता (सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष 150,000 मैट्रिक टन सहित) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पहिले ही अनुज्ञप्त की जा चुकी है या "अधिप्राय पत्रों" के अन्तर्गत आती है ।

छोटे उद्योग पतियों को ऋण देना

6690. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद भी छोटे उद्योगपतियों को शीघ्रता से तथा आसान शर्तों पर ऋण नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उन छोटे उद्योगपतियों को ऋण नहीं दिया जाता है जिनके कारखाने किराये की इमारतों में हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छोटे उद्योगपतियों के लिये ऋण सुविधाओं को आसन बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जून, 1969 और जनवरी, 1970 के बीच, वित्तपोषित छोटे पैमाने के उद्योग-एककों की संख्या तथा ऋण की वर्तमान सीमा बढ़कर क्रमश: 50,850 से 66,268 और 525.11 करोड़ रुपये से 652.19 करोड़ रुपया हो गयी अर्थात् उनमें क्रमश: 30·3 प्रतिशत और 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है कि वे छोटे पैमाने के उद्योग जैसे क्षेत्रों को अधिक ऋण दें। बैंक अब, दी जाने वाली प्रतिभूति के स्वरूप और सीमा की अपेक्षा, ऋण के प्रयोजन, प्रायोजना की आर्थिक सक्षमता तथा तकनीकी व्यवहार्यता और ऋण लेने वाले के चरित्र तथा इमानदारी पर अधिक जोर देते हैं। सरकारी क्षेत्र के बहुत से बैंकों ने उन शिल्पियों को आर्थिक सहायता देने के लिए विशेष योजनाएं बनायी है, जिनके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता तथा उपयोगी प्रायोजनाएं हैं, लेकिन आवश्यक वित्तीय साधन नहीं हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत, उपयुक्त मामलों में मशीनें प्राप्त करने के लिए तथा अर्जित की जाने वाली परिसम्पत्तियों की पूरी सीमा तक कार्यचालन पूंजी के लिए ऋण दिये जाते हैं। कुछ मामलों में, कार्यचालन पूंजी के लिए, कुछ सीमा तक, बेजमानती अग्रिम भी दिये जाते हैं।

आवेदन-पत्रों को तेजी से निपटाने की दृष्टि से, छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तपोषित करने की तकनीक के सम्बन्ध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बैंकों द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं। कुछ मुख्य बैंकों ने विशेष विभागों/कक्षों की स्थापना की है और/या तकनीकी परामर्श-दाताओं को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, ऋण की उपलब्धि को सुलभ बनाने की दृष्टि से, ऋण गारंटी योजना में पहली फरवरी, 1970 से संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा, अनुमोदित ऋण संस्थाओं द्वारा गारण्टी दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। ऋण गारण्टी योजना के क्षेत्र का भी विस्तार कर दिया गया है ताकि उसमें साख-पत्र, ऋण तथा आस्थगित अदायगी की गारंटियां और ऋण-संस्थाओं द्वारा छोटे पैमाने के उद्योग-एककों की ओर से खोले गये स्वीकृति-ऋण खाते शामिल हो सकें।

(ख) उपलब्ध सूचना से यह नहीं पता चलता कि बैंक किराये के अहातों में चल रहे छोटे पैमाने के उद्योग-एककों के प्रति भेदभाव बरतते हैं।

ब्रिटेन में अयोग्य पाये गये पटना मेडिकल कालेज पटना के स्नातक

6691. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** **श्री लोबो प्रभू :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि पटना विश्वविद्यालय के 11 चिकित्सा स्नातक हाल ही में ब्रिटेन में अपनी व्यावसायिक क्षमता में अयोग्य पाए गये हैं;

(ख) क्या इसे दृष्टि में रखते हुए ब्रिटिश चिकित्सा संस्था/परिषद ने पटना विश्वविद्यालय की चिकित्सा उपाधियों से मान्यता वापस लेने की धमकी दी थी;

(ग) उपर्युक्त 11 व्यक्तियों को ये उपाधियां किन परिस्थितियों में दी गई थीं इसकी पूर्ण रूप से जांच कराने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस देश की चिकित्सा शिक्षा के अच्छे नाम तथा प्रसिद्धि को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) : भारतीय चिकित्सा परिषद और ब्रिटेन की जनरल मैडिकल कौंसिल चिकित्सा योग्यताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करती हैं। जनरल मैडिकल कौंसिल ने पटना विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधि की अमान्यता के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को कुछ नहीं लिखा है।

Reqirement of Nitrogen, Phosphate and Potassium during Fourth Plan

6692. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total quantity of nitrogen, phosphate and potassium that will be required by the country by 1973-74 for manufacturing fertilizers ;

(b) whether Government would be able to meet the entire demand thereof by the end of Fourth Five-Year Plan ; and

(c) if not, the steps proposed to be taken to meet the shortage thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The estimated requirement of fertilizers by 1973-74 in terms of nitrogen, phosphorous and potassium will be as follows :

Nitrogen :	3.20	million tonnes
Phosphate (P2 O5)	1.40	,, ,,
Potassium (K2O)	0.90	,, ,,

(b) and (c) : The production is not expected to keep pace with the demand during the Fourth Plan period and the deficit is proposed to be met by imports to the extent necessary. As regards potassic ferctlizers, there is no indigenous production and the total demand will have to be met by imports.

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सेन्ट्रल बैंक द्वारा किसानों को सहायता

6693. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1973-74 के अन्त तक सेन्ट्रल बैंक द्वारा, खाद्य उत्पादन बढ़ाने

के लिये, 3 लाख किसानों को सीधे ही वित्तीय सहायता दी जाने लगेगी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें से किसानों को सहायता के लिए चयन किया जायेगा; और

(ग) अब तक ऐसे कितने किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने, लगभग 3 लाख किसानों को 1973-74 के अन्त तक करीब 150 करोड़ रुपये के ऋण देने का एक कार्यक्रम बनाया है।

(ख) बैंक का कार्य सारे भारत में फैला हुआ है, इसलिए आशा है कि सभी राज्यों के किसान इस बैंक से ऋण प्राप्त करके लाभ उठा सकेंगे।

(ग) जनवरी, 1970 तक, सेन्ट्रल बैंक ने लगभग 24,000 किसानों को ऋण दिये हैं।

दिल्ली में विभिन्न गृह निर्माण, सहकारी समितियों को आवंटित की गई भूमि

6694. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3066 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन गृह-निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भूमि का कब्जा ले लिया है; और

(ख) उन सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भूमि का कब्जा नहीं लिया है; और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) उन 17 समितियों की सूची (अनुलग्नक I), जिन्होंने आवंटित भूमि का दखल ले लिया है, संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3237/70]

(ख) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक II में दे दी हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या–एल० टी० 3237/70]

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था

6695. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को यह सुझाव देने के लिए, कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा बनाये गये क्वार्टरों में सरकारी कर्मचारियों को रिहाइश दें और वहां पर उन्हें अच्छी सुविधायें उपलब्ध करायें, एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में

राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अपने कर्मचारियों को रिहायशी वास उपलब्ध करने का उत्तर-दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है।

Cost of Import of Raw Material for Manufacturing Drugs

6696. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the fact that the figures furnished by the Drug Industry in respect of cost of import of raw material required for manufacturing drugs are exaggerated ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and(b) Applications made by the drug industry for import of raw materials for manufacture of drugs are scrutinised by the Government and whenever it is noticed that any manufacturer is asking for import of bulk drugs or raw materials at a price higher than the price at which these are available to other actual users, the imports are agreed to stipulating the lowest price known. While this is the position for imports of raw materials, the prices of imported bulk drugs shown in the applications for approval of prices in regard to formulations are carefully scrutinised and checked with reference to the known c. i. f. prices.

मैसूर में लौह अयस्क के निक्षेपों का सर्वेक्षण

6697. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मैसूर में लौह अयस्क के निक्षेपों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगनाथ राव): (क) और (ख) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने प्रति वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन रन-आफ-फाइन आयस्क के उत्पादन के लिये 21.54 करोड़ रुपयों की अनुमानित पूंजीगत लागत पर मैसूर राज्य में दोनिमलई स्थान पर एक लौह अयस्क खान का निर्माण प्रारंभ किया है। उन्होंने (1) कुद्रेमुख स्थान पर लौह अयस्क निक्षेपों के समुपयोजन और (2) दोनिमलई में लौह अयस्क सूक्ष्मों तथा नीली यूलि पर आधारित एक पैलेटाइजेशन संयंत्र के संबंध में तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन भी प्रारंभ किये हैं। कुद्रेमुल लौह अयस्क निक्षेपों के संबंध में सम्भाव्यता अध्ययन पर रिपोर्ट संकलित की जा रही है और मई 1970 तक इस के मिलने की आशा है। पैलेटाइजेशन संयंत्र के संबंध में सम्भाव्यता रिपोर्ट की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, कारवाड बन्दरगाह के रास्ते निर्यात के विचार से रमनदुर्ग लौह अयस्क निक्षेपों का विकास करने के लिये निगम ने मैसूर सरकार की ओर से रमनदुर्ग-कारवाड कामप्लेक्स के संबन्ध में एक तकनीकी सम्भाव्यता अध्ययन पूरा किया है। यह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

Recommendations of Administrative Reforms Commission on Government Treasuries

6698. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in its report submitted in February, 1970 the Administrative Reforms Commission had recommended overall chnrge in the working of Government treasuries; and

(b) if so, the details of the recommendations made by the said Commission and the action taken thereon in the meanwhile ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a)and(b) The Commission's recommendations are summarised in the statement enclosed. The Report has been received recently and decisions thereon will be taken as early as possible. [Placed in the Library. See. No. L. T. 3238/70].

Death of a Baby due to Demolishing of Jhuggies in Malka Ganj, Delhi

6699. **Shri Shashi Bhushan** : **Shri Ramavatar Shastri** :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Delhi Development Authority demolished about 50 jhuggies at Malkaganj on the 16th March, 1970 ;

(b) whether it has also been brought to the notice of Government that the Jhuggi of one, Shrimati Kama Devi, who had given birth to a child only two days back, was also demolished and despite her request to the officers of the demolishing squad not to demolish her jhuggi for a couple of days more in the interest of her safety and the safety of her newly-born child, her jhuggi was demolished, as a result of which her child expired after two days ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the name of the person whom Government hold responsible for the death of her newly-born child ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning ; and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 10 to 12 unauthorised structures of a commercial or semi-commercial nature were cleared on the 16th March, 1970.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

ट्रैक्टरों के आयात के लिये पंजाब को विश्व बैंक से ऋण

6700. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने पंजाब सरकार को 8 हजार ट्रैक्टरों के आयात के लिये ऋण दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार आग्रह कर रही है कि ट्रैक्टरों राज्य कृषि उदयोग निगम के माध्यम से आयात किये जाने चाहियें न कि गैर-सरकारी फर्मों के माध्यम से जैसा कि बैंक द्वारा सुझाव दिया गया है ;

(ग) विश्व बैंक और सदस्य देशों के बीच ऋण सम्बन्धी बातचीत के लिये क्या प्रक्रिया तथा नयाचार है और क्या भारत में राज्य सरकारों को विश्व बैंक से सीधे ही बात चीत करने की अनुमति है ; और

(घ) क्या उन सभी मामलों में जिन में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण अन्तर्ग्रस्त होते हैं सरकार द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत सरकार मशीनों से खेती करने की पंजाब की एक प्रायोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जो विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है, सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगा रही है । इस प्रायोजना के अन्तर्गत, ट्रैक्टरों और खेती के काम आने वाली खास किस्म की मशीनें मंगवाई जायंगी ।

(ख) इन वस्तुओं की प्राप्ति, उनके वितरण और सेवा सम्बन्धी सुविधाओं आदि जैसी व्यवस्था के ब्योरे के सम्बन्ध में अभी बातचीत की जानी है ।

(ग) **और** (घ) : सरकार के लिए अथवा सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के बारे में केवल भारत सरकार ही अनुरोध करती है चाहे प्रायोजना केन्द्रीय सरकार की हो या राज्य सरकार की । जिन प्रायोजनाओं का सम्बन्ध राज्यों से होता है, उनके बारे में निस्सन्देह सम्बद्ध राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी परामर्श किया जाता है ।

मद्रास तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल के सम्भरण के लिए ईरान के साथ करार

6701. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास में सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखाने को 1.35 डालर प्रति ढोल की दर से अशोधित तेल के लिये ईरान के साथ करार किया है जबकि गैर-सरकारी समवायों की कीमत घटा कर 1.28 डालर प्रति ढोल करने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) **और** (ख) जी हां । मद्रास शोधनशाला लि० को कच्चे तेल के विक्रय के लिए जब भारत सरकार और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी तथा पानिनटोयल (Panintoil) के बीच नवम्बर, 1965 में क्रूड आयल सेल्स एग्रीमैण्ट (अशोधित तेल-विक्रय करार) पर हस्ताक्षर हुए थे ; उस समय, डेरियस अशोधित तेल का प्रति बैरल 1.35 डालर का दर, जो बातचीत से तय हुआ, कच्चे तेल की वैसी अन्य किस्मों के मूल्यों के तुलनात्मक था । भारत सरकार का एक दल, वर्तमान अशोधित तेल-विक्रय करार में संशोधन की बातचीत करने के लिये इस समय तेहरान में है ।

मानव जीवन पर डी० डी० टी० का प्रभाव

*6702. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से देशों में डी० डी० टी० के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है क्योंकि जिस क्षेत्र में इसे प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर उस का हानिकारक असर पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डी० डीं० टी० के हानिकारक असर का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन स्वीडन, तथा जापान आदि देशों में मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना से कृषि, वन तथा खाद्य संरक्षण के मामलों में डी० डी० टी० के प्रयोग पर रोक लगा दी गयी है ।

(ख) जी, हां । खाद्य तथा कृषि, पेट्रोलियम तथा रसायन, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय भैषजिक अनुसंधान परिषद्, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राज्य अन्तरराष्ट्रीय विकास अधिकरण तथा भारतीय कीटनाशक संघ के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ समिति डी० डी० टी० तथा अन्य कीटनाशक पदार्थों के निरन्तर प्रयोग से होनेवाले प्रभाव की जांच कर रही है । उक्त समिति ने डी० डी० टी० के कारण मानव स्वास्थ्य पर संभावित हानियों के बारे में और अधिक अनुसंधान करने के लिये मार्ग निर्धारित किया है ।

निम्न श्रेणी तथा उच्च श्रेणी की कोयला खानों में अधिक उत्पादन

6704. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** **श्री समर गुह :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न श्रेणी की कोयला खानों के लिये मंजूर की गई लाइसेंस शुदा क्षमता के आंकड़े और उनके द्वारा तथा उच्च श्रेणी द्वारा किये गये अधिक उत्पादन और श्रेणी दो की कोयला खानों द्वारा लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक कोयला उत्पादन में आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) उच्च श्रेणी की कोयला खानों को अधिक उत्पादन (यदि है) करने की अनुमति देने के क्या कारण है, जिससे निम्न श्रेणी की कोयला खानों को उत्पादन से वंचित होना पड़ा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) उद्योगों (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार करना बतलाता है, यह उन औद्योगिक उपक्रमों के पूंजीकरण के बारे में भी बतलाता है जो उसके प्रारंभ होने के समय में पहले से ही आस्तित्व में थे । लाइसेंस जारी करते समय जायजाद के माप तथा कोयले के प्रकार के लिए

नियोजित मांग को ध्यान में रख कर कोयला खानों के सम्बन्ध में उत्पादन क्षमता नियत की जाती है। उदारीकृत नीति के अनुसार, औद्योगिक उपक्रम अपनी लाइसेंस शुदा क्षमताओं को 25 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि छोटे से सन्तुलित करने वाले उपकरण के सिवाय कोई अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी नहीं लगाई है, और उसमें कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है। ऐसी यूनिटें निर्धारित क्षमता और उदारीकृत नीति के अधीन अनुज्ञात 25 प्रतिशत अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करती आ रही हैं।

(ख) कोयला खानों के उत्पादन के प्रसार की अनुमति इस प्रकार के कोयले के लिए नियोजित मांग को ध्यान में रखने के साथ-साथ, सावधानी से संवीक्षा करने के पश्चात् दी जाती है।

निम्न श्रेणी वाली कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिये लाइसेंस

6705. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न ग्रेड वाली कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिये लाइसेंस अनिवार्य करने के क्या कारण हैं जबकि कोयले का मूल्य और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर नियंत्रण नहीं है और जबकि इस पर कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं होती ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): उद्योगों (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कोयले के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति उपबंधित है। कोयले के नियोजित उत्पादन और वैज्ञानिक समुपयोजन के हित में लाइसेंस की इस प्रथा को जारी रखने की विशेष आवश्यकता है। निम्न ग्रेड कोयले की अवस्था में, जिसकी सप्लाई मांग से अधिक है, विशेषतः कोयले के मूल्य में विनियंत्रण और चालन के बाद, आकस्मिकतता, अविनियोजित बढ़ोतरी एवं संसाधनों की बर्बादी को दूर करना अधिक वांछित है। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भी यह अधिकथित करती है कि कतिपय परिस्थितियों के सिवाय, कोयले के उत्पादन के लिए नए यूनिटों की जिम्मेदारी राज्य की होगी। इस सम्बंध में सरकार की नीति को कार्यान्वित करने तथा अप्राधिकृत कार्य के निवारण की दृष्टि से, उद्योगों (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किए गए वैध लाइसेंस, कोयला खानों को प्रारंभ करने या पुनः प्रारम्भ करने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करना पूर्व अपेक्षित है।

कोयला बोर्ड के कार्यालय को समाप्त किये जाने की आवश्यकता

6706. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला बोर्ड के कार्यालय को जारी रखने के क्या कारण हैं जबकि उसके अन्तर्गत किया जाने वाला कार्य खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या वर्तमान परिस्थितियों में कोयला बोर्ड के कार्यालय को जारी रखने के परिणाम-स्वरूप व्यर्थ का खर्च हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कोयला खानों सहित सभी खानों की सुरक्षा के लिये खान सुरक्षा का महानिदेशक उत्तरदायी

है। कोयला खानें (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1957 से यथाउपबन्धित, कोयला बोर्ड कोयला खानों में सुरक्षा हेतु कोयला संसाधनों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों के निष्पादन के लिये उत्तरदायी है। संरक्षण पर अधिक बल है और इस प्रक्रिया में सुरक्षा का प्रश्न स्वभावता आ जाता है परंतु उससे खान सुरक्षा के महानिदेशक के कार्यों के साथ कोई प्रतिद्वन्द्व नहीं होता।

(ख) जी, नहीं। कोयला बोर्ड का जारी रहना कोयला उद्योग जो कि एक आधार उद्योग है के लिये बहुत आवश्यक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा जनता को मकानों की बिक्री

6707. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनता को मकान बेचेगी; और यदि हां, तो एक मकान की कीमत कितनी होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) इस विभाग द्वारा बनाई गई निम्न तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान राज्य सरकारों आदि द्वारा बिक्री के लिए बनाए जाते हैं। इनकी लागत की ऊपरी सीमा क्रमश: 15,600 रुपये तथा 30,000 रुपये प्रति एकक है। प्रस्तावित आवास तथा नगर-विकास वित्त निगम का प्राथमिक कार्य राज्य सरकारों, आवास बोर्डों, आदि के आवास और नगर-विकास कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था करना है। इन कार्यक्रमों में सीधी बिक्री के लिए तथा किश्तों के आधार पर बिक्री के लिए मकानों का निर्माण शामिल होगा। ऐसे मकानों की लागत, निर्माण के स्थान, वास के स्तरों तथा लाभ-भोगी आदि व्यक्तियों की श्रेणियों के अनुसार पृथक्-पृथक् होगी।

Provision of Ceiling Fans in Servants Quarters of M. P.s Flats in North and South Avenues, New Delhi

6708. **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ceiling fans have been fixed in the newly constructed servants quarters of Members of Parliament in North and South Avenues, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that such fans have not been provided in the servant quarters constructed earlier ;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to provide ceiling fans in servant quarters during the current year; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e) Government have decided to provide one ceiling fan point and a fan hook in each servant's quarter. This decision has been taken to enable the M. Ps. and others to provide their own ceiling fans in the servants' quarters, if considered necessary. In accordance with this decision, fan points and hooks have been provided in the newly constructed servants quarters in North and South Avenue and the work has heen taken up by the C. P. W. D. in the old servants quarters. It is expected to be completed in about 3 months.

Temporary Sweepers, Beldars in Parliament Works Division

6709. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that temporary employees such as sweepers beldars etc. in the Parliament Works Division who are working in the Enquiry Offices have been working as temporary employees and also on daily wages for the last four or five years ;

(b) if so, the action Government propose to take to make them permanent and pay monthly wages to them ;

(c) whether it is also a fact that Beldars who have already qualified the trade of Fitters in 1962, 1963, 1964 and 1965 have not been given the grade of Fitters ; and

(d) if so, the number of employees mentioned in parts (a) and (c) above and the action Government propose to take to make those persons permanent, who have worked for a period of more than three years at one place and give them the grade admissible to fitters ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Furniture for Servants Quarters of M. Ps.

6710. **Shri Bharat Singh Chauhan:** **Shri Ramgopal Shalwale :**
Shri Shri Gopal Saboo: **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shrl Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urabn Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that C. P. W. D. Enquiry Offices in North and South Avenues who ordinarily deal with Members of Parliament, have supplied sofa-sets and curtains in some of the servant quarters of M. Ps.;

(b) whether Government would look into the fact that certain quarters which have not been allotted to anybody and which have not been locked by the C. P. W. D., though they are in the possession of the C. P. W. D., have either been occupied or locked by outsiders; and

(a) the reasons for which the sofa-sets and the curtains have been supplied in some quarters in such an irregular manner and the action proposed to be taken by Government to get the quarters referred to in part (b) above vacated from the illegal possession of outsiders and get them locked by the C. P. W. D. Enquiry Offices ?

The Minister of State in the Ministry of Health And Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) There is no such case of unauthorised occupation.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में सोने के निक्षेप पाये जाना

6711. **श्री दे० वि० सिंह :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में हाल ही में बड़ी मात्रा में सोने के बड़े निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जांच की गई नमूने की चट्टानों में कितने प्रतिशत सोने की मात्रा पाई गई है ; और

(ग) इनका व्यापारिक स्तर पर उपयोग करने की क्या संभावनाएं हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नारायणा, दिल्ली में शमशान भूमि का स्थानान्तरण

*6712. **श्री एम० सुदर्शनम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणा रिहायशी योजना के सी-ब्लाक के निवासियों ने सी-ब्लाक के निकटस्थ शमशान भूमि को स्थानान्तरित करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकार/दिल्ली नगर निगम का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसको वहां से हटाने में दिल्ली विकास प्राधिकार को कितना समय लगेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शमशान भूमि को पहले ही वहां से हटा दिया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रामाकृष्णपुरम दिल्ली में पानी की सप्लाई

6713. **श्री जय सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री देवेन सेन :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि रामाकृष्णपुरम दिल्ली के निवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रातः और सायंकाल पानी की सप्लाई का समय बहुत ही कम है और क्वार्टरों की उपरी मंजिलों में पानी का दबाव बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त बस्ती और दिल्ली तथा नई दिल्ली की अन्य बस्तियों के निवासियों के बीच ऐसा निन्दनीय भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बस्ती को 24 घंटे पानी सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । रामाकृष्णपुरम कालोनी सहित साउथ दिल्ली की कालोनियों में पानी की कमी है ।

(ख) और (ग) नागरिकों को पेय-जल की सप्लाई का सांविधिक उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर है । राजधानी भर में पेय-जल की सामान्यता कमी है । रामाकृष्णपुरम कालोनी सहित, साउथ दिल्ली की कालोनियां जो सप्लाई स्रोत के अन्तिम छोर पर हैं, में बहुत कम सप्लाई है । परन्तु दिल्ली नगर निगम ने साउथ दिल्ली की कालोनियों को समान जल वितरण के लिए 'कैलाश रिज़र्वायर' नाम की योजना आरंभ की है । इस योजना के और दो या इससे अधिक वर्षों में पूरा होने की आशा है । तब भी शहर के अन्य भागों में सप्लाई की सामान्य स्थिति को देखते हुए यह निश्चित नहीं है, न ही आवश्यक है कि 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हीरों तथा माणिक्यों की नीलामी

6714. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने अप्रैल, 1970 में हीरों, मणियों, नीलम की नीलामी की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम विदेशों से माणिक्यों, नीलमों और हीरों का आयात करके उनको बाजार में नीलाम कर रहा है ; और

(ग) गत दो वर्षों में इस प्रकार कितना लाभ कमाया गया ; और इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अप्रैल, 1970 के दौरान बम्बई में केवल हीरे नीलाम किये थे । हालांकि हीरों की नीलामी के साथ माणिक्यों तथा नीलमों की नीलामी की भी घोषणा की गई थी तथापि यह रद्द कर दी गई और अभी की जानी है ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बिना तराशे माणिक्य और नीलम उन पंजीकृत निर्यातकों को नीलाम किये जाने के लिये, जो रत्न एं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्य हैं,

पहली बार फरवरी 1970 में बर्मा से निर्यात किये गये हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कुछ व्यापारियों के निमित जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से बिना तराशे हीरों का आयात करने के लिये हाल ही में एक समझौता भी किया है।

(ग) और (घ) : वर्षों से आयात किये गये बिना तराशे माणिक्यों और नीलमों तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आयात किये जाने वाले हीरों की बिक्री से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को होने वाले लाभ की राशि इस माल की वास्तविक बिक्री हो जाने के पश्चात् ही ज्ञात होगी।

बम्बई के निकट फसल संरक्षण रसायनिक उत्पादन कारखाना स्थापित करना

6715. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हाल में बम्बई के निकट थाना में फसलों की रक्षा करने वाले रसायनिक पदार्थों के उत्पादन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे रसायन कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां; बायर (इण्डिया) लि० बम्बई ने पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बम्बई के निकट, थाना में आर्गेनो-फासफैटिक जैसे फसलों की रक्षा करने वाले रसायनिक पदार्थों के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया है।

(ख) जी हां; सरकारी क्षेत्र में भी, दो डी० डी० टी० सन्यन्त्र लगाये गये हैं और तीसरे कारखाने की स्थापना विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं द्वारा आय-कर का भुगतान न किया जाना

6716. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डिफेन्स कालोनी लाजपत नगर और जंगपुरा नामक नई दिल्ली स्थित बस्तियों में चल रही बहुत-सी गैर सरकारी अपंजीकृत शिक्षा संस्थाएं आय-कर का भुगतान नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को पता है कि नई दिल्ली की जिन बस्तियों का उल्लेख किया गया है उनमें, कुछ गैर-सरकारी अपंजीकृत

शिक्षा-संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनमें से कुछ का पहले से ही आयकर निर्धारण किया जा रहा है।

(ख) नये निर्धारितियों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण के कारण उन शिक्षा-संस्थाओं पर कर लगाया जायगा जो कर-निर्धारण किये जाने योग्य हैं और जिन पर पहले से ही कर नहीं लगाया जा रहा है।

भारतीय तेल निगम के आसाम स्थित तेल के कुओं से कच्चे तेल की अतिरिक्त सप्लाई

6717. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया के आसाम स्थित तेल के कुओं से कच्चे तेल का उत्पादन दुगुना बढ़ाया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार इस संभाव्यता की जांच करने को तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : आयल इण्डिया लि० प्रत्येक वर्ष उत्पादन क्षमता का सामयिक जांच पड़ताल करता है और सरकार को इन परिणामों की सूचना दी जाती है।

केन्द्रीय आवास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति

6718. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दंडपाणि :
श्री सामिनाथन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आवास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है ;

(ग) क्या इस निगम में राज्यों में प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ) : (क) और (ग) में उठाए गये प्रश्नों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किये गये हैं। प्रस्तावित आवास तथा नगर-विकास वित्त निगम स्थापित किये जाने के बाद, उन पर विचार किया जाएगा और उचित कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम्पनियों के भूतपूर्व प्रबन्धक एजेण्टों की गारन्टियां स्वीकार करना

6719. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक कम्पनियों के भूतपूर्व प्रबन्धक एजेंटों द्वारा उन कम्पनियों की आस्तियों के बदले दी गई गारन्टियां बिना किसी रोक टोक के स्वीकार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इन भूतपूर्व प्रबन्धक एजेंटों की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसके लिये वे काफी राशि की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों को थोड़ी या मध्यम अवधि के ऋण देते समय बैंक सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, आवश्यकतानुसार, मामले के गुण-दोषों के आधार पर, प्रबन्धक अभिकर्ताओं की या प्रबन्धक अभिकरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों या निदेशकों / हिस्सेदारों की व्यक्तिगत गारण्टियां लेते रहे हैं। ये गारण्टियां सहायताप्राप्त कम्पनियों से चालू और / या स्थिर परिसम्पत्तियों को दृष्टिबन्धक/बन्धक रखने के रूप में सामान्यत: ली जाने वाली प्रतिभूतियों के अलावा होती हैं। परन्तु, बैंकों द्वारा इस प्रकार की गारण्टियां बिना सोचे-समझे नहीं ली जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक उन पर इस बात का जोर देता रहा है कि बैंकों को इस प्रकार की व्यक्तिगत गारण्टियों पर निर्भर रहने की बजाय ऋण के प्रस्तावों की वाणिज्यिक सक्षमता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे ऐसे मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजें, जिन के सम्बन्ध में वे अब भी इस प्रकार की गारण्टियां लेना आवश्यक समझते हों।

3 अप्रैल, 1970 से प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था के समाप्त कर दिये जाने के बाद, भविष्य में अपनायी जाने वाली नीति के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इसमें ऐसे मामलों में गारण्टी सम्बन्धी कमीशन की अदायगी की मात्रा के विनियमन का प्रश्न भी शामिल है, जिनमें व्यक्तिगत गारण्टी का लिया जाना अनिवार्य समझा जाता हो।

दिल्ली में जल सम्भरण के लिये वजीराबाद जल परिष्करण संयंत्र का बन्द हो जाना

6720. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 मार्च, 1970 को दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि यदि तत्काल कार्यवाही न की गई तो वजीराबाद स्थित जल परिष्करण संयंत्र किसी भी दिन बन्द हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सदस्यों के इस दावे में कोई तथ्य है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Allotment of Government Accommodation to Employees who own Houses

6721. **Shri Yashpal Singh :** **Shri S. Kundu :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to the policy of Government a person, who owns a house, is also entitled for Government accommodation, a lot of difficulty is being faced by those, who do not own any house ;

(b) whether Government have since collected the information regarding the number of such employees ; and

(c) whether Government propose to modify the said policy ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) : In accordance with the provisions contained in the existing Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, the Government servants owning houses are eligible for allotment of residences from the general pool, on payment of normal rent, as applicable to the Government servants who do not own their houses. No statistical data in this connection has been collected.

The question of declaring Government servants owning houses, ineligible for allotment of Government accommodation was reviewed in 1968 and after careful consideration of the various aspects it was decided that the existing provisions in the Allotment Rules need not be changed.

Scarcity of Kerosene Oil in North Uttar Pradesh

6723. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that yellow colour cheap kerosene oil is not available in North Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) This type of kerosene is known as inferior kerosene. Owing to its being liable for misuse as diesel fuel, its imports were completely eliminated some years back. Its indigenous production was also simultaneously discontinued except in the case of refineries processing Assam crude. Owing to the inherent properties of this crude, some small quantity of inferior kerosene has had to be produced. This is normally sold mostly in Assam, around the areas served by these refineries. Efforts are being made to progressively reduce and ultimately eliminate altogether whatever little inferior kerosene is now produced at the Digboi and the Gauhati Refineries.

आयकर की बकाया राशियों के संबंध में अनिर्णीत मामले

6724. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के लिए आयकर की बकाया राशियों के संबन्ध में इस समय आयकर विभाग में न्यायालयों में कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) सरकार ने ऐसे कितने मामलों पर निर्णय दिया है और कितने मामलों में आयकर के भुगतान से छूट दी गई है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने कर-दाताओं को आयकर न देने के लिए दण्डित किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा यह सूचना तभी इकट्ठी की जा सकती है जब बहुत सारी फाइलों की छानबीन की जाय, जिसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा। वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में अनिर्णीत कर-निर्धारणों तथा आयकर की बकाया के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दिये अनुसार है :—

(i) वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में कर-निर्धारण के मामले जो 1-4-1969 को आगे ले जाये गये : 9,31,172

(ii) वर्ष 1968-69 में जारी की गई मांग में से 1-4-1969 को आगे ले जाई गई बकाया मांग : 98.94 करोड़ रुपये

जीवन बीमा निगम, दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

6725. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की दिल्ली शाखा के क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह जांच पूरी हो चुकी है और अधिकारी को दोषी पाया गया है और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार ने इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तरी क्षेत्र के विरुद्ध कभी भी कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई। लेकिन, जीवन बीमा निगम द्वारा कुछ स्थानों के आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ वर्ष पहले जांच की थी और ब्यूरो इस परिणाम पर पहुंचा था कि उस मामले में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे यह पता चले कि उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार था।

(ख) और (ग) ये सवाल नहीं उठते।

ब्रिटेन के साथ ऋण के संबंध में करार

6726. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1970 को नयी दिल्ली में भारत तथा ब्रिटेन के बीच नया ऋण देने के संबंध में एक करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां।

भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार के बीच 24 मार्च, 1970 को नई दिल्ली में एक

ऋण-करार पर हस्ताक्षर किए गये थे जिसके अंतर्गत ऋण परिशोधन संबंधी सहायता देने के लिए 75 लाख पौंड (13.50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई थी। इस ऋण की पूरी रकम 31 मार्च, 1970 तक निकाल ली गई थी और इसके अन्तर्गत ब्रिटेन की सरकार से लिये गये पहले के कुछ ऋणों के संबंध में पहली अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक ब्रिटेन की सरकार को मूलधन की वापसी-अदायगी और ब्याज की आंशिक अदायगी की रकम की भारत सरकार को प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गयी है। इस ऋण की वापसी-अदायगी पौंडों में 25 वर्ष की अवधि में की जानी है जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है और इस पर कोई ब्याज या अन्य सेवा प्रभार नहीं लगेगा।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बर्मा आयल कम्पनी को देय लाभांश

6727. **श्री रवि राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आयल इण्डिया द्वारा बर्मा आयल कम्पनी को देय लाभांश पर कोई सीमा न लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय इस सम्बन्ध में बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत आरम्भ करने वाला है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार इस विषय पर अनुमान समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है।

नई पेनिसिलीन का आविष्कार और भारत में इसका प्रयोग

†6728. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैण्ड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दीर्घकालीन प्रभाव वाले एक नवीन पेनिसिलीन का आविष्कार किया है;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने उस प्रकार के पेनिसिलीन का अपने देश में प्रयोग किया है यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार उस प्रकार के पेनिसिलीन का आयात करने पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) इस बारे में समाचार-पत्रों में सूचना थी।

(ख) अभी तक इस नयी औषधि पर प्रयोग किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संसद् सदस्यों को प्लाटों का आवंटन

6729. **श्री गाडिलिंगन गौंड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लाटों के आवंटन के लिए कितने संसद् सदस्यों ने आवेदन पत्र दिये हैं तथा क्या उनमें कुछ भूतपूर्व संसद् सदस्य भी शामिल हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) संसद् सदस्यों को कब तक तथा कहां पर प्लाट दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) अब तक 75 संसद सदस्यों के आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अग्रेषित किए जा चुके हैं। प्राधिकरण ने इन आवेदनों में से 25 को प्लाट के आवंटन के प्रस्ताव भेजे हैं। अन्य आवेदनों की जांच की जा रही है और जो पात्र पाये जायेंगे उन्हें यथासम्भव शीघ्र ही प्लाटों का प्रस्ताव किया जायेगा, किन्तु इसके लिये कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

एक भूतपूर्व संसद् सदस्य ने भी प्लाट के लिए आवेदन दिया है। क्योंकि वे अनुमोदित योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं हैं, उनके आवेदन को प्राधिकरण के पास नहीं भेजा गया है।

चिकित्सकों के पंजीयन के लिए नियम

6730. **श्री शारदा नन्द** : **श्री सूरज भान** :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्यकारिणी द्वारा 19 अप्रैल, 1968 को नैनीताल में निर्णय किये जाने के बाद समेकित चिकित्सा स्नातकों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि मन्त्रालय ड्रग नियम 2 ईई (iii) के अधीन समेकित स्नातकों को पंजीकृत चिकित्सक घोषित नहीं करता जब कि दन्त चिकित्सकों (2 ईई iv) तथा पशु-चिकित्सकों (2 ई v) को ड्रग नियमों के अधीन पंजीकृत चिकित्सक घोषित किया जा चुका है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि मन्त्रालय राज्यों में वैद्यों तथा हकीमों के सामूहिक पंजीकरण से उत्पन्न अत्यधिक भ्रम को सदा के लिये समाप्त करने के लिए किसी परिषद् के अधीन एक अखिल भारतीय रजिस्टर नहीं बनाता ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आयुर्वेदिक शिक्षा की मिश्रित प्रणाली को जारी न रखने का निर्णय किया गया है। जिन्होंने पहले ही यह कोर्स कर लिया है, वे निजी व्यवसाय करते आ रहे हैं और कुछ राज्यों के आधुनिक औषधालयों एवं अस्पतालों में जूनियर फिजीशियन भी नियुक्त

हैं । इन व्यक्तियों को यह अवसर भी है, कि यदि वे चाहें तो आधुनिक चिकित्सा में संक्षिप्त कोर्स कर सकते हैं ।

(ख) मिश्रित कोर्स के अध्ययन का स्वरूप एवं विषय वस्तु अलग अलग राज्यों में अलग अलग है । अतः वे उन्हें भेषज नियमों के अधीन पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर माने न माने यह राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है ।

(ग) यह व्यावहारिक नहीं है । स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों के पंजीकरण के लिये एक पृथक परिषद् पहले ही सरकार के विचाराधीन है ।

World Bank Loan for Kadana Project

6731. **Shri Hukam Chand Kachwai** ; Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank is likely to advance loan for Kadana Project;

(b) if so, the amount of loan expected to be received;

(c) the likely increase in production after the completion of the said project; and

(d) the amount of foreign exchange likely to be saved annually on this account?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) : The International Development Association, an affiliate of the World Bank has granted a Credit of 35 million dollors (Rs. 26.25 crores) for Kadana Irrigation Project in Gujarat. The Credit Agreement was signed on February 9, 1970 and copies of the Agreement are available in the Parliament Library.

(c) After completion of the project by mid-1975, it is expected that the production of foodgrains and other crops would increase by about 10.5 lakh tons per year.

(d) The Project will contribute towards self-sufficiency in foodgrains and other commercial crops and reduce the overall need for imports. If the production is treated as import substitute, the gross foreign exchange savigns, when the project is fully developed, is estimated at about Rs. 21 crores per year.

विजाग जस्ता प्रद्रावक कारखाना परियोजना

6732. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1970 को 'दि फाइनेंसियल एक्सप्रेस' में "विजाग जस्ता प्रद्रावक कारखाने में उत्पादन नहीं होगा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) विजाग जस्ता प्रद्रावक परियोजना में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार इस परियोजना को त्यागने का विचार कर रही है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो क्या कारण है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर 'नहीं' हो तो यह परियोजना कब आरम्भ की जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) पोलिश अभिकरण के साथ विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये किये गये समझौते की शर्तों के अनुसार पोलैण्ड के मैसर्स सेन्ट्रोजेप को दिये गये 15,18,028 रुपयों सहित सरकार द्वारा अब तक 16,36,647 रुपयों का कुल व्यय उपगत किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह आशा की जाती है कि विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है, मई 1970 के अन्त तक तैयार होगी। प्रायोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय, विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर प्रायोजना की आर्थिक उपादेयता के अनुसार लिया जायेगा।

विजयवाड़ा के निकट मरे कुछ व्यक्तियों के दावों का जीवन बीमा निगम द्वारा निपटाया न जाना

6733. **श्री नंजा गोडर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1970 के "हिन्दू" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जीवन बीमा निगम ने विजयवाड़ा के निकट मरे कुछ व्यक्तियों के दावों का निपटान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबन्ध में सरकार ने कोई जांच की है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

Construction of Building for Income Tax Office at Kota

6734. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to construct a new building for the Income-Tax Office in Kota since long and the land therefor had also been acquired ;

(b) if so, the reasons for not constructing this new building near the shopping centre or at some other place, keeping in view the inconvenience likely to be caused to the Government employees and the traders ; and

(c) the time by which the said building is proposed to be completed near the shopping centre or at some other place and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. Land was acquired for the construction of a combined office building for Income tax and Central Excise Offices at Kota.

(b) Plans and estimates were finalised to construct office building, but the work was deferred due to Emergency in 1962. Later, the Military authorities wanted the land for military use.

(e) The question of construction of the office building will be considered after the Military authorities release the land or make available an alternative suitable site.

Location of Gypsum Mine near Udaipur

6735. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a gypsum mine has been located in Jharia Kankat Village at a distance of 7 to 8 miles from Udaipur ;

(b) whether it is a fact that the State Government have failed to exploit the said mine to the full capacity ; and

(c) if so, whether Government propose to take over the said mine ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House, when received.

अन्य नगरों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करना

†6736. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ और नगरों में भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना को लागू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के क्या नाम हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में असाधारण विलंब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : **(क) से (ग)** : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना को सिद्धान्त रूप से अन्यत्र लागू करने का निर्णय कर लिया गया है। यह योजना किन-किन शहरों में लागू की जायेगी इसके बारे में अभी अन्तिम निर्णय करना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी ऐसोसिएशन द्वारा अपने प्रतिनिधि का नामनिर्देशन

6737. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी ऐसोसिएशन को उस बोर्ड में अपना एक प्रतिनिधि नामनिर्देशित करने के लिए कहा गया है, जिसे 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालन के लिए गठित किया जाना है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह बोर्ड कब गठित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में नियुक्ति के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के तरीके के प्रश्न की जांच की जा रही है। इस बारे में जल्दी ही फैसला किये जाने की संभावना है।

तीसरे वेतन आयोग के निर्देश-पदों में शामिल करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव

6738. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल किये जाने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव भेजने के लिये कहा है ;

(ख) क्या अपेक्षित प्रस्ताव अब तक भेज दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वेतन-क्रम आदि का ब्यौरा क्या है जिसकी सैक्शनल आफिसरों, असिस्टेंट इंजीनियरों और इंजीनियरों के लिये सिफारिश की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव कब तक दिया जायेगा और सिफारिश किये जाने वाले वेतन क्रम आदि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) **और (ग)** : प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मांगे गये हैं और इसलिए उनके दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लेखकों, पत्रकारों तथा वैज्ञानिकों पर आय तथा धन कर लगाना

6739. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगपतियों तथा बड़े व्यापारियों की तुलना में बुद्धिजीवी लोगों जैसे लेखकों, पत्रकारों, वैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों, डाक्टरों, वकीलों, आदि द्वारा जोड़े गये धन के मामले में धन कर से छूट की अधिकतम सीमा बढ़ाने तथा कर की प्रतिशतता कम करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आय तथा धन कर के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों को व्यापारियों से पृथक करने के लिये उनका "बुद्धिजीवी पेशेवर व्यक्तियों" के रूप में वर्गीकरण करने का भी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपनी जीविका कमाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति का श्रम किराये पर नहीं लेते या उसका शोषण नहीं करते और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। धन कर अधिनियम के अन्तर्गत, जहां तक कर की दर लगाये जाने का सम्बन्ध है, धन को अर्जित करने के तरीके के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया जाता और एक बार जब शुद्ध धन आंक लिया जाता है तो एक समान रकमों के शुद्ध धन वाले सभी करदाताओं के लिए कर की दर एक ही होती है। यदि कोई रियायतें मिलने योग्य होती हैं तो उनको सकल धन में से पहले ही कटौती के रुप में बाद देकर शुद्ध धन निकाला जाता है।

(ख) : जी, नहीं। इस प्रकार का वर्गीकरण व्यवहार्य नहीं होगा। लेकिन लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा अभिनेताओं। अभिनेत्रियों की कर योग्य आय का हिसाब लगाने में, कुछ ऐसी परिस्थितियों में, आयकर अधिनियम में कुछ ऐसी विशेष कटौतियों तथा अन्य रियायतों की अनुमति है जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उनके शुद्ध कर-दायित्व को कम करने का प्रभाव रखती हैं।

वीरानम जल परियोजना के लिये तमिलनाडू को विदेशी मुद्रा का आवंटन

6740. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने मद्रास के लिये अपनी वीरानम जल परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा आवंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडू सरकार से परामर्श लेते हुए इस विषय पर जांच पड़ताल की जा रही है।

न्यायालयों में सम्पत्ति कर सम्बन्धी विचाराधीन मामले

6741. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न सं० 4810 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपीलीय न्यायालयों के समक्ष सम्पत्ति कर के कुल कितने मामले गत तीन वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों पर निर्णय करने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) और (ख) : वर्तमान प्रश्न में जिस पूर्ववर्ती प्रश्न का उल्लेख है उसके उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में सूचना का विवरण 10 मार्च 1970 को प्रस्तुत किया जा चुका है कि उसे सदन की मेज पर रख दिया जाय। अब मांगी गयी सूचना उस आश्वासन पूर्ति विवरण में दी गयी है।

जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में शिक्षा

6742. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास**

तथा **नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य मन्त्री ने 1 दिसम्बर, 1969 को केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विचार गोष्ठी में कहा था कि देश में जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में शिक्षा का होना बड़ा आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के विचार में स्कूलों और विद्यालयों में जनसंख्या गतिविद्या और छोटे परिवार के सिद्धांत से सम्बन्धित विषयों को शुरू करना लाभदायक है जिससे विद्यार्थियों के बड़े होने पर यह उनका सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके । अगस्त, 1969 में जनसंख्या शिक्षा पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई और दिसम्बर, 1969 में नई दिल्ली में व्यवसायिक विशेषज्ञों की एक वर्कशाप आयोजित की गई । वर्कशाप ने उद्देश्य, विषय सूची की रूप रेखा और अपेक्षित सामग्री के बारे में विचार विमर्श किया और चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन की एक योजना तैयार की । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । जनसंख्या विस्फोट के खतरों की ओर युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्कूलों और कालेजों में परिसंवाद और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं ।

अप्रत्यक्ष कराधान

o743. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहाती सम्पत्ति की तुलना में नगरीय सम्पत्ति पर अप्रत्यक्ष कर अधिक हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार नगरीय सम्पत्ति पर इस कर को कम करने और उसे देहाती सम्पत्ति के बराबर लाने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । वित्त मंत्रालय द्वारा 1963-64 के सम्बन्ध में अप्रत्यक्ष कर-भार के विषय में किये गये एक अध्ययन के अनुसार उपभोक्ता व्यय पर यह भार शहरी परिवारों के सम्बन्ध में 16.6 प्रतिशत और देहाती परिवारों के सम्बन्ध में 8.0 प्रतिशत बैठता है ।

(ख) हालांकि सरकार की लगातार यह कोशिश रहती है कि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय कि जहां तक सम्भव हो अप्रत्यक्ष करों का भार देश के विभिन्न वर्गों पर एक-सा ही पड़े लेकिन जब तक उपभोग के स्वरूप में अन्तर रहेगा, तब तक एक-ही व्यय-वर्ग के भी शहरी और देहाती परिवारों पर पड़ने वाले कर-भार में अवश्य कुछ अन्तर बना रहेगा ।

Residential Accommodation to Homeless Villagers

6745. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family**

Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state the amount allocated in the Fourth Five Year Plan for providing good and healthy residential accommodation to homeless villagers or those villagers, who are residing in unhealthy and dirty houses and the amount out of the total allocation proposed to be given to each State for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : The Village Housing Projects Scheme formulated by the Central Government is in operation in the various States since August, 1957. The Scheme, inter alia, provides for (i) the advance of house building loans, (ii) allotment of free house-sites to landless agriculture workers and (iii) grant for laying of streets and drains for improving the sanitation in the villages. This scheme, as also other social housing schemes, are implemented by the State Governments, and they are competent to formulate, sanction and execute projects under the various social housing schemes. Since the beginning of the 4th Five Year Plan, Central assistance to States for various State sector development programmes (including housing) is being given in the form of 'block loans' and 'block grants'; such assistance is not tied to any particular scheme or head of development. In the revised draft of the 4th Five Year Plan, a sum of about Rs. 98.28 crores has been proposed for housing (excluding slum clearance) in the State sector. It is for the state Governments to allocate money for various programmes according to their own priorities.

Visit by Deputy Chairman of World Bank to Delhi

6746. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Deputy Chairman of the World Bank had recently visited India for a week;

(b) if so, the topics discussed with him; and

(c) the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) : Mr. Burke Knapp, Vice President of the World Bank visited India between the 18th and 25th March 1970, in order to acquaint himself first hand with the economic development that is taking place in India. During his stay in India, he visited, besides Delhi, Chandigarh, Ludhiana, Kotah and Bombay. His discussions with Ministers and officials covered various aspects of Indian economic development, including agriculture, family planning, urban development, fertiliser production etc. Topics concerning World Bank and other matters of mutual interest to India and the World Bank also came up for discussion. Since the purpose of the discussions was to provide a better understanding of India's problems and efforts, the question of any specific outcome does not arise.

कलकत्ता तथा अन्य नगरों में मकान किराये के ढांचे को युक्तियुक्त बनाना

6747. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1970 में कलकत्ता के नागरिकों ने एक सम्मेलन में सरकार से कलकत्ता तथा अन्य नगरों में, मकान किराया ढांचे को युक्तियुक्त बनाने का अनुरोध किया था ;

(ख) क्या कलकत्ता तथा पश्चिम बङ्गाल के अन्य नगरों में किराये पर रहने वाले लोगों के लिये 'सलामी' एक समस्या बन गई है ;

(ग) क्या पश्चिम बङ्गाल में किराया नियन्त्रण प्रणाली लगभग निष्क्रय हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो (एक) पश्चिम बङ्गाल के नगरीय क्षेत्रों में कम आय वाले वर्ग की आवास सम्बन्धी समस्या का समाधान करने के लिये, (दो) किराये के ढांचे को युक्तियुक्त बनाने, (तीन) 'सलामी प्रणाली' समाप्त करने के लिये, (चार) किराया नियन्त्रण कानून सख्ती से लागू करने के लिये और (पांच) बड़ी इमारतों, भव्य भवन, न्यायालय आदि को आवास की समस्या का समाधान के लिये सरकारी प्रबन्ध के अधीन लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

किरीबुर लोह अयस्क निक्षेपों की सतही खनन योजना के लिये ठेका देना

6748. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के किरीबुर लौह अयस्क निक्षेपों की सतही खनन योजना के डिजाइन तथा इन्जीनियरिंग का ठेका मैसर्स डब्ल्यू० एस० एटकिंस एण्ड कम्पनी को देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मैसर्स डब्ल्यू० एस० ए० कम्पनी यह कार्य जापानी फर्म मैसर्स नितेत्सू के सहयोग से करेगी ;

(ग) क्या जापानी फर्म के साथ सहयोग के लिये सरकार को 4 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू० एस० ए० एण्ड कम्पनी ने यह सहयोग इस लिये किया है क्योंकि जापानी इंजीनियर उन अयस्क निक्षेपों में सतही खनन में कुछ विशेष तकनीकी कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारतीय इंजीनियरों और किसी अन्य भारतीय कम्पनी को, जिसमें भारतीय इंजीनियर काम पर लगे हुए है; यह कार्य क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिये क्योंकि इस कार्य-वाही से भारतीय इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : **(क) से (ङ)** : किरिबुर लौह अयस्क प्रायोजना के विस्तार और उपान्तरण हेतु अयस्क संसाधन तथा अयस्क उठाने-धरने के संयंत्र के डिजाइन एवं इंजीनियरिंग के लिये (और न कि प्रश्न में उल्लेखानुसार किरिबुर निक्षेपों के अध:स्थल खनन के लिये) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

लिमिटेड ने मैसर्स डब्ल्यू० एस० एटकिन्स एण्ड कम्पनी को ठेका देने की सिफारिश की है। प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स डब्ल्यू० एस० एटकिन्स एण्ड कम्पनी अपने विदेशी सहयोगी, जापानी कम्पनी मैसर्स नित्तेत्सु माईनिंग कन्सल्टेन्टस कम्पनी लिमिटेड की सहायता से कार्य करेगी, जिस के लिये उन्हें 4 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की अदायगी की जायेगी।

किरिबुर प्रायोजना के विस्तार एवं उपान्तरण की योजना की इंजीनियरी के लिए सिविल एवं इमारती कार्य के निर्माण के ब्यौरों सहित वर्तमान खान एवं संयंत्र का पूरा तथा विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है। क्योंकि मैसर्स नित्तेत्सु माईनिंग कन्सल्टेन्टस कम्पनी लिमिटेड जापान कन्सल्टिंग इन्स्टीट्यूट से सम्बद्ध थी, जिसने मूल किरिबुर प्रायोजना का डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्य किया अतः उन्हें मैसर्स डब्ल्यू० एस० एटकिन्स एण्ड कम्पनी के साथ सम्बद्ध करने के सुस्पष्ट लाभ हैं।

मैसर्स डब्ल्यू० एस० एटकिन्स एण्ड कम्पनी मुख्य भारतीय परामर्शदाता होंगे, जो विदेशी कम्पनी की सीमित तकनीकी सहायता के साथ कार्य प्रारम्भ करेंगे। प्रस्तावित ठेके के अधीन अधिकांश कार्य भारतीयों द्वारा भारत में ही किया जायेगा।

गोआ उर्वरक परियोजना के लिए उपकरणों की सप्लाई के लिये जापान की मैसर्स टोयो इंजीनियरिंग कम्पनी को दिया गया ठेका

6749. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ उर्वरक परियोजना के लिये प्रक्रिया, संयंत्र तथा उपकरणों की सप्लाई के लिये जापान की मैसर्स टोयो इंजीनियरिंग कम्पनी को टर्न-की कान्ट्रैक्ट दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र के उपकरणों तथा पुर्जों को भारत में से ही सप्लाई किया जायेगा ;

(ग) क्या निर्यात कार्यों के सिविल स्ट्रक्चरल भाग के डिजाइन तथा इंजीनियरिंग और सर्विस पाइप आदि कार्यों के निर्माण जैसी सहायक सुविधाओं का काम जापानी इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या बिड़ला बन्धुओं को उक्त कार्य करने हेतु भारतीय सलाहकार को नियुक्त करने को कहा गया था ताकि भारतीय इंजीनियरों की रोजगार सम्बधी क्षमता को बढ़ाया जा सके ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध देशीय उपकरण तथा पुर्जे देश में से प्राप्त किये जायेंगे।

(ग) गोआ परियोजना के लिये मैसर्स टोयो इंजिनिरिंग कारपोरेशन, इंडिया को निर्माण

ठेका दिया गया है। ठेके में और बातों के साथ साथ सिविल कार्यों के रूपांकन तथा इंजिनियरिंग के लिए भी व्यवस्था है। पता लगा है कि ठेकेदार इस कार्य को, उनकी अपनी संस्था, जिसमें भारतीय इंजीनियर हैं, की मार्फत या उप-ठेकेदारों के मार्फत करवायेंगे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) गोआ उर्वरक संयंत्र विदेशी निवेशकों के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। कम्पनी ने संयंत्र की स्थापना के लिये एक विदेशी ठेकेदार को ठेका दिया है और गोआ परियोजना में भारतीय परामर्शदाताओं को साथ मिलाने का प्रश्न नहीं उठा। किन्तु पता लगा है कि टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, इंडिया परियोजना की कार्यान्विति में इंजीनियर्स इंडिया, जो एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम है, को साथ मिला रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Ban on use of the Chemical Delson Powder

6750. Shri **Ramesh Chandra Vyas** : **Shri Prakash Vir Shastri** :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ban the use of the chemical, delson powder, as they have done in the case of cyclamates;

(b) whether it is a fact that this powder is being sold freely in the market and it is being used in many edibles; and

(c) if so, the time by which Government propose to ban its use ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The use of dulcin powder as a sweetening agent in any article of food is already prohibited under the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

(b) The reports received indicate that dulcin powder is being offered for sale and used in articles of food. This has been brought to the notice of the State Government authorities concerned who have been urged to take steps for the enforcement of law and prosecute the offenders.

(c) Does not arise.

Loss incurred by Synthetic Drug Factory Hyderabad

6751. **Shri Onkarlal Bohra** : **Shri Ramavtar Sharma** :
Shri Ramavatar Shastri ; **Shri Yashwant Singh Kushwah** :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Synthetic Drugs Factory Hyderabad has incurred a loss of seven crores of rupees;

(b) the details of profit and loss in respect of the said Factory for the last three years; and

(c) the reasons for such huge loss and the future plan of Government in respect of the said Factory ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The Synthetic Drugs plant has incurred a loss of Rs. 4.12 crores upto the end of 31.3.1969.

(b) The details of the loss are as follows :

Rs. in lakhs

Year	Loss before depreciation and interest	Depreciation and interest	Loss after depreciation and interest.
1966-67	-	-	-
1967-68	33.29	60.55	93.84
1968-69	129.22	189.68	318.90
Total	162.51	250.23	412.74

(c) The plant was essentially in the commissioning phase during this period and the rate of production was below installed capacity. It led to heavy incidence of fixed charges like depreciation and interest etc. on the production, Furthermore, the drugs produced at the plant had to be sold in a market containing lower priced drugs available through imports.

Suitable remedial steps have been taken either to ban or restrict the imports for the items which are in the production programme of this unit. Measures have also been taken to achieve rated capacities and to improve the efficiency of the plant. Certain diversification programmes are also under consideration. It is expected that the plant would reach break-even in 1971-72.

Transfer of Lady Doctors From C. G. H. S. Dispensaries

W 6752. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 453 on the 16th March, 1970 and State :

(a) The number of C. G. H. S. Dispensaries from which the male doctors are transferred frequently and the lady doctors allowed to continue there;

(b) Whether it is a fact that six male doctors have been transferred from the Malviya Nagar Dispensary during the last six years but the lady doctor is still continuing there; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health And Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No distinction is observed between male and female doctors under the C. G. H. S. in the matter of transfers which are generally made to regulate the work load of medical officers in different dispensaries, keeping in view the administrative convenience and the location of the residence of the medical officers.

(b) **and (c)** : C. G. H. S. Dispensaries are required to be under Class I Medical

Officers. The Malviya Nagar dispensary is situated at the periphery of the city and is not easy of access to Class I Medical Officers of C. G. H. S. except the present lady doctor who is residing in a nearby locality. She has been posted there with effect from 7-2-1968. Previously also she was Incharge of this dispensary from 5-8-1963 to 21-11-1966.

A statement giving information regarding transfers of medical officers from Malviya Nagar dispensary and the reasons during the last six years is attached.

[Placed in the Library. See. No. L. T. 3239-70]

1970 की ग्रीष्म ऋतु में राजधानी में पेयजल की कमी होने की आशंका

6754. **श्री देवकी नन्दन पटौदिया :** **श्री बलराज मधोक :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1970 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस आशय के लेख की ओर दिलाया गया है कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में राजधानी में पेयजल की कमी होगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि पानी की अतिरिक्त मात्रा को साफ करने की व्यवस्था है तथापि इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वितरण लाइनों की व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार स्थिति से निपटने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार को दिये गये उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण

6755. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री रमेश चन्द्र व्यास**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने सभी "अनुत्पादक" ऋणों की बट्टे खाते डालने तथा "उत्पादक" ऋणों के भुगतान की अवधि में परिवर्तन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत अलग-अलग ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) **और (ग)** : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Grant of Loan to Bihar During the year 1970-71

6756. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Government of Bihar have sought central grants to the tune of Rs. 23 crores with a view to making up their deficit for the year 1970-71; and

(b) if so, the decision of the Central Government thereon ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : **(a) and (b)** : For meeting their budget deficit of Rs. 23 crores in 1970-71, the Government of Bihar have asked for funds from the provision of Rs. 175 crores made in the Central Budget for giving special accommodation (by way of loan) to certain States.

The mere exhibition of a budgetary deficit would not qualify a State for special assistance. The provision in the Central Budget is intended only for such States which, in the assessment of the Planning Commission, may have inescapable gaps in resources for financing their approved Plan outlays. Since, according to the Planning Commission, Bihar is not likely to have such a gap, the question of providing any special assistance to the State Government does not arise.

टाइप 3 क्वार्टरों के पारी से बाहर आवंटन के मामले

6757. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइप 3 के क्वार्टरों के पारी से बाहर आवंटन सम्बन्धी मामलों की जांच के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति ने दिसम्बर 1969 में अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है और निष्कर्षों के बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों को जिनको विशेष समिति द्वारा क्वार्टर-देने की मंजूरी दी गई है, लगभग तीन महीने व्यतीत होने के बाद भी पारी के बाहर आधार पर अभी तक कोई क्वार्टर नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन व्यक्तियों को कब तक क्वार्टर अलाट कर दिये जायेंगे विशेषकर जब कि उनके मामलों में उच्च शक्ति वाली समिति ने मंजूरी दे दी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) टाइप III के चिकित्सा आधार पर बिना बारी के स्वीकृत 136 मामले शेष थे जिसे विशेष वास समिति द्वारा पुनरीक्षण करना था। इनमें से, अब तक 85 मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; 53 मामलों में टाइप **II** में बिना बारी का आवंटन स्वीकृत कर दिया गया है। (जो सम्बन्धित आधिकारियों के ठीक निचली श्रेणी का टाइप है)

जबकि 32 मामलों को समिति ने पुनरीक्षण के बाद रद्द कर दिया है। सिवाय एक मामले के समिति के निर्णय सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित कर दिए गए हैं।

(ख) 25 व्यक्तियों को वास्तव में आवंटन कर दिए गए हैं। दो व्यक्ति अंपात्र कार्यालया में हस्तान्तरित हो गए हैं, अतएव वे अब सामान्य पूल वास के आवंटन के पात्र नही रहे हैं जबकि एक व्यक्ति ने सूचित किया है कि उसे टाइप **II** के क्बार्टर के आवंटन किये जाने में रुचि नहीं है।

(ग) पुनरीक्षण के बाद समिति द्वारा अनुमोदित स्वीकृतियों के विपरीत चिकित्सा आधार पर केवल 12.5 प्रतिशत रिक्तियों को तदर्थ रूप में आवंटन के लिये आरक्षित किया जाता है तथा इन व्यक्तियों को आवंटन मकानों की उपलब्धता पर ही किया जा सकेगा।

Conversion of D. C. into A. C. in D. I. Z. areas, New Delhi

6758. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had changed electric wires four or five years ago to convert D. C. into A.C. in the Government quarters located in D. I. Z. Areas;

(b) whether New Delhi Municipal Committee has already announced an increase in rates of D. C. current after the 31st March, 1970;

(c) the reasons for which Government employees living in the above mentioned quarters are being compelled to pay more towards electricity merely for not providing A. C. there by the authorities; and

(d) the time by which Government propose to provide A. C. current in the said quarters ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : The New Delhi Municipal Committee have not so far charged increased rates from Government employees.

(d) The work of internal wiring connected with the conversion of D. C. into A. C. supply in those houses which are not likely to be demolished in the near future for the re-development of the D. I. Z. area, has been recently awarded by the Central Public Works Department and is likely to be completed in about a year's time.

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाना

6759. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां भूकम्प आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों में मकानों के निर्माण में किये जाने वाले डिजाइनों तथा सामान के बारे में सरकार ने कोई योजना बनाई है ताकि वे भूकम्प आने पर न गिरें; और

(ग) क्या जापान में ऐसे मकान बनाये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां । भूकम्प विवर्तनिक इतिहास के आधार पर भूचाल के धक्कों की जिस संभावित तीव्रता की प्रत्येक परिक्षेत्र में प्रत्याशा की जा सकती है उसे संशोधित मरकेल्ली पैमाने पर दिखाता हुआ देश का एक भूकम्पी परिक्षेत्र मानचित्र भारतीय मानक संस्था के तत्वधान में तैयार किया गया है ।

(ख) जी, हां । भारतीय मानक 1893-1966, संरचनाओं के भूचाल प्रतिरोधी डिजाइन के लिये कसौटी अधिकथित करता है ।

(ग) जी, हां ।

चण्डीगढ़ कार्यालय में आयकर के अनिर्णीत मामले

6760. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ कार्यालय में बकाया आयकर के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) उनको निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चंडीगढ़ स्थित आयकर कार्यालय में, 31 मार्च, 1970 को, कर-निर्धारण के 1758 मामले निपटान के लिये बकाया थे ।

(ख) बकाया काम दो महीनों के कार्यभार के बराबर है तथा इसे सामान्य तौर पर निपटाया जा सकेगा । इसलिए इसके निपटान के लिये कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति के क्षेत्र में अनुसंधान

6761. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के क्षेत्र में कोई अनुसंधान कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने की कोई परियोजना बनाई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) **संग्रथित औषध अनुसन्धान योजना** के अन्तर्गत अध्ययन किये गये 58 पौधों में से 18 पौधों से उत्साहजनक संकेत प्राप्त हुए हैं और उनमें से 8 पर आगे काफी अन्वेषण हो चला है । अनुसंधान के अन्तर्गत 15 समस्याओं को अन्वेषण के लिये लिया गया था और इनमें से 5 से आशाजनक संकेत प्राप्त हुए हैं तथा इन योजनाओं पर विस्तृत अन्वेषण जारी हैं । साहित्यिक अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 मूल्यवान पांडुलिपियों का प्रकाशनार्थ सम्पादन कर लिया गया है तथा 24

अन्य पाण्डुलिपियों का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है । मानकी करण कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 आयुर्वेदिक योगों के लिये प्रारम्भिक मानक पहले ही बना लिये गये हैं। **औषध पादप सर्वेक्षण** कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 8000 औषध पादपों को एकत्र कर लिया गया है ।

(ग) आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्यौपैथी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी में अनुसंधान के लिये एक केन्द्रीय परिषद की स्थापना की गई है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में गन्धक के निर्माण के लिये उद्योगों के विकास का कार्यक्रम

6762. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गन्धक के निर्माण के लिये उद्योगों के विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक कार्यक्रम को कितना क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) इसकी वर्तमान मांग तथा पूर्ति की स्थिति क्या है और उस कार्य क्रम के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक मांग तथा पूर्ति की कमी को कितना कम कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गन्धक के निर्माण के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है। किन्तु, मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 16,000 मीट्रिक टन गन्धक उत्पादित किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गन्धक की वर्तमान मांग का अनुमान लगभग 600,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष है । देश में तात्विक गन्धक का कोई साधन न होने के कारण, जरूरतों को आयातों से पूरा किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में गन्धक की सप्लाई की स्थिति इस समय बहुत संतोषजनक है । गन्धक का प्रयोग करने वाले उद्योगों में गन्धक के प्रतिस्थापन से गन्धक की जरूरत न्यूनतम स्तर तक रखी जाती है । सिन्दरी में आयरन पाइराइटस पर आधारित एक 400 मीटरी टन प्रतिदिन सल्फयूरिक एसिड संयंत्र की स्थापना की गई है और सिन्दरी में अतिरिक्त 800 मीटरी टन प्रतिदिन सल्फयूरिक एसिड की स्थापना के लिये एक दूसरी योजना कार्यान्वित की जा रही है। उदयपुर और अल्वाय में जिंक समैल्टर्स से भी सल्फयूरिक एसिड उपलब्ध किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, घाटसिला तथा खेतरी में कापर पाइराइटस से सल्फयूरिक एसिड उपलब्ध करने की योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं । इन सभी योजनाओं के मुकम्मल हो जाने पर लगभग 200,000 मीटरी टन तक तात्विक गन्धक का प्रयोग बदला जा सकेगा ।

मंत्रियों और उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विदेशी कारों के स्थान पर भारतीय कारों का प्रयोग

6763. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रियों और

उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा रही विदेशी कारों के स्थान पर भारतीय कारों का प्रयोग करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Beautification of Delhi

6764. **Shri Molahu Prashad** :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urabn Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority has drawn certain new schemes for making the Capital attractive from tourists point of view according to the news item published in the 'Samachar Bharati' dated the 26th March, 1970; and

(b) if so, the complete details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :

(a) Yes.

(b) The following beautification schemes are proposed to be undertaken during this year :—

(1) Saplings of flowering and other trees are being planted in more than 200 acres of area around Hauz Khas Monument. In 70 acres, it is proposed to have a Deer Park. It is also proposed to develop a lake behind the monument.

(2) A lake on G. T. Road near Shahdara is also being developed. Ornamental flowering plants and lawns will be developed in about 15 acres of area around this lake.

(3) The development of the lake at Dhaula Kuan is already in hand. Here also, flowering trees have been planted, and lawns have been laid.

(4) The rocky and barren area around Kalkaji temple, measuring 20 acres, is proposed to be developed into a garden. Shady flowering trees will also be planted in this area in large numbers.

(5) The area on both sides of the Najafgarh Road is proposed to be planted with forest species during the coming rainy season which will act as a woodland and also wind-break in due course of time.

(6) Plantation of trees will also be done in barren areas adjoining Tughlakabad Fort and Muradabad-Ki-Pahari near Vasant Vihar.

Family Planning Programme among Muslims.

6765. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 75 on the 21st July, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that Muslims in Uttar Pradesh have opposed the family planning and loop insertion programmes;

(b) whether it is also a fact that the family planning programme is restricted to Hindu and Scheduled Caste communities only;

(c) the measures taken by Government to popularize the said programme among all communities; and

(d) the details of information received from Uttar Pradesh Government in this regard ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No. Government of Uttar Pradesh have informed that family planning and loop insertion programmes have been extended and service facilities made available to all communities without any distinction of caste, creed and religion, and all the communities are availing of them.

(b) No.

(c) Extensive use has been made of all available channels of communication to popularise the family planning programme among all sections of the society. In addition there is a network of Rural Family Welfare Planning Centres and Sub-centres and Urban Family Welfare Planning Centres. Those service centres and the peripheral field staff also play a major role in popularising the programme among all communities.

(d) According to the information received the details of Mass Education and Media Activities carried out during 1969-70 in the State of Uttar Pradesh for creating mass awareness among all sections of the Society are given below —

A. Display Pudlicity.	**Numbers added during 1969-70 Describtion of Media.**
1. Hoardings	179
2. Wall Paintings	8075
3. Bus Boards and Bus Panels	1845
4. Rickshaw Plates	15210
5. Metallic Tablets	10416
6. Match Box Labels	3.5 lac
B. Song, Drama and Cultural Programme.	**3175**
C. Cinema Slides.	**900**
D. Exhibitions.	**883**
E. Orientation Training Camps.	**751**

सरकारी उपक्रमों में रूसी तकनीशियन

6766. **श्री सु० कु० तापडिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी उपक्रमों में कुल कितने रूसी तकनीशियन नियुक्त हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनको कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन उपक्रमों को प्रतिवर्ष कितना लाभ / हानि हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है जिसमें सोवियत सहायता प्राप्त सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में आवश्यक ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3240/70]

एक असिस्टेंट कलेक्टर के यात्रा के भत्ते पर आने वाला खर्च

6767. **श्री लताफत अली खान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक असिस्टेंट कलेक्टर के यात्रा भत्ते पर अनावश्यक तथा अपरिहार्य व्यय के बारे में 15 जनवरी, 1970 के दिल्ली के 'दारूल सल्तनत' नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी नहीं। नियमों के अधीन, सहायक समाहर्ताओं के यात्रा भत्ते को विनियमित करने के प्रयोजनों से, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता, नियन्त्रक अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। उक्त लेख की प्रतिलिपि और प्रश्न में उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरों के उपलब्ध नहीं होने से सरकार के लिये आगे जांच करना सम्भव नहीं है।

अमरीका के डाक्टरों की रिपोर्ट कि फिल्टर सिग्रेटों से कैंसर नहीं हो सकता

6768. **श्री मुहम्मद शरीफ : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दो अमरीकी डाक्टरों ने यह रिपोर्ट दी है कि अन्य सिग्रेटों की अपेक्षा फिल्टर सिग्रेट अहानिकर हैं और इनसे कैंसर नहीं होता ;

(ख) क्या सरकार सिग्रेट निर्माताओं को इस आशय के कोई अनुदेश देगी कि वे भविष्य में केवल फिल्टर सिग्रेट ही बनायें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) ऐसी कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। तम्बाकू के धुएं और तारस (Tars) में पाये जाने वाले कुछ रसायनिक योगों में जो कुछ सीमा तक सिग्रेट फिल्टर में समाविष्ट हो जाते हैं, कर्कट-जनक (कार्सिनोजेनिक) गुण होते हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) अभी तक ऐसा कोई सिग्रेट फिल्टर नहीं निकाला गया है जो कर्कट-जनक तत्व के प्रवाह को निश्चित रूप से रोक सके।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अल्युमीनियम के मूल्य तथा उसके उत्पादन का विनियमन

6769. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा लाइसेंस शुदा इकाईयों द्वारा उत्पादित अल्युमिनियम तथा इसके उत्पादों के मूल्य को विनियमन करने के सम्बन्ध में निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन भारत सरकार ने 21 मार्च, 1970 से प्रभावी एल्युमिनियम (नियन्त्रण) आदेश, 1970 जारी किया। नियन्त्रण आदेश के अधीन अधिसूचना जारी करके सरकार ने तत्समय के लिए 28 फरवरी, 1970 के दिन प्रवर्तमान फैक्टरी-बाह्य मूल्य को एल्यूमिनियम तथा उसके उत्पादों के विक्रय मूल्य नियत किये हैं। फैक्टरी-बाह्य मूल्य में व्यापारी का कमीशन सम्मिलित है परन्तु उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर या स्थानीय कर, यदि कोई हो, तो इसमें सम्मिलित नहीं। इसमें परिवहन प्रभार या इन्शोरेन्स प्रभार, यदि कोई हो तो, वह भी सम्मिलित नहीं सरकार ने इसके साथ ही एक कार्यकारी दल गठित किया है जो सेमिज उद्योग सहित एल्यूमिनियम उद्योग के मूल्य ढांचे की जांच करेगा और एल्यूमिनियम उद्योग के लिये सोचे गये विकास को ध्यान में रख कर और उपभोक्ता उद्योगों की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रख कर मूल्य निर्धारण तथा वितरण नीति के सम्बन्ध में सिफारिशें देगा।

आयकर अधिनियम की चौथी अनूसूची में रुई उद्योग को शामिल किया जाना

6770. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उसने उद्योग को आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूचि में शामिल किये जाने तथा विकास छूट आदि दिये जाने के बारे में यथापूर्व स्थिति बनाने की वकालत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

दिल्ली में बंगलों के स्थान पर बहुमंजिले मकान बनाने के बारे में अध्ययन करने के लिये एक प्रभाग (सैल) का स्थापित किया जाना

6771. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिये जो बंगलों को गिराने

तथा उनके स्थान पर बहुमंजिले मकान बनाने की योजना से पैदा हो सकती है, एक प्रभाग (सैल) स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्थापित किये गये इस प्रभाग से सरकार को इस मामले में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन प्रभाग द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, अभी नहीं ; परन्तु सम्पूर्ण प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) से (ङ) फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वास्थ्य शिक्षक सम्मेलन

6772. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य शिक्षकों के सम्मेलन में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में विभिन्न एककों के कार्यकर्त्ताओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्मेलन में की गयी सिफारिशों के उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3241/70]

आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला खानों का विदोहन

6773. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : **श्री ईश्वर रेड्डी** :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्निगुंडाला सीसा खानों का अन्वेषण तथा विदोहन पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ

राव) : (क) जी, नहीं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अग्निगुंडला खनिजायन पट्टों के तीन खंडों अर्थात् बन्डलामोट्टू, नल्लाकोन्डा तथा घुकोन्डा में केवल प्रारंभिक भूवैज्ञानिक समन्वेषण कार्य ही पूरा किया गया है।

(ख) इन निक्षेपों में अब तक किये गये समन्वेषण कार्य के आधार पर अयस्क की उपलभ्य राशियों के निम्नलिखित प्रारंभिक अनुमान लगाये गये हैं।

	सीसा अयस्क	धातु मात्रा की प्रतिशतता	तांबा अयस्क	धातु मात्रा की प्रतिशतता
बन्डालामोट्टू	98.5 लाख मैट्रिकटन	6.31 प्रतिशत	10.2 लाख मैट्रिक टन	1.03 प्रतिशत
नल्लाकोन्डा खण्ड	–	–	49.1 लाख मैट्रिक टन	1.48 प्रतिशत
घुकोन्डा खंड	4.6 लाख मैट्रिक टन	8.98 प्रतिशत	21.54 लाख मैट्रिक टन	1.51 प्रतिशत

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था इस समय बन्डालामोट्टू खंड में गहरा व्यधन कर रही है और मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा इस खंड में विस्तृत समन्वेषण किया जा रहा है।

सीसा निक्षेपों के वाणिज्यिक स्तर पर समुपयोजन हेतु विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने की दृष्टि से बन्डालामोट्टू खंड में समन्वेषी खनन करने की एक योजना का कार्य हाल ही में प्रारम्भ किया गया है। मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड नल्लाकोंड्रा खंड के विकास हेतु एक सम्भाव्यता रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है।

इस्पात कारखानों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

6775. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कोयला खान मालिकों ने इस्पात कारखाने को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या अर्थ-दण्ड लगाया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) इस्पात संयंत्रों को कोयले का प्रोग्राम उन्हें स्वीकार्य स्रोतों के अनुसार बनाया जाता है। उन्हें आपूर्ति की गई वास्तविक कोटि के संबंध में कभी-कभी विवाद उठा जाता है। अतः इस प्रकार के विवादों का निपटारा करने के लिये चारी समिति द्वारा संयुक्त प्रतिचयन की एक योजना प्रस्तुत की गई है, जिसे सम्भरकों तथा उपभोक्ताओं के मध्य आपस में समझौते के द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों की लागत में कमी करना

6776. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली में कितने मकान बनाने का विचार है ; और

(ख) मकानों की लागतों को, जो कि जनसाधारण की पहुंच से बाहर है, कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यम आय वर्ग में 5,436 फ्लैट, और निम्न आय वर्ग में 4,550 फ्लेट निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) मकानों की लागत भूमि के अर्जन और विकास की लागत, निर्माण के ठेकों की लागत, तथा प्रशासनिक प्रभारों का ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है । लागत की इन मदों में वर्तमान परिस्थितियों में कमी नहीं हो सकती ; परन्तु भवन सामग्री के पूर्वगठन और बड़े पैमाने पर आवास निर्माण के यंत्रीकरण के माध्यम से लागत में कमी करने के प्रश्न पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

Demolishing of Trans-Yamuna Colonies by D. D. A.

6777. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of trans-Yamuna colonies proposed to be demolished by the Delhi Development Authority and the number of notices served in this connection,

(b) whether Government are considering any scheme to develop the existing colonies with minimum additions and alterations in the houses already built there by the people during the last 15 to 20 years after realizing development charges from them;

(c) if not the difficulties being faced by Government in this direction; and

(d) the number of colonies in Delhi, other than the trans-Yamuna colonies, proposed to be demolished by the Delhi Development Authority ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : **(a) and (d)** : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) and (c) : The Municipal Corporation of Delhi have regularised 45 unauthorised trans-Yamuna colonies. These colonies will be developed in phases on payment of certain development charges by the plot-holders/house-owners in instalments. The question of regularisation of 19 more such colonies, whose land-use is residential, is under the consideration of the Corporation.

Information in this behalf regarding the colonies falling within the jurisdiction of the D. D. A. is being collected and will be laid on the Table of the House.

चौथी पंचवर्षीय योजना में अल्यूमिनियम उद्योग का विकास

6778. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा** धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में अल्यूमिनियम उद्योग का विकास करने तथा इस धातु का आयात करने के बारे में समग्र नीति क्या है ; और

(ख) 1970-71 में कितने तथा किस प्रकार के अल्यूमिनियम आयात करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एल्यूमिनियम की अनुमानित धरेलू मांग तथा सम्भावित उत्पादन निम्न प्रकार से है :-

(आंकड़े हजार मैट्रिक टन में)

	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
घरेलू मांग	205	233	254	274
उत्पादन	162.3	200.8	205	278.3

एल्यूमिनियम के उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता 163, 850 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। निर्यातों सहित बढ़ती हुई मांग की दीर्घावधि आधार पर पूर्ति करने के लिये चौथी योजनावधि या पांचवी योजनावधि के प्रारंभ में प्राप्ति के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन , 309, 500 मैट्रिक टन की सीमा तक अतिरिक्त क्षमता पहिले ही अनुज्ञप्त की जा चुकी है या अभिप्राय पत्रों के अन्तर्गत आती है।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, 1970-71 वर्ष के दौरान 25,000 मैट्रिक टन ई. सी. ग्रेड के एल्यूमिनियम का आयात किया जाना प्रस्तावित है। इस स्थिति का कि क्या अतिरिक्त आयात भी आवश्यक है, वर्ष के दौरान पुनरावलोकन किया जायेगा।

एक दण्डाधीश द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विरुद्ध की गई टिप्पणियां

6779. **श्री स० कुण्डू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक दण्डाधीश ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की, जो कि एक सरकारी उपक्रम है, घोर निन्दा की है और कहा है कि मुख्य भण्डारी के विरुद्ध दायर एक मामले में इसका व्यवहार अनुचित था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दण्डाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस मुख्य भंडारी को बहाल कर दिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक भूतपूर्व मुख्य भंडारी श्री सी० एम० वर्गीज

के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा 353 के अन्तर्गत 1967 के आपराधिक केस संख्या 108 में देहरादून के अतिरिक्त दण्डाधीश ने अपने निर्णय में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण पर कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील का फैसला करते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यक्त किया कि दण्डाधीश की टिप्पणियां अनुचित थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में मक्खियों और मच्छरों के उत्पात में वृद्धि

†6780. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी में मक्खियों और मच्छरों के हाल में बढ़े उत्पात में हाल में हुई वृद्धि और आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस उत्पात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष के इन दिनों में दिल्ली में मक्खियों तथा मच्छरों की संख्या में वृद्धि होना एक सामान्य बात है। डेरी जैसी कई परियोजनाओं के बढ़ने तथा उनसे पशुओं की संख्या में वृद्धि होने, खुली नालियां, गन्दे पानी के नाले कहीं से खुल जाने तथा खुले पाखानों के कारण कलीसाइन मच्छरों की एक प्रकार की जाति, जो कि मलेरिया उत्पन्न करने वाली नहीं होती है, के अधिक मात्रा में पैदा होने में सुविधा होती है।

(ग) 1. लाखा निरोधक उपाय बढ़ा दिये हैं।

2. इस समस्या पर पुनर्विलोकन करने के लिये दिल्ली प्रशासन समन्वय समिति की समय समय पर बैठक होती है जो समुचित उपायों की भी सिफारिश करती है।

कर एकत्रीकरण पर व्यय

6781. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आयकर तथा उत्पादन शुल्क का प्रति 1000 रुपये एकत्र करने पर अनुमानत: कितना प्रशासनिक व्यय किया गया ; और

(ख) प्रशासनिक व्यय को कम करने के बारे में क्या उपाय अपनाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1968-69 संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार द्वारा आय-कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों की वसूली पर किया गया प्रशासनिक व्यय कर की प्रत्येक 1000 रुपये की वसूल रकम पर लगभग 19.6 रुपये आता है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रत्येक 1000 रुपये की वसूल रकम पर लगभग 9.70 रुपये आता है।

(ख)जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से पता चलता है, वसूली की उल्लिखित लागत अधिक नहीं है। फिर भी, स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा नियमित मितव्ययिता और अधिकतम कार्यकुशलता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम रखने की दिशा में सभी संभव प्रयत्न किये जाते हैं।

अवर श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन-मानों में वेतनवृद्धि दरों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव

6782. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)केन्द्रीय सरकार के अवर श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन-मानों में वेतन वृद्धि दरों का पुनरीक्षण करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या ऐसी दरों के पुनरीक्षण का काम तीसरे वेतन आयोग को सौंपा जा रहा हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन ढ़ांचे पर तीसरे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायगा जिसके निर्देश-पदों के शीघ्र ही घोषित किये जाने की आशा है।

सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में निर्मित न्यायिकेतर टिकट के लिए कागज

6783. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में न्यायिकेतर टिकट बनाने के लिये बनाये गये कागज को सिक्योरिटी पेपर मिल, नासिक द्वारा अनुपयुक्त पाया गया था ; और

(ख)यदि हां, तो कितना कागज अनुपयुक्त पाया गया, उसकी लागत कितनी है तथा उसको ले जाने और वापस लाने पर भाड़े इत्यादि के रूप में कितनी राशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिङ्ग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली

6784. **श्री राज देव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिङ्ग सोसायटी, लिमिटेड दिल्ली द्वारा भूमि के विकास के सम्बन्ध में 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2047 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि उक्त सोसायटी ने दिनांक 30 जनवरी, 1970 के एक परिपत्र द्वारा अपने अंश धारियों को सूचित किया था कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने सोसायटी का नक्शा पास कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सोसायटी के 'फाइनल' नक्शे के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ;

(ग) फाइनल नक्शे को पास करने के रास्ते में किस प्रकार की कठिनाइयां है ; और

(घ) फाइनल नक्शे को कब तक पास किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में काउंटिंग मशीन

6785. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में काउन्टिग मशीनों की संख्या कितनी है ;

(ख) वे कब प्राप्त की गई तथा किस तारीख तक चालू हालत में थी ;

(ग) 1 जून, 1968, 1 जून, 1969 तथा 1 मार्च, 1970 को उनमें से कितनी चालू हालत में थीं ;

(घ) क्या उन मशीनों को, जब तक एक भारतीय मकैनिक द्वारा मरम्मत न की गई थी तब तक ऐसा समझा जाता था कि इन की भारत में मरम्मत नहीं हो सकती है ; और

(ङ) भारत में उनकी मरम्मत किये जाने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई और मरम्मत करने वाले व्यक्ति को कितना इनाम दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) सात ।

(ख) दो मशीनें 3-5-1965 को, दो 6-7-1965 को, दो 6-7-1966 को और सातवीं मशीन 25-4-1967 को प्राप्त हुई थी । थोड़ी-सी अवधि को छोड़ कर, जबकि मशीनों की सामान्य मरम्मत, सफाई आदि की जानी थी, ये मशीनें उस समय से लगातार काम में लायी जा रही हैं जबकि इन्हें चालू किया गया था ।

(ग) छः मशीनें 1 जून, 1968 को; सात मशीनें 1 जून, 1969 को; और सात मशीनें 1 मार्च, 1970 को ।

(घ) और (ङ) : इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड से प्राप्त एक मशीन की मरम्मत किये जाने की जरूरत थी । इसके बारे में यह नहीं सोचा गया था कि भारत में इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती ; मशीन की मरम्मत मिल में ही कर ली गयी थी । इसलिए विदेशी मुद्रा की बचत का अथवा इनाम देने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सिक्योरिटी मिल्स में काम कर रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारी

6786. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल्स में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में प्रत्येक राज्य के पृथक-पृथक कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उक्त कर्मचारियों में से पृथक-पृथक श्रेणियों में मध्य प्रदेश के कितने स्थायी निवासी कर्मचारी हैं ;

(ग)क्या मध्य प्रदेश से की जाने वाली भर्ती मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकृत निर्णयों के अनुसार है ; और

(घ)यदि नहीं, तो स्थानीय व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : **(क) और (ख)** : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिस में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में काम करने वाले पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों में प्रत्येक राज्य के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3242/70]

(ग) और (घ) : सिक्योरिटी पेपर मिल, केन्द्रीय सरकार का एक विभागीय उपक्रम है और इस संगठन में कर्मचारियों की भर्ती इस प्रकार के उपक्रमों पर लागू होने वाले अनुदेशों के अनुसार की जाती है। मिल में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व काफी है और इस में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जयपुर मैटल्स लिमिटेड की लेखा-पुस्तकों का पकड़ा जाना

6787. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा जयपुर में मेसर्स जयपुर मेटल्स लिमिटेड के दस्तावेजों तथा लेखा पुस्तकों को पकड़ा गया था ;

(ख)क्या दस्तावेजों से कर अपवंचन का पता चलता है ; और

(ग)यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल नहीं उठते।

करोल बाग दिल्ली में देशबन्धु गुप्ता रोड को चौड़ा करना

6788. **श्री प० मू० सईद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने करोल बाग दिल्ली में देशबन्धु गुप्ता रोड (पुरानी ओरिजनल रोड) की चौड़ा करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शरणार्थियों की कुछ दुकानों इत्यादि, जो लकड़ी के खोखों में हैं और जिन्हें देश के विभाजन के बाद स्थापित किया गया था, उक्त सड़क के कुछ भागों से हटाने की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे खोखों की संख्या कितनी है ;

(घ) इन खोखों में रहने वाले/व्यवसाय करने वाले शरणार्थियों को वैकल्पिक वाणिज्यक/रिहायशी आवास देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ङ) कब तक तथा किस अभिकरण के माध्यम से वैकल्पिक आवास दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सड़क दिल्ली नगर निगम द्वारा चौड़ी की जा रही है।

(ख) से (ङ) : सड़क की पटरी पर विस्थापित व्यक्तियों के कुछ खोखे इस सड़क के चौड़ा किये जाने से प्रभावित हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन प्रभावित व्यक्तियों को वैकल्पिक वास दिये जाने का प्रस्ताव है, जो गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय ऋण योजना

6789. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये पूंजी निदेश प्राथमिकताओं के अनुकूल, एक राष्ट्रीय ऋण योजना तैयार करने के बारे में हाल में निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) **और** (ख) : जी, नहीं। यह जरूरी है कि बैंकिंग के क्षेत्र में ऋण सम्बन्धी आयोजना लचकीला हो ताकि समय समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति पर लगातार नजर रखता है और जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त परिवर्तन कर देता है। बैंक-ऋणों के सवितरण के लिए स्थूल रूप से कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाय कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, खुदरा व्यापारियों और स्वतंत्र रूप से काम-धन्धा करने वाले व्यक्तियों जैसे अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों की सभी सक्षम प्रायोजनाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो सकें। इनसे यह भी सुनिश्चित हो जायगा कि बड़े पैमाने के उद्योगों को उनकी उत्पादन संबन्धी आवश्यकताओं की तुलना में अत्यधिक ऋण न दिया जाय और सट्टेबाजी तथा असामाजिक प्रयोजनों के लिए ऋण देना बन्द हो।

पन्ना हीरा खानों का विस्तार

6790. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : **श्री गं० च० दीक्षित** :

क्या **पेट्रोलियम और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्ना हीरा खानों से हीरे निकालने के कार्य के विस्तार के बारे में कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, (1) मझगावन खानों से प्रति वर्ष 12,000 कैरेट से 22,500 कैरेट तक उत्पादन बढ़ाने ; (2) मझगावन में खुली खुदाई खान का विस्तार तथा प्रति वर्ष 22,500 कैरेट उत्पादन के लिये मझगावन में भूमिगत खान का विकास करने ; और (3) प्रति वर्ष 25,000 कैरेट का उत्पादन करने के लिये पन्ना के मिश्र पिंडाश्य निक्षेपों पर आधारित एक खान का विकास करने के प्रस्ताव हैं।

विस्तृत अन्वेषण पूरे कर लिये जाने तथा आवश्यक सम्भाव्यता रिपोर्टों को तैयार कर लेने के उपरांत ही योजनाएं प्रारंभ की जायेंगी।

तस्करी वाले माल की सूचना देने वाले को पुरस्कार

6791. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों को कितनी राशि के पुरस्कार दिये गये हैं, जिनकी जानकारी के फलस्वरूप अवैध तथा तस्करी का माल पकड़ा गया है ;

(ख) यह पुरस्कार निर्धारित करने का आधार क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उस व्यक्ति को 25000 रुपये का पुरस्कार दिया है जिसकी जानकारी के आधार पर जनवरी , 1969 को कोचीन सीमा शुल्क अधिकारी चित्तुवायी की सकरी खाड़ी के निकट 40,000 तोले सोना और 4998 कलाई घड़ियों को पकड़ने में सफल हुए थे ;

(घ) क्या यह पुरस्कार इस विषय में नियमों के अनुकूल हैं ; और

(ङ) क्या इस मामले में कुछ और राशि का भुगतान किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 25,000 रुपये ।

(ख) यह रकम, सूचना के स्वरूप और उपयोगिता के आधार पर निश्चित की गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इस मामले में अतिरिक्त पुरस्कार दिये जाने के औचित्य के बारे में तथा यदि अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाना है तो उसकी रकम के बारे में निर्णय, सूचना का अन्तिम रूप से मूल्यांकन किये जाने के बाद ही किया जायगा ।

सीमा शुल्क दस्ता द्वारा गुरुवायर (केरल) में गश्त लगाया जाना

6792. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गुरुवायर में किन परिस्थितियों में 10 जनवरी , 1969 (11 बजे रात के बाद) 18 जनवरी, 1969 तथा 20 जनवरी , 1969 को समुद्री गश्त पर तथा फिर 24 जनवरी, 1969 को कुछ मकानों की तलाशी लेने के लिए सीमा शुल्क गश्ती दस्तों को भेजा गया था ;

(ख) इस तलाशी के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस तलाशी के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह विश्वास करने का कारण होने से कि उस क्षेत्र में तस्कर- व्यापार किये जाने की सम्भावना है और यह कि चोरी-छिपे लाया गया माल तथा उससे सम्बन्धित दस्तावेज उक्त स्थान में गुप्त रूप से रखे गये हैं, ऐसा किया गया था ।

(ख) तथा (ग) : तस्कर व्यापार से सम्बन्धित दस्तावेज पकड़ लिये गये थे और बाद की तलाशियां बम्बई में ली गयी थीं ,जहां तस्कर-आयात का सोना तथा हीरे पकड़े गये ।

केन्द्रीय करों की बकाया राशि की वसूली

6793. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में जब प्रधान मन्त्री ने वित्त मन्त्रालय का कार्यभार स्वयं सम्भाला था, उस समय विभिन्न केन्द्रीय करों की बकाया राशि की क्या स्थिति थी ;

(ख) इन करों की बकाया राशि की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) आयकर अपवंचन के लिये सजा को बढ़ाये जाने के कारण सरकार को कितनी सफलता मिली है और क्या सरकार अब तक प्राप्त किए गए परिणामों से संतुष्ट है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख)

	31 जुलाई 1969 को केन्द्रीय करों की बकाया की स्थिति	1 जनवरी 1970 को केन्द्रीय करों की बकाया की स्थिति
	(लाख रुपयों में)	
आयकर	5,54,08 *	5,12,08†
धनकर	7,26	5,65
सम्पदा शुल्क	8,32	7,10
दान-कर	1,44	1,07
व्यय-कर	29	26
सीमा शुल्क	1,08	94 **
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	31,97	41,24 ††

* यह 30 जून 1969 की स्थिति है ।

† यह 31 दिसम्बर 1969 की स्थिति है ।

** यह 31 मार्च 1970 की स्थिति है ।

†† यह 31 जनवरी 1970 की स्थिति है ।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर से यह दिखायी देगा कि आयकर सहित वस्तुतः प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत, राजस्व सम्बन्धी बकाया को समाप्त करने में सुधार हुआ है । आय कर अधिनियम के अन्तर्गत, दण्ड में वृद्धि करने विषयक उपबन्धों को केवल हाल ही में लागू किया गया है तथा ये 1 अप्रैल 1968 के बाद दाखिल की गयी विवरणियों पर लागू होते हैं । अतः इन उपबन्धों के प्रभाव के बारे में इतनी जल्दी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । सरकार स्थिति की समीक्षा करती रहती है तथा समय समय पर, स्थिति पर काबू पाने के लिये आवश्यक पाये जाने वाले प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय करती रहती है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

6794. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में भारतीय तेल निगम ने कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया था और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : भारतीय तेल निगम ने 1968-69 और 1969-70 के दौरान क्रमश: 3.70 करोड़ रुपये के मूल्य के 272,000 मीटरी टन और 5.50 करोड़ रुपये के मूल्य के 405,000 मीटरी टन पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मात्राएं निर्यात की।

"तलाश" फिल्म पर खर्च

6795. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री ओ० पी० रलहन द्वारा निर्मित और निर्देशित "तलाश" नामक फिल्म के निर्माण की ओर दिलाया गया है, जिसके निर्माण पर एक करोड़ रुपये से अधिक लागत आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिस्थितियों की जांच की गई है, जिनमें उक्त निर्माता द्वारा इस फिल्म को एक करोड़ रुपये से अधिक लागत पर बनाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी लागत ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में श्री ओ० पी० रलहन द्वारा कितना आयकर दिया गया ;

(घ) क्या श्री ओ० पी० रलहन की आय स्त्रोत का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा हाल में कोई जांच की गई है ; और

(ङ) उक्त निर्माता द्वारा विभिन्न फिल्म कलाकारों को जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था कितनी राशि दी गई और क्या उक्त निर्माता द्वारा फिल्म कलाकार श्री राजेन्द्र कुमार तथा श्री मती शर्मिला टैगोर को दिये गये काले धन के बारे में कोई कागजात पकड़े गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : चित्र "तलाश" हाल ही में रिलीज हुआ है। इस चित्र से होने वाली आय, कर निर्धारण के लिए, वर्ष 1970-71 में ही सामने आयेगी, और इस निमित्त आय की विवरणी दाखिल करने की मियाद भी अभी जून 1970 तक है। आयकर प्राधिकारी इस मामले की जांच कर-निर्धारण की नियमित कार्यवाही के दौरान ही करेंगे।

(ग) 1966-67 से 1968-69 तक के वर्षों में श्री रलहन ने आयकर में 2,21,222/- रुपये की रकम अदा की है।

(घ) ऐसे मामलों में प्रत्येक वर्ष कर निर्धारण की कार्यवाही के दौरान बराबर जांच की जाती है।

(ङ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में ऊपर बताया गया है, फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को किये गये भुगतान की जांच का प्रश्न, कर निर्धारण के लिए, वर्ष 1970-71 की कार्यवाही के दौरान ही विचारार्थ सामने आयेगा। आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्माता के पास से कोई कागजात नहीं पकड़े गये हैं। इसलिये, अन्य प्रश्न नहीं उठते हैं।

मैसर्स साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली से आयकर, धनकर तथा उपहार कर की वसूली

6796. **श्री जुगल मंडल :** **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में मैसर्स साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली, तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं में आय-कर धन-कर, उपहार कर की कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) इस समय उन पर कितना कर बकाया है तथा उनके द्वारा किस कर-राशि के बारे में आपत्ति उठाई गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मैसर्स सिने सेल्स कार्पोरेशन, दिल्ली से चालू वित्तीय वर्ष में तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल वसूलियां (सभी प्रकार की) अनुबन्ध में दी गई हैं।

दिल्ली में उपलब्ध आयकर सम्बन्धी रिकार्डों से ऐसा जाहिर नहीं होता है कि इस कम्पनी की कोई और सम्बद्ध कम्पनियां हैं। फिर भी, इसके भागीदारों से हुई वसूलियां उक्त अनुबन्ध में दी गई हैं। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3243/70]

(ख) कम्पनी की तरफ या भागीदारों की तरफ कोई कर बकाया नहीं है।

फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों द्वारा करों की बकाया राशि का भुगतान किया जाना

6797. **श्री जुगुल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1967 से वर्ष 1969 तक फिल्म उद्योग से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों द्वारा करों की बकाया राशि का भुगतान किया गया तथा इस प्रकार कितना धन एकत्र हुआ ;

(ख) करों की कितनी बकाया राशि के मामले अभी लम्बित हैं ; और

(ग) सरकार की नई कराधान नीति के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को अर्थदण्ड दिया गया और यदि किसी भी मामलों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : फिल्म उद्योग में ऐसे व्यक्तियों की बहुत अधिक संख्या है जिन पर आय-कर आयुक्तों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में आय-कर निर्धारित किया जाता है। अपेक्षित सूचना कर-निर्धारण सम्बन्धी बहुत से रिकार्डों की छानबीन करने के बाद ही इकट्ठी की जा सकती है जिसमें बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। लेकिन यदि फिल्म उद्योग के किसी विशेष व्यक्ति / व्यक्तियों के बारे में सूचना की अपेक्षा हो तो वह दी जा सकती है।

फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों के पास लेखा बाह्य धन के बारे में जांच

6798. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मन्त्री फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों के पास

लेखा बाह्य धन के बारे में 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्तपोषकों, फिल्म वितरकों, फिल्म निर्माताओं, तथा फिल्म कलाकारों के बारे में जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फिल्म कलाकारों को लेखा बाह्य धन दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) **और** (ख) : फिल्म वितरकों के सम्बन्ध में जांच-पड़तालों का अन्य मामलों में किये जाने वाले जांच-पड़तालों से कोई वास्ता नहीं है तथा इन्हें कर-निर्धारण की सामान्य कार्यवाही के दौरान किया जाता है। फिल्मों में पूंजी लगाने वालों के बारे में, तलाशी के दौरान मिली सामग्री का उपयोग नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही करते समय किया जाता है। कुछ फिल्म अभिनेताओं / अभिनेत्रियों के मामलों में कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दिये जाने तक, फिल्म निर्माताओं के कर-निर्धारणों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जहां तक फिल्म अभिनेता / अभिनेत्रियों का प्रश्न है, श्री दिलीप कुमार, श्री प्राण तथा कुमारी वहीदा रहमान के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है। कुछ अन्य फिल्म अभिनेताओं / अभिनेत्रियों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की जा रही है तथा सफल जांच-पड़ताल के हित में, अभी इन व्यक्तियों के नामों को जाहिर नहीं किया जा सकता।

(ग) जांच-पड़ताल शीघ्र पूरा करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी द्वारा भूमि तथा क्वार्टरों की बिक्री

6799. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केवल गैर सरकारी कालोनाइजरों का स्थान ले लिया है तथा वह अपने अधिकांश मकानों और भूमि को नीलामी द्वारा बेच रहा है जो कि निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों की पहुंच से बाहर है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही मुनाफा-खोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए उद्दिष्ट 200 वर्ग गज तक के विकासित प्लाट या फ्लैट नीलाम नहीं करता। यह पूर्व-निर्धारित दरों पर, जिनमें लाभ का अंश शामिल नहीं है, लाटरी द्वारा पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की बस्तियों में मकानों को व्यापारिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल करना

6800. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों में बहुत से लोगों ने अपनी जीविका कमाने के लिये दुकानें, चिकित्सालय तथा ऐसे ही अन्य कार्यालय खोल दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे लोगों को भूमि विकास कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा परेशान किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार की दुकानें, कार्यालय तथा चिकित्सालय पुरानी दिल्ली के मकानों में भी खुले हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन लोगों को जो कि अधिकांशतः पाकिस्तान से आये विस्थापित लोग हैं, को इस प्रकार क्यों परेशान किया जा रहा है ?

राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि तथा विकास कार्यालय उन मामलों में कार्यवाही करता है जिन में पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन होता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण बृहत योजना / क्षेत्रीय विकास योजना के उपबन्धों के उल्लंघन होने पर कार्यवाही करता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कार्यवाही इस बात का विचार किये बिना की जाती है कि उल्लंघन-कर्त्ता एक विस्थापित व्यक्ति है या नहीं ।

एन्ड्रूजगंज नई दिल्ली की कल्याण संस्था की ओर से अभ्यावेदन

6801. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्ड्रूजगंज नई दिल्ली एच-टाइप क्वाटरों के समीप एक चौड़ा नाला बहता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एन्ड्रूजगंज की कल्याण संस्था यह मांग करती रही है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस नाले को कम से कम वह भाग ढक दिया जाय जो इन क्वाटरों के सामने पड़ता है जिसके कारण कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वास्तविक मांग को स्वीकार करने तथा नाले के उस भाग को ढकने में सरकार कितना समय लेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । एन्ड्रूजगंज की कल्याण संस्था से हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें एक 11 वर्षीय बालिका के डूबने की दुर्घटना का उल्लेख किया गया है ।

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नाले के एक भाग पर अस्थायी तौर पर कांटेदार तारों की बाढ़ लगा दी गई है । और आवश्यक रक्षोपायों का प्रश्न विचाराधीन है ।

यमन में एक भारतीय बैंक की शाखा का राष्ट्रीयकरण

6802. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमन सरकार ने अदन में काम कर रहे एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा का हाल में राष्ट्रीयकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। अदन में काम कर रहे एक भारतीय (राष्ट्रीयकृत) बैंक अर्थात् बैंक आफ इण्डिया की एक मात्रा शाखा का, दक्षिणी यमन जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा, उस समय उस देश में काम कर रहे अन्य सात विदेशी बैंकों के साथ-साथ 27 नवम्बर, 1969 को कारबार बन्द होने के समय से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

(ख) राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कानून के अनुसार, क्षतिपूर्ति का निर्धारण, राष्ट्रीयकरण की तारीख को वास्तविक शेष परिसम्पत्तियों के मूल्य के आधार पर किया जायगा और इस की अदायगी 20 वर्षों में परिपक्व होने वाले दक्षिणी यमन सरकार के पंजीकृत बाण्डों के रूप में की जायगी जिन पर 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जायगा। परन्तु कानून में यह नहीं बताया गया है कि परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जायेगा। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दक्षिणी यमन की सरकार ने चार्टर्ड लेखाकारों की एक कम्पनी को 27 नवम्बर, 1969 तक अदन में कारबार करने वाले सभी विदेशी बैंकों की लेखा पुस्तकों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अनुमान है बैंक आफ इण्डिया की अदन-स्थित शाखा का प्रमाणित तलफ्ट अप्रैल, 1970 के अन्त तक उपलब्ध हो जायगा।

(ग) यद्यपि सरकार को इस बात का खेद है कि एक भारतीय बैंक, विशेष रूप से एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा को बन्द करना पड़ा, फिर भी सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि इस मामले का सम्बन्ध मुख्यत: दक्षिणी यमन की सरकार की नीति से है जो उस देश के हितों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है।

कस्टम्स हाउस, कलकत्ता में निवारक अधिकारी

6803. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या वित्त मन्त्री 2 सितम्बर, 1968 और 10 मार्च, 1969 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 2958 और 2438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्टम्स हाउस, कलकत्ता में निवारक अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने की काफी समय से विचारार्थ अपील का इस बीच निपटारा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं जिससे अपील करने वाले लोगों को हानि हो रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) **और** (ग) : मामले पर गृह मन्त्रालय तथा विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देने पर औसत खर्च

6804. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देने के कार्य पर औसतन कितना खर्च होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : तारांकित अथवा अतारांकित संसद-प्रश्नों के लिए सूचना इकट्ठी करने में औसत लागत का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। संसद-प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूचना इकट्ठी करने में लगने वाला प्रयास प्रश्न की किस्म तथा जिन स्रोतों से सूचना इकट्ठी की जानी है उनकी संख्या के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। इसी प्रकार के इससे पहले के प्रश्नों के उत्तर में यह बताया गया था कि लगभग सही-सही आंकड़े देना अत्यन्त कठिन होगा ; किन्तु कुछ नमूने के तौर पर किये गये अध्ययनों के आधार पर, 1950 में यह लागत प्रति प्रश्न मामूली तौर पर 60 रुपये बतायी गयी थी। वेतनों में आम वृद्धि, कार्यालयों की अधिकाधिक संख्या, उत्तर की भेजे जाने वाली प्रतियों की संख्या, किये जाने वाले अनुवाद-कार्य आदि को देखते हुए, यह संख्या अब वास्तविक नहीं रही है।

पहाड़ी धीरज सहकारी आवास समिति दिल्ली

6805. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जैन को शेखर जैन तथा अन्य प्रापर्टी डीलर्स ने पहाड़ी धीरज आवास समिति के प्रधान (खजांचीमल जैन) तथा मंत्री (महावीर प्रसाद जैन) की सांठ-गांठ से 1966-1969 के बीच समिति के लिये सदस्य बनाकर बहुत बड़ी रकम कमाई गई जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिखाया गया और उस पर कर भी नहीं दिये गये ; यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस धोखे वाजी पूर्ण गबन के विरुद्ध पंजीयक/सी० आई० डी० द्वारा की गई जांच तथा गवाहियों से प्रकट हुए रहस्यों और सदस्यों की शिकायतों की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छिपे धन को निकालने, कर वसूल करने और लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु पूर्ण जांच कराने तथा उपयुक्त कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को, प्रश्न में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर-अपवंचन की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) (से) (घ) : इस समय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये आरोप आवश्यक कार्यवाही के लिये आयकर अधिकारियों के नोटिस में लाये गये हैं।

मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम का दूसरा कारखाना

6806. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में 40 से 50 लाख टन तक बाक्साइट होने का अनुमान है जिसके कारण मध्य-प्रदेश में एल्युमिनियम का दूसरा कारखाना लगाने के बहुत अच्छे अवसर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाने का विचार है यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इन संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) प्रारंभिक अध: स्थल अन्वेषणों के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 36 लाख मैट्रिक टन लगभग बाक्साईट निक्षेपों का उपलब्य होने का अनुमान है । क्योंकि ये निक्षेप बहुत छोटे छोटे और इधर उधर फैले हैं अत: ये एक अलग प्रद्रावक का औचित्य नही ठहराते परन्तु इन्हें विद्यमान प्रद्रावक (प्रद्रावकों) के भावी सम्पोषण के लिये पूरक स्रोतों के रूप में समझा जा सकेगा ।

उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना

6807. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जायें : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

व्यापार उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कम पूंजीवाले व्यक्तियों को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अग्रिम धन

6808. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने वर्ष 1969 के दौरान कम पूंजी वाले व्यक्तियों को व्यापार, उद्योग और कृषि के लिये कितनी अग्रिम धनराशि दी ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों से स्टेट बैंक के संसाधनों पर अधिकाधिक दबाव पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, बैंक का विचार जमा राशि की वृद्धि दर, जो इस समय 15 प्रतिशत है, को और अधिक बढ़ाने का है जिससे यह क्षेत्र अपेक्षित कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो कैसे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1969 में छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों को जो प्रत्यक्ष सहायता दी गयी, वह इस प्रकार है :

जिन्हें सहायता दी गयी	1969 के अन्त में ऋण की सीमाएं	1969 के अन्त में बकाया ऋण	1969 में ऋण सीमा में की गयी वृद्धि	1969 में बकाया ऋण की राशि में वृद्धि
			करोड़ रुपयों में	
1. लघु व्यापार वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत लघु व्यापार	12.23	6.71	12.23	6.71
2. छोटे पैमाने के उद्योग	185.80	102.38	65.03	36.92
3. कृषि (प्रत्यक्ष)	39.57	21.03	33.88	18.62

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । बैंक का यह लक्ष्य है कि जमा की रकमों में वृद्धि पहले की अपेक्षा ऊँची दर से हो ।

(घ) देहाती इलाकों में जमा की रकमें जुटाने के काम में तेजी लाने के लिए, स्टेट बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से, शाखा-विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का विचार कर रहा है । इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1970 के लिए शाखा-विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अन्तर्गत मुख्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए 1350 केन्द्रों का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें स्टेट बैंक समूह के हिस्से में 372 केन्द्र आये हैं । इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक या एक से अधिक मुख्य बैंकों को (जिनमें स्टेट बैंक समूह के बैंक भी शामिल हैं), वृहत्तर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरीय जिलों और चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के संघीय राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर, भारत संघ के 335 जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए "नेता बैंक" मनोनीत किया है ; इनमें से 89 जिले स्टेट बैंक समूह को दिये गये हैं । "नेता बैंक" की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिले के साधनों, बैंक-कारबार सम्बंधी सम्भावनाओं और ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करे और शाखाएँ खोलने का कार्यक्रम तैयार करे । अनुमान है कि इस कार्यक्रम से और इसके साथ-साथ बैंकों की ग्राहक-सेवा में विविधता लाने और उसका सुधार करने के जो उपाय करने का विचार है, उनसे अगले कुछ वर्षों में देश में जमा के लिए भारी मात्रा में रकमें जुटाई जा सकेंगी और इनमें भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों को काफी हिस्सा मिलेगा । शाखा-विस्तार और जमा रकमों की वृद्धि में होने वाली प्रगति पर नजर रखने के लिए, स्टेट बैंक ने अपने केन्द्रीय कार्यालय में एक विशेष अनुभाग स्थापित किया है ।

इम्पैक्ट पब्लिकेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों से बकाया आयकर की राशि

6810. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्पैक्ट पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली के कर्मचारियों और निदेशकों से वर्ष 1968 से 1970 तक कितना आय-कर वसूल किया गया; और

(ख) उक्त कम्पनी ने 31 मार्च, 1970 तक आय-कर कार्यालय में कितनी धनराशि जमा की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) सूचना नीचे दिये अनुसार है :-

आयकर की वसूल हुई कुल रकम	1968-69	1969-70
(i) कर्मचारियों से	कुछ नहीं	2759.21 रु०
	(कम्पनी 8-3-1969 को निगमित हुई थी)	
(ii) निदेशकों से	-यथोपरि-	कुछ नहीं (बताया गया है कि निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है)

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित 2759.21 रुपये से 2608.03 रुपये 1969-70 में और शेष 8-4-1970 को जमा कराये गये थे ।

मालाबार कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स की वित्तीय योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

6811. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री 9 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 376 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 से लेकर मालाबार केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स की वित्तीय योजना को अंतिम रूप देने के सम्बन्ध में किन कारणों से विलम्ब हुआ है ;

(ख) जब निदेशक बोर्ड पूंजी निवेश करने वालों के विश्वास को प्रेरित नहीं करेगा तो क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि निदेशालय का आधार अधिक विस्तृत हो ;

(ग) क्या सरकार परियोजना के लिए अन्य पार्टियों पर विचार करेगी यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो ; और

(घ) परियोजना को पूरा करने के बारे में सरकार की वर्तमान सम्भावनायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) वित्तीय योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब मुख्यत: आवश्यक संभाव्यता रिपोर्ट, विपणन सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि तैयार करने, सहयोग प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने और परियोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताएं जुटाने में हुई देर के कारण, हुआ था ।

(ख) कम्पनी अपने आर्टिकल्स आफ एस्सोशियशन के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड का गठन करती है । मैसूर सरकार, जो परियोजना की प्रायोजक है तथा जिसका कम्पनी में हिस्सा है, मामले से परिचित है ।

(ग) परियोजना की कार्यान्विति किसी और पार्टी को सौंप देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) परियोजना की कार्यान्विति के सभी प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद परियोजना मुकम्मल करने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे ।

सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो के कार्यकरण में गिरावट आना

6812. **श्री रा० बरूआ :** क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो के कार्यकरण में उत्तरोत्तर गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है; और इस गिरावट के कारण गत तीन वर्षों में कितनी हानि हुई है; और

(ग) भविष्य में इन डिपो के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) और (ख) : वर्ष 1966-67 से पहले चिकित्सा सामग्री भण्डारों को उत्तरोत्तर लाभ हो रहा था और 1957-58 से 1965-66 तक उनको 1.84 करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ। वस्तुतः विभागीय खर्चों को धीरे-धीरे 20 से 16.66 तक और बाद में 10 प्रतिशत तक कम कर देना सम्भव था। 1966-67 में 6 चिकित्सा सामग्री भण्डारों ने इकट्ठे 4.78 लाख रुपये का घाटा दिखाया जिससे सार्वजनिक लेखा समिति ने कुछ प्रतिकूल टीका टिप्पणियां कीं। हानि होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

(1) मांग कर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भण्डारों में पर्याप्त सामग्री की कमी/पूर्ति एवं निपटान के महानिदेशक द्वारा जिन ठेकेदारों को दर ठेके (रेट कण्ट्रक्ट्स) दिये गये थे, उनकी ओर से, और भण्डारों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली स्थानीय खरीदारियों में भी असफलताएँ/विलम्ब हुआ ;

(2) त्रैमासिक मूल्य निश्चित करने की पुरानी पद्धति के कारण निर्गमन मूल्यों का निर्धारण जिसके कारण अनेक बार उच्च दरों पर सामान खरीदा तो गया किन्तु मूल्यों को बढ़ाने में देरी हुई और बहुत सा सामान कम मूल्य पर ही दे दिया गया।

(3) बम्बई और मद्रास को चिकित्सा सामग्री भण्डारों से सम्बद्ध भेषज निर्माणशालाओं में स्थान मशीनरी आदि के मामले में आधुनिक सुविधाओं की कमी और अनेक बार कच्ची सामग्री का अभाव।

(ग) इन भण्डारों के कार्य में तेजी लाने के लिये सरकार तात्कालिक कदम उठा रही है जिससे कि :

(1) भण्डारों में समुचित ढंग से हिसाब किताब रखा जा सके ;

(2) निर्माणशालाओं के उत्पादनों और व्यापार सामग्री की लागत लगाने की प्रणाली को वैज्ञानिक ढंग से बनाया जा सके ;

(3) भण्डारों में समुन्नत प्रबन्धकीय, कर्मचारी और श्रम नीतियां तैयार की जा सकें ;

(4) निर्माणशालाओं का आधुनिकी-करण किया जा सके ;

(5) क्रय प्रणाली में परिवर्तन करना ताकि मांगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भण्डारों में पर्याप्त सामग्री हो ; और

(6) औषधि सूची में संसोधन करना ताकि अस्पतालों / औषधालयों द्वारा मांग की गई सभी आम चीजों को सम्मिलित किया जा सके ।

इन भण्डारों को आवश्यक नीति और कार्य प्रणाली सम्बन्धी नेतृत्व देने के लिये और उनको दिन प्रति दिन के कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिये स्वायत्तता देने के लिये मुख्यालय में प्रबन्धकीय ढांचे को सुदृढ़ करने का विचार है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन-लक्ष्यों में कमी करने का निर्णय

6813. **श्री जुगल मंडल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ उर्वरक कारखानों ने अपने उत्पादन लक्ष्यों को कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपने उत्पादन लक्ष्यों को कम करने का निर्णय किया है और प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रस्तावित कमी कितनी है ; और

(ग) लक्ष्यों को घटाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कैटेलिस्टों का आयात

6814. **श्री जुगल मंडल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलफ्यूरिक एसिड, सिन्थेटिक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, बनस्पति घी, एथिलीन तथा अन्य रसायनिक उत्पाद बनाने के लिए अपेक्षित कैटेलिस्टों की प्रत्येक वस्तु के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किन श्रेणी के कैटेलिस्टों के लिए टैक्नोलोजी का विकास किया जा रहा है ; और

(ग) भारत में ऐसे कैटेलिस्ट कब तैयार किये जाने की सम्भावना है और कैटेलिस्टों के निर्माण के लिए कौन से अन्य उपाय विचाराधीन है तथा किस प्रकार के कैटेलिस्ट तैयार किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) निम्नलिखित पदार्थों के निर्माण के लिए कैटलिस्टों के आयात पर प्रति-वर्ष खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि लगभग निम्नप्रकार है :–

	(लाख रुपयों में)
1. सल्फ्यूरिक एसिड	शून्य

2. सिन्थेटिक अमोनिया	210
3. नाइट्रिक एसिड (परन्तु गेज कैटेलिस्ट के निर्माण के लिए अपेक्षित प्लेटिनम और रहोडियम के आयात पर 50 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं)	शून्य
4. बनस्पति घी (1968-69)	11.34
5. एथिलीन	3.15
6. अन्य रसायनिक उत्पाद	7.15

(ख) और (ग) : कैटेलिस्ट, अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक अथवा सूक्ष्म अर्ध-विभाजित अवस्था में धातु हो सकते हैं; जिनकी रसायन अभिक्रिया में केवल मात्र विद्यमानता, उनको प्रभावित किये बिना, अभिक्रिया की गति को बढ़ाती है। रसायनों की एक बड़ी श्रेणी कैटेलिस्टों के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और विभिन्न उत्पादों के निर्माण में बहुत अधिक रसायन अभिक्रियाओं के प्रयोग और ऐसे निर्माण के लिए पदार्थों की एक बड़ी श्रेणी, कैटेलिस्टों के रूप में प्रयुक्त होती है इसको ध्यान में रखते हुए इस बारे में तब तक सही सूचना देना सम्भव नहीं है जब तक निर्माण के किसी विशेष उत्पाद का हवाला न दिया जाय। भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग ने अमोनिया के उत्पादन के लिए अपेक्षित जटिल कैटेलिस्टों की एक बड़ी श्रेणी का विकास किया है। इस प्रभाग ने निम्न कैटेलिस्टों के लिए व्यापारिक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं :—

(1) आयरन एक्साइड मास का डिसल्फ्यूरिजेशन

(2) हाई टैम्परेचर के कनवरशन कैटेलिस्टस

(क) कनवैन्शनल

(ख) लो सल्फर (दोनों वायुमंण्डलीय और उच्च दाब संलाचन के लिए)

(3) निक्कल कैटेलिस्टस

(क) प्राइमरी रिफार्मेशन (गैसीय सम्भरण माल)

(ख) प्राइमरी रिफार्मेशन (तरल सम्भरण माल)

(ग) सैकण्डरी (गौण) रिफार्मेशन (दोनों तरल एवं गेसीय सम्भरण माल के लिए)

(घ) मैथेनेशन

(4) जिंक आक्साइड डिसल्फ्यूरिजेशन कैटेलिस्ट एण्ड गार्ड कैटेलिस्ट अमोनिया, सिन्थेसिज / क्रीकिंग कैटेलिस्टस (इस वर्ष परीक्षण परिचालन शुरू होने हैं)

मैसर्स कैटेलिस्ट इण्डियन लि०, मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० एण्ड मैसर्स नवासरी आयल प्रोडैक्टस प्राइवेट लि० जैसे अन्य भी कैटेलिस्ट निर्माता हैं।

इस के अतिरिक्त मैसर्स कैटेलिस्टस एण्ड केमीकल्स इण्डिया (पश्चिमी एशिया) प्राइवेट लि० ने भी कैटेलिस्टों के निर्माण का आयोजन किया है।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में पौलैंड-फ्रांस सार्थ समूह द्वारा सहायता की पेशकश

6815. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक-कारखाना स्थापित करने के बारे में पौलैंड-फ्रांस सार्थ समूह ने भारत सरकार को लगभग 20 करोड़ रुपये की सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हल्दिया में राक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये आयातित सप्लाई और सेवाओं की, फ्रांस और पौलैंड के क्रैडिटस से, वित्तीय व्यवस्था करने का प्रबन्ध करने के लिये एक पेशकश है । राशि की मात्रा के बारे में अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) हल्दिया परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा सम्बंधी आवश्यकता का अनुमान 22.43 करोड़ रुपये है ।

सरकारी उपक्रमों के अभिनवीकरण की नीति

6816. **श्रीमती सुधा बी० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री 11 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3082 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के अभिनवीकरण की कोई नीति बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जैसा कि लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3082 के सम्बन्ध में 11 अप्रैल, 1969 को दिये गये उत्तर में बताया गया है, सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों के, जिनमें काफी अधिक पूंजी लगी है, पूंजीगत ढांचे के युक्ति-संगत बनाने के बारे में निश्चय करते समय कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना पड़ता है, जैसे — प्रारम्भिक निवेश, प्रौवोगिकी का स्वरूप तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी बाधाएं उत्पादन के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति, माल की मांग, विक्रय-मूल्य, लाभकारिता, वित्तीय सहायता की आवश्यकता और ऐसी सहायता दिये जाने का समय आदि । इन मामलों पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना में, इन में से प्रत्येक उद्यम के बारे में उत्पादन और कार्यचालन परिणामों आदि से सम्बद्ध शामिल किये गये प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए और आगे विचार किया जाना है । कुछ उद्यम, जहां पूंजी ढाचे का पुनर्गठन करना युक्ति संगत हो, विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में मामले की जांच कर रहे हैं ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे डाक्टरों के कर्तव्य

6817 . **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले डाक्टरों को चिकित्सा तथा अन्य कार्य नहीं सौंपे जाते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी सेवाओं का पूर्ण उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं, परिवार नियोजन का काम करने वाले डाक्टरों को अन्य कार्यों के साथ-साथ क्लीनिकल कार्य भी करना पड़ता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इन डाक्टरों की सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है ।

भारत के उर्वरक निगम द्वारा बेरोजगार स्नातकों को कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का प्रशिक्षण देने के लिये योजना

6818. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक निगम ने बेरोजगार युवा स्नातकों को कृषि के लिये आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के व्यवसाय में प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : कृषि उत्पादों की बिक्री के समस्त पहलुओं में बेरोजगार स्नातकों, विशेष रूप से विज्ञान विषयों तथा कृषि विज्ञान के स्नातकों, को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय उर्वरक निगम ने एक योजना तैयार की है। चयन किये गये उम्मीदवार के सफल पूर्ण प्रशिक्षण के बाद, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में निगम के उत्पादों की एजेन्सियां पेश की जायेंगी । इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये, इस वर्ष 300 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का विचार है । निगम प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों की जांच कर रहा है और चयन किये गये उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के मई और जून 1970 के बीच शुरू होने की आशा है ।

पंचवर्षीय योजनाओं में मैसूर को सहायता

6819. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिये मैसूर राज्य को अब तक कितनी सहायता दी गयी है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

सिक्योरिटी पेपर मिल में विश्रामकाल न होना

6820. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल में कार्य की पारी विश्राम के समय के बिना आठ घंटे की है ;

(ख) क्या कर्मचारियों को आधे घंटे के बदले अतिरिक्त मजूरी दी जाती है ;

(ग) क्या कर्मचारियों को पारी के बाद-सामान्य समय से अधिक समय तक विश्राम के बिना कार्य करना पड़ता है ;

(घ) क्या समयोपरि शीट में यह समयपयोगी कार्य की प्रविष्टि गलत रूप से आधे घंटे के विश्राम के बाद दर्शायी जाती है ; और

(ङ) क्या इस प्रकार कर्मचारियों की नियमित घंटों की ड्यूटी में और समयोपरि भत्ते के प्रयोजनार्थ आधे घंटे की मजूरी से वंचित रखा जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : सिक्योरिटी पेपर मिल के उत्पादन और अनुरक्षण विभागों के श्रमिकों को बिना विश्राम के लगातार आठ-आठ घण्टे की पारियों में काम करना पड़ता है क्योंकि इन विभागों का काम लगातार करना होता है। परन्तु पारी के दौरान श्रमिक परस्पर सहमति से विश्राम कर सकते हैं और इसलिये उन्हें अधिक मजदूरी देने का सवाल पैदा ही नहीं होता। यदि अगली पारी का कोई श्रमिक अपने काम पर नहीं आ पाता तो पहले की पारी के श्रमिक को उस पारी में कुछ समय तक काम करने दिया जाता है।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं।

अन्दमान द्वीप समूह में निम्न आय वर्ग आवास योजना

6821. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्दमान द्वीप समूह में एक निम्न आय वर्ग गृह-निर्माण योजना विद्यमान है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अन्डमान द्वीप समूह में कितने मकान बनाये गये हैं; और

(ग) इस योजना में कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : निम्न आय वर्ग आवास योजना इस मंत्रालय द्वारा 1954 में आरंभ की गई थी। योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। अब तक अन्डमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त हुए प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार 60 आवेदकों को, उनके अपने रिहायशी प्रयोग के लिए, मकानों के निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। अब तक 39 मकान पूरे हो चुके हैं।

अन्दमान द्वीप समूह में गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल में हृदय रोगों का उपचार

†6822. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्दमान द्वीप समूह में अस्पतालों में हृदय रोगों की चिकित्सा के लिये अभी तक कोई सुविधायें नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि किसी भी अस्पताल में हृदय रोगों के विशेषज्ञ तथा कार्डियोग्राम जैसे आवश्यक उपकरणों का होना अत्यावश्यक है; और

(ग) यदि हाँ, तो अन्दमान में गोबिन्द वल्लभ पन्त अस्पताल को मुख्य भारत भूमि के किसी भी आधुनिक अस्पताल के स्तर के बराबर लाने के लिये इसे सुसज्जित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : गोबिन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक चिकित्सा विशेषज्ञ का पद रखा गया है तथा रिक्त पद को भरने के लिये कार्यवाही की जा रही है। यह चिकित्सा विशेषज्ञ हृदय रोगियों की भी चिकित्सा करेगा। अस्पताल के लिये आवश्यक उपकरणों के मामले में भी जांच की जायेगी।

अन्दमान में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी

6823. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : विशेषज्ञों के 13 पदों (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के 4 तथा जनरल ड्यूटी ग्रेड– 1 के 9) में से 8 पद पहले ही भरे गये हैं। शेष पांच पदों की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ** : संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश प्राप्त हो गई है तथा चयन किये गये उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव दिया जा रहा है।

(2) **चिकित्सा विशेषज्ञ** : चयन किये गये अधिकारी ने 1 अप्रैल 1970 से दो महीने के लिए अपने स्थानान्तरण को रोक देने के लिए अनुरोध किया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

(3) **कनिष्ठ विसंज्ञा शास्त्री** : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये व्यक्ति को दिये गये नियुक्ति प्रस्ताव को 18 फरवरी 1970 को रद्द कर दिया गया क्योंकि उसने इस पद को स्वीकार नहीं किया। 21 फरवरी 1970 को आयोग से अनुरोध किया गया कि वह किसी अन्य योग्य व्यक्ति का नाम सुझायें। आयोग के सुझाव की प्रतीक्षा की जा रही है।

(4) **कनिष्ठ रोग वैज्ञानिक** : संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद को विज्ञापित कर दिया है और उनकी सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।

(5) **महिला चिकित्सा डाक्टर (रतिरोग)** : चयन किये गये अधिकारी ने नियुक्ति प्रस्ताव

को अस्वीकार कर दिया है। दूसरे चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

बम्बई में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों द्वारा रोगियों को पुरानी औषधियां दी जाना

† 6824. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा रोगियों को लेबल बदल कर ऐसी पुरानी औषधियां दी जाती हैं जिनमें अधिकांश निर्जलित तथा गोलियों का चूर्ण बना हुआ होता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि इन औषधालयों से ऐसी औषधियां न दी जायें ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। यह कहना सही नहीं है कि रोगियों को ऐसी औषधियां जिनके प्रयोग की तिथि समाप्त हो जाती है, नये लेबल लगा कर दी जाती हैं। जब कभी मेडिकल स्टोर्स डिपो, बम्बई को औषधालयों को कुछ औषधियां थोड़ी मात्रा में सप्लाई करनी होती है तथा वही औषधियां डिपो द्वारा अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है तो उस समय डिपो औषधालयों द्वारा अपेक्षित औषधियों की मात्रा के अनुसार अलग डिब्बों में वे औषधियां रख देता है तथा उन डिब्बों पर उन औषधियों के नाम तथा मात्रा लिखा हुआ अपना लेबल चिपका देता है।

(ख) बम्बई के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे रोगियों को ऐसी औषधियाँ सप्लाई न करें जिनकी तिथी समाप्त हो गयी हो। प्रत्येक औषधालय में औषधियों की समाप्ति तिथि का ब्यौरा अंकित करने के लिये रजिस्टर रखा जाता है। ऐसे रजिस्टरों की स्टोर कीपर द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है तथा महीने में कम से कम एक बार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जॉच की जाती है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट द्वारा खरीदे हुए गैर-सरकारी फर्मों के अंशों का मूल्य

6825. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1969 तथा 31 दिसम्बर, 1969 को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गैर-सरकारी फर्मों के कितने मूल्य के अंश खरीद रखे थे;

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 को जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने गैर-सरकारी क्षेत्र के फार्मों के कितने मूल्य के अंश खरीद रखे थे; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने टाटा तथा बिड़ला की फर्मों में कितना धन लगा रखा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गैर-सरकारी कम्पनियों के शेयरों में जो पूंजी निवेश कर रखा है उसका वही मूल्य, 30 जून और 31 दिसम्बर, 1969 को क्रमशः 1,618.50 लाख रुपये और 1,610.93 लाख रुपये था।

(ख) निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के पास 31.12.1969 को गैर-सरकारी कम्पनियों के जो शेयर थे उनका बही-मूल्य नीचे उनके नामों के आगे दिया गया है :—

	(लाख रुपयों में)
(i) जीवन बीमा निगम	157,28.75
(ii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट	38,20.00

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा टाटा और बिड़ला की कम्पनियों में किये गये पूंजी-निवेश का मूल्य।

	(लाख रुपयों में)
(1) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये गये निवेश का 31.12. 1969 को मूल्य	
टाटा की कम्पनियों में	71.31
बिड़ला की कम्पनियों में	1,49.09
(2) जीवन बीमा निगम द्वारा 1-9-1956 से 31.12.1969 तक की अवधि में किया गया निवेश। (औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जाँच समिति की रिपोर्ट के अनुसार) टाटा की कम्पनियों में	
सावधि ऋण	70.00
ऋण-पत्र	8,59.38
शेयर	15,76.07
	2525.45
बिड़ला की कम्पनियों में	
सावधि ऋण	1,25.00
ऋण-पत्र	4,56.29
शेयर	17,27.74
	23,09.03

(3) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किये गये निवेश का 31.12.1969 को मूल्य

टाटा की कम्पनियों में

शेयर	5,55.00
ऋण-पत्र	4,78.00
	10,33.00

बिड़ला की कम्पनियों में

शेयर	6,08.00
ऋण-पत्र	2,84.00
	8,92.00

हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में जाँच आयोग की अवधि बढ़ाना

6826. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता आयुक्त के रूप में, सेवा निवृत होने के पश्चात्, हल्दिया बरौनी पाइप लाइन गोलमाल जाँच आयोग के रूप में, श्री नेट्टर श्री निवास राव ने एक पत्र में अवधि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ।

(ख) क्या सरकार श्री राव से प्राप्त हुआ पत्र सभा-पटल पर रखेगी ;

(ग) क्या सरकार सतर्कता आयुक्त के रूप में सेवा निवृत होने के पश्चात् जाँच आयोग के रूप में श्री राव के पदकाल को बढ़ाते समय इस मन्त्रालय के सचिव, श्री पी० आर० नायक के पत्र आदेश ज्ञापन टिप्पण को भी सभा पटल पर रखेगी ;

(घ) यदि नहीं, तो इन कागजों को सभा-पटल पर न रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सतर्कता आयुक्त के रूप में सेवा से निवृत होने के पहले तथा पश्चात् जाँच आयोग के रूप में, श्री राव पर अलग अलग कितना कितना व्यय किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) क्यों कि जाँच कार्य अभी जारी था, जब श्री एन. एस. राव केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यभार छोड़ रहे थे, सरकार चाहती थी कि वे जाँच कार्य को करते रहे और इस लिए एक पत्र लिखा गया था। श्री राव इससे सहमत हुए थे।

(ख) से (घ) : उस समय मन्त्रालय के सचिव, श्री पी. आर. नायक तथा श्री एन. एस. राव के बीच हुए पत्र-व्यवहार की प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3244/70)

(ङ) श्री एस०एस० राव के सेवा निवृत होने से पूर्व जाँच आयोग पर कोई व्यय नहीं हुआ था और उनके सेवा निवृत होने के बाद व्यय तथा 28.2.1970 तक हुए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

सफर खर्च	रुपये	33,750.95
भोजन और निवास का खर्च	रुपये	11,778.91
टेलीफून प्रभार (खर्च)	रुपये	1,589.48
विधि व्यय	रुपये	248.12
उनके पूर्व निजी सचिव को मानदेय-	रुपये	4,500.00
स्टाफकार (केवल पेट्रोल का खर्च)	रुपये	5,337.00
कुल रुपये		57.204.43

इसके अतिरिक्त उसमानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के० वी० सुब्राहमनियन को श्री राव को तकनीकी विषयों में सहायता के लिए, 7,500 रुपये का मानदेय स्वीकार करने का भी प्रस्ताव है।

हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में कोयला खान कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों के कथित सम्बन्ध

6827. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जब्बी, (तत्कालीन महानिदेशक, खान सुरक्षा) का पुत्र उस क्षेत्र की कोयला खान कम्पनियों में से एक कम्पनी का कर्मचारी था, जो हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन क्षेत्र से होकर गुजरती है और यदि हां, तो किस हैसियत से था ;

(ख) क्या भूतपूर्व सी० ए० जी० श्री ए० के० राय का टर्नर मैरिसन या उक्त कोयला क्षेत्र की किसी अन्य कोयला कम्पनी से सम्बन्ध था और किस हैसियत से था ;

(ग) क्या भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री सचिन चौधरी, का निकटतम सम्बन्धी (ब्रादर-इनला) एन्ड्यक या किसी अन्य कोयला कम्पनी में, जिसका हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन क्षेत्र में हित था, नियुक्त था ; और

(घ) क्या सरकार कोयला खान कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों और मन्त्रियों के बीच के इन सब सम्बन्धों और अन्तर सम्बन्धों और हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन घोटाले पर पड़े इसके प्रभाव के सम्बन्ध में जांच करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) श्री ए० के० राय मैसर्स टर्नर मोरिसन के निदेशक थे ; जो लोदना कोलरी (खदान) के प्रबन्ध एजेन्ट थे।

(ग) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(घ) सरकार इस समय ऐसे अध्ययन को आवश्यक नहीं समझती है।

हल्दिया बरौनी पाइप लाइन

6828. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उप-मन्त्री श्री डी० आर० चव्हाण द्वारा हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले पर लिखी गई रिपोर्ट/ज्ञापन/कागजात में उसके डिजाइन, उसके बारे में तकनीकी सलाह, उसके ठेके उसके वास्तविक निर्माण, उस पर होने वाले खर्च का अनुमान और उस पर हुए वास्तविक खर्च का विवरण शामिल है ;

(ख) क्या उक्त दस्तावेज को सरकारी उपक्रम समिति/राव जांच आयोग के सामने रखा गया था ;

(ग) क्या उक्त दस्तावेज सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) श्री डी० आर० चव्हाण, राज्य मन्त्री ने मन्त्री महोदय की सहायता के लिए सम्बद्ध फाइल पर नोटिंग रिकार्ड की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) मन्त्री महोदय के विचारार्थ मन्त्रालय के अन्दर यह एक आन्तरिक टिप्पणी है और एक सविशेषाधिकार प्रलेख है।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के मामले में जांच आयोग के रूप में श्री एन० एस० राव को नियुक्त करना

6829. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि सर्तकता आयुक्त की हैसियत में श्री नेतूर श्री निवासराव को हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन घोटाले की जांच करने के लिए जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था;

(ख) आयोग के रूप में उनकी नियुक्ति की ठीक ठीक तारीख क्या है और सतर्कता आयुक्त के रूप में वे किस तारीख को सेवा निवृत्त हुए ;

(ग) क्या उन्होंने सेवानिवृत्त के बाद सतर्कता आयुक्त के पद की अवधि के समाप्त होने के बाद भी मौखिक रूप से अथवा लिखकर जांच आयोग के रूप में बने रहने हेतु सेवा काल में बृद्धि के लिए कहा है ;

(घ) क्या जांच आयोग के रूप में उनको सेवा-काल बृद्धि मंजूर करने का निर्णय मन्त्रालय के तत्कालीन सचिव, श्री पी० आर० नायक ने अपनी जिम्मेदारी पर और भारत सरकार/पैट्रोलियम मन्त्री के बिना लिखित आदेश के किया ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार श्री पी० आर० नायक को उनके इस कार्य के लिए अर्थात् उनके द्वारा एक ऐसे मामले में निर्णय देने के लिए जिसमें, कि वह और उनके भाई इंडियन सिविल सेवा अधिकारी स्वयं शामिल थे, तुरन्त निलम्बित कर देगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) भूतपूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की हैसियत में श्री एन० एस० राव को जांच आयोग के रुप में नियुक्त किया गया था।

(ख) क्रमशः 30 जून, 1967 और 23 अगस्त, 1968।

(ग) क्योंकि जांच अभी हो ही रही थी जब श्री राव केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्य-भार छोड़ रहे थे, सरकार चाहती थी कि वे काम करते रहें और जांच मुकम्मल कर दें और इस-लिये सरकार ने इस बारे में एक पत्र जारी किया था।

(घ) जिस तारीख को सेवा काल में वृद्धि मंजूर की गई थी उस तारीख के मन्त्री महोदय के लिखित आदेश हमारे रिकार्ड में नहीं हैं। तथापि, बाद में तत्कालीन पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री ने लिखित रुप में दिया है कि उनकी पूर्व स्वीकृति लेने के पश्चात ही श्री राव को सेवा काल में बृद्धि मंजूर की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर दाता

6830. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969 अथवा इसके आस पास किसी भी तारीख को, जहाँ तक के आंकड़े तैयार हों, आयकर विभाग के जी० आई० रजिस्टर में कितने करदाताओं के नाम थे ; और

(ख) 5000 रुपये की छूट सीमा लागू होने के पश्चात् इस रजिस्टर से कितने कर-दाताओं के नामों को निकालना पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) निर्धारितियों की संख्या के सम्बन्ध में जो नवीनतम सूचना उपलब्ध है वह जनवरी 1970 तक की है। 31 जनवरी 1970 को आय कर विभाग के जनरल इण्डेक्स रजिस्टर पर 28,65,118 प्रभावी निर्धारिती थे।

(ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। परन्तु 1966-67 से संबंधित अखिल भारतीय राजस्व आंकड़ों के अनुसार 1966-67 में 5,000 रु० अथवा उससे कम आय वाले जिन कर निर्धारितियों का कर निर्धारण किया गया उनकी कुल संख्या (कंपनियों को छोड़कर) 4,40,585 थी।

कुनैन का उत्पादन और प्रयोग

6831. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिनकोना के बागानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित है और गत तीन वर्षों में उनमें कितनी मात्रा में कुनैन का उत्पादन हुआ ;

(ख) उससे पहिले के तीन वर्षों में कुनैन के उत्पादन के तुलानात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या देश के अधिकांश भागों में मलेरिया-उन्मूलन के बाद कुनैन का प्राचीन महत्व समाप्त हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसका प्रयोग किन अन्य प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है और क्या इसका किसी अन्य और अच्छे लाभप्रद कार्य में प्रयोग किये जाने के बारे में कोई अनुसंधान किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : देश में सिनकोना के दो बागान हैं- एक पश्चिम बंगाल में तथा दूसरा तामिलनाडू में । गत छः वर्षों में इन दो बागानों द्वारा उत्पादित कुनैन की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	कुनैन की मात्रा
1964	40,115 किलो ग्राम
1965	47,795 तदेव
1966	53,388 तदेव
1967	50,213 तदेव
1968	53,128 तदेव
1969	47,610 तदेव

(ग) और (घ) : कुनीन पीड़ानाशक, ज्वर शामक, क्षुधावर्धक औषधियां तैयार करने तथा अपस्फीत नीला (वेरीकोज वेन्स) के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। कुनीन अथवा कुनीन से बनाई जा सकने वाली औषधियों के वैकल्पिक उपयोगों के सम्बन्ध में अनुसंधान संस्थान जांच कर रहे हैं । क्विनिडाइन, जिसका उपयोग हृदय सम्बन्धी कतिपय रोगों में किया जाता है अब कुनीन से संश्लिष्ट रूप में तैयार किया जाता है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

खेतड़ी ताँबा खानों का व्यापारिक उपयोग

6832. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खेत्री ताँबा खानों का व्यापारिक उपयोग करने के बारे में कब निर्णय किया था और परियोजना स्थल पर वास्तविक कार्य कब आरम्भ हुआ था;

(ख) बनाई गई योजनाओं का प्रक्रमवार ब्योरा क्या है और क्या यह कार्य योजना के अनुसार चल रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस परियोजना का काम कब आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) खेतड़ी ताँबा प्रायोजना 8 मार्च, 1961 को मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को सौंपी गई थी । खेतड़ी ताँबा प्रायोजना से प्रति वर्ष 21,000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रोलाइटिक ग्रेड के ताँबे के उत्पादन के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा अमरीकी

परामर्शदाता, मैसर्स वैस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कम्पनी की सहायता से तैयार की गई एक सम्भाव्यता रिपोर्ट सरकार ने मई 1962 में अनुमोदित की।

प्रायोजना-स्थल पर 1961 में एक आधार कैम्प स्थापित किया गया था, परन्तु दो अनुलम्ब कूपकों की खुदाई सहित प्रायोजना पर नियमित कार्य जुलाई 1963 से प्रारम्भ किया गया था।

(ख) खेतड़ी ताँबा प्रायोजना में 10,000 मैट्रिक टन ताँबा धातु के उत्पादन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में मूलतः 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। खेतड़ी ताँबा प्रायोजना से 24.44 करोड़ रुपये के लगभग की लागत पर 21,000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रोलाइटिक ग्रेड के ताँबा धातु के उत्पादन कार्यक्रम को सरकार ने मई 1962 में अनुमोदित किया।

प्रायोजना की सीमा का मई 1964 में पुनरावलोकन किया गया और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन हेतु, जिसे बाद में उपयुक्त उर्वरक के उत्पादन में उपयोग में लाया जाना था, अयस्क में से सल्फर गुणों के उपयोग के लिये खेतड़ी में परावर्तन भट्टी प्रद्रावक के स्थान पर स्फुरण प्रद्रावक की स्थापना करने का निश्चय किया गया।

प्रति वर्ष 10,000 मैट्रिक टन तांबा धातु का उत्पादन करने के लिये पास की कोलिहान खान का विकास करने का भी निश्चय किया गया था। प्रायोजना की परिवर्धित सीमा, जिसके अनुसार प्रति वर्ष 31,000 मैट्रिक टन ताँबा धातु और प्रति दिन 600 मैट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन प्रस्तावित है, सरकार द्वारा अक्टूबर 1966 में अनुमोदित की गई थीं। परिवर्धित प्रायोजना में, दो खाने (एक खेतड़ी तथा दूसरी कोलिहान में), अग्नि शोधित ताँबे के उत्पादन के लिये एक प्रद्रावक संयंत्र, इलैक्ट्रोलाइटिक ग्रेड के ताँबे के उत्पादन के लिये एक शोधनशाला और उपयुक्त उर्वरक के उत्पादन के लिये एक एसिड-एवं-उर्वरक संयंत्र सम्मिलित है।

9 नवम्बर 1967 को मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी बनाई गई थी और खेतड़ी ताँबा प्रायोजना इस कम्पनी को सौंपी गई थी। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने मई 1968 में खेतड़ी तांबा प्रायोजना के लिए एक विस्तृत समय तथा कारवाई तालिका बनाई जिसके अनुसार प्रायोजना द्वारा 1972 तक उत्पादन प्रारम्भ करना और 1973–74 में पूरा उत्पादन प्राप्त करना नियत था। तथापि, प्रायोजना का कार्य तालिका के अनुसार नहीं चल रहा और प्रायोजना के विभिन्न एककों के चालू किये जाने में अब कुछ देरियों की प्रत्याशा की जाती है।

(ग) प्रायोजना के कार्य में देरी मुख्य रूप से प्रायोजना के लिये अपेक्षित उपकरणों और संयंत्र की कुछ विशिष्ट मदों के संबंध में डिजाइनों, विनिर्देशतों आदि को अन्तिम रूप दिये जाने में अप्रत्याशित देरियों के कारण से है।

(घ) कम्पनी ने पहली समय तथा कार्रवाई तालिका का पुनरावलोकन प्रारंभ किया है; जिसके पूरा हो जाने पर प्रायोजना के विभिन्न एककों के चालू किये जाने और पूरा किये जाने की संशोधित तिथियों को उपदर्शित करेगा।

रुद्रसागर तेल क्षेत्र से कच्चा तेल निकालना बन्द करना

6833. **श्री रा० बरुआ : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रुद्रसागर तेल क्षेत्र से कच्चा तेल निकालना 1 अप्रैल, 1970 से बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) गोहाटी शोधनशाला की रेल टैंक वैगनों द्वारा प्रति सप्ताह लगभग 600 मीटरी टन कच्चे तेल के प्रेषणों के साथ, मार्च, 1966 में रुद्र सागर तेल क्षेत्र से कच्चे तेल का परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ हुआ । रेलवे द्वारा लिया गया भाडा अधिक है तथा अलाभप्रद है । भेजे गये कच्चे तेल की बहुत कम मात्राओं का उपरिखर्चा भी अधिक था । इस प्रतिकूल अर्थ-व्यवस्था के अतिरिक्त, प्रेषणों को जारी रखा गया ताकि अधिकांश कुओं से लगातार उत्पादन होता रहे । उक्त क्षेत्र की तकनीकी रिपोर्ट से सम्बन्धित आवश्यक दित्ता प्राप्त किया गया है और यह फैसला किया गया है कि वर्तमान अलाभप्रद स्थिति में और प्रेषणों को बन्द किया जाए जब तक रेलवे भाड़े में रियायत नहीं देती है अथवा शोधनशालाएं कच्चे तेल की अधिकतर मात्राएं ग्रहण नहीं करती हैं ।

Multi-Storeyed Building of the 'Hindustan Times'

6834. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the multi-storeyed building of the 'Hindustan Times' under construction at Curzon Road, New Delhi is in conformity with all the rules of the New Delhi Municipal Committee, e. g., whether adequate open space is being left there for car parking etc;

(b) whether the cost of construction of the said building is being borne by the Birlas from their own funds or loan has been raised for the purpose from some nationalised or other banks; and

(c) whether the said building would be utilised by the 'Hindustan Times' for themselves or for some other purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The New Delhi Municipal Committee has informed that the building is in conformity with the rules of the Committee. It has been provided with 52.125 square feet open space. Space has been provided in the open area as well as in the basement and ground floor for parking of 175 cars, 230 scooters and 1233 bi-cycles.

(b) Not known.

(c) The building plans have been approved by the Committee for Press and Office for the 'Hindustan Times Ltd.'

राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ की मांगें

6835. **श्री स० कुन्दू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ (एन० यू० बी० ई०) का, जो सरकारी क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों का एक स्वतंत्र संघ है, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से अधिकांश बैंकों के प्रतिनिधि लेकर गठन किया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उन्हें द्विदलीय वार्ता के लिये नहीं बुलाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ (नेशनल यूनियन आफ बैंक एम्पलाईज) (एन० यू० बी० ई०) द्वारा जारी की गयी 26 मार्च, 1970 की एक प्रेस प्रकाशनी में, जिसकी एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है, एन० यू० बी० ई० ने यह कहा है कि इसमें आल इंडिया स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाईज़ फेडरेशन, आल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक एम्पलाईज यूनियन, कनारा बैंक स्टाफ यूनियन, आल इंडिया रिजर्व बैंक आफ इंडिया कर्मचारी फेडरेशन और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, युनाइटेड कमर्शल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में काम करने वाली कई अन्य यूनियनें शामिल हैं। इसका दावा है कि इसके सदस्यों की संख्या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के कर्मचारियों की संख्या के 55 प्रतिशत से कम नहीं है। इस समय एन० यू० बी० ई० के सदस्यों की संख्या का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) एन० यू० बी० ई० ने 23 और 24 मार्च 1970 को हुए अपने सम्मेलन में पारित प्रस्ताव राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों (कस्टोडियन) के पास भेजे हैं। मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(I) एन० यू० बी० ई० को सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों का, सामूहिक बातचीत करने वाला एकमेव अभिकर्ता माना जाना चाहिए।

(II) बैंकों के प्रबन्धकों को वेतनों और सेवा की शर्तों में सुधार की मांग के सम्बन्ध में एन० यू० बी० ई० के साथ तुरन्त बातचीत शुरू करनी चाहिए।

(III) विभिन्न बैंकों के प्रबन्धकों को एन० यू० बी० ई० के साथ तुरन्त बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि सम्बद्ध बैंकों के कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले बोनस की युक्तियुक्त राशि, जमाकर्ताओं की राशि की सुरक्षा की बात को गुप्त प्रारक्षित निधियों के रखने से जोड़े बिना, तय की जा सके।

(घ) और (ङ) : एन० यू० बी० ई० का दावा है कि उसने अपने संगठनात्मक ढांचे को 22 और 23 मार्च को हुए अपने सम्मेलन में ही अन्तिम रूप दिया है। आशा है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिनिधि संस्था, भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक एसोसियेशन-आई० बी० ए०) उन सभी बैंकों में से जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक बैंक के प्रबन्धकों से विचार-विमर्श करके जल्दी ही यह निश्चय करेगा कि यह इन बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से अन्तिम बातचीत किस प्रकार करेगा।

Closure of Electric Crematorium in Delhi

6836. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale ;

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are considering over the question of closing the electric crematorium in Delhi; and

(b) if not, the reasons therefor, especially when the expenditure on its maintenance is larger than the income from it ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) The provision and maintenance of places for the disposal of the dead is an obligatory function of the Corporation and the installation of the electric crematorium is a definite step in the modernisation of an essential civic amenity and justifiable on hygienic and aesthetic considerations. It is one of the basic facilities and its continuance cannot be tied to or determined by its economics alone. However, as a result of the implementation of the report of the O and M Officer of the Corporation, who scrutinised the working of the crematorium, some savings in expenditure are expected to be effected.

Permission for Constructions in old Rajendra Nagar, New Delhi

6837. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have permitted the allottees of old Rajendra Nagar to construct two and a half storied houses;

(b) if so, whether the said people are constructing three storied houses and permission therefor is not being given; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) : According to the terms of the lease and the Municipal bye-laws, only two and a half storeyed construction is permissible on residential plots in Old Rajinder Nagar, New Delhi. Some of the lessees are, however, unauthorisedly constructing rooms on the Barsati floor also; they are liable to be dealt with for this infringement.

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को पुरस्कार

6838. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री य० अ० प्रसाद :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा निगम के कारोबार को बढ़ाने के पुरस्कार स्वरूप अपने 752 अधिकारियों को पुरस्कृत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों को क्या पुरस्कार दिये गये हैं और प्रत्येक अधिकारी ने क्या सराहनीय कार्य किया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) संभवत: माननीय सदस्यों का संकेत, जीवन बीमा निगम के दिल्ली प्रभागीय कार्यालय में 4 फरवरी 1970

को हुए वार्षिक पारितोषिक वितरण की ओर है। इस अवसर पर उस प्रभागीय कार्यालय के 614 अधिकारियों तथा एजेन्टों को पुरस्कार वितरित किये गये थे [7 शाखा प्रबन्धक, 3 सहायक शाखा प्रबन्धक, 117 विकास अधिकारी तथा 487 एजेन्ट]

(ख) ये पुरस्कार जो शील्ड, कप और उपयोगिता की वस्तुओं के रूप में थे, 1969 में विभिन्न प्रतियोगिता अवधियों के दौरान किये गये नये बीमा कार्य के आधार पर दिये गये थे।

पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में श्रीमती अरुणा आसफअली के द्वारा खरीदे गये अंशों के बारे में जांच

6839. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में श्रीमती अरुणा आसफ अली द्वारा खरीदे गये अंशों की इस बीच जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्राप्त निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) रायसीना पब्लिकेशनन्स लिमिटेड तथा यूनाइटेड इण्डिया पीरिआडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों में श्रीमती अरुणा आसफ अली द्वारा लगाये गये धन के स्रोत के बारे में जांच पूरी हो गई है। स्रोतों के बारे में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है। उक्त धन में विदेशों से प्राप्त उपहार, पूंजीगत लाभ तथा ऋण शामिल है। वित्तीय वर्ष 1968-69 में श्रीमती अरुणा आसफ अली द्वारा डा० ए० वी० बालिया संस्थान को हस्तान्तरित किये गये उक्त दो कम्पनियों के शेयरों तथा उसी वित्तीय वर्ष के अन्त में उनके अपने शेयरों से संबंधित ब्यौरे दिनांक 17-11-1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 121 के सन्दर्भ में दिये गये आश्वासन का 4-1-1970 को परिपालन करते हुए इस सदन को पहले ही दिये जा चुके हैं।

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं

6840. **श्री बलराज मधोक :** **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों की हालत को सुधारने और वहां पर सभी, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जे० जे० कालोनी, नारायणा और जे० जे० कालोनी (रघवीर नगर) जो कि नजफगढ़ रोड पर (राजोरी गार्डन के सामने) है, में अब तक इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) झुग्गी-झोंपड़ी हटाये जाने की योजना के अन्तर्गत झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में पीने का पानी, शौचालयों और स्नानगृह, सड़कों की रोशनी, नालियों और सम्पर्क मार्गों की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। इस योजना के अधीन विकासित सभी बस्तियों में इन सुविधाओं की

व्यवस्था की जाती है । तथा हाल में सुविधाओं के विस्तार के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया, केवल इस बात के लिए व्यय की वित्तीय सीमा को 1,000.00 रुपये प्रति प्लाट से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति प्लाट कर दिया गया है ।

(ख) उक्त दोनों बस्तियों में पूर्वोक्त सुविधाएं पहले ही दी जा चुकी हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 10 अंकों की वृद्धि

6841. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 10 अंकों की वृद्धि होने की स्थिति आ गई है और यदि हां, तो वृद्धि का निर्णय कब घोषित किया जायेगा ; और

(ख) गत 12 महीनों में निर्वाह व्यय सूचकांक का मध्यमान क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी , नहीं ।

(ख) माह फरवरी 1970 के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949 : 100) का 12 महीनों का नवीनतम उपलब्ध औसत 214.25 है । 12 महीनों के 215 के औसत स्तर के आधार पर 1 सितम्बर 1968 से मंहगाई भत्ते में वृद्धि पहले ही की जा चुकी है । मंहगाई भत्ते में अन्य कोई वृद्धि, इस स्तर के 225 के अंक पर पहुंचने पर ही देय बनेगी ।

पुराने राजेन्द्र नगर, (दिल्ली) में मकानों की चारदीवारी गिराना

6842. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम (करोल बाग क्षेत्र) ने 25 अक्तूबर, 1969 को पुराने राजेन्द्र नगर में मकानों की चारदीवारी को गिराया था, जबकि इस विषय पर 30-5-68 का स्थायी समिति का एक प्रस्ताव है और इस बारे में मकान मालिकों के अभ्यावेदन अनिर्णीत पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने मकानों में ये दीवारें गिरायी गई हैं और इसके क्या कारण है ; और

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा 25, अक्तूबर, 1969 को पुराने राजेन्द्रनगर कालोनी में कितने मकानों की चारदीवारी गिरायी गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) से (ग) : कोई चारदीवारी नहीं हटाई गई थी, परन्तु नगर निगम की भूमि पर अनधिकृत रूप से बनाये गए 28 संरचनाओं (ढांचों) को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1958 की धारा 320 के अन्तर्गत, 25-10-1969 को हटा दिए गए थे । स्थाई समिति का संकल्प इस मामले में लागू नहीं होता था ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा संसद सदस्यों तथा पार्षदों को भूखण्डों का आवंटन

6843. **श्री रामावतार शर्मा** : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने संसद सदस्यों, नगर निगम पार्षदों और दिल्ली विकास प्राधिकार के कर्मचारियों को रियायती दरों पर मकानों के लिए भूखण्ड देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली में मकानों की अत्यधिक कमी होने की जानकारी है, विशेषकर कम आय वर्ग के लोगों के लिये ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर 'हां' में हों, तो इन वर्गों के लोगों को यह विशेष रियायत देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार ने निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत विकासित प्लाटों का केवल 5 प्रतिशत वर्तमान संसद् सदस्यों, महानगर पार्षदों, दिल्ली नगर निगम के सदस्यों, कनटोनमेंट बोर्ड के गैर-सरकारी तथा नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्यों के लिए सुरक्षित किया है। प्लाट लाटरी द्वारा पूर्वनिर्धारित दरों पर (रियायती नहीं) केवल उन को आवंटित किये जाते हैं जो निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए निर्धारित आय सीमा में आते हैं, और जिन का दिल्ली, नई दिल्ली अथवा कनटोनमेंट क्षेत्र में उनके अपने नाम या उन पर आश्रित किसी सम्बन्धी के नाम, जिसमें अविवाहित बच्चे शामिल हैं, कोई अपना मकान नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए प्लाटों के आवटन हेतु कोई सुरक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी हां। कमी को यथासम्भव पूरा करने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए, भूमि स्थलों के विकास के अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण उनको आवंटित करने के लिए कर रहा है।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इन आवटियों को विशेष रियायतें नहीं दी जा रही हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अपने कर्मचारियों को भूमि का आवंटन

6844. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार का विचार अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये भूमि देने हेतु कुछ भूमि सुरक्षित रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, और दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों और भारत सरकार के निगमों के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा दी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के अधीन 50 प्रतिशत प्लाट वेतन भोगी श्रेणियों को आवंटन के लिए सुरक्षित हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और भारत सरकार के निगमों के कर्मचारी शामिल हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा फ्लैटों के आवंटन के लिये चंजीयन

6845. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास प्राधिकार दिल्ली ने फ्लैट खरीदने वालों के नाम का हाल ही में पंजीकरण किया है;

(ख) विभिन्न वर्गों के फ्लैटों के लिये नाम पंजीकृत कराने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) किन किन बस्तियों में (वर्गवार) कितने कितने फ्लैट बनाये जा रहे हैं और उन व्यक्तियों को दिये जाने के लिये ये मकान किस किस तिथि तक तैयार हो जायेंगे;

(घ) भविष्य में किन किन व्यक्तियों में (वर्गवार) कितने कितने फ्लैट बनाने का विचार है ; और

(ङ) अपने नाम पंजीकृत कराने वाले व्यक्तियों को किस तिथि तक फ्लैट आवंटित हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) (I) मध्यम आय वर्ग में फ्लैटों के लिए 3,426।

(II) निम्न आय वर्ग में फ्लैटों के लिए 4,750।

(III) जनता क्वार्टरों के लिए 2,570।

(ग) मध्यम आय वर्ग में नारायणा, ईस्ट आफ कैलाश, टैगोर गार्डन, सफ़दरजंग ब्लाक 'सी' तथा वज़ीरपुर में 1,493 फ्लैट ; निम्न आय वर्ग में पंखा रोड, नारायणा, वज़ीरपुर, तथा लारेंस रोड पर 7,096 ; और झिलमिल, सफदरजंग, कैलाश और पंखा रोड पर 1,000 जनता क्वार्टर लगभग तैयार हैं, सिवाय कुछ के, जिनके जून, 1970 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस के अरितक्ति मध्यम आय वर्ग में 96 फ्लैट, जो ईस्ट आफ कैलाश में निर्माणाधीन हैं, जिनके दिसम्बर, 1970 तक उपलब्ध होने की आशा है।

(घ) मध्यम आय वर्ग में वज़ीरपुर, पंखा रोड, सनलाईट कालोनी, मालविया नगर और राजोरी गार्डन के निकट 5,436 फ्लैट ; निम्न आय वर्ग में बजीरपुर, पंखा रोड, मालविया नगर, लारेंस रोड, झिलमिल, और राजोरी गार्डन के निकट 4,550 और वज़ीरपुर, नजफ़गढ़ रोड,

मदनगीर, मादीपुर, झिलमिल तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य कालोनियों में 5,900 जनता क्वार्टरों का चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) दो से तीन वर्षों में।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण

6846. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय सम्पत्ति की 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारण करने का **योजना** आयोग का प्रस्ताव सम्पत्ति के मामले में एक भेदभाव और संविधान का उल्लंघन नहीं होगा ;

(ख) 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की भवन सम्पत्ति को एक व्यक्ति के **अधिकार से** छीनना अनुच्छेद 31 के अनुसार "सार्वजनिक प्रयोजन" में कैसे माना जायेगा ;

(ग) अविनिमय बंधकों को समुचित मुआवजा कैसे माना जायेगा जबकि राष्ट्रीयकृत **बैंकों** के मुआवजे के संबंध में उन पर विचार करने के बाद उन्हें समुचित माना गया था ;

(घ) जब मितव्ययता तथा सुविधा की दृष्टि से नगरों में बहुमंजिला निर्माण अधिक होना चाहिये, तो क्या इससे 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के भवनों का निर्माण रुक नहीं जायेगा और क्या मकानों की कमी की स्थिति और अधिक गम्भीर नहीं हो जायेगी ; और

(ङ) क्या सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में अपनी भूमि का सर्वेक्षण किया कि यह पता चलाया जा सके कि लोगों के लिये बहुमंजिला निर्माण करने के लिये उपलब्ध है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) योजना आयोग ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) से (घ) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(ङ) : चूंकि विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास जो जमीन उपलब्ध हैं वह पहले ही उनके विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित है इसलिए बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के लिए उन प्राधिकारणों के पास अधिशेष जमीन रहने की सम्भावना नहीं है। अतः इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने से कोई लाभ नहीं होगा।

धन कर

6847. **श्री लोबो प्रभु** : **श्री आदिचन** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के प्रथम नौ महीनों में धन कर की कितनी वसूली हुई है ;

(ख) कृषि सम्पत्ति से आय को शामिल कर लिये जाने से आगामी वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ;

(ग) चालू वर्ष की आय को दुगना करने के लिये दरों में कितनी वृद्धि करना आवश्यक है ;

(घ) क्या विभिन्न धनी वर्गों के द्वारा किये गये विनियोजना का कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ङ) क्या दरों की वृद्धि के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन धनी वर्गों के विनियोजन तथा उनकी कार्यकारी पूंजी में कोई कमी न हो ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वित्तीय वर्ष 1969-70 के पहले नौ महीनों में अर्थात् 31-12-1969 तक 10.44 करोड़ रुपये की वसूली हुई।

(ख) संभवतः , माननीय सदस्य का संकेत कृषि-भूमि पर धन-कर के कारण हुई वृद्धि की ओर है। यदि हां, तो अनुमानित शुद्ध वृद्धि 4 करोड़ रु० है।

(ग) वसूली की रकमों में वृद्धि कई बातों पर निर्भर करती है जैसे निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि, पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या में वृद्धि कर दाताओं द्वारा करों की शीघ्र अदायगी, वसूली के लिये आय कर विभाग द्वारा किये गये कारगर उपाय आदि, हालांकि दरों में वृद्धि भी इसका एक कारण होगा। अतः यह बताना संभव नहीं है कि चालू वर्ष की वसूली को दुगुना करने के लिये दरों में कितनी वृद्धि आवश्यक होगी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) ऊपर (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Civic Amenities in Thyagraj Nagar, New Delhi

6848. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Welfare Association, Thyagraj Nagar, New Delhi has been drawing the attention of Government for the last ten to twelve years towards the lack of civic amenities there;

(b) if so, the remedial steps being taken by Government in this regard;

(c) whether it is also a fact that drains in Thyagraj Nagar are not covered and are very often blocked, the dirty water from the sewer flows out, which affects adversely the health of the children of the colony who play there;

(d) if so, the action taken so far by Government for providing underground drainage system there; and

(e) whether it is also a fact that such a system has already been provided in other Government colonies; and if so, the reasons for this discrimination in the case of Thyagraj Nagar only ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Government's attention has been drawn to the need for additional civic amenities for the residents of Thyagaraj Nagar, New Delhi by the Residents Welfare Association during the last few years.

(b) The following amenities have since been provided :

i) R. C. C. lofts in the rooms

ii) Ceiling fans

iii) Grassy lawns

iv) Brick pavement at the back of the quarters.

v) Separate control switches for the lights for the common baths and lavatories.

The work of construction of sun-shades over doors and windows has been sanctioned.

(c) The drains from the baths and the Kitchens are open surface drains up to the gully traps, whereafter they are connected to the sewers by underground drains. Open drains create insanitary conditions only when they get blocked with debris etc. thrown by the public.

(d) and (e) : Underground drainage has been provided in other Government colonies. The question of providing underground drains in Thyagaraj Nagar is under consideration.

Allotment of Houses to Shopkeepers of R. K. Puram Market and New Delhi area

6849. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the shopkeepers of Ramakrishnapuram New Delhi area have made a demand for the allotment of houses to them near their shops;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) if not, whether Government would consider over alloting houses to these shopkeepers in the colonies or in the sectors in which they are running shops; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The shopkeepers of Sector VI, Ramakrishna Puram have requested for allotment of residential accommodation to them in the same area as they have to come from far off places to their business premises and experiencing difficulty in getting conveyance.

(b) to (d) : The demand of the shopkeepers has been considered and rejected as the residential accommodation under the control of the Directorate of Estates is meant for allotment to Government servants working in eligible offices. It has not been possible to meet the demand of Government servants in toto and as such the question of allotment of general pool residences to shopkeepers does not arise.

कृषि जन्य वस्तुओं के लिये ऋण

6850. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाबंदियां लगाने वाले हाल के आदेश से पहले के तीन महीनों में कृषि-जन्य वस्तुओं के लिये कुल कितना ऋण दिया गया है और गत वर्ष इसी अवधि के ततसंबंधी आंकडे क्या हैं;

(ख) जब कि रिजर्व बैंक को विस्तार को रोकने के अधिकार प्राप्त हैं ? तो क्या वह उन्हें प्रयोग करने में इसलिये असफल रहा कि अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था ;

(ग) क्या कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि पर पाबंदियों का कोई प्रभाव पड़ा है, यदि नहीं, तो क्या सरकार जमाखोरी को रोकेगी और ऋण केवल दो महीनों तक सीमित न हो, और

(घ) यदि जमा राशियों के उपयोग के लिये ऋण देना ही है, तो अन्य देशों की तरह मकानों पर, जो बन्धक रखने के लिये एक सुरक्षित वस्तु पाई गयी है, ऋण नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी, 1970 को जो निर्देश जारी किया था उससे पहले की तीन महीनों की अवधि में कृषि-जन्य वस्तुओं के संबंध में दिये गये कुल ऋणों के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1968 के अन्त में ऋणों की वास्तविक बकाया रकमें क्रमशः 368 करोड़ रुपये, 341 करोड़ रुपये और 348 करोड़ रुपये थी।

(ख) जब आवश्यक होता है तब रिजर्व बैंक, ऋणों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सभी बैंकों पर, चाहे वे राष्ट्रीय बैंक हों अथवा अन्य बैंक, अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। कृषि-जन्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बैंकों से ऋण लेकर इन वस्तुओं की जो ज्यादा जमाखोरी की जाती है उसे रोकने के लिये, रिजर्व बैंक ने, कुछ वस्तुओं के संबंध में ऋण देने के बारे में सभी बैंकों के नाम 21 जनवरी, 1970 को एक निर्देश जारी किया था।

(ग) बैंकों से पैसा लेकर ऋण लेने वालों की स्टाक रखने की क्षमता को कम कराने के लिए ऋणों पर जो प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं उनका बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर प्रभाव पड़ने में, आम तौर पर, कुछ समय लगता है।

(घ) बैंकों के पास जो रकमें जमा होती है उनमें से वे अपनी नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति को बनाये रखने के साथ-साथ जितना संभव होता है उतना ऋण देते हैं। बैंकों के साधनों के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए ही, बैंकों द्वारा सहायशी इमारतों का निर्माण किये जाने के प्रश्न पर विचार करना होगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चाइबासा में दंगे

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै): महोदय, मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

> "चाइबासा में हाल ही के दंगों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय रक्षित पुलिस की एक बटालियन भेजने के बारे में केन्द्रीय सरकार से बिहार सरकार का कथित अनुरोध"

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : 16 अप्रैल को यह सूचना प्राप्त होने पर कि चाइबासा में दंगे हो गये हैं, केन्द्रीय रक्षित पुलिस की कुछ कम्पनियां चाइबासा तथा कुछ अन्य स्थानों पर भेजी गई, क्योंकि राज्य सरकार ने यह मांग की थी। 15 तारीख को रामनवमी के जलूस के दौरान यह कठिनाई पैदा हुई थी। यह समाचार मिला है कि इसमें 20 व्यक्ति मारे गये।

पुलिस ने दो बार गोलीयां चलाई। 162 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। 16 तारीख को बिहार के मुख्य मन्त्री ने चाइबासा का दौरा किया था। अन्य स्थानों में भी निवारणात्मक उपाय किये गये हैं। इस दंगे में जिन लोगों को हानि हुई है, उनको तत्काल राहत देने के प्रबन्ध किये गये हैं। चाइबासा में अब स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है।

श्री उमानाथ : यह बड़े खेद की बात है कि यह घटना कामरेड ज्योति बसु की हत्या करने का प्रयत्न करने के तुरन्त बाद उसी राज्य में हुई है। इस समय उस राज्य में साम्प्रदायिक दंगे आरम्भ हो गये हैं। कुछ निहित स्वार्थ पुनः सक्रिय है। इन दोनों घटनाओं में केवल इतना अन्तर है कि एक का लक्ष्य हमारे अभियान को नष्ट भ्रष्ट करना था तथा दूसरी का लक्ष्य हिन्दू-मुस्लिम एकता को नष्ट भ्रष्ट करना है। मैं गृह कार्य मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि यह दंगे जानबूझ कर कराये गये और ये पूर्वनियोजित योजना के अनुसार कराये गये, क्यों कि इन दंगों का कारण न तो निजी झगड़ा था जिसने बाद में साम्प्रदायिक दंगों का रूप लिया हो और न ही दो समुदायों के बीच तनाव होना इसका कारण था, जैसे कि पहली घटनाओं में होता रहा है? इसके विपरीत किन्हीं निजी झगड़े तथा समुदायों के बीच तनाव न होते हुए भी इन दंगों के नियजकों ने एक विशेष दिवस अर्थात रामनवमी के दिन चुना और एक विशेष स्थान अर्थात चाइबासा को, जो कि हिन्दू मुस्लिम सदभाव के लिए प्रसिद्ध था और जहां मुसलमान भी रामनवमी के उत्सव में भाग लेते हैं और उस दिन हिन्दुओं के साथ मुसलमान भी जलूस में शामिल थे, चुना। मुख्य मन्त्री के वक्तव्य से पता चलता है कि मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध कोई शिकायतें न थी। वास्तव में बहुत से मुसलमानों ने भी दूसरे समुदाय से बिना किसी भय के मुख्य मन्त्री के साथ सारे नगर का दौरा किया था। इससे सिद्ध होता है कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे और इनका उद्देश्य जानबूझ कर दो समुदायों के बीच गलतफहमी पैदा कराना तथा हत्यायें आदि कराना था।

मुख्य मन्त्री का विचार है कि इन दंगों का साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः क्या सरकार इस समूचे मामले का पता लगानें तथा असली अपराधियों को पकड़ने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता से एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने का है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके?

गृह मन्त्री के वक्तव्य से पता चलता है कि दंगों के बाद ऐसे उपाय किये गये जिनसे दंगे फैलने न पायें। यह एक अच्छी बात है। परन्तु जहां तक निवरक उपायों का सम्बन्ध है कि उचित निवारक उपाय नहीं किये, क्यों समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चलता है कि राज्य सरकार को बहुत पहले इस गड़बड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी और केवल दो सप्ताह पहले ही नवाबा, जिला गया में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 120 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। अतः सरकार के पास रामनवमी से दो सप्ताह पहले पर्याप्त सूचना पहुंच गई थी कि ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। अतः जब सरकार को पता था कि रामनवमी के अवसर पर कुछ घटनायें हो सकती हैं, तो निवारक उपाय क्यों नहीं किये गये? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या रामनवमी से पहलें कुछ निवारक उपाय किये गये थे? यदि ऐसा किया जाता तो बम फेंकने वालों को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था।

तीसरे राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में हमारे दल ने सुझाव दिया था कि साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिये सब दलों के प्रमुख नेता देश के सब क्षेत्रों का, विशेषतया साम्प्रदायिकता-

ग्रस्त क्षेत्रों का, दौरा करें ताकि साम्प्रदायिक एकता का प्रचार किया जाये और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सरकार ने कहा था कि उन्हें इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पहल नहीं की गई है, हालांकि इसकी बार बार मांग की गई है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है, विशेषतया जब कि भारतीयकरण का जहरीला प्रचार किया जा रहा है। मैं गृह मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे उन विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों, जो भारतीयकरण के विरुद्ध है, के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करेंगे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये एक संयुक्त प्रयास करेंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सर्वप्रथम मैं निवारक उपायों के बारे में कहना चाहता हूं। केवल बिहार में ही नहीं अपितु सामान्यत: सारे देश में जब भी ऐसे महत्वपूर्ण दिन निकट आते हैं, राज्य सरकारें पूरी तरह से तैयार और सतर्क रहती हैं और हर तरह के आवश्यक प्रबन्ध करती हैं। इस विशेष मामले में 15 तारीख को बाद दुपहर यह घटना हुई और 13 तारीख को अधिकारियों ने दोनों समुदायों के नेताओं की एक शांति समिति की बैठक बुलाई थी, जिससे रामनवमी के जलूस का पूरा प्रबन्ध संगठित ढंग से किया जा सके। बैठक बड़े सद्भाव पूर्ण ढंग से हुई थी और जलूस के मार्ग इत्यादि निर्धारित किये गये थे। जलूस के मार्गों पर अन्य प्रबन्ध भी किये गये थे। इससे संकेत मिलता है कि उन्हें बम आदि फेंके जाने का अन्देशा था। इसलिये सामान्य स्थिति में जो भी निवारणात्मक कार्यवाही करनी संभव थी उसे अधिकारियों ने किया और वे ऐसी घटनाओं के लिये तैयार थे।

यह विशेष मामला अन्य घटनाओं से कुछ भिन्न है। यह सच है कि इस अवसर पर जो प्रयास किया गया, वह कुछ पूर्व नियोजित था, क्योंकि छ: बम उस समय फेंके गये जब कि जलूस एक गली से गुजर रहा था। जलूस में हिन्दुओं के बहुत से लड़के, लड़कियां और बच्चे भी थे। अत: इससे पता लगता है कि हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई दुर्भावना नहीं थी और दोनों समुदायों में परस्पर विश्वास था।

माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि मुख्य मन्त्री इस घटना के सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। वह हम से इस मामले में जो कुछ सहायता मांगेगे, हम अवश्य उन्हें वह सहायता देंगे।

यह सच है कि स्थायी समिति की बैठक में जिस में विपक्ष के सब नेता शामिल थे, एक वक्तव्य जारी किया गया था और संयुक्त अभियान के लिए एक संगठनकारी समिति की नियुक्ति का निर्णय किया गया था। हम ने विभिन्न राजनीतिक दलों को समिति में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा है। अब सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं और हम संयुक्त अभियान की दिशा में आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं, क्यों कि हम महसूस करते हैं कि देश के हित में संयुक्त अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि यह संयुक्त अभियान शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : First of all I am not satisfied with the statement of the Home Minister in which he has stated casually that a trouble started on the day of Ramnavami. Whereas on being asked he has admitted that six bombs were thrown on the procession. According to his information 20 persons were killed, whereas the fact is that 22 persons were killed on the spot and more than 150 persons were injured. There had been riots not only in Chaibasa but also in Giridih and Navada.

Eleven bombs and two bomb manufacturing factories were unearthed by police in Giridih during their operations. Two persons were arrested in Navada, who had connections with Chaibasa riots. I want to know from the hon. Minister whether it has come to his knowledge that certain Government officials also were involved in the communal riots of Chaibasa ?

Is it a fact the group officer of special Branch Mr. Takki, Subedar Mr. Vahidullah Khan and the A. S. I. of Chaibasa Mr. Sonulla had connivance with the riot mongers and if it is so it is a very serious matter ? It is evident when a minorty community starts riots against the majority community, they do so with the support of some third power.

The Chief Minister of Bihar has suspected the hand of Pakistani agents or Naxalite elements in Chaibasa riots. So it is a very serious matter and it is a great danger for the whole country. I want to know whether Government would be satisfied on by sending Central Reserve police there or they will take some positive steps to prevent such incidents which are dangerous for the entire country ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : किसी अधिकारी के सम्बन्ध में अभी मेरे पास सूचना नहीं है। मुझे कुछ सूचना मिली है कि दूसरे राज्यों में गिरफतार किये हुए व्यक्तियों में से दो बंगाल के हैं और कुछ अन्य बिहार के दूसरे भागों के हैं ।

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : The names of the arrested persons may be stated.

Shri Y. B. Chavan : I have no names.

मुख्य मन्त्री ने स्वयं कहा है कि उन्हें कुछ तत्वों का इस में हाथ होने का संदेह है । मुझे विश्वास है कि वे इस मामले पर आगे कार्यवाही करेगें । मैं भी इस मामले को लूँगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Out of 162 Persons, who have been arrested, only 27 persons are under custody now as reported by you. It is known that others have been released on bail.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरी सूचना के अनुसार लगभग 140 व्यक्ति अभी तक बन्दीगृह में हैं। कुछ लोगों को गिरफतार किया गया और 40 से 50 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया । यदि मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिये जाते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : It has been stated that Shri Jyoti Basu was fired at. Shri Shastri has mentioned about some Muslims. But it was mentioned in both the statements that both Hindus and Muslims were going in a procession. I think that the Hindu and Muslim might not be behind these disturances as both were going together in the procession. As the Hon'ble Minister has said that the elements known as Naxalite were involved. Has he received any report regarding this ? I want to know whether Government propose to appoint a commission like Raghubar Dyal commission so that such incidents are not repeated and communal harmony maintained in the country ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने स्वयं ही उस आयोग का उल्लेख किया है जिस की नियुक्ति 1967 में घटनाओं पर विचार करने के लिये की गई थी। उस आयोग के द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन और सिफ़ारिशें हमें प्राप्त हुई और इन सिफ़ारिशों के आधार पर सुझाव सभी राज्य सरकारों को भेजे गये। उन पर अमल हो चुका है। इस पर हमें समस्या के राजनीतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विचार करना होगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आपने मूल समस्या पर विचार नहीं किया है। बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्व पाकिस्तान के एजेंट बहुत सक्रिय है। यदि वहां सरकार ने कुछ कदम न उठाये, तो वहां और कुछ दंगे होंगें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पटना में संयुक्त राज्य सूचना सेवा की अवांछनीय कार्यवाहियों का क्या हुआ ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं श्री सीताराम केसरी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। वर्तमान घटना का स्वरूप भिन्न है। मुख्य मन्त्री स्थिति से अवगत हैं और वे इस घटना की जांच करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. speaker, I want to raise point of order. The Minister has stated all the things, but why did he not say any thing about the Raghuvar Dyal commission's report ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय को बुलाया है, न कि आप को। व्यवस्था का प्रश्न उठाने का यह ढंग नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्रो की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) सीमा-शुल्क 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 580, जो दिनांक 31 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 582, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1970 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3229/70]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) चौदहवां संशोधन नियम 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 576 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पन्द्रहवां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 577 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) सोलहवां

संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 578 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3230/70]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 515 जो दिनांक 25 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 516 जो दिनांक 26 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 517, जो दिनांक 26 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 572, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर 574, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 575, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाहुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर० 583-84, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3231/70 व 3232/70]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATE COMMITTEE
116 वां प्रतिवेदन

श्री एम० तिरुमल राव (काकीनाडा) : मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग) के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 116 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद भी कराया गया है और जिन सदस्यों को हिन्दी संस्करण चाहिये, वे ले सकते हैं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377
हिन्दुस्तान टाइम्स में श्री मधु लिमये आदि के बारे में अपमान जनक पत्र का छापा जाना

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. speaker, I want to place a matter before the House over which the whole nation and the House are angry. I will read out a letter of one Tample Jones published in the 'Hindustan Times' of 18th instant. In the letter it has been stated that "the blame for the debacle lies squarely on the shoulders of

your irresponsible politicians." It seems that Mr. Tumple Jones is a British National. Mr. Tumple Jones has not only justified the police attitude on that occassion, but also suggest that Shri Madhu Limaya be horse-whipped in public. This matter involves the question of national honour as Mr. Tumple Jones has challenged our sovereignty. The Home-Minister should also be directed to inquire about Mr. Tumple Jones and to find how the letter is published by Mr. Vergbex, who is former Press Secretary to the Prime Minister ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : प्रश्न केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों द्वारा लिखित कुछ पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में देखने को मिले हैं। बात वास्तव में यह है कि श्री मधु लिमये एक याचिका प्रस्तुत करने के लिये संसद भवन में आ रहे थे। और इस प्रकार वे एक संसदीय कर्त्तव्य का पालन कर रहे थे। यह एक मामला है, जो विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। यह दलों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है कि उन पर लाठी चार्ज तब किया गया, जब वे याचिका प्रस्तुत करने संसद भवन आ रहे थे, जो कि उनके संसदीय कर्त्तव्य का एक भाग है। इसलिये विशेषाधिकार समिति को देने का एक उचित मामला है। मैं आशा करती हूं कि आप इस विशेषाधिकार से सहमत होंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान जी मैं अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये एक पत्र पहले ही लिख चुका हूं। श्री टम्पल जौन्स का फरीदाबाद से लिखा हुआ पत्र कटु भाषा में लिखा हुआ था, जिसकी सभी को आलोचना करनी चाहिये। आज के पत्र में सम्पादक द्वारा लिखी गई टीका-टिप्पणी भी उतनी ही उपेक्षनीय है, जिसने सभा का अपमान किया है। इस प्रकार के आन्दोलनों को हमारे देश में पनपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री टम्पल जौन्स अमरीकी गुप्तचर विभाग का एक जासूस लगता है। नहीं तो उसने ऐसा पत्र न लिखा होता। उसके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये। पहले उसे स्पष्टीकरण देने के लिये कहा जाना चाहिये और उसके बाद यदि उचित समझा जाये, तब मामले को विशेषाधिकार को सौंप देना चाहिये।

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawa): This question is not concerned with any individual. I want to draw the attention of the Home-Minister that if an attack is made by any foreigner on our country or its people we cannot remain silent spectators. The British High Commissioner must be asked to apologize or we would be compelled to ruin the office of High Commissioner.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : सम्बन्धित पत्र का प्रश्न घोर आपत्तिजनक है। ऐसा बताया गया है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। पहले उसकी सही राष्ट्रीयता का पता लगाया जाना चाहिये कि वह फरीदाबाद में किसका अतिथि है, जहां से उसने पत्र लिखा है।

"हिन्दुस्तान टाइम्स" के आज के अंक में सम्पादक द्वारा दी गई टिप्पणी बहुत ही गम्भीर है। उसे किसी श्री सेन का पत्र प्रकाशित करते हुये इस प्रकार की टिप्पणी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये थी।

दोनों पत्रों सहित सम्पादक की टिप्पणी सहित विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिये और उसे पूरे अधिकार दे देने चाहिये कि वह पूरे विवरण प्राप्त करे और ऐसे कदम उठाये, जो वह उचित समझे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हारबर) : मैंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सलाहकार की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 377 के अधीन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रस्ताव पर पहले विचार किया जा रहा है, उसकी गंभीरता पर विचार किये बिना आप अपनी बात पर जोर दे रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा था कि मैं दोनों प्रस्तावों पर बोलना चाहता हूं। यह मेरा विशेषाधिकार है कि किस प्रस्ताव पर मैं पहले बोलूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speakar, there is no doubt that the letter was not written in good taste and we all condemn it. We have also to consider whether or not an individual has a right to write or express his opinion about of a Member of Parliament. The question of priviliges arise only when they are prevented in discharging their parliamentary duties. We can not take notice of every thing that is written about them in the newspapers. If the House is to take notice of every thing written in the newspapers, then the freedom of the press will be endangered. I agree with Mr. Madhu Limaya, that the Government should be condemned for misdoings it has done with the P. S. P. people.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The matter should not be sent to the Privileges Committee. But they must be careful about the tendency, which is growing in this country of justifying the atrocities committed and cruelties performed by the police. If the police is thus openly praised for their cruel attitude, the people and the youngmen of our country are not going to put up with it and they would also take to violence. To day I want to give serious warning about it.

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : जो पत्र 18 दिनांक के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, वह केवल श्री मधु लिमये के विरुद्ध ही बहुत असंयत और निन्दनीय आक्षेप नहीं है, अपितु यह इस सभा के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध है। "आपके राजनीतिज्ञ" शब्दों के अन्तर्गत हम सब अर्थात अध्यक्ष महोदय और प्रधान मन्त्री भी आते हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर बात है और सभा को सर्व सम्मति से उस प्रकृति का ध्यान रखना चाहिये। कुछ आज भी प्रकाशित हुआ है, उस से पहले लिखे हुये की गंभीरता नष्ट नहीं हो जाती है। मुझे विश्वास है कि गृह-कार्य मन्त्री सारे मामले की जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गम्भीर बात है, विशेषकर उस समय जब कि एक विदेशी द्वारा कही गई हो। मैं अपने निर्णय देने से पहले चाहता हूं कि गृह कार्य मन्त्री महोदय इस सज्जन के सम्बन्ध में जांच करें कि वह कौन है और कहां से आया है ?

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : क्या भारतीय संसद को एक समाचार पत्र के एक स्तम्भ में लिखे हुये एक व्यक्ति के पत्र के सम्बन्ध में चिन्तित होना चाहिये ?

श्री पीलुमोडी (गोधरा) : मैं अपने कई सहयोगियों से सहमत हूं कि यह सभा को नीचा दिखाने वाली बात होगी, यदि हम इस पत्र की ओर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। यदि हम उन पत्रों के विषय में चिन्ता करना आरम्भ कर दें, जो कि समाचार पत्रों के स्तम्भों में प्रकाशित होते रहते हैं, तो हम अपने आप से बहुत अन्याय करेंगे। मेरे विचार में भारतीय संसद ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिये, जो इस प्रकार की बातों पर ध्यान देती रहे, चाहे यह किसी भी द्वारा लिखी गई हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह हमारे लोकतंत्रीय ढांचे और स्वतंत्रता संघर्ष को नष्ट करने के लिये एक अच्छी प्रकार से सोचा समझा हुआ प्रयास है, जिसे इस देश ने कई वर्षों से चलाया है। प्रश्न यह है कि श्री चव्हाण से सम्बन्ध रखने वाले बहुत ही जागरुक पुलिस अधिकारी जांच करेंगे ? गृह कार्य मन्त्री जी को टम्पल जौन्स के व्यवसाय के सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये और इस बात

का भी पता लगाना चाहिये कि क्या यह पत्र कल्पित है ? इस के साथ ही इस समाचार पत्र के सम्पादक से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये कि उसने इस प्रकार का क्षति पहुंचाने वाला पत्र क्यों प्रकाशित किया ?

अध्यक्ष महोदय : सब बातों पर बाद में विचार होगा । पहले गृह कार्य मन्त्री से मुझे कुछ सूचना मिल जानी चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं । ऐसा कहा जाना चाहिये कि जब श्री मधु लिमये और उनके मित्र एक याचिका प्रस्तुत करने के लिये संसद भवन आ रहे थे । श्री बनर्जी ने अपना दृष्टिकोण बहुत उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किया है ।

श्री हेम बरुआ : इन घटनाओं की न्यायिक जांच क्यों न करायी जाये ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर दूसरे विचार भी हैं ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभा आप पर छोड़ना चाहती है ; आप ने सभा के विचारों को जान लिया है और आप को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जाये । हम अपने अधिकारों के विषय में पूरी तरह जागरुक हैं और हम नागरिकों के विषय में भी सचेत हैं । परन्तु एक बात हमें नहीं भूल जानी चाहिये कि यह सारा ध्यान, कि यह सारा आघात स्वयं हम पर किया गया है; कहां तक हमें इसका मुकाबला करना चाहिये अथवा कहां तक इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये, यही प्रश्न है ।

श्री पीलुमोडी : हम सारा मामला आप पर छोड़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप का धन्यवाद । क्या आप सन्तुष्ट है ? हम मध्यान्ह भोजन के लिये सभा स्थागित करते हैं और 2.30 बजे सभा फिर समवेत होगी ।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Half Past Fourteen of the Clock.)

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पैंतीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty-five minuets past Fourteen of the Clock.)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

अनुदानों की मांगे 1970-70-जारी

DEMANDS FOR GRANTS-1970-70 Contd.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय-(जारी)

श्री क० कु० नायर (बहराइच) : हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के सब इस्पात उत्पादकों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ही सब से बड़ा है । गैर सरकारी क्षेत्र में टाटा आयरन एण्ड स्टील एण्ड इण्डियन आयरन एन्ड स्टील हैं । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र,

भिलाई इस्पात संयंत्र तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आते हैं। ये कारखाने विभिन्न देशों की सहायता से स्थापित किये गये। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस समय हमारा उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का 65 प्रतिशत ही है। श्री चन्दी ने, जिन्होंने हिन्दुस्तान स्टील का कार्य भार सम्भाला उन्होंने कहा कि यदि हम अधिष्ठापित क्षमता का 75 प्रतिशत उत्पादन कर सकें तो हम अवश्य प्रगति कर सकते हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि यह लक्ष्य 75 प्रतिशत अथवा शत प्रतिशत क्यों नहीं है। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति आदि हमारे पास हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री चन्दी के अनुसार उत्पादन में कमी का मुख्य कारण पुर्जों आदि को रखने की पर्याप्त व्यवस्था न होना है।

दुर्गापुर परियोजना का लगातार एक अस्वस्थ शिशु के रूप में बखान किया जाता रहा है। सभी का यह अनुमान है कि इस युनिट में प्रबन्ध, मशीन और श्रम में समन्वय नहीं हैं। यह राजनैतिक हलचल से बुरी तरह ग्रसित है और जिसका दुर्गापुर और वहां पर कार्य करने वालों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

उत्पादन की कमी हो जाने का कारण यह भी है कि यह यूनिट बांछनीय किस्म का कोयला प्राप्त करने में असफल रहे हैं। आशा की जाती है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रभारी के वाछनीय स्तर का कोयला प्राप्त करने के प्रयत्न सफल होंगे और हम शीघ्र ही हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस्पात के मानचित्र पर पुनः रखने में समर्थ होंगे।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कुछ दोष-पूर्ण नीतियों को अपना रहा है, जिसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिये इसने इस्पात के ढाचों, तार, छड़े आदि के संभरण के संबंध में विभिन्न निर्यात कर्ताओं के साथ किये गये करारों के अनुसार संभरण नहीं किया है। फलस्वरूप निर्यातकर्ता अपने ही करार को पूरा करने में दोषी बन गये हैं, जो कि उन्होंने विदेशी खरीदारों से किये थे। इससे भारतीय व्यापारियों की प्रतिष्ठा नष्ट हुई है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें।

हिन्दुस्तान स्टील द्वारा इस्पात के नियोजित आयात की धारणा एक गलत नीति है। आयात और आन्तरिक उत्पादन परस्पर विरोधी चीजें हैं। उनका मेल नहीं किया जा सकता। इस्पात का आयात रोकने के लिये हिन्दुस्तान स्टील की स्थापना की गई है और इसकी सफलता का निर्णय इसके द्वारा रोके गये आयात की सीमा देखकर ही किया जा सकता है। यदि आयात के लिये एक एकक रखना आवश्यक ही है तो यह एकक स्वतंत्र एकक होना चाहिये।

1959 में केन्द्रीय इंजीनियरी और डिज़ाइन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। यह हिन्दुस्तान स्टील का एक अंग था, और इसकी क्षमता काफी थी। लेकिन हिन्दुस्तान स्टील के एक अधीनस्थ निकाय के रूप में इसका अस्तित्व दबा रहा और यह प्रतिस्पर्धा बाज़ार में नहीं आया जिसमें केवल प्रतिभा की परीक्षा की जाती और इसको समुचित दर्जा दिया जाता। आज हम प्रत्येक परियोजना की इससे जांच करा रहे हैं। बोकारो इस्पात परियोजना की जांच भी इससे ही कराई जा रही है। अच्छा हो यदि इस कार्य के लिये हम एक स्वतंत्र ब्यूरो बनायें।

इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :— इस समय यह आम धारणा बनी हुई है कि देश में कुछ श्रेणियों के इस्पात की कमी है। एक ओर

यह एक अच्छी बात है क्योंकि देश आर्थिक मंदी से उबर आया है। जब कमी होती है और मांग पूरी नहीं हो पाती तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है और उद्योग गतिशील बन गया है।

यदि हम लोहा और इस्पात उद्योग की स्थिति की ओर ध्यान दें, तो हमें समस्या को चार दृष्टिकोणों से हल करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आन्तरिक उत्पादन बढ़ाना होगा, आयात द्वारा मांग और पूर्ति के मध्य कमी पूरी करनी होगी और अपने निर्यात को नियमित बनाने के साथ साथ वितरण प्रणाली को निर्दोष बनाना होगा।

जहाँ तक आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने का संबंध है, इस समस्या की ओर सरकार ध्यान दे रही है और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि लोहा और इस्पात उद्योग का उत्पादन बढ़े और उद्योग की मांग पूरी की जाय। जहाँ तक भी संभव है, हम इस्पात संयंत्रों पर इस्पात का अधिक उत्पादन करने के लिये ज़ोर दे रहे हैं जिसकी मांग अपेक्षाकृत अधिक है। हमने टाटा आयरन तथा स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से कहा है कि वे जस्ती चादरों के उत्पादन का अपना कार्यक्रम थोड़ा कम करके पतली चादरों का उत्पादन करें। हमने पिछले वर्ष राउरकेला से भी कहा है कि वह अपने पतली चादरों के उत्पादन को बढ़ाकर उसका चौगुना करे।

हमने इस्पात को दो श्रेणियों में बांटा है, दुर्लभ और सुलभ। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर श्रेणी का इस्पात दुर्लभ बन गया है, चाहे यह शलका, छड़ या पट्टियाँ अथवा अन्य किस्म का इस्पात ही क्यों न हो। अतः हमने इन श्रेणियों को समाप्त करने का निर्णय किया है।

जहाँ तक आयात का संबंध है हमने ऐसे कारगर कदम उठाये हैं और उनका लाभ 1970-71 में दिखाई देगा। वास्तविक उपभोक्ताओं के लाइसेंस का मूल्य बढ़ा करके उनका आयात 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। जिससे 18 करोड़ रुपये इससे 18 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात आयेगा। हमने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 17.5 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात के आयात की स्वीकृति दे दी है। कुछ इस्पात पहले ही आना शुरू हो गया है। इस इस्पात में से 10 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात मुख्य रूप से छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रखा गया है। हमने कुछ श्रेणियों के इस्पात को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा तथा स्टेनलेस इस्पात को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने का निर्णय किया है।

लोहे और इस्पात का हमारा निर्यात 1965-66 में लगभग 6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1968-69 में 70 करोड़ रुपये हो गया है और 1969-70 में भी इतना ही होने की संभावना है। इस विकास में सब से अधिक योगदान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का है। परन्तु हमें इन निर्यातों को विनियमित करने के उपायों पर भी विचार करना होगा, ताकि देश में इस्पात का आन्तरिक उत्पादन बढ़ाया जा सके।

इस्पात की अधिकांश वस्तुएँ प्रत्यक्ष उपभोक्ता वस्तुएँ नहीं होतीं-अपितु वह औद्योगिक विकास के लिये सब से अधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यदि हम पुर्जे आदि बनाने के इस्पात को बिना सोचे समझे निर्यात करते रहेंगे, तो इससे स्वयं हमारे इन्जीयनिरिंग उद्योगों की प्रगति में बाधा पड़ेगी और यह स्थिति हमें आन्तरिक बाजारों में प्रतिस्पर्धा होने से रोकेगी। अतः

छड़ी और शलाकाओं को निर्यात करने और देश के अन्दर कमी उत्पन्न करने के बजाय हमें अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से ऊँचे मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए । इस कारण हम इंजीनियरिंग उद्योग की समस्त आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही एक उद्योग है जो तैयार माल विदेशों को भेज रहा है।

इसके अतिरिक्त तैयार माल के आयात के बजाय हमें अर्ध-निर्मित माल का आयात करना चाहिए। क्योंकि दोनों का देश में प्रयोग किया जा सकता है और इससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा। हम देश में कल पुर्जे बनाने के इस्पात की उपलब्धि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मोटर गाड़ियों, साइकिलों, मशीनी साज सामान, सूती वस्त्र तैयार करने की मशीनें रेल के डिब्बे आदि जैसे इस तरह के ईंजीनियरी सामान के उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। इनका पिछले कुछ वर्षों से निर्यात काफी बढ़ गया है। निर्यात किये गये सामान की मात्रा के लिये जितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है वह कल पुर्जे बनाने की अपेक्षा बहुत अधिक है।

दूसरी ओर छड़ें और राड जैसे इस्पात के मद आते हैं इनका जन साधारण द्वारा भी भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है और इनका आन्तरिक उत्पादन बहुत कम हो गया है। ग्रामों में बिजली और पानी पहुंचाने की योजनायें और अन्य निर्माण कार्य जो हमने अपने हाथ में लिये हैं उनको देखते हुए हमें यह भी चाहिये कि हम जन साधारण की आन्तरिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दें। हमें यह देखना चाहिये कि इस्पात की छड़े तथा राड की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हम वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय के साथ परामर्श करके बड़ी सक्रियता से विचार कर रहे हैं कि देश की आन्तरिक उपलब्धि में वृद्धि तथा विदेशी बाजारों में अधिकतम माल निर्यात करने के लिये अधिकतम नियमन उपाय क्या हो सकते हैं ।

सरकार की इच्छा है कि लोहे और इस्पात को सीधे असल उपभोक्ताओं को ही सप्लाई किया जाय और उनकी मांग तथा पूर्ति के बीच जो भी कमी रहे वह आयात द्वारा पूरी की जाय। हम राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के निगम के अन्तर्गत कच्चे माल के भण्डारों की स्थापना करने के प्रस्ताव को प्रोत्साहन देंगे जिससे इन भण्डारों से वास्तविक छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता रहे। हम राज्यों के उद्योग निदेशकों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करते हैं कि वह यह देखें कि राज्य सरकारों को छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्योगों के उपयोग के लिये जो भी कुछ मिले उसका सही उपयोग हो। हाल में ही हमने राज्यों के उद्योग निदेशकों को भी बैठक में निमन्त्रित करने का निश्चय किया है। यह कार्य इस्पात प्राथमिकता समिति की लोहे आदि की आवश्यकता के मूल्यांकन करने के लिये बैठक से पूर्व किया जायगा। हमारा हमेशा प्रयत्न यही रहता है कि इन वस्तुओं का उद्योगों द्वारा सही उपयोग किया जाय।

Shri Bhagaban Das (Ausgram) : The production of iron and steel as well as heavy engineering goods indicates the progress which a country is making. Seeing it from this angle, we find that we have not made much progress.

Our public sector industries are suffering losses. Often this loss is attributed to workers, who create some trouble or the other as a result of which production goes down and losses become inevitable. Here it can be mentioned that even the private sector industries are not free of this problem called labour trouble and yet they are making profits.

In Durgapur Steel Project, the management—labour relations are not cordial and as such the production is likley to increase, labour is not being treated properly at hands of officers. Despite this no steps are being taken to improve the relations.

The Prime Minister has announced that three steel plants will be set up in the South during the Five Year Plan. It is a welcome announcement. But it is not going to help solve the problem. It will be better if more steel plants are set up at places where more unemployment exists and circumstances are favourable for setting up the plants.

The prices of steel are rising every day. There are capitalists, the owners of steel plants in private sector, in the committe which fixes rhe price of steel. They look to their own interests and try to raise the price. The Government should take over steel plants so that the reasonable price of steel can be fixed.

At present majority of workers, in steel plants are kept on contract or muster roll. Steps should be taken to regularise them.

Shri M. G. Uikey (Mandla) : The state of Madhya Pradesh is very rich in iron ore. Apart from all the requisite materials for steel industry except coal, is available in one and the same district. This being the case we have been demanding that a steel plant should be set up in Beladila district. But it is a matter of regret that our request has not been accepted.

The Prime Minister has announced that three steel plants will be set up during the Fourth Plan period. One of these plants will be at Vishakhapatnam. It is said that from the stand point of exports, the plant at Vishakhapatnam will be less costly. One fail to understand that when most of materials for the plant at Vishakhapatnam will be taken from Baladila district, which will involve even the cost of transportation, how the production there can be cheaper than that at Baladila itself.

Madhya Pradesh has land, man-power, water supply, iron ore in abundance. It has been stared that more sites for steel plants will be considered in future, it will be better if the case of Baladila is also considered.

By the establishment of steel projects at Durgapur, Bhilai and Rourkela, thousands of tribals have been uprooted from their lands. It is regrettable that no sincere effort has been made so far to rehablitate them. Even the number of seats reserverd for them in the plants have not been got filled by them. The Government should investigate the matter. Also they should be given compensation for their lands taken over by the Government.

श्री श्री निवास मिश्र (कटक) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में इतने वर्षों के पश्चात भी मन्त्रालय के प्रयत्नों और आशाओं के बावजूद भी अभी तक इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में भारत का लगातार नीचे से दूसरा नंबर रहा है और संभवत: प्रति व्यक्ति खपत के मामले में अन्तिम रहा है। निस्संदेह इसमें 261 प्रतिशत सुधार हुआ है, लेकिन ब्राजील तथा अर्जेन्टीना जैसे देशों ने इस अवधि में 4000 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। इसलिए प्रतिशत वृद्धि ही समुचित मानदण्ड नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि प्रति व्यक्ति खपत क्या है ? 1967-68 की अपेक्षा 1968-1969 में वृद्धि केवल 006 प्रतिशत रही। मन्त्रालय संतुष्ट है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

यद्यपि मन्त्रालय को इस्पात मन्त्रालय कहा जाता है परन्तु इसकी दशा बहुत बिगड़ी हुई है। सरकारी उपक्रमों की दशा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन में 1968-69 में थोड़ा सुधार हुआ-परन्तु वह नगण्य ही है। 623 करोड़ रुपये की पूंजी में से 1967-68 तक केवल 500 करोड़ रुपये की पूंजी बची थी क्योंकि 123 करोड़ रुपये की हानि पहले ही हो चुकी थी। 1968-69 में 30 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। और यही हिसाब चलता रहा तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को समाप्त होने में 11 वर्ष का समय लगेगा और उसके बाद उसे दिवालियापन की कार्यवाही के लिये तैयार रहना चाहिये।

भारी इंजीनियरी निगम के सम्बन्ध में 1968-69 में 15 करोड़ की हानि हुई। यह हानि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसमें 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। जिसमें 40 करोड़ रुपये हानि की भेंट चढ़ चुके हैं। 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हानि की वर्तमान दर से इसके ठप्प होने में 5 वर्ष लगेंगे। अतः इसके लिये भी दिवालियेपन की कार्यवाही के लिये तत्पर रहना पड़ेगा।

खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम दुर्गापुर में 20 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है और इसकी अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये की है।

केवल दो ही संगठनों के कार्य संतोषजनक हैं वह हैं हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कन्सट्रक्शन और तुंगभद्रा स्टील वर्कस। इन दोनों में 23 लाख रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यह केवल ठेके लेने वाले संगठन हैं।

बोकारो के बारे में कुछ न कहना ही बेहतर है। इस परियोजना पर अभी ही इतना अधिक धन व्यय हो चुका है और पता नहीं इसमें उत्पादन कब आरम्भ होगा और हमें तो यह भी सन्देह है कि इसमें उत्पादन शुरू होगा भी या नहीं। इसका परिणाम यही होगा कि यह परियोजना भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का अनुकरण करेगी।

राउरकेला परियोजना में श्रमिक असंतोष उत्पन्न करने के लिये लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहां भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध, गबन और चोरी आदि का बोल-बाला है। वहां के प्रबंधक जो गैर सरकारी क्षेत्र के हैं, श्रमिक संघों को आपस में भिड़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं। और इस प्रकार वह गैर सरकारी क्षेत्र की श्रम नीति अपना रहे हैं। संयंत्र का अधिकारी वर्ग मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की भर्त्सना कर रहे हैं और प्रेस वक्तव्य जारी कर रहे हैं। वह भी उस समय जब कि उनके कार्यों के बारे में फैसला होना अभी बाकी है।

सैण्ट्रल रिपेयर शाप के मैनेजर के विरुद्ध दो गम्भीर आरोप हैं। एक तो यह कि उसने 1000 रुपये का गबन किया और दूसरे उसने शस्त्रों की सप्लाई करके साम्प्रदायिक दंगों में हिस्सा लिया। इन आरोपों के रहते हुए भी उनके कान पर जूं नहीं रेंगी है और वह उनका श्रमिक संघ को दूसरे के विरुद्ध भड़काना जारी है। उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा राज्य है। इसके मध्य में बोनाई—नयागढ़ नामक स्थान है जो कि कोयला, लोहा, पानी, बिजली, आक्साई, डोलामाइट, चूना तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए, इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये यह सबसे अच्छा स्थान है। फिर भी उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। राजनैतिक भेदभाव के कारण सरकार ने उड़ीसा की उपेक्षा की है।

हाल ही में पता लगा है कि उड़ीसा की स्वतंत्र दल की सरकार ने कुछ लोहा तथा क्रोमेट खानों को भी सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित करना चाहा, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का

दुख हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने इन खानों का गैर सरकारी उद्यमों को पट्टे पर दे दिया है। कम से कम उस सरकार के लिए यह करना बांछनीय नहीं था, जो समाजवाद में विश्वास रखती है।

प्रधान मन्त्री महोदया ने कहा है कि इस्पात संयंत्रों के अन्य दावों पर भी गौर किया जायेगा। आशा की जाती है कि भावी दो वर्षों में 1978-79 तक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्राकृतिक साधनों की खोज करने के लिए उड़ीसा को एक और इस्पात संयंत्र मिलेगा।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : In view of the availablity of necessary raw material in Bailadilla for steel plant, Govt. should locate a steel plant there. Instead of doing that the Government have granted a steel plant to be located in Visakhapatnam where even necessary raw material is not available.

Discontent among the staff is responsible for constant low production in the Bhilai steel plant. Proper attention should be paid to this by the Ministry.

The price of the steel being given for agricultural purposes is very high. The steel for the manufacture of agricultural implements should be povided at a low price.

Local people are given preference in the matter of employment in Bhilai Steel Plant.

The General Manager, who is there, comes from other places. He engages all the persons, from his own place, but local persons are not appointed. None of the persons occupying permanent and temporary posts was from the local area. They are appointed only as casual labourers. The local persons should be given perference in the plants and 50 percent of the posts should be employed from these people.

There were large deposits of iron and steel in Madhya Pradesh. I request the Government to conduct a survey to exploit those natural resources.

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Speaer. I oppose this grant. We want to establish the socialism through public sector. From the way our public sector undertakings in the steel industry are functioning. It appears that some private sector people and Government officials are working in collusion to bring the public sector into disrepute. In Jaunary, 1970 the Government announced the increase of the steel prices. The Government increased these prices because Shri Biren Mukherjee and Shri Tata wanted to increase the prices. This increase in steel prices has adversely affected the interests of consumers.

I sympathise with Shri Swaran Singh, who has been holding Defence Minister as well as Steel Minister. Shri R. S. Pandey, who has faith in the Private Sector and had been serving that sector, has been appointed on the Board of Directors of H. E. C. In such way people, who have the interests in private sector, are appointed in public undertakings.

It is regrettable that Mr. Chandy, the Chairman of Hindustan Steel Limited is not definite about the social objectives of the Public Sector undertakings.

सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लक्ष्यों और दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत और स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये। इस वक्तव्य में सभी सिद्धान्त निहित होने चाहिये, जिनके द्वारा उद्यमों के वित्तीय और आर्थिक दायित्व आदि निर्धारित हों।

What have the Govt. done about the recommendation of Pande committee as regards to imparting training to persons holding high posts in Public Sector undertakings.

There was huge amount of unutilized capacity in Rourkela, Bhilai and Durgapur Plants. What steps have been taken by the Government to utilize this idle capacity.

After the exit of Mr. Khrushchev there is change of attitude of Russia, of which the Government should take note of it.

The Central Bureau of Engineering has been constituted. We welcome this step. The engineers of high calibre should be produced.

The suggestions made by Dastrur and Co. regarding the reduction of cost of 11.4 crores in respect of Bokaro has been accepted. We should be vigilant by these suggestions U. S. S. R. aid offers in setting up Bokaro so that the cost of this project is not too high. The Minister should tell the House whether the Govt. still stood by the assurance that Bokaro would go into production by 1973.

The Government want to have a refractory in the public sector also. The minister should state when and where the refractory would be located ?

The Government should also give full details of the actions taken by it on the recommendations of the Sarkar Committee and Khadilkar study Team.

The announcement regarding establishing three steel plants in south is welcome. But the Minister should clearly state whether the criteria laid down for granting a steel plant are fulfilled in these cases.

I want to know whether Government has received a memorandum sent by the Orissa Government for setting up steel plants in Bonai and Nayagarh in Orrisa. M/s. Dastur and Co. and Kuljian Corporation after study tour recommended in 1965 for setting of these steel plants. The Government should clarify its policy of setting up the steel plants at these places.

Some Muslim employees of H. E. C. Ranchi has been uprooted. The Government want to rehablitate those employees in their own houses. The Minister should tell us when these employees would be rehabilitated. I want that the Ministry should try to run the undertakings under its control with full determination to make them a success. So far that kind of determination is lacking.

श्री मि० सू० मूर्ति (अनकापल्लि) : अध्यक्ष महोदय; चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण में तीन इस्पात संयंत्रों के स्थापित किये जाने की घोषणा करने के लिए मैं प्रधान मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। विशेषकर हम विशाखापटनम में एक इस्पात संयंत्र के स्थापित किये जाने के निर्णय के लिए कृतज्ञ हैं।

इस मन्त्रालय के मांगों के सम्बन्ध में, मैं कुछ बात सभा के सामने रखना चाहता हूं। इन तीन इस्पात संयंत्रों में 1100 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने से 60 लाख टन का उत्पादन होता है। उतनी धन राशि की पूंजी लगाने से बोकारो इस्पात संयंत्र में केवल 40 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस संयत्र के विषय में ऐसा निर्णय क्यों किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय अधिक प्रतिष्ठा से प्रभावित है। बोकारों में इस पूंजी को लगाने की बजाये सरकार को उसी धन को उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गोआ के छोटे संयंत्रों को स्थापित करने के लिये लगाना चाहिये, जैसा कि वहाँ के सदस्यों द्वारा आवाज उठाई गई है। यदि 1100 करोड़ रुपये धन का वितरण इन संयन्त्रों में समान रूप से कर दिया जाये, तो 1974 और उसके पश्चात् देश को इस्पात दुर्भिक्ष के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन

दुखद बात यह है कि देश के भिन्न क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध निर्णय लेने के लिये आर्थिक विचारों की अपेक्षा राजनीतिक विचार अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ।

इस सभा में 500 करोड़ रुपये के लोह अयस्क जापान और दूसरे देशों को निर्यात करने का उल्लेख किया गया है । यदि लोह अयस्क के निर्यात करने की अपेक्षा अर्धनिर्मित उत्पाद को निर्यात करें तो हम और अधिक 500 करोड़ रुपया कमायेंगे इसके अतिरिक्त हम बेरोजगार इंजीनियरों आदि के लिये रोजगार की व्यवस्था भी काफी सीमा तक कर सकते हैं। इस बात की ओर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए ।

अभी तक हमारे इस्पात संयन्त्रों के उत्पादन का आधार परम्परागत प्रणाली पर आधारित है। रूसी सहयोगियों ने ईरान में उनके द्वारा स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों में लगातार परीक्षण के नाम से मशहूर नई प्रणाली को लागू किया है । इस नई प्रणाली को हमारे देश में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? मेरा सुझाव है कि इन तीन नये इस्पात संयन्त्रों को तुरन्त स्थापित कर दिया जाना चाहिए, जिन के सम्बन्ध में अब घोषणा की गई है, ताकि हम देश को 1974 के दौरान इस्पात दुर्भिक्ष से बचा सकें ।

हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस्पात की पर्याप्त सप्लाई की कमी के कारण कठिनाई सहन कर रहे हैं, जब कि गैर सरकारी उद्यमों की आवश्यकतायें पूरी तरह पूरी होती हैं । ऐसा क्यों है, कि सरकारी क्षेत्र के संयन्त्रों को आबन्टन में लोह तथा इस्पात नियंत्रक भी प्राथमिकता नहीं दे सकता ।

विशाखापटनम में भारत हैवी पलेटन और वैसल्स में हुई कुछ अनिमितताओं और कदाचारों के भिन्न उदाहरण माननीय मन्त्री श्री कृ० च० पन्त जी के नोटिस में लाये गये, जबकि वे वहां गये ।

वंहां नियुक्तियों और पदोन्नतियों के सम्बन्ध में भी कई अनिमिततायें हुई हैं । स्थानीय प्रतिभा की भी उपेक्षा की गई है । इसकी प्रकार निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में ठेके देने जैसी अनियमिततायें हुई है । बिना वित्तीय अनुशासन या प्राथमिकता के विस्तार किये निष्फल व्यय किया जा रहा है ।

पहले ही वहां एक श्रमिक संघ बना हुआ है । हाल ही में एक विरोधी संघ बन गया है । इस चाल के पीछे संगठन के एक अधिकारी बताये जाते हैं । उस विशेष अधिकारी के एक मित्र ने एक स्थानीय समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया है । उसने आरोप लगाया है कि निगम के प्रबन्ध सुन्दरियों का प्रभाव बढ़ रहा है । मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी को इन आरोपों पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और तुरन्त, इस मामले की जांच करानी चाहिये ।

कर्मचारियों को मुफ्त सहायता दी जानी चाहिये, जहां कर्मचारी बीमा योजना लागू नहीं है । यद्यपि वहां कर्मचारियों से कटौती तो कर ली जाती, परन्तु चिकित्सा सहायता की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है ।

हाल ही में कई लोगों की पदोन्नति की गई है । क्या इन पदोन्नतियां करने का औचित्य है जब कि पदोन्नति व्यक्तियों का कार्य और उनके अधीन कर्मचारियों की संख्या इस बात के औचित्य को सिद्ध नहीं करती । यह एक निरर्थक व्यय का उदाहरण है । इन अनियमितताओं के कारण

कर्मचारियों के अन्दर असंतोष है। इससे भयानक प्रतिक्रियायें पैदा हो जायेंगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने के पहले ही इस असंतोष को दूर किया जाना चाहिये और स्थितियों में सुधार करना चाहिये। मंत्री जी को नियोजित विकास और इस निगम की प्रगति के सम्बन्ध में पूरी जांच करनी चाहिये।

इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सभापति महोदया, जिन माननीय सदस्यों ने इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय के वाद-विवाद में भाग लिया हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अनेक सदस्यों ने रचनात्मक और उपयोगी सुझाव दिये हैं और हम उनसे लाभ उठाने के लिये प्रयत्न करेंगे।

श्री रवि राय ने सरकार समिति और खाडिलकर समिति का उल्लेख किया है। जहां तक खाडिलकर समिति का सम्बन्ध है हम लगभग सभी सिफारिशों पर कार्यवाही कर चुके हैं। हम उनमें से बहुत सी सिफारिशें स्वीकृत कर चुके हैं और बहुत सी सिफारिशें लागू भी कर चुके है। जहां तक सरकार समिति का सम्बन्ध है, अनुवर्ती कार्यवाही एक विशेष सचिव को सौंपी गई है, जिसे इस अभिप्राय से नियुक्त किया गया है और अनुवर्ती कार्यवाही उचित रूप से सुचारू रूप से की जा रही है।

इस्पात एक मूल सामग्री है और यह देश की आर्थिक समृद्धि और शक्ति का सूचक है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति इसकी खपत बहुत ही कम है और हमें इस संबंध में अभी बहुत कुछ करना है। इसके साथ ही यह एक पूंजी प्रधान उद्योग है और हमारे देश के साधन बहुत ही सीमित हैं।

जहां तक भारतीय नीति का सम्बन्ध है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस्पात उद्योग का विकास भारत की आर्थिक नीति का एक आधार रहा है। इस पर सबसे अधिक बल दिया गया है। यह एक साहसपूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय था कि सरकारी क्षेत्र में 1950 से आरम्भ होने वाले दशक में एक साथ तीन नई इस्पात परियोजनायें चालू की गईं। ये साहसपूर्ण निर्णय थे, जिनके कारण भारत को इस्पात के मानचित्र में स्थान मिला है और हमारे देश को 1967 में लोहा और इस्पात के उत्पादन क्षेत्र में 10 मुख्य देशों के मध्य भी स्थान मिला है। भविष्य को देखते हुए हमें देश में इस्पात उद्योग में सुधार और उन्नति के लिये जोर-शोर से काम करना है। भारत में लोह-अयस्क का भंडार है। यहां अन्य आवश्यक कच्चा माल भी उपलब्ध है। सामान्य व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ ही उसकी टिकाऊ उपभोक्ता माल जैसे साइकिल और ट्रैक्टर की मांग भी बढ़ जाती है। अत: इस्पात उद्योग का विस्तार करने के लिए एक साहसपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने में पूर्ण औचित्य है।

मंदी के समय के दौरान हमसे बार बार मांग अनुमान बनाने में सावधानी बरतने के लिये कहा गया। हमें चेतावनी दी गई कि बोकारो की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह मांग पहले ही पूरी हो चुकी है और इस्पात उद्योग में विस्तार करना आवश्यक नहीं होगा। परन्तु अब ये सब बातें अतीत की प्रतीत होती हैं, क्योंकि समय इतनी जल्दी बदला है कि अब फिर इस्पात की कमी के आंकड़े लाखों टन तक पहुंच गये हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि इस्पात जैसे उद्योग के मामले में हमें सदैव दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये और चालू बाजार प्रवृत्तियों, मांग और पूर्ति की अस्थायी घट बढ़ से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिये। यदि कोई इस्पात की मांग और पूर्ति के लिये अल्पकालीन दृष्टि से काम करे तो बड़े गंभीर असंतुलन पैदा हो सकते हैं।

हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि इस्पात कारखाने की स्थापना में बहुत लम्बा समय लगता है, क्योंकि इसकी स्थापना में खानों, रेलवे लाइनों, धुलाई संयंत्र, उपकरण निर्माण कारखानों आदि जैसी अनेक सहायक सुविधाओं की स्थापना करने की भी आवश्यकता होती है। अतः पिछले अनुभव के आधार पर इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये लगभग 7 से 8 वर्ष का समय दिया जाना चाहिये। वर्तमान परिस्थिति में तो यह और भी आवश्यक है क्योंकि हम देशी मशीनों का ही निर्माण करने वाले हैं।

इसके साथ ही हमें मानकीकरण की संभावनाओं की ओर भी ध्यान देना है, ताकि निर्माता लोग एक बार जिन मशीनों का निर्माण आरंभ करें, उन्हें फिर से उसी रूप में निर्मित कर सकें। यदि निर्माता हर बार पृथक-पृथक ड्राइंगों से निर्माण करेंगे तो इससे उत्पादन की समस्त प्रक्रिया लम्बी हो जायेगी। ये मामले ऐसे हैं, जिन पर हमें ध्यान देना है। यह केवल पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में ही नहीं किया जा सकता। इस आधार पर युक्तियुक्त ढंग से योजना बनाने के पूर्व हमें 10 से 12 वर्षों की संभावनाओं को दृष्टि में रखना होगा। इसलिये हम 15 वर्षों वाली 'व्यावर्त्तक योजना' बना रहे हैं। इसे 'व्यावर्तक योजना' इसलिये कहा गया है कि हर साल हम इसे अगले वर्ष के लिये बढ़ा सकें जिससे हमारे सामने अगले 15 वर्षों का एक स्पष्ट चित्र सामने रहे और हम उसी के आधार पर योजना बना सकें।

इस सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगले दस वर्षों में हमें अपनी क्षमता दुगनी करनी होगी। इस समय हमारी क्षमता 90 लाख टन है। अतः हमें प्रति वर्ष 10 लाख टन के हिसाब से क्षमता में वृद्धि करनी होगी। देश की अर्थव्यवस्था के प्रतिवर्ष 6 से 7 प्रतिशत विकास-दर के अनुपात में इस्पात की क्षमता में यह वृद्धि लगभग न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के बराबर है। इसके लिये हमें काफी पूंजी लगानी होगी। अतः हमने इस्पात मंत्रालय में एक अर्थव्यवस्था और आयोजना विभाग बनाने का निश्चय किया है जो नई परियोजनाओं आदि की आर्थिक दृष्टि से समीक्षा कर सके। अन्यथा इस तरह की परियोजनाओं के लिये ठीक-ठीक पूंजी-निवेश निर्णय करना कठिन हो जायेगा।

जहां तक चौथी योजना में सम्मिलित परियोजनाओं का सम्बन्ध है, हम भिलाई इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता 25 लाख टन से बढ़ाकर 42 लाख टन करना चाहते हैं। 25 लाख टन से 42 लाख की वृद्धि का अर्थ हुआ 17 लाख टन जो कि बोकारो स्टेज I की क्षमता है। अतः यद्यपि हम मध्य प्रदेश में एक नया इस्पात कारखाना नहीं खोल रहे हैं, तथापि हम भिलाई की क्षमता में इतना विस्तार कर रहे हैं जो बोकारो स्टेज I की क्षमता के बराबर है।

राउर केला के सम्बन्ध में चौथी योजना की परियोजनाओं में हम राउरकेला के उत्पादन मिश्रण में अतिरिक्त रूप में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएण्टेड शीट्स संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं। इससे भी काफी अतिरिक्त क्षमता बढ़ेगी।

बंगाल के सदस्य कई बार इस बात से दुःखी होते हैं कि हम दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार नहीं कर रहे हैं। परन्तु हम दुर्गापुर में स्थित मिश्र धातु संयंत्र की क्षमता को दुगना करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस मामले में पक्षपात करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। एक उष्ण-सह संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता की चर्चा की गई है। हमें इस पर निश्चय करना है। पिछले परियोजना

प्रतिवेदन में इसे भिलाई में स्थापित करने की सिफारिश की गई। परन्तु अब बोकरो संयंत्र स्थापित हो गया है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें इस पूरे प्रश्न पर विचार करना होगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र का 17 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। हम बोकारो के निर्माण के दो चरणों को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि हम शीघ्र ही 40 लाख टन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह भी चौथी योजना के कार्यक्रम का एक भाग है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के अनुकूल होने के कारण हमने नये संयंत्रों की स्थापना के द्वारा भी देश में इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिये उत्तरोत्तर और व्यापक कार्यक्रम बनाने का निश्चय किया है। प्रधान मन्त्री ने चौथी योजना के दौरान आंध्र, मैसूर और तामलनाडु तीन इस्पात संयंत्रों के निर्माण कार्य के सरकारी निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है।

जैसा कि वाद-विवाद के दौरान बताया गया है कि हमारे पहले तीन संयंत्र 'टर्न की परियोजनायें' थी; जिनमें हम एकमात्र रूप से विदेशी जानकारी पर निर्भर रहते थे। वास्तव में भारतीयकरण की प्रक्रिया बोकारो में शुरू हो गई है। अब जहां तक नये इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है, हम इसके लिये विदेशी सहयोग की पुरानी धारणा को अपनाने के लिये तैयार नहीं है। नये इस्पात संयंत्रों के लिये भारतीय तकनीकी व्यक्ति ही परामर्शदाता होंगे और यदि संभव होगा तो इस्पात संयंत्रों के लिये आवश्यक मशीनों को हम देश में ही बनाने का प्रयत्न करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER in the chair]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इन्जीनियरी और डिजाइन ब्यूरो की चर्चा की गई है और भारतीय परामर्शदात्री संगठन तथा वैदेशिक परामर्शदात्री संगठन के बीच विरोध बताया गया है। हम जिस तरह के इस्पात कारखाने खोलने का कार्यक्रम अपनाने जा रहे हैं उसमें काम की जो मात्रा होगी और उनके संचालन के लिये जो जिम्मेदारी होगी वह ऐसी होगी कि देश के सभी परामर्शदात्री संगठनों को पर्याप्त काम उपलब्ध होगा। अतः इस बात में न तो कोई विरोध और न ही कोई भय होना चाहिये कि किसी परामर्शदात्री संगठन के साथ उचित या न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है। बोकारो स्टेज II के मामले में सी० ई० बी० द्वारा रूसी विशेषज्ञों को हटा दिया गया है। लेकिन दस्तूर एन्ड कम्पनी को जो पहले काम कर रही थी, यह काम करने दिया जा रहा है। उन्हें वहां से हटाया नहीं गया है। वे इस परियोजना से संबद्ध रहे हैं और वे कार्य के अनेक पहलुओं से परिचित हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम दूसरों से केवल सहायता ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपितु हम ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं कि हम अल्प-विकसित राष्ट्रों की सहायता करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। सभा को यह जान करके प्रसन्नता होगी कि ईरान से अभी 500 युवक तकनीकी प्रशिक्षण के लिये भारत आये हैं। उन्हें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संयुक्त अरब गणराज्य भी इस विशेष क्षेत्र में अपने प्रशिक्षणार्थियो को भारत में भेजने के लिये विचार कर रहा है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। 1968 के अंत तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में विस्तार कार्य पूरा हो गया था–भिलाई में 10 लाख से 22.5 लाख टन तक, दुर्गापुर में 1 लाख से 16 लाख टन तक और राउरकेला में 1 से 18 लाख टन। 1968-69 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में 37.2 लाख टन

(पिंड)और 26.2 लाख टन तैयार इस्पात के मुकाबले में 969-70 में इस्पात पिंडों के रूप में 37.8 लाख टन और तैयार इस्पात 27.80 लाख टन है। बिक्री योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन में भी लगभग एक लाख टन की वृद्धि हुई है। मिश्र इस्पात संयंत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसमें पिछले वर्ष 23,000 टन इस्पात तैयार हुआ था जब कि इस वर्ष 41,000 टन इस्पात तैयार हुआ है।

अनेक सदस्यों ने घाटे के प्रश्न के बारे में उल्लेख किया है। निस्सन्देह घाटा हुआ है। 31 मार्च, 1970 को 191 करोड़ रुपये के कुल घाटे का अनुमान लगाया गया है। लेकिन यह घाटा केवल हास की कुल राशि और सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की राशि निकालने के बाद है। 1969-70 में यह आशा की गई थी कि पिछले वर्ष के मुकाबले में घाटा लगभग 10 करोड़ रुपये कम हो जायेगा और 1970-71 में हिन्दुस्तान स्टील लाभ कमाने की योजना बना रहा है। हमें उसके इस प्रयास में प्रोत्साहन देना चाहिये।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिये, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अच्छा हो। अतः प्रबन्धकों को हर समय श्रमिक संघों से बातचीत करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये, ताकि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। केवल दुर्गापुर में प्रबन्धक और मान्यता प्राप्त संघ के बीच 21 समझौता-ज्ञापन हुये थे। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में समझौते की किसी शर्त का आश्वासन नहीं मिलेगा। फलस्वरूप सभी इस्पात कारखानों में उत्पादन कम हुआ है।

श्रमिक आन्दोलन की एक असन्तोषजनक बात, जिसके बारे में सभा को नोट करना चाहिए, अधिकारियों और यहां तक कि सभा के सदस्य पर भी हमला करने की है। अपने कर्त्तव्यों का वैध रूप से पालन करने में यदि अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों को चुनौती दी जायेगी और यदि अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला किया जायेगा, तो इन संयत्रों में कार्य करना असंभव हो जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि हमें औद्योगिक सम्बन्ध मधुर बनाने चाहियें, ताकि प्रबन्धक और श्रमिक उत्पादन बढ़ाने और अपनी वर्तमान स्थिति में, जब कि इस्पात की भारी कमी है, देश की मदद में जुट सकें। मैं इस्पात की कमी या इसके वितरण के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता, परन्तु गत वर्ष न केवल भारत में ही वरन समस्त विश्व में इस्पात की कमी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इतनी कमी कभी नहीं हुई जितनी कि गत वर्ष हुई है। यहां तक कि अमेरिका तथा सोवियत संघ भी इस्पात आयात कर रहे हैं और भारत ने इन देशों को इस्पात भेजा है।

बोकारो कारखाने पर जो आलोचना की गई है मैं उस पर बोलना चाहूंगा। इसको लगाने पर जो देरी हुई है उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह आधुनिक कारखाना है। हम पहले दो चरणों में कार्य को निरंतर रूप से विस्तार देकर 40 लाख टन का उत्पादन करना चाहते हैं। चौथी योजना की समाप्ति तक यदि संभव हुआ तो हम 25 लाख उत्पन्न करना चाहते हैं। एक सदस्य महोदय जानना चाहते हैं कि उत्पादन कब चालू होगा। किन्तु मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी स्थापना में कई ऐजेन्सियां शामिल हैं और यह एक बहुत बड़ा उद्यम है। परामर्षदात्री समिति के जो माननीय सदस्य कुछ समय पहले इसको देखने गये वे जानते हैं कि यह कारखाना कितना बड़ा है। मैं परियोजना के आकार को बताने के लिये कुछ आंकड़े देता हूं। इस समय लगभग

50,000 मजदूर चौबीस घंटे वहां कार्य कर रहे हैं, इससे पता चल जायेगा कि यह कितना बड़ा कार्य है।

एक माननीय सदस्य : आप एक इस्पात संयंत्र बना रहे हैं या बांध ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यदि कोई बांध तथा इस्पात संयंत्र में कोई अन्तर नहीं समझता तो मेरी जानकारी का उसको कोई लाभ नहीं होगा।

जहां तक चिमनी का सम्बन्ध है, बोकारो में चिमनी की ऊंचाई 180 मीटर है जो कि कुतुब मीनार से ढ़ाई गुनी अधिक ऊंची है, जो कि बनाई जा चुकी है।

इस परियोजना पर कार्य देरी से शुरू होने पर जो आलोचना हुई है, उसके विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में स्वयं यह उल्लेख किया गया है कि भिलाई इस्पात कारखाने में प्रति वर्ष जो कुछ काम किया जाता है, उससे पिछले तीन वर्षों में बोकारो का निर्माण और स्थापना कार्य का परिमाण तीन से चार गुना तक होगा। यदि अन्य इस्पात कारखानों के आंकड़ों की तुलना की जाय तो भिलाई में 10 लाख टन के उत्पादन में चार साल और छः महीने और विस्तार कार्य में और 4 साल 3 महीने लगे। दोनों को मिलाते हुए इसको 8 वर्ष और 9 महीने लगे। दुर्गापुर और रुड़केला कारखानों पर अधिक समय लगा। यदि हम 25 लाख टन, बोकारो इस्पात कारखाने से उत्पादन करना चाहें तो इसको 8 वर्ष 9 महीनों की तुलना में केवल 6 वर्ष पांच महीने लगेंगे।

निसंदेह कोई यह कह सकता है कि किसी विशेष समय अनुसूची पर जोर नहीं दिया जाना चाहिये। कोई भी समय अनुसूची में उदारता दिखा सकता है। यद्यपि इससे कार्य किया जा सकता है किन्तु देश को हानि होगी। यह ज्यादा अच्छा होगा कि समय अनुसूची के अनुसार कठोरता से कार्य किया जाना चाहिये और उसमें उदारता नहीं होनी चाहिये। केवल यही बात मैं सभा को बताना चाहूंगा।

श्री० क० प्र० सिंह देव (ढ़ेंकानाल) : परन्तु इससे 100 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं तथ्यों का वर्गीकरण करते हुए उल्लेख करना चाहूंगा कि गत छः महीनों में जो सुधार हुआ है वह देखा जा सकता है और जिन मित्रों ने वहां की प्रगति न देखी हो, वे इसे देखने के लिये वहां जा सकते हैं।

श्री रविराय (पुरी) : Why there is delay in delivery of equipments ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उपकरणों की सप्लाई में जो देरी होती है उस विषय में लेखा परीक्षा ठीक हैं। श्री शास्त्री इस बात में सही हैं। परन्तु प्रथम बार हम आधुनिक उपकरणों को देश में ही बनाना चाहते हैं जिससे बिलम्ब हो जाता है। इस बिलम्ब को रोकने का एक ही उपाय है कि हम उपकरणों को आयात करते रहें। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्रगण इसका समर्थन नहीं करेंगे।

मेरे मित्र, श्री कर्तिक उरांव ने उल्लेख किया कि हमें इन परियोजनाओं में मुख्य पदों पर इन्जीनियरों को नियुक्त करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि जहां कहीं योग्य इन्जीनियर मिले हैं हमने उनकी नियुक्ति की है। बोकारो जो कि इतना बड़ा कारखाना है, उसमें हमने एक युवक

इन्जीनियर को अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद पर रखा है। और महा प्रबन्धक के पद के लिए हिन्दुस्तान स्टील के एक युवक इन्जीनियर को नियुक्त किया है। दोनों इस समय मिल कर कारखाने में कार्य कर रहे हैं। मैं हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के कार्य का भी उल्लेख करूंगा। इससे हमारे इस्पात कारखानों को उपकरणों की प्राप्ति होती है। इस समय इससे बोकारो कारखाने को बहुत मदद मिल रही है और भविष्य में अन्य कारखानों को भी सहायता मिलेगी जो कि अभी विचाराधीन हैं।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के तीनों संयंत्रों ने गत वर्ष काफी प्रगति दिखाई है। गत वर्ष 14 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष यह 18 करोड़ रुपये हुआ है। दुर्भाग्य से परिशिक्षकों की हड़ताल से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एम० ए० एम० सी० एक अन्य यूनिट है जो कि मन्त्रालय के अधीन 1965 में कोयला खनन मशीनरी बनाने के लिये स्थापित किया गया जब कि कोयले का योजना-लक्ष्य उत्पादन की अपेक्षा बहुत अधिक था। अतः इस तरह की मशीनें बनाने की क्षमता बहुत अधिक है। यह एम० ए० एम० सी० का दोष नहीं है, अपितु कोयले की सम्भावित मांग में दोष है, जिसके आधार पर एम० ए० एम० सी० बनाया गया है। वास्तव में यह एम० ए०एम० सी० के लिए अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा करता है। अतः इसको अपना उत्पादन बड़े तथा विविध रूप में करना होगा। उत्पादन को विविध रूप में करने के उद्देश्य से नई जानकारी प्राप्त करनी होगी। हल्दिया पत्तन के लिए उपकरण भेजने के लिए निर्माण करने के आर्डर पहले ही प्राप्त हो गए हैं। मद्रास मरमागोआ और विशाखापतनम में बन्दरगाहों के विस्तार के लिए इसी तरह के आर्डरों की आशा की जाती है। हिन्दुस्तान मशीन टूल के सहयोग से 20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था का निचला ढांचा बनाने में भी यह संयन्त्र काफी योगदान करेगा।

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय तथा इसके अन्तर्गत अन्य उपक्रमों द्वारा किए जा रहे कार्यों का मैंने सामान्य जानकारी दी है। ये सारे यूनिट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। गत वर्षों के अनुभव से अनुसार हम तकनीकी ज्ञान तथा टेक्नोलोजी को विकसित करने में सक्षम हैं और इस्पात तथा इस्पात से निर्मित उत्पादन का निर्यात कर सकते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस सभा में ऐसे मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो कि सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का .4 परिव्यय का दावा करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में अपने भाग से अधिक सहयोग दे सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं इस कार्य में सारी सभा का समर्थन चाहता हूँ जिसमें कि हम सब लगे हुए हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढ़ेकानाल) : मैंने दो बातें बताई हैं। एक छोटे संयन्त्रों की स्थापना, जिन पर 18 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये लगाये जायेगें। क्या यह करना संभव होगा ? अन्य देशों में छोटे संयन्त्रों के सम्बन्ध में टेक्नोलोजी बहुत प्रगति कर चुकी है। मेरी दूसरी बात परिवहन के बारे में है। अपने निर्यात में सुधार लाने के लिए हमें परिवहन में सुधार करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैंने प्रदीप पत्तन का उल्लेख किया है। इस्पात बिकास समिति ने राउरकेला से प्रदीप तक यातायात के टूटे यातायात के जोड़ का उल्लेख किया है। मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

Shri Rabi Ray : There has been discussion for setting up of steel plants. But is there any criteria as to where these steel plants are to be set up.

Secondly, after five years, when the agreements of C. E. D. V. with Soviet Union, United States and Sweedon will be over, will C. E. D. V. work properly ? Will the Minister assure in this connection.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : It is now time to nationalize Tata Iron Steel Company. They concentrate only in Public Sector and not in Private Sector. Therefore, I want to know that when you are going to nationalize Tata Iron and Steel Company ?

Shri Shinkre (Panjim) : There is repeated demand for setting up of steel plants in Goa. The Honourable Minister said that there is a problem of export of steel. If there is demand from Goa and a port is there, then why the priority is not being given to Goa ? I know this is political pressirisation. Goa is a small Union Territory. Andhra Pradesh, Maysore and Tamilnadu have been given steel plants. I would like to know that when will be accepted the demand of Goa for steel plant ?

Very often the Public Sector and Private sectors are criticized. Will the Minister give comparative figures of both the sector and tell us why there is profit in private sector and loss in Public sector .

A Steel Plant should be given to Delhi also. It may be beneficial to Delhi.

श्री कृष्ण चन्द पंत : इस समय कोई इस्पात के कारखाने नहीं हैं अन्यथा मैं अपने माननीय मित्रों को दे देता।

मेरे मित्र श्री क० प्र० सिंह देव छोटी वस्तुओं के बहुत इच्छुक हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या छोटे इस्पात कारखाने स्थापित करने संभव हैं इस पर अनुसंधान कार्य चल रहा है जिससे हम अवगत हैं। हम इनकी स्थापना के लिए इच्छुक हैं और इनको देश में स्थापित करने के लिए तकनी-आर्थिक पहलू का अध्ययन करेंगे।

कच्चा माल, वितरण लागत, परिवहन लागत—ये बातें तकनी-आर्थिक शब्द के अन्तर्गत आते हैं। मुझे इसका विस्तृत रूप से वर्णन नहीं करना है क्यों कि मेरे माननीय मित्र यह जानते हैं और वह यह भी जानते हैं कि यह कितनी जटिल है।

जहां तक सी० ई० डी० बी० करारनामा का सम्बन्ध है, इस विषय में हमने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कहा है वह देखे कि आगामी पांच वर्षों में इसका पूरा लाभ उठाए।

मेरे मित्र श्री झा ने टाटा जमींदारी का उल्लेख किया है। इस विषय पर वे विहार सरकार से बात करें। जहां तक टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का सम्बन्ध है, इसके राष्ट्रीयकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक मेरे माननीय मित्र शिकरे ने कहा कि गोआ में इस्पात कारखाना क्यों नहीं स्थापित किया जाना चाहिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे देश का विकास हो रहा है उसी प्रकार इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए सारे स्थानों पर बिचार किया जायेगा और गोवा को भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा।

Shri Shinkre (Panjim) : The Minister mentioned the term export, therefore keeping harbour in view I put up the question.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : गोआ बन्दरगाह को ध्यान में रखा जायेगा ।

मैं समझता हूं कि मुझे अपने मित्र श्री तुलसीदास यादव द्वारा उठाई गई बात पर बोलना आवश्यक नहीं है जिस पर कि मैं प्रथम ही बहुत कुछ सभा पटल पर प्रस्तुत कर चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा ?

श्री शिव चन्द्र झा : कटौती प्रस्ताव संख्या 15 को अलग से रखा जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motionp Nos. I to 3 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 15 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 29	विपक्ष में : 105
Ayes : 29	Noes : 105

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following demands for grants in respect of the Ministry of Steel and Heavy Engineering were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
82.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मन्त्रालय	21,95,000
83.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	81,62,000
132.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	73,35,63,000

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय

वर्ष 1970-71 के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
6.	शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय	96,82,000
7.	शिक्षा	57,28,73,000
8.	पुरातत्व	1,36,47,000

9. भारतीय सर्वेक्षण	5,03,72,000
10. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	17,11,04,000
11. शिक्षा और युवक सेवा मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,77,52,000
106. शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	3,75,42,000

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
6	12	श्री श्रद्धाकर सूपकार	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के स्तर में अन्तर को बुराईयों को दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	13	"	इंजीनियरों और तकनीकी योग्यता रखने वाले अन्य युवकों को उचित रोजगार न दिलाना ।	"
7	32	"	राउरकेला, उड़ीसा स्थित प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज का दर्जा बढ़ाकर इसे भारतीय तकनीकी संस्थान बना देने की आवश्यकता ।	"
7	33	"	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार न करना ।	"
7	34	"	विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय को अपर्याप्त अनुदान देना	"
7	35	"	देश में संस्कृत की शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता	"
7	36	"	विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम चालू करने की धीमी प्रगति	"
10	39	"	सरकार समिति रिपोर्ट के संदर्भ में वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषण परिषद के कार्य की समीक्षा करने की आवश्यकता	"
10	40	"	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का असंतोषजनक कार्य	"
10	41	"	राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य चालन	"

1	2	3	4	5
6	42	श्री पी० विश्वम्भरन	मन्त्रालय के युवक सेक्टर प्रभाग में किसी उल्लेखनीय योजना को तैयार और कार्यान्वित करने में असफलता	100 रुपये
6	43	,,	पब्लिक स्कूलों और अन्य विशेष प्रकार के प्राथमिक स्कूलों को समाप्त करने की आवश्यकता	,,
7	50	,,	केरल में राष्ट्रीय प्रयोग शाला स्थापित करने की आवश्यकता	,,
7	51	,,	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का प्रचार करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	,,
7	52	,,	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों को उदारता से वित्तीय सहायता और छात्रवृतियां देने में असफलता	,,
10	53	,,	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में भ्रष्टाचार कदाचार और भाई-भतीजावाद का उन्मूलन करने की आवश्यकता	,,
6	54	श्री ओम प्रकाश त्यागी	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और असंतोष को दूर करने में असफलता	,,
6	55	,,	वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में असफलता	,,
6	56	,,	शिक्षा की वर्तमान पद्धति का ओवरहाल करने की आवश्यकता	,,
6	57	,,	सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं के साम्प्रदायिक नामों और विधान को हटाने में असफलता	,,
6	58	,,	प्राथमिक शिक्षा को देश में अनिवार्य बनाने में असफलता	,,
7	59	श्री सरजू पाण्डेय	शिक्षा का राष्ट्रीयकरण न करना	राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाये
7	60	,,	हिन्दी को राष्ट्रभाषा न बनाना	,,
7	61	,,	देश में तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने में असफलता	,,

1	2	3	4	5
7	62	श्री सरजू पाण्डेय	प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने में असफलता	राशि घटाकर 1 रुपया कर
7	63	,,	विद्यार्थियों को पर्याप्त छात्रवृतियां देने की आवश्यकता	दी जाये 100 रुपये
7	64	,,	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अपर्याप्त शिक्षा संबंधी सुविधायें	,,
7	65	,,	गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सरकारी खजाने से वेतन देने की आवश्यकता	,,
7	66	,,	प्राथमिक अध्यापकों के वेतनमानों का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता	,,
7	67	,,	विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदानों में पक्षपात की रोकने की आवश्यकता	,,
7	68	,,	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सरकारी खजाने से सीधे वेतन देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	,,
7	69	श्री ओमप्रकाश त्यागी	तकनीकी शिक्षा देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को उपयुक्त प्रोत्साहन का अभाव।	,,
7	70	,,	देश में तकनीकी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
7	71	,,	आरक्षण कोटे के अनुसार अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने में असफलता।	,,
7	72	,,	उन भारतीय प्राचीन कला कृतियों को विदेशों में बेचे जाने से रोकने की आवश्यकता जो भारत से चोरी से विदेशों को ले जाये गये हैं।	,,
7	73	,,	कला कृतियों तथा संग्रहालय उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिये धन की कमी।	,,
7	74	,,	सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों में केवल गायकों तथा नर्तकों को ही भेजना और भारत के दार्शनिक की उपेक्षा करना।	,,

1	2	3	4	5
7	75	श्री ओमप्रकाश त्यागी	छात्रों को भारत के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी कराने के लिये एक ग्रन्थ तैयार करना ।	100 रुपये
7	76	,,	इस विचारधारा के कारण भारत की एकता को खतरा कि भारत में एक संस्कृति की बजाय अनेकों संस्कृतियां थीं ।	,,
7	77	,,	शिक्षा संस्थाओं में नैतिक और अध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा ।	,,
7	78	,,	जात-पांत प्रान्तीयता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने की दिशा में शिक्षा संस्थाओं द्वारा उपेक्षा ।	,,
7	79	,,	संस्कृत की उपेक्षा जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भाषाओं की जड़ है ।	,,
8	80	श्री सरजू पाण्डेय	प्राचीन स्मारकों की रक्षा करने की आवश्यकता ।	,,
8	81	,,	प्राचीन वस्तुओं की खोज और उनकी खुदाई की आवश्यकता ।	,,
8	82	श्री ओमप्रकाश त्यागी	प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में भेदभाव पूर्ण नीति	,,
10	83	श्री सरजू पाण्डेय	लखनऊ के वनस्पति उद्यान में व्याप्त भ्रष्टाचार	,,
11	84	श्री ओमप्रकाश त्यागी	राष्ट्रीय संग्रहालयों में उपलब्ध प्राचीन हस्तलेखों का आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षण करने में असफलता ।	,,
11	85	,,	राष्ट्रीय पुस्तकालयों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
6	86	श्री पी० एंथनी रेड्डी	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में संवैधानिक निदेश को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
6	87	,,	बुनियादी तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
7	88	,,	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तिरुपति, द्वारा खर्च की गयी अतिरिक्त राशि ।	,,

1	2	3	4	5
7	89	श्री पी०एंथनी रेड्डी	शारीरिक शिक्षा की ओर उचित ध्यान देने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	90	,,	देश में कालेज के विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता को रोकने की आवश्यकता।	,,
7	91	,,	तकनीकी स्कूलों और इंजीनियरी कालेजों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता।	,,
7	100	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय विद्यालयों में जातिवाद और मनमानी नीति।	,,
7	101	,,	केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जातिवाद।	,,
7	102	,,	विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में मनमानी और कुप्रबन्ध न रोकना।	,,
7	103	,,	बहुत से स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों से अधिक राशि की रसीद पर हस्ताक्षर कराकर कम भुगतान करना।	,,
7	104	,,	पाठय पुस्तकों के माध्यम से साम्प्रदायिकता का प्रचार रोकने की आवश्यकता।	,,
7	105	,,	दिल्ली में "साहसी बालक" नामक पाठ्य पुस्तक हटाने की आवश्यकता।	,,
7	106	,,	गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को सरकारी कोष से वेतन देने की आवश्यकता।	,,
7	107	,,	दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को ऐसी शिक्षा देना बन्द करने की आवश्यकता जिससे मुसलमानों और दूसरे अल्प संख्यकों के विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न हों।	,,
7	108	,,	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें न मानना।	,,
7	109	,,	देश-भर में स्कूलों के लिए समान पाठ्य-क्रम लागू न करना।	,,
7	110	,,	पटना विश्वविद्यालय को तुरन्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ताकि वहां के वित्तीय संकट को दूर किया जा सके।	,,

1	2	3	4	5
7	111	श्री रामावतार शास्त्री	विश्वविद्यालय कर्मचारियों के अखिल-भारतीय महासंघ की मांगें स्वीकार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	112	,,	पटना विश्वविद्यालय को, उसकी दुर्बल वित्तीय स्थिति को देखते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की आवश्यकता।	,,
7	113	,,	1964 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय न खोलना।	,,
6	116	,,	विश्वविद्यालयों को उपकुलपतियों के चयन में पक्षपात, जातिवाद और भाई भतीजावाद का बाहुल्य।	राशि घटाकर 1रु० कर दी जाये
6	117	,,	छात्रों की उचित मांगों और समस्याओं का समाधान करने में असफलता।	,,
6	118	,,	पिछली योजनाओं की तुलना में चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए कम राशि नियत करना।	,,
6	119	,,	शिक्षा के खर्च को कम करने की आवश्यकता।	,,
6	120	,,	शिक्षा संबंधी नीति में आमूल्य परिवर्तन कर उसे रोजगार-प्रधान बनाने में असफलता।	,,
6	121	,,	तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल देने की आवश्यकता।	,,
6	122	,,	शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	,,
6	123	,,	शिक्षा संस्थाओं में विघटनकारी और साम्प्रदायिक तत्वों का दमन करने में असफलता।	,,
6	124	,,	उर्दू-भाषी छात्रों की सुविधाओं की रक्षा करने और उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
6	125	,,	उर्दू, बंगला, उड़ीया तथा अन्य भाषाओं में उत्तर-पुस्तिकाओं को लिखने के अधिकारी की रक्षा करने की आवश्यकता।	,,
6	126	श्री शिव चन्द्र झा	भारत से प्रतिभा-निकास को रोकने में असमर्थता।	,,

1	2	3	4	5
6	127	श्री जनेश्वर मिश्र	उन विश्वविद्यालयों को, जो सौ वर्ष पुराने हैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में जो नीति पहले घोषित की गई थी उसे कार्यान्वित न करना।	100 रुपये
6	128	,,	अध्यापकों के लिए एक समान वेतन-मान लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाने में असफलता।	,,
6	129	,,	अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने को समाप्त करने की नीति को कार्यान्वित न करना।	,,
6	130	,,	विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के नामों से हिन्दू मुस्लिम तथा अन्य जातीय नाम हटाने में असफलता।	,,
6	131	,,	छात्रों के संघ स्थापित करने और विश्व-विद्यालयों के प्रबन्ध में छात्रों और अध्यापकों की संयुक्त प्रबन्ध व्यवस्था को प्रोत्साहन देने में शिथिलता।	,,
6	132	,,	कोशमति और अन्य स्थानों पर पुरातत्व विभाग द्वारा धन के दुरूपयोग, अनिय-मितताओं और गबन को रोकने में अस-फलता।	,,
6	133	,,	देश में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने में असफलता।	,,
6	134	,,	उच्चतर-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क करने में असफलता।	,,
6	135	,,	अनुशासन के नाम पर छात्रों को बदनाम करना।	,,
6	136		डिग्री लेने के पश्चात् नौकरी की गारंटी का अभाव।	,,
6	137	,,	शिक्षित बेरोजगार लोगों को शिक्षा विभाग की ओर से बेरोजगारी भत्ता देने में असफलता।	,,
6	138	,,	प्राथमिक शिक्षा को समान बनाए रखने के लिए पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
7	139	श्री रामावतार शास्त्री	कालेजों को अंगीभूत कालेज बनाने के लिए निश्चत सिद्धान्त निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	140	,,	सरकारी प्रकाशनों में रघुवीरी हिन्दी का बाहुल्य ।	,,
7	141	,,	तकनीकी विषयक पुस्तकों को अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए विशेष अनुदान देने की आवश्यकता ।	,,
7	142	,,	पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आधुनिक पुस्तकों एवं साहित्य से सुसज्जित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
7	143	,,	हिन्दी भाषा को सरल सुगम एवं बोधागम्य बनाने में असफलता ।	,,
7	144	,,	उर्दू-भाषी जनता को उर्दू में दरखास्त देने का अधिकार देने की आवश्यकता ।	,,
7	145	,,	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उर्दू, हिन्दी, बंगला तथा अन्य भाषाओं की पुस्तकों को रखने की आवश्यकता ।	,,
7	146	,,	हिन्दी को अन्तर-राज्यीय एवं संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने में विफलता ।	,,
7	147	,,	उर्दू भाषा के सम्यक विकास के ऊपर समुचित ध्यान नहीं देना ।	,,
7	148	,,	हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में असमर्थता ।	,,
7	149	,,	संविधान सम्मत भाषाओं को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता ।	,,
7	150	,,	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय को हटाने में विफलता ।	,,
7	151	,,	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से साम्प्रदायिक एवं गुन्डा तत्वों को समाप्त करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
7	152	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू-विरोधी तत्वों के उर्दू विरोधी अभियान का सफलता के साथ काट करने में असफलता।	100 रुपये
7	153	,,	बम्बई में हुए अखिल भारतीय उर्दू कन्वेशन की मांगों का समर्थन करने की आवश्यकता।	,,
7	154	,,	बिहार अंजुमने-तरक्की-ए-उर्दू की सप्त सूत्री माँगों की स्वीकार करने की आवश्यकता।	,,
7	155	,,	पटना पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने की आवश्यकता।	,,
7	156	,,	पटना पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत रुपये के गोलमाल एवं सामग्रियों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता।	,,
7	157	,,	पटना स्थित कुन्टरार के पास कुछ लकड़ी के खंभों की खुदायी की आवश्यकता।	,,
6	158	श्री कृ० मा० कौशिक	प्रौढ़ों में निरक्षरता का अन्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाये
6	159	,,	शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने में असफलता।	,,
6	160	,,	एक ही प्रयोजन के लिए दो प्रतिष्ठान, अर्थात उच्च अध्ययन सम्बन्धी संस्थान, शिमला तथा तीन मूर्ति में नेहरू संग्रहालय बना कर जनता के धन का अपव्यय रोकने में असफलता।	,,
6	161	,,	पंचायत राज और जिला परिषद के अन्तर्गत राजनीतिज्ञों के चंगुल से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को मुक्त करने में असफलता।	,,
6	162	,,	उप-कुलपतियों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात रोकने में असफलता।	,,
6	163	,,	प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी संविधान के निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
6	164	,,	पाठ्य पुस्तकों के मामले में पक्षपात और भाई भतीजावाद रोकने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
6	165	श्री कृ० मा० कौशिक	प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पर्याप्त वेतन देने में असफलता।	100 रुपये
6	166	,,	प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
6	167	,,	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करने के पश्चात् भी उसे रोकने में असफलता।	,,
6	168	,,	पाठ्य पुस्तकों की उचित समय पर व्यवस्था करने में असफलता।	,,
7	169	श्री पी० एन्थनी रेड्डी	मूल पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाये
7	170	,,	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कम-वेतन पाने वाले कर्मचारियों को आवास सुविधाएं देने में असफलता।	,,
7	171	श्री रामावतार शास्त्री	राज्यों को अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृतियां देने के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	172	,,	स्कूल के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
7	173	श्री मोलहू प्रसाद	हिन्दी के विकास की मन्त्रालय द्वारा अवहेलना जो कि 1969–70 के लिए दिये गये 14 लाख रुपये के अनुदान में से 4 लाख रुपये व्यय करने और 23,000 पृष्ठों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में केवल 12,000 पृष्ठों का ही अनुवाद कराने से स्पष्ट होता है।	,, राशि घटा कर 1 रुपये कर दी जाये

उपाध्यक्ष महोदय: ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री पी० एंथनी रेड्डी (अनन्तपुर): महोदय, समाजवादी जनतंत्र की सफलता तथा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 वर्ष से 14 वर्ष की वयवर्ग के लगभग 20 करोड़ बच्चों तथा लगभग 15 करोड़ निरक्षर वयस्क व्यक्तियों को शिक्षित किया जाये। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है हमारी सरकार ने इस महत्व को नहीं पहचाना है और शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया है कि यदि हमारे प्रजातंत्र को सफल बनाना है, यदि कृषि उत्पादन को बढ़ाना है और यदि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करनी है, तो यह बहुत

जरूरी है हर व्यक्ति को शिक्षित किया जाये। राष्ट्रीय एकता परिषद् ने भी यह महसूस किया है कि जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी, तब तक देश की कायम करना कठिन होगा। यह भी कहा गया है कि देश की एकता के हित में यह है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य और एक ही राज्य के एक क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्र के बीच व्याप्त विषमता को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाय। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के लिये बहुत कम राशि नियत की गई है। गत वर्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या 78 प्रतिशत से अधिक नहीं है, हालांकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये 22 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। इन 78 प्रतिशत बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम केवल रजिस्टरों में दर्ज हैं और जो कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। यदि केवल उन बच्चों को गिना जाये, जो कक्षाओं में जाते हैं, तो उनकी प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में मूलतः शिक्षा के लिये 1217 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी, परन्तु योजना के अन्तिम प्रारुप में इसमें भारी कटौती कर दी गई है। हमारे देश में साक्षरता की दर भी बहुत कम है और यह दर 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों की साक्षरता की दर की तुलना में यह बहुत कम है। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा की ओर कितना कम ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने आय व्ययक की कुल राशि की 3 प्रतिशत राशि से अधिक कभी भी शिक्षा के लिये नियत नहीं की है।

लोगों को शिक्षा देने के लिए राज्य सरकारों ने अपने बजट का मुश्किल से 20 प्रतिशत निर्धारित किया है। यदि आप विकसित देशों में इस सम्बन्ध में स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूस शिक्षा पर अपने बजट का 7 प्रतिशत, अमरीका लगभग 6 प्रतिशत और जापान 5.7 प्रतिशत व्यय करता है। इस देश में धन उपलब्ध नहीं है का बहाना किया जाता है, परन्तु हमारी सरकार तथा नेताओं ने शिक्षा का महत्व नहीं समझा है। क्या हमारी सरकार सरकारी-क्षेत्र की परियोजनाओं में धन बर्बाद नहीं कर रही है? वर्ष-प्रति वर्ष हम हानि उठा रहे हैं। सरकार इस बारे में क्यों नहीं ध्यान देती है? यदि हमारे लोकतंत्र ने सफल होना है और यदि हमारी कृषि और औद्योगिक उत्पादन ने बढ़ना है तो बड़े पैमाने पर शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है।

यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में लगभग 15 करोड़ प्रौढ़ अशिक्षित हैं। किन्तु दुर्भाग्य से चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 3.5 करोड़ रुपये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र को मुश्किल से 5 से 6 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस राशि से 15 करोड़ प्रौढ़ अशिक्षितों को शिक्षित बनाना सम्भव नहीं है। यदि सरकार प्रौढ़ अशिक्षा उन्मूलन करने के महत्व को महसूस करती है तो इसको इस प्रयोजन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये देने चाहिएं।

महाराष्ट्र ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक योजना बनाई है। जिसको ग्राम शिक्षण मोहिम—ग्राम शिक्षा आन्दोलन कहते हैं जिसके अन्तर्गत हर अशिक्षित प्रौढ़ को शिक्षा दी जायेगी। यदि यह कार्य देश के अन्य राज्यों में भी किया जाता है तो प्रौढ़ अशिक्षा की समस्या का समाधान किया जा सकता है और हम देश के हर अशिक्षित प्रौढ़ को चौथी योजना के अन्त तक शिक्षित बना सकते हैं।

हमारी प्रौढ़ शिक्षा योजना तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि अनुवर्ती कार्य नहीं होगा और इस प्रयोजन के लिए कुछ साधन होने चाहिएं जैसे कि रेडियो, चलचित्र, आदि। पंचायती राज संस्थाओं से लाभ उठाकर सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में वाचनालय तथा पुस्तकालय भी खोलने चाहिए।

यह एक स्वीकृत बात है कि माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय प्रतिभा के पोषक हैं। यह वह शिक्षा है जो हाई-स्कूलों में दी जाती है और बच्चों को कालेज की शिक्षा लेने के लिए तैयार करती है। यह आशा की जाती है कि हाई स्कूलों का स्तर ऊँचा किया जायेगा जिससे कि विश्व-विद्यालयों का स्तर बनाया रखा जा सके, किन्तु दुर्भाग्य से इस पहलु की पुनः उपेक्षा की गई है और हमारे विद्यालयों में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि हम अपने बच्चों में प्राकृतिक प्रतिभा का पता लगा सके। यदि ऐसा किया जाता है तो हम देश में विद्यमान कुछ समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

विश्वविद्यालयों में राजनीति प्रचुर मात्रा में फैल गई है। हमारे विश्वविद्यालय या कालिजों में जहां अनुशासन होना चाहिए था वहां हत्याएं तथा बर्बरतापूर्ण कार्य होते हैं। विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता का एक कारण यह है कि जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के योग्य नहीं है वे कालिजों में दाखिल हो गये हैं। कालिज अध्ययन में उनकी कोई दिलचस्पी नही होती है। कुछ राजनीतिक दल इसका लाभ उठाते हैं और बच्चों को समाज-विरोधी कार्य करने में उनको प्रोत्साहन देते हैं।

यह कहा गया है कि हमारे देश में लाखों तकनीशन और इंजीनियर बेरोज़गार हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारे इंजीनियरिंग कालेजों या पोली टेकनिकों में अध्यापक काफी अनुभवी नहीं हैं। इससे वे विद्यार्थियों को कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं और सैद्धान्तिक ज्ञान से ज्यादा सहायता नहीं मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी तकनीकी संस्थाओं में उन अध्यापकों को रखें जिनके पास कुछ व्यावहारिक ज्ञान हो। विद्यार्थी को भी, जो इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोली टेकनिकों में हैं, समय समयःपर कम-से-कम दो या तीन महीनों के लिए क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ वे व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।

दूसरा महत्वपूर्ण मामला शारीरिक ज्ञान का है। परन्तु हम देखते हैं कि अधिकांशतः इस पहलु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहां तक कि गांवों में भी खेल-कूद के मैदानों की व्यवस्था किये स्कूल खोले जाते हैं। हमारे यहां ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर कोई भी शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक नहीं है। इंजीनियरिंग कालेजों तथा तकनीकी संस्थानों में बिना उचित शारीरिक प्रशिक्षण के शिक्षा अधूरी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर अधिक जोर दें।

सरकार ने कई एक संस्कृत विद्यापीठ खोल दिये हैं। दुर्भाग्य से उनमें से कुछ सुचारु रुप से नहीं चल रहे हैं। इन संस्थाओं में कुछ अनियमितताएं हैं। सरकार को इन मामलों की जांच करनी चाहिए।

जहां तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का सम्बन्ध है, वहां कई कमियां हैं। प्रायः प्रयोगशालाओं के निदेशक महानिदेशक की आज्ञा के विना प्रशासन की आलोचना सम्बन्धी वक्तव्य समाचार पत्रों में देते हैं। कभी-कभी निदेशक कनिष्ठ वैज्ञानिकों का अनुसंधान कार्य लेकर उसको बिना कनिष्ठ वैज्ञानिकों को बताए अपने नाम से प्रकाशित करवा लेते हैं। जांच समिति ने पहले ही प्रतिवेदन दे दिया है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि

प्रयोगशालाएं देश के औद्योगिक विकास के लिए किस प्रकार अधिक प्रभावी तथा लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि देश में केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा की बहुत अधिक उपेक्षा की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा कि वह यह देखें कि हमारी शिक्षा का दर्जा सभी स्तरों पर ऊँचा उठे और देश में जो प्रौढ़ व्यक्ति अशिक्षित हैं उन्हें चौथी योजना अवधि के दौरान शिक्षित बनाया जाये और हमारे स्कूलों में 20 करोड़ विद्यार्थियों को स्कूल सम्बन्धी सुविधाएं दी जानी चाहिएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम विश्व के महान देशों में से एक देश बन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सरजू पांडेय आज रात को दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। वह कृपया 6.30 बजे से पहले अपना वक्तव्य समाप्त करें।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Dy. Speaker, Sir, The Ministry of Education, of whose Demands for Grants are being discussed here, has got a great importance in our country. But, it is regretted that our Government have failed in the field of education in the same manner due to their wrong policies as they have failed in other sectors.

The Government had adopted an Educational Policy Resolution in 1968 and advised the State Governments to implement the same. But education being a State subject the states did not pay any attention to the Central Educational Policy Resolution with the result that there is no uniform policy of education in our country.

If we are determined to bring about socialism in the country and want to make it a modern and developed nation, the education imparted in our schools and colleges should aim at making our children secularminded and should create in them a desire to learn more about socialism. But we find that the books prescribed in our schools do not fulfil our objective. In fact there are books on history which create ill will between the communities and these books have been presented in our schools.

Corruption is rampant in our educational institutions. We know that degrees and diplomas can be purchased. The main reason for this is that our schools etc. are still in the hands of private bodies, who regard them as a source of income. Steps should be taken to put an end to such institutions.

As regards the primary education, we have two types of schools. There are schools wherein children of the rich study and acquire education of a very high standard. On the other hand, there are schools where even ordinary facilities such as 'Dari, for sitting purposes is not available. In these circumstances, it is quite natural that both the students and the teachers feel dissatisfied and it gives rise to many serious problems. For example, school teachers in many states are agitating for better scales of pay and students are indulging in violence. The Kothari commission has recommended the nationalisation of education. But it is matter of regret that the Government is not thinking in this direction.

Corruption is rampant in the Botanical Garden, Lucknow. The Director himself is indulging in corrupt practices. The report of the three scientists, who went into the charges of corruption against the Director, is not being disclosed on the pretex of public interest. Similarly, there is a lot of corruption in Lal Bahadur Shastri Vidyapitha. Something should be done to eradicate corruption from these institutions.

The Government makes tall claims about the propagation of Hindi. But, the fact is that it has not even prepared a dictionary so far. The Hindi knowing people are also doing a great harm to the cause of Hindi by adopting the practice of translating even those words which are understood by almost all.

Urdu is a beautiful language and is spoken and understood by lakhs of people. The Government should see that this language is not given a step motherly treatment and is allowed to flourish and grow.

In the end I would like to say that Government should take steps to make higher education a Central Subject. All the regional languages should be encouragep and in case Hindi be the National Language, it should be simplified so that all car understand it.

Patna University should be taken over by Government so that the conditions might improve there.

In case violence, arson and loot are to be banished from the country and the country is to be made prosperous, the books, which spreads feeling of communalism, should be banned. In case the country is to progress, changes must be effected in education.

परमाणु इंजीनियरी प्रौद्योगिकी का शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग*

Use of Nuclear Engineering Technology for peaceful purposes.**

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने गत तीन वर्षों के दौरान कई एक प्रश्नों द्वारा देश में परमाणु विज्ञान के विकास के सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए प्रयास किया है। मैंने यह पूछा था कि देश में प्लुटोनियम का कितना उत्पादन होता है और नांगल परियोजना से कितना भारी जल का उत्पादन होता है। परन्तु सरकार ने इस दलील के आधार पर संसद सदस्यों को हमारे देश में परमाणु विज्ञान के विकास के सम्बन्ध में जानकारी देने से इन्कार कर दिया है कि जानकारी का रहस्योदघाटन करना राष्ट्र के हित में नहीं है। सरकार जिस जानकारी को संसद को देने से इन्कार करती है, उसकी अन्य देशों को जानकारी है।

देश के हित में क्या है और क्या नहीं है, विवादास्पद है। सरकार जिस चीज को देश के हित में समझती है, अन्य सदस्य शायद उसको राष्ट्र हित में न समझें। इस संसद को परमाणु शक्ति के विकास के सम्बन्ध में सारे तथ्य, आंकड़े तथा सूचना दी जानी चाहिए ताकि परमाणु शक्ति की नीति तथा परियोजना के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

परमाणु शक्ति के लिए परामर्षदात्री समिति ने संसद सदस्यों को जो सूचना नहीं दी, वह अन्य राष्ट्रों को मालूम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस आंकड़े तथा सूचना को छुपाना नहीं चाहते हैं। यदि सरकार इस संसद को परमाणु विकास के बारे में सभी जानकारी आंकड़े व तथ्य बताने के अधिकार से इन्कार करना चाहती है तो उसे इस आशय का एक अधिनियम पास करना चाहिए।

---

*आधे घन्टे की चर्चा

** Half-An-Hour Discusion.

श्रीमान जी मैंने विभिन्न रूपों में लगभग एक दर्जन प्रश्न पूछे कि आणुविक विस्फोट टेक्नोलोजी में हमारे वैज्ञानिकों को सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, दोनों हैं, इसका उत्तर बड़ा दिलचस्प था। उत्तर में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं (क) कि हमारे परमाणु वैज्ञानिक प्रयोगनीय कार्यों में लगे हुए हैं (ख) कि वे आणुविक टेक्नोलोजी के आधतन विकास से पूरी जानकारी रखते हैं। इसका क्या अर्थ हैं ? क्या हमारे वैज्ञानिकों को इसका पूरा ज्ञान है या अनुसंधान कार्य चल रहा है ? यदि नहीं तो फिर ऐसा उत्तर क्यों दिया गया है कि वे प्रयोग सम्बन्धी कार्य में लगे हुए हैं।

मैं आज आणुविक शस्त्रों को बनाने के लिए बहस नहीं कर रहा हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री समर गुह : मेरा कहने का तात्पर्य केवल आणुविक इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी को विकसित करने का है।

परमाणु शक्ति का शांति पूर्वक उपयोग क्या है ? प्रथम रूप से यह चिकित्सा उदेश्यों, खाद्यान परिरक्षण औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्सज का प्रयोग शामिल है। दूसरे, इसमें बिजली और परमाणु इंजीनियरी के विकास के लिए परमाणु शक्ति संयत्रों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग भी शामिल है।

परमाणु इंजीनियरी का प्रयोजन रेगिस्तान को उर्वरक भूमि में बदलना, बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों का मार्ग बदलना, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाना, पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगे बनाना और अन्य अनेक कार्य करने हैं। परमाणु शक्ति का उपयोग प्रभावशाली इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 700 करोड़ से अधिक रुपये के मूल्य का सामान्य डाइनेमाइट विस्फोट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यदि परमाणु इंजीनियरी का पूरी तरह विकास करने दिया जाय तो विस्फोट कार्य सस्ती दर पर किया जा सकता है।

अणु विस्तार निषेध-संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद रूस और अमेरिका तथा अन्य परमाणु देश भूनिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। यह कहा गया है कि अब तक सोवियत संघ ने 58 भूमिगत परीक्षण और अमेरिका ने 148 परीक्षण कर लिए हैं। मैं ब्रिटेन फ्रांस और चीन के आंकड़े नहीं जोड़ना चाहता हूं। हमारी सरकार मानती है कि इनमें से "20 शांतिपूर्ण तथा वैज्ञानिक उदेश्यों के लिए थे। अमेरिका में दो परियोजनाएँ परमाणु इंजीनियरी की टेक्नोलोजी को विकसित करने के लिए कार्य कर रही हैं। इतना ही नहीं परमाणु निषेध संधि में एक खंड है जिसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यदि कोई देश शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए इन परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करना चाहता है तो उसके लिए यह व्यवस्था उपलब्ध की जायेगी। यदि ऐसी व्यवस्था है फिर भारत को परमाणु इंजीनियरी प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए कौन रोकता है। 1964 में वाद-विवाद का जवाब देते हुए शास्त्री जी ने इसका समर्थन किया था और कहा था कि हमारा परमाणु शक्ति आयोग परमाणु इंजीनियरी टेक्नोलोजी का विकास कर रहा है। सरकार की नीति के अनुसार शास्त्री जी ने जो कुछ कहा वह इस प्रकार है :—

"मान लीजिए, हम एक एक्सप्लोशन करते हैं, भारी-भारी आज हमें टनल्ज बनानी हैं, बहुत बड़ा एरिया, मान लीजिए, हमें साफ करना है, पहाड़ों को तोड़ना है, डिवेलेप्मेंट वर्क के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना है और उसके लिए अगर हम न्यूकिलियर डिवाइसिस की शक्ति को

बढ़ायेंगे, तो उससे देश को लाभ होगा, दुनिया को भी लाभ होगा । आज एटोमिक एनर्जी कमीशन हमारा उस काम को कर रहा है । उस तरफ उसका डिवेलेपमेंट और विकास बढ़ता जाता है ।"

यह द्वितीय प्रधान मंत्री का वचन था कि विस्तृत क्षेत्रों के विकास के लिए सुरंगों को बनाने के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु शक्ति आयोग इस पर कार्य कर रही है । यदि ऐसा है तो हमारी सरकार को शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए आणुविक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ।

मैं प्रधान मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या दूसरे देशों की तरह हम आणुविक शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए नहीं कर सकते हैं । जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सोवियत संघ, अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों ने आणुविक शक्ति, तथा आणुविक विस्फोट टेक्नोलोजी का अपने देशों के विकास के लिए प्रयोग किया है । फिर हमारी सरकार को आणुविक इन्जीनियरी को विकसित करने से कौन रोकता है ।

सरकार कहती है कि हम विदेशी आणुविक ईंधन तथा आणुविक रिऐक्टर सप्लाई करने वाले देशों के साथ किए गए समझौते के कारण बाध्य हैं । हम आणुविक उपकरण बनाने के आणुविक शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं । इस वाद-विवाद में मैं यह नहीं कह रहा हूं कि परमाणु शक्ति आयोग को तत्काल आणुविक शस्त्र बनाने चाहिए, किन्तु कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति निषेध संधि हमें आणुविक इंजीनियरी टेक्नोलोजी को विकसित करने से नहीं रोक सकती है ।

अब अंतिम प्रश्न यह है कि क्या हम आणुविक विस्फोट टेक्नोलोजी का कार्य करने में समर्थ हैं । मैं पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना तथा परमाणु शक्ति आयोग के अन्य स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात् प्राप्त जानकारी से कहता हूं कि हमारे पास आणुविक ईंधन, आणुविक टेक्नोलोजी, जानकारी तथा सभी आवश्यक वस्तुएं हैं । अब केवल सरकार के निर्णय का प्रश्न है । देश के भीतर तथा बाहर एक ही प्रभाव है कि हमारे वैज्ञानिकों को आणुविक शक्ति के परिक्षण की जानकारी है । जब ऐसा है तो फिर बाधा क्या है । इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि सरकार हमारे वैज्ञानिकों को आणुविक उपायों के परीक्षण की अनुमति क्यों नहीं देती है । सरकार को इसका उत्तर इस सभा तथा देश को देना चाहिए । अपनी नीति, तथा परमाणु शक्ति आयोग की सक्षमता के अनुसार हम आणुविक इंजीनियरी टेक्नोलोजी को विकसित करने में समर्थ हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को आणुविक विस्फोट टेक्नोलोजी का व्यावहारिक ज्ञान देने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ।

श्री रणजीतसिंह (खलीलाबाद) : यदि सरकार बाधा डालती है तो सरकार को विस्फोट किया जाय ।

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य ने इस विषय पर काफी चाव दिखाया है । और सामान्यतः उन्होंने अणु बम बनाने की मांग की है । उन्होंने जो मुख्य प्रश्न पूछा है वह यह है कि सरकार परमाणु शक्ति आयोग को आणुविक विस्फोट और इंजीनियरी के लिए आणविक शक्ति का प्रयोग करने से क्यों रोकती है । हमें इसका विरोध क्यों करना है ?

माननीय सदस्य ने अमेरिका में हुए परीक्षणों का उल्लेख किया है। हमें मालूम है कि सोवियत और शायद फ्रांस ने भी कुछ परिक्षण किए हैं। यद्यपि ये शब्द माननीय सदस्य को चुभेंगे किन्तु मुझे कहना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिक इस मामले में पूरी जानकारी रखने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके विकास में कई जटिल समस्याएं हैं, जिनका हल किया जाना है।

श्री समर गुहा : सबसे जटिलतम समस्या सरकार के निर्णय की है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि माननीय सदस्य पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र पढ़ते हों तो उनको पता चलेगा पश्चिम में वैज्ञानिक परिक्षणों से वातावरण में कितना परिवर्तन हुआ है। भूमिगत विस्फोटों से जमीन से पानी निकलने का खतरा होता है। चूंकि उन राष्ट्रों ने कुछ दिशाओं में अवश्य प्रगति की है परन्तु साथ ही इससे कई हानियां भी हुई हैं और इस पर शक्ति, धन तथा लोगों का अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से ये बातें जनता के लिए अच्छी नहीं हैं।

रेडियो विकिरणशीलता की मात्रा में अनिश्चितता के अतिरिक्त पारिस्थितिक परिवर्तन भी इससे उत्पन्न हो जाते हैं।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : आणुविक विस्फोटों का साफ तरीका है और इससे रेडियो विकिरणशीलता नहीं होती। अमेरिका तथा रूस में इस प्रकार का तरीका है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : साफ विस्फोट तो है किन्तु मैंने पहले जैसा कहा कि इन देशों में यह सब अभी परिक्षण की अवस्था में है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की बैठकों में भाग लिया है और वे विस्फोट होने से पहले उन स्थानों पर गए हैं और विस्फोट के बाद उन स्थानों पर गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक इन बातों से पूरी जानकारी रखते हैं। फिर भी भारत जैसे देश के लिए आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार के परिक्षण करना उचित नहीं हैं क्योंकि इनका परिणाम इस पर व्यय किए गए धन की तुलना में लाभदायक नहीं होगा। यह ध्यान देने की बात है। किसी विशेष परियोजना को करने में हमें कोई झिझक नहीं है किन्तु हमें समस्या का हर प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर समर गुहा ने कहा कि हम विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने औषधि, कृषि, खाद्यान परिरक्षण का उल्लेख किया है।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : मुझे अपने आणुविक वैज्ञानिकों पर गर्व है किन्तु दुर्भाग्य से आप उनको आगे नहीं बढ़ने देते।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं कि हम वैज्ञानिकों को रोक नहीं रहे हैं। वे आज समस्त दिशाओं में ज्ञानोपार्जन में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यक होगा तो हम ज्ञान तथा अनुभव सहित तैयार रहेंगे। वे लोग हमसे परामर्श करके निर्णय करेंगे। कौन सा उचित स्थान है, इस प्रकार की टेक्नोलोजी को प्रयोग करने के लिए कौन सी उचित परियोजना है, किस प्रकार यह ज्यादा लाभदायक होगी। अन्य देशों में भी यह परिक्षण के चरण पर है।

दूसरी मुख्य बात डा० गुहा ने बताई कि हम इस सम्बन्ध में सूचना नहीं देते हैं। हमने सभा को कभी भी किसी सूचना से वंचित नहीं रखा। उदाहरण के लिए, बहुत पानी के प्रश्न का हमने सूचना दी है।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : मैंने जो आंकड़े दिए हैं, आपने उन्हें नहीं माना।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने कहा कि नांगल संयत्र प्रतिवर्ष 14 टन भारी पानी का उत्पादन करता है। परन्तु अन्य कुछ बातों के सम्बन्ध में सभा को बताना हम आवश्यक नहीं समझते।

माननीय सदस्य जानते हैं कि कितनी ही सूचनाओं का अन्य देश अनुमान लगा देते हैं और कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो जनता जानती है। परन्तु यह सूचना अन्य देशों को क्यों बतायी जानी चाहिए। लोग स्वयं कुछ विशेष आंकड़ों का अनुमान लगा सकते हैं।

मैंने अभी टेक्नोलोजी के विकास से सम्बन्धित कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है। पहला वातावरण पर इसका प्रभाव और दूसरे विस्फोटों द्वारा गढ़े करके अयस्कों को निकालने की है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I am in favour of making Atom Bomb. But today the Prime Minister said that there were some complications and difficulties. The only thing which stand in the way is that the Government is not giving its decision. You must recall that in 1963 we were more advanced to China in this direction. At that time Shri Bhava was alive. Today we are lagged behind to China by 6 to 7 years. What is its reason ? The reason is that a useless man has been appointed in Shri Bhava's place. We have stopped the whole scheme set up by Shri Bhava due to influcnce of U.S.A.

Mr. speaker, in the meeting of Consultative Committee some member asked that why Government is not doing that type of Explosions. Shri Sarabhai replied that it will create misunderstanding and the countries who are giving us assistance would stop it. Due to this thought of misunderstanding the security of the nation, Defence of the country and economical and Industrial development are being effected. U.S.A. is doing 300 experiments per year. If such explosions are made, we will produce more oil.

It has been stated that we are in touch with it. But no nuclear power will tell you anything about it.

I ask you whether you have some determination and decision for making explosion ? Will you allow scientists to go ahead in this direction ?

Will you form a committee which will find the useful uses of explosion. I do not say that you should bring out information publicly about the development. But will you set up such a committee ?

Due to Sarabhai and influence of U. S. A. all that which was done by Shri Bhava has been turned in to water. The project which was started in 1963-64, will it be restarted and new scientist will be appointed ?

I want to know whether you will ensure to this House to not to sign the Non-proliferation treaty.

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूच बिहारी) : परमाणु शक्ति, आणविक शक्ति और इसके शांतिपूर्ण उपयोगों पर अच्छी चर्चा हुई है। इसके साथ ही प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं है।

यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्य की प्रगति में कोई बाधा पैदा नहीं करना चाहती। पिछले कुछ वर्षों का बजट विनिधान देखा जाय। बिना तुलना के हम कह सकते हैं कि हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान ने आणविक शक्ति के विकास के लिए विदेशी सहायता के बल पर दो बड़ी परियोजनाएं स्थापित कर ली हैं।

कितनी राशि इस वर्ष इस सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास के लिए निश्चित की है यह केवल 50 से 55 लाख रुपये तक है। पाकिस्तान का बजट हमारे बजट से 40 प्रतिशत से थोड़ा बड़ा है। किन्तु वे इस कार्य पर अधिक धन व्यय कर रहे हैं। अतः मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान इसके लिए बजट व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसके लिए बजट व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए।

दूसरे हमारी परियोजनाएं केवल मद्रास तथा देश के उत्तर-पूर्वी भागों में हैं। पश्चिम में भी ऐसी परियोजनाएं क्यों नहीं हैं। देश में थोरियम काफी मात्रा में है।

आणविक शक्ति के विकास में विभंजन और संगलन दोनों होते हैं। अब तक वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने विभंजन पर ही कार्य किया है किन्तु अब विकासशील देश संगलन पर अनुसंधान कर रहे हैं। मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे वैज्ञानिकों को संगलन पर अनुसंधान करने की अनुमति है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Speaker, at Jadriguda, in District Sinhbhoom, Bihar, there are Uraniam mines. Is there any Scheme to set up atomic plant there ?

Today many Deople are stressing on explosions for peaceful purposes. But does the Government know that how much money is spent for this purpose and how it effects our economical life

Every body knows, that there is a great need of irrigation facilities for our agriculture. I want to know that when the Government is going to make irrigation facilities available to our agriculture through Atomic Power.

Shri Shiv Chander Jha (Madhubani) : Prime Minister said that in the field of medicine, the experimental work is being dore on Isotopses. I would like to know in what fields this work is going on and how much progress has been done.

Has Government ever calculated that how much productivity in agriculture will increase, if nuclear energy is used for this purpose ?

Is there any programme to call back Dr. Khurana to India.

For the last several years Bihar has been neglected. I want to know that is there any programme to set up nuclear plant there ? If not, why not ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या-क्या कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं, यह एक प्रश्न है। शिक्षा मन्त्री अभी कह रहे थे कि हमारे बहुत से कार्यक्रम कम कर दिए गए हैं। परन्तु यदि साधन बढ़ाए जाएं तो कार्यक्रमों को भी विस्तृत किया जा सकता है।

मुझे खेद है कि परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है। डा० साराभाई एक योग्य वैज्ञानिक है और यह कहना मिथ्या है कि वे परमाणु शक्ति के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इसके विपरीत मैं सोचती हूं कि वह इसके विकास के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या डा० साराभाई आणविक वैज्ञानिक है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा कि वे सब मिलकर कार्य कर रहे हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : वह वैज्ञनिक नहीं है, आप उनसे पूछ लीजिए।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : यही बात हम प्रधान मन्त्री से जानना चाहेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वह यह है कि क्या एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए। परमाणु शक्ति आयोग स्वयं ही विशेषज्ञों से भरपूर है अतः विशेषज्ञ समिति की कोई आवश्यकता नहीं है।

भारत की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार यह सर्व प्रथम देखा जाना चाहिए कि किस कार्य को प्राथमिकता दी जाय। देश के हित में क्या है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अणु शस्त्र निषेध संधि न केवल आणुविक शस्त्रों पर ही रोक लगाती है, बल्कि आणुविक तरीकों पर भी रोक लगाती है। इस पर विचार करना पड़ता है। जैसे कि मैं पहिले ही कह चुकी हूं कि हमें ज्ञानोपार्जन करना चाहिये। यही एक तरीका है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं।

अन्य देशों में आणुविक बिस्फोट के विषय में काफी कहा गया है। आणुविक विस्फोटों तथा उनसे सम्बन्धित प्रभावों को और विकसित करना है, इसकी पुष्टि गत वर्ष स्थापित की गई समिति के निष्कर्षों पर चर्चा करने के पश्चात् राज्यपालों के मंडल में की है।

बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि "टैकनौलोजी के परिक्षण स्तर के लिये ऐजेन्सी को इस विषय पर पहुंचना चाहिये और अपना ध्यान सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये लगाना चाहिये।"

यही कारण है, क्योंकि यह कार्य भी परिक्षण के चरण पर है। अतः हमारे लिये यह उचित नहीं होगा कि हम अपने परिक्षण कार्य को बन्द करदे परन्तु जैसा कि मैं पहिले ही कह चुकी हूं कि हमें अन्य राष्ट्रों द्वारा किये गये परिक्षणों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ताकि हमारी स्थिति अच्छी रहे।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 21 अप्रैल, 1970/1 **बैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, April 21, 1970/ Vaisakha 1. 1892 (Saka)

Tirthraj Press, Allahabad.